(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 7

शुक्रवार,

17 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रामनारायण चौधरी : नमस्कार, उपाध्यक्ष महोदय। अब बनो पूरे ही।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : चुनाव की तारीखें तो निकलवाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : रामनारायणजी, आज कोई+ + + नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : जिस दिन आप आए उसी दिन हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री शंकरलाल अहारी।

मेवाड़ा परियोजना (डूंगरपुर) के विस्थापितों का पुनर्वास

55. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले की मेवाड़ा परियोजना बांध निर्माण से काफी लोग डूब क्षेत्र में आ गये हैं ?

(2) क्या सरकार इन्हें पुनः बसाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो इन्हें सरकार किस स्थान पर बसाने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (**श्री विजेन्द्रपाल सिंह**) : (1) जी, हां।

(2) जी, नहीं, मेवाड़ा बांध की डूब से प्रभावित भूमि, मकान, कुए, स्कूल आदि का मुआवजा दिये जाने हेतु केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अनुसार भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल मैंने जो प्रश्न है पूछा वह प्रश्न है कि विस्थापितों का क्या होगा, मतलब उस जमीन में रहने वाले जो लोग थे उनका क्या होगा। आपने मुआवजा भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, परन्तु जो लोग निवास कर रहे हैं जो डूब में आ गये हैं उनके लिए माननीय मंत्रीजी ने क्या सोचा कि कहां बैठाएंगे, कहां उनके मकान बनवाएंगे, कहां जमीन देंगे ? क्या यह सोचा है ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं कुछ जानकारी इस बांध के बारे में देना चाहता हूं। उससे क्लैरीफिकेशंस काफी हो जाएंगे। यह एक लघु सिंचाई परियोजना है जिसकी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

1994 के अन्दर 441 लाख की स्वीकृति हुई थी। उसके बाद में नाबार्ड से सैंक्शन होकर 567 लाख रुपये इस पर लागत आई और वह सब कार्य हो गया। अब जो नया हमने संशोधित आकलन किया है वह 996 का किया है। बांध तैयार है, मुआवजा दे दिया गया है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सवाल का जवाब देवें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आ रहा हूं। इसमें 62 खातेदार प्रभावित हुए जिनकी भूमि का रकबा 279.24 एकड़ डूब में आया। पंचायत समिति बीछीवाड़ा जिला डूंगरपुर का एक प्राथमिक विद्यालय भवन भी डूब क्षेत्र में आया। अन्य प्रभावित परिवारों की कोई भूमि डूब में नहीं आई। इन 62 परिवारों को 86 लाख रुपये का पेमेन्ट हो गया है। बाकी जो कुछ परिवार हैं उनकी कोई जमीन डूब में नहीं आई है। उनके कुछ मकान और एक स्कूल, उसका जरूर पेमेन्ट करना है। 86 लाख रुपये का जो पेमेन्ट हुआ है उसके अन्दर, यह भी मैं जानकारी हाउस को देना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि 30 प्रतिशत सोलेशियम भी दिया गया, 12 प्रतिशत ब्याज भी जोड़ कर दिया गया। यह जो चाहते हैं कि....

एक माननीय सदस्य : तीस परसेंट क्या किया ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सोलेशियम का मतलब है गुडविल। आप जानते हैं कि कोई-कोई जो सैंकड़ो वर्ष एक ही स्थान में रहे हुए हैं, उनकी जमीन भी है और उनको हटाया जाए तो मैं सोचता हूं कि उनको और कुछ भी देना चाहिए। यह लघु परियोजना है इसके अन्दर खाली मुआवजा ही दिया जाता है लेकिन ये चाहते हैं कि जैसे मीडियम और मेजर बांध के अन्दर विस्थापितों को दिया जाता है, वह सब होना चाहिए। मेरा भी सोच है, मेरी हमदर्दी भी है और मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हम लोग करें परन्तु आज के जो नियम हैं इनके अन्दर खाली मुआवजा ही देने का है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि लघु परियोजना के अन्दर मुआवजा ही दिया जाए। मुआवजे का जैसे मैंने बताया, तीस प्रतिशत ज्यादा दिया गुडविल का भी ध्यान देकर, परन्तु आप चाहते हैं कि जैसा हम बीसलपुर में कर रहे हैं या सरदार सरोवर में जैसे है वैसे हो। वे सब मेजर हैं और यह दो हजार एकड़ से नीचे है, लघु में आती है।

श्री शंकरलाल अहारी : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे बांध का काम चल रहा है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत डिटेल में जवाब दिया है।

श्री शंकरलाल अहारी : लेकिन जो मुआवजा दिया है वह कम है। मेरे ख्याल से एक-एक परिवार को एक-एक लाख रुपये पूरा आता है। 62 परिवार हैं और कुछ जमीन डूब में आ रही है 698 बीघा 2 बिस्वा। आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र में जिला डूंगरपुर में कृषकों की जो हालत है वर्तमान में। कम जोत की भूमि है, भूमि कम है और वह कम भूमि भी इस डैम में डूब में चली

(श्री शंकरलाल अहारी)

गई। आपने मुआवजा दे दिया मकानों का, कुओं, वृक्षों का, परकोटे का, सब का दे दिया और हमने पोटली बन्धवा दी। हम पोटली बांध कर चल पड़े, पर हम चल कर जाएंगे कहां, बसेंगे कहा? बांध, बांध दिया, हम उससे लाभ ले लेंगे, सिचाई भी सब लोग-बाग कर लेंगे किन्तु मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम लोग कहां जाएंगे? आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अनुसार भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है। यह कहकर आपने जो हमारा जमीन वाला मामला था वह केन्द्रीय आधार पर छोड़ दिया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप........

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये आप। आपकी बात........

श्री शंकरलाल अहारी : एक निवेदन है, साहब। क्या आप........

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, मेरी बात सुनें। आपकी सारी बात समझ गये मंत्री महोदय, तैयार हैं उत्तर देने के लिए। हां, आप फरमाएं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर): मंत्री महोदय, यह जो आपने मुआवजा निश्चित किया उसमें मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखा गया है या नहीं रखा गया? (व्यवधान) प्लीज, सुन तो लें आप, आप दे दीजिये उत्तर। और मार्केट रेट वहां की क्या थी? मुझे ज्ञात हुआ है कि मार्केट रेट से कम मुआवजा दिया गया है। विस्थापितों के जहां मकान बने हुए हैं उनको अल्टरनेट कोई साइट नहीं बताई गई कि वे कहां पर बसेंगे, कहां मकान बनाएंगे, कहां स्कूल घर बनाएंगे। इसकी आपकी योजना में कोई जानकारी हमको नहीं दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के सामने यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो जानकारी ....

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से जो प्रश्न का दायरा है उस में ही आप रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बिलकुल ठीक। सही बात यह है कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अन्दर खाली मुआवजा ही दिया जाना अभी तक अधिनियम में है। मेरा भी ऐसा विचार था कि ये लोग कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, मैंने भी यही का यही प्रश्न मेरे विभाग वालों से पूछा लेकिन अभी तक हम लोगों के पास अधिनियम में मुआवजा ही हैं। मुआवजे की आपने बात की, यह मार्केट वैल्यू की बात है, तो मार्केट वैल्यू को ध्यान रखते हुए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय को सुनिये आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उससे 30 प्रतिशत ज्यादा, सोलेशियम भी दिया गया। तो वह मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा हो गया और उसके ऊपर ब्याज भी दिया गया। पर आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आज दुनिया के अन्दर यही सोच चल रहा

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

है कि जो सैंकड़ों सालों से रहे हुए है.... (व्यवधान) मेरी बात तो सुन लें आप।

एक माननीय सदस्य : दुनिया की नहीं, बांसवाड़ा की बात करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दुनिया में हिन्दुस्तान भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, सभी आ गये। मेरा भी यही सोच है और राजस्थान पहला प्रदेश है जहां इस सोच से एक नई रीहैबिलिटेशन, रीसैटलमेंट पालिसी, अभी तक प्रस्तावित हालांकि ही है, पर मैं जल्दी से जल्दी इसको लागू करने की कोशिश करूंगा। आज तो इसमें नहीं है, यही मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह कानून के विपरीत है सारा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाएं। श्री बनवारीलाल बैरवा, कहां बोल रहे हैं आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मान्यवर, मेरा इसमें प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं वह मैंने समाप्त कर दिया है।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : अभी समाप्त कहां हो गया ? (व्यवधान) बीसलपुर के विस्थापितों का अभी जिक्र किया, वहां के विस्थापितों को अब तक जमाया नहीं गया, उनको बसाया नहीं गया। आपने दूसरा नाम पुकार लिया।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : मंत्री ने जवाब दिया है वे पूछ रहे है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, बैठ जाएं। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया। माननीय सदस्य, आप हमेशा उलझते हैं, आप हमेशा आसन से उलझने की कोशिश करते हैं, आप बिराज जाएं। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया।

श्री बनवारीलाल बैरवा : नहीं, मान्यवर, ऐसा बिलकुल नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जाएं। श्री बनवारीलाल जी, आप बोलिये न नम्बर।

जिला टौंक के विभागीय वाहन

56. **श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला टौंक के पशुपालन विभाग में कितने वाहन हैं व इनमें से कौन–कौन से वाहन कब–कब से खराब हैं ? क्या सरकार उन्हें ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) वर्तमान में कितने वाहन चालू हालत में हैं ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : (1) जिला टौंक में वर्तमान में दो वाहन है। दोनों ही वाहन ही सही हैं, कोई खराब नहीं है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(2) वर्तमान में दोनों गाड़ियां ठीक काम कर रही है ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी, टौंक जिला बहुत बड़ा जिला हैं, उसकी 6 तहसीलें हैं । पूरा राजस्थान जहां कृषि आधारित है उसी तरीके से पशु-पालक भी हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : तहसील 7 हैं । संशोधन कर लें ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : और इजाफा कर लो उसमें, साहब मैंने ज्यादा तो नहीं बोला । मान्यवर, सिर्फ दो वाहन वहां पर दिये हुए हैं । माननीय मंत्री जी यह बताएं कि उनको कितने जानवरों की देखभाल करनी होती है, कितने वहां पर चिकित्सालय हैं, कितने डाक्टर्स हैं और कैसे वे उसको व्यवस्थित कर पाते हैं ? पिछली गर्मी में गलघोंटू बीमारी आयी, सैकड़ों जानवर जगह-जगह मर गये । मैंने वहां जाकर डाक्टरों से कहा कि आप जाइये, जाकर देखिये लेकिन उनके पास साधन सुविधा नहीं । मेडिकल जो मनुष्यों को देखभाल करने वाली है वहां तो आपके पचासों गाड़ियां हैं, पचासों डाक्टर हैं और हमारा जो आधार है इकानॉमी का ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा है कि कितने वाहन खराब हैं । दो वाहन हैं, दोनों ठीक हैं और चल रहे हैं । अब इनमें आगे प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : नहीं, मान्यवर, मेरी बात तो सुनिये । ये दोनों अपर्याप्त हैं । मेरा यह कहना है कि दोनों अपर्याप्त हैं । कौन से तो दो वाहन हैं और वो भी बिलकुल अपर्याप्त हैं, और ज्यादा वाहन वहां पहुंचाने चाहिए । जो मैंने बात पूछी वह भी बताइये आप कि कितने चिकित्सालय हैं, कितने डाक्टर हैं, क्या इन बीमारियों के बारे में आपको जानकारी है ? अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : इसमें डाक्टरों का कहीं जिक्र ही नहीं है ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य ने अलग से प्रश्न पूछ लिया है, फिर भी अगर ये चाहेंगे तो जवाब दे दूंगा । आज सिर्फ गाड़ियों के मामले में पूछा है । एक गाड़ी जिला पशुपालन अधिकारी के पास में रहती है और एक जो एल एन 2 सप्लाई करते हैं ए. डी. एल एच.बी. के पास रहती है ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मान्यवर, गाड़ियों की तो आपके पास में जानकारी है और चिकित्सालय और डाक्टरों के बारे में नहीं है । (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 57

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी । अनुपस्थित । (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।) श्री भीमराज भाटी । श्री बनवारीलाल जी, कृपया । श्री भीमराज भाटी ।

मरु क्षेत्र का विकास

58. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भीमराज भाटी)

(1) राज्य सरकार ने मरु क्षेत्र विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मरु क्षेत्र विकास के लिए किन–किन जिलों का चयन किया गया है तथा चयन का क्या मानदण्ड है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यक्रम के तहत गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री ललितकुमार जैन) : (1) राज्य में मरु विकास के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मरु विकास कार्यक्रम संचालित है।

(2) भारत सरकार द्वारा मरु विकास कार्यक्रम निम्न जिलों में संचालित हैं :– 1. जोधपुर 2. जैसलमेर 3. जालोर 4. पाली 5. सीकर 6. नागौर 7. चूरू 8. हनुमानगढ़ 9. झुन्झुनूं 10. बाड़मेर 11. बीकानेर 12. अजमेर 13. उदयपुर 14. सिरोही 15. राजसमन्द 16. जयपुर। इसके लिए क्षेत्रों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा उनके स्तर से गठित तकनीकी समिति द्वारा सुझाये गये निम्नानुसार मापदण्डों के आधार पर किया गया है :–

1. यदि किसी जिले का शुद्ध सिंचित क्षेत्र बोये गये क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक है तो उस जिले के सभी ब्लाक्स डी डी पी के तहत नहीं लिये जा सकते चाहे उस जिले के एक या अधिक ब्लाक की शुद्ध सिंचित क्षेत्र 30 प्रतिशत से भी कम क्यों न हो।

2. जिन जिलों का शुद्ध सिंचित क्षेत्र 50 प्रतिशत से कम है उनमें ऐसे ब्लाक्स जिनमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र 30 प्रतिशत से कम है उन्हें ही कार्यक्रम के तहत लिया है।

(3) भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 95–96 में चार वर्षीय परियोजना काल हेतु 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल की 841 जलग्रहण परियोजनाओं द्वारा कुल 420500 हैक्टेयर क्षेत्रफल विकसित किये जाने की स्वीकृति दी गई है। जिसके पीछे 409101 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित करने के लिए 917 परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत हैं। 5000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 4 वर्ष में कुल 19927 लाख रुपये की पात्रता बनती है। इन परियोजनाओं के पेटे वर्ष 1995–96 में 3254.80 लाख रुपये, वर्ष 1996–97 में 1227.91 लाख रुपये एवं वर्ष 1997-98 में 3200.84 लाख रुपये एवं वर्ष 1998-99 में 3959.14 लाख रु. प्राप्त हुए हैं।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 409101 हैक्टेयर में पांच हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो मंत्री महोदय की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि आपने जो एलीजिबिलिटी बताई है 19927 लाख 55 हजार रुपये, यह पांच हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 20,455 लाख रुपये होती है। अगर आर्डिनरी मैथेमेटिक्स का स्टूडेन्ट भी कैलकूलेट करे तो 20455 लाख रुपये बनती है। एलीजिबिलिटी में ही आपने सदन में बता दी। पांच हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 527 लाख रुपये का

(श्री भीमराज भाटी)

तो आपने एलीजिबिलिटी में ही लॉस कर लिया। अब पिछले चार सालों में आपको 11,642.69 लाख प्राप्त हुए हैं जबकि आपको प्राप्त होने चाहिए थे 20455 लाख रुपये। यह जो शार्टफाल है 8812.36 लाख का यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार ने समय पर स्टेटमैंट नहीं दिये, समय पर कम्प्लीशन रिपोर्ट नहीं दी, समय पर यूटिलाइजेशन नहीं किया उस वजह से राज्य सरकार को यह 88 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ या राज्य सरकार को कम प्राप्त हुए। 1997-98 में भी आपको आ गये, अब तक कुल 11696 लाख प्राप्त हुए हैं जबकि प्राप्त होने चाहिए थे आपको 20096 लाख। तो यह 8812 लाख का जो लॉस हुआ है उसकी क्या वजह है, एक प्रश्न तो मेरा यह है? दूसरा प्रश्न है कि पाली जिले में इस योजना के अन्तर्गत कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और उन परियोजनाओं में कितना पैसा अभी तक पिछले तीन सालों में आप खर्च कर चुके है?

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने निवेदन किया चार वर्ष के लिए योजना स्वीकृत हुई, उस योजना का कार्य चार वर्ष तक लगातार चलता रहा है। जिस–जिस तरफ पैसा खर्च होता है उसका सर्टिफिकेट हम यहां से भेजते हैं उसके अगेंस्ट में भारत सरकार से पैसा रिलीज हो जाता है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें कोई पैसा लैप्स नहीं होगा, जितना पैसा हमारा स्वीकृत होगा वह निश्चित रूप से वहां से प्राप्त कर लिया जाएगा। जो कुल 917 योजनाएं स्वीकृत थीं उन पर कार्य प्रगति पर है।

अब आपने यह प्रश्न तो अलग से पूछ लिया, मूल प्रश्न में कहीं भी नहीं था कि पाली जिले में कितने काम स्वीकृत हुए। इन्होंने जो इन्फार्मेशन मांगी थी, मैंने पूरी सूचनाएं आपको दे दी। उसके बाद भी आप अतिरिक्त सूचनाएं चाहते हैं तो आप लिखकर दे दें, मैं निश्चित रूप से आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया उन्होंने। आप भेज देना सूचना।

श्री अनंगकुमार जैन : हां। बाकी, राज्य सरकार इस योजना को ठीक ढंग से मॉनीटर कर रही है, जहां-जहां कार्य चल रहे हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और जो मापदण्ड हैं उन्हीं के मुताबिक काम चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने भी आपको बार-बार निर्देश दिया है कि आप समय पर स्टेटमैंट नहीं भेज रहे हैं इसलिए अगली किस्त में आपका पैसा अटका हो जाता है? क्या यह सही है कि राज्य सरकार को इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है? इस बारे में भारत सरकार ने बार-बार आपको एतराज जताया कि अगर आप समय पर खर्च का विवरण नहीं भेजेंगे तो अगला अलाटमेंट आपको नहीं होगा और जो भी अलाटमेंट होगा, अगर कम खर्च का स्टेटमैंट आपने भेजा तो वह उतना पैसा काट करके आपको भेजेंगे, क्या यह सही है?

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नार्मल प्रक्रिया है; भारत सरकार जिन–जिन प्रदेशों को, राजस्थान को ही नहीं, जिन योजनाओं में पैसा स्वीकृत करती है यह पत्र तो वह नार्मल कोर्स में लिखती है कि आप इसकी यू. सी. भेजेंगे, इस पैसे का उपयोग करेंगे तो हम नैक्स्ट किश्त रिलीज करेंगे। यह कोई नई बात आपने मुझसे नहीं पूछी है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि सरकार का कोई लैकूना रहा है क्या।

श्री अनंगकुमार जैन : .... और उसके लिए पत्र भी उनके इसी योजना के लिए.... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : मेरा सीधा सवाल है, आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। क्या भारत सरकार ने आपको नहीं लिखा है कि अगर आप समय पर खर्च का विवरण नहीं भेजेंगे तो आपको अगला अलाटमेंट नहीं होगा? क्या यह सही है कि उसमें यह व्यवस्था है कि जितना कम खर्च का विवरण भेजेंगे, जो पैसा आपके पास बचेगा वह पैसा अगले में एडजैस्ट करके आपको कम पैसा भेजेंगे? क्या यह सही है?

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के अलावा भी ऐसी कई योजनाएं हैं जो केन्द्र सरकार के सहयोग से चलती हैं और राज्य सरकार के सचिव और केन्द्र सरकार के बीच वार्तालाप चलती रहती है। कई बार वे मिलके भी जाते हैं, पत्रों के माध्यम से सारी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। भारत सरकार का यह प्रयास रहता है कि जो पैसा हम भेज रहे हैं उसका समुचित उपयोग हो, समय पर उपयोग हो।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, आपके पास जवाब नहीं हो तो आप सीधा कह दीजिये या प्रश्न को स्थगित करा दीजिये।

श्री अनंगकुमार जैन : .... सामान्यतः हमारे पास भारत सरकार ....

श्री हरजीराम बुरडक : मेरा सीधा-सा सवाल है उसको आप टाल रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : सामान्यतः हमारे पास भारत सरकार के योजनाओं के बारे में पत्र आते रहते हैं और पत्र के माध्यम से हम भी जवाब भिजवा देते हैं। यह तो यूजुअल प्रोसेस है, नार्मल कोर्स की बात हैं। इसमें नई कोई बात नहीं है कि भारत सरकार ने हमको क्यों लिखा है। वह राजस्थान स्टेट को ही नहीं हिन्दुस्तान की जितनी भी स्टेट हैं सबको लिखते हैं और जिन योजनाओं के बारे में वे पैसा देते हैं उन योजनाओं के बारे में पूछताछ करते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। ऐसा है कि 98–99 आखिरी वर्ष है और इस वर्ष का पूरा रुपया ही आपको अगर अन्त में मिल जाता है तो भी 88 करोड़ रुपये आपको कम मिलेंगे, क्या यह बात सही है? पहले तो हुआ जो खर्च हो गया, अब 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने और बचे हैं, जो आपने प्रावधान किया है कि पूरा खर्च हो जाए उस समयावधि में, मार्च 99 तक तो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भी 88 करोड़ रुपये आपको कम मिलेंगे, यह गलती किसकी है ?

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल था कि राज्य सरकार को प्रत्येक तिमाही में हिसाब भेजना पड़ता है और वह हिसाब अगर खर्चे का भेजेगी तो अगली किश्त भारत सरकार देगी। राज्य सरकार की बार–बार इसमें लैप्स हुई हैं और जो दूसरी किश्त आई है वह पहले वाले पैसे काट कर आई है। अब आपने कहा कि अन्त में आपको मिलेंगे, अन्त में क्या मिलेंगे ? अन्त में हिसाब बराबर हो जाएगा जितना आपने पैसा खर्च किया उतना पैसा मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से मंजूरी मिली है उस पूरे पैसे को हम भारत सरकार से निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे और उस पैसे के उपयोग से जो जल ग्रहण योजनाएं हैं उनको चलाया जाएगा। अब इतनी बड़ी योजना के अन्दर जहां इतने रुपये खर्च किये जा रहे हैं....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमता ही नहीं है उसकी उधार के काम करने की।

श्री अनंग कुमार जैन : आप तो कह रहे हैं 25-30-40 लाख कम मिलेंगे, वह पांच हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तो नार्मल कोर्स में कीमत लगी है। अगर मान लिया जाए कि एक योजना में पांच हजार हैक्टेयर में 25 लाख रुपये चाहिये और यह योजना अगर 22 लाख के ऊपर हो जाए तो क्या राज्य सरकार तीन लाख रुपये जबरदस्ती खर्च करे वहां पर ? यह तो कैलकुलेशन की बात है। मोटे तौर पर पांच हजार रुपये देगी। कई बार पांच हजार का काम साढ़े चार हजार रुपये में हो सकता है और कभी वहां की लोकल कंडीशन ऐसी हो तो पैसा ज्यादा भी खर्च करना पड़ता है, तो एडिशनल सैंक्शन भी राज्य सरकार उसको देती है। इसलिए आप इस शंका को अपने मन से निकाल दें कि राज्य सरकार को भारत सरकार से मिलने वाला जो पैसा है वह कहीं लैप्स होगा। राज्य सरकार पूर्ण रूप से सजग है. लगातार इन योजनाओं की मानिटरिंग कर रही है और स्पेशल आफिसर समय-समय पर भेजे जाते हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा जो केन्द्र सरकार से मंजूर हुआ है, एक-एक पैसा वहां से लाती है और लाने का प्रयास कर रही है। कोई पैसा लैप्स नहीं होने दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मगराज चौधरी।

श्री हरजीराम बुरडक : उत्तर क्या आया, साहब, इसका ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने समाप्त कर दिया यह प्रश्न, अगला पुकार लिया। श्री मगराज चौधरी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक सवाल, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अब सवाल कैसे पैदा होगा जब मैंने वो चर्चा ही समाप्त कर दी ?

(10)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बहुत महत्व-पूर्ण सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा आ गया, मंत्री जी ने जवाब देना शुरू कर दिया। आप लेट उठे थोड़ा।

जसवन्तपुरा (जालोर) नवोदय विद्यालय में छात्र मृत्यु प्रकरण

59. **श्री मगराज चौधरी** (आहोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माह फरवरी, 1995 में जालोर जिले के जसवंतपुरा नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत एक छात्र की मृत्यु सन्देहास्पद परिस्थिति में होने पर जसवंतपुरा थाने में मुकदमा संख्या 3/95 दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया ? यदि हां, तो क्या उसमें मृत्यु का कारण नहीं दर्शाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि पोस्ट-मार्टम के दौरान लिये गये विसरा को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में भेजा गया था ? यदि हां, तो कब और उसके परीक्षण की रिपोर्ट कितने समय बाद कब दी गई और इस रिपोर्ट में छात्र की मृत्यु किस कारण से होना बताया ? विधि विज्ञानशाला द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। माह फरवरी, 1995 में थाना जसवन्तपुरा जिला जालोर के क्षेत्र नवोदय विद्यालय, जसवन्तपुरा में छात्र बाबुराम पुत्र नेनाराम चौधरी निवासी किशनगढ़ की विद्यालय के कुए में गिरने से मृत्यु हुई थी जिस पर थाना जसवन्तपुरा में मर्ग सं 3/95 दर्ज हुआ। छात्र की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया, किन्तु लाश के बुरी तरह से सड़ जाने से मृत्यु का कारण केमिकल परीक्षण के बाद बताने की राय दी गई।

(2) जी, हां। विसरा दि. 25.4.95 को परीक्षण हेतु भेजा गया। विसरा की परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.9.96 को प्राप्त हुई जिसमें विसरा में किसी प्रकार के जहर का नहीं होना पाया। परीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(परीक्षण रिपोर्ट विधान सभा पुस्त-कालय में रखी गयी।)

श्री मगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रश्न के दोनों भाग के उत्तर को देखते हुए आपकी राय में इस छात्र की मृत्यु का क्या कारण है। चाहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई दर्शाया हो अथवा विधि विज्ञानशाला से जो रिपोर्ट आई है उसको देखने के पश्चात् कोई कारण नजर आया हो, आखिर में क्या कारण था उसकी मृत्यु का, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, खंड एक में मैं बता चुका हूं कि नवोदय विद्यालय के पास एक कुआ था। इस कुएं में इनकी लाश बड़े लम्बे समय के बाद बड़ी क्षत-विक्षत अवस्था में सड़ी हुई मिली थी। उसके बाद उसका पोस्ट-

(श्री कैलाश मेघवाल)

मार्टम किया गया। उसके हिसाब से कोई एक्सटर्नल इंजरी सामने नहीं आई तो फिर विसरा भेजा गया और विसरा में भी जहर नहीं होने का यह प्रमाण-पत्र आ गया है। इसके बारे में किसी ने किसी तरह की कोई शंका उस समय भी जाहिर नहीं की, उसके बाद भी जाहिर नहीं की कि यह हत्या है या इसको मारकर डाला। ऐसा कोई किसी तरह का प्रमाण पत्रावली पर नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मेरे ख्याल से विभाग से सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं। मैं स्वयं पोस्टमार्टम के समय मौके पर मौजूद था। लाश को क्षत-विक्षत हालत में सड़ा हुआ बताया गया, बिलकुल गलत है। लाश कुए में जरूर डेढ़ दिन पड़ी रही, बाहर निकाला गया लेकिन किसी प्रकार से वह डी-कम्पोज्ड स्थिति में नहीं थी और बिलकुल ठीक हालत में थी। ऐसी स्थिति में मुलजिमान ने डाक्टरों से मिल कर मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने नहीं दिया। उसके पश्चात् विसरा में भेजा गया। विसरा की रिपोर्ट भी डेढ़ साल तक रोके रखी। इस दौरान उन्होंने मैनिपुलेशन किया यहां आकर और रिपोर्ट में यह लिखा दिया गया कि मृत्यु का कारण मालूम नहीं पड़ रहा है। फिर आप बताइए, आखिर में उसकी मृत्यु का कारण क्या है ? अगर व्यक्ति जिन्दा था और स्वयं सुसाइड करने के लिहाज से गिर गया तो उसके पेट में पानी निकलना चाहिये जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर नहीं पाया गया। शरीर पर कोई चोटें नहीं थीं। जहां तक शरीर का सवाल है, जो मैंने देखा था पोस्टमार्टम करते समय, उसके शरीर के विभिन्न भागों में अलग-अलग प्रकार का कलर था, नीला कलर था। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि उसको जहर देकर मारा गया मगर यहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों से मिलावट करके, एफ. एस. एल. के अधिकारियों से मिलावट कर के सही कारण सामने आने नहीं दिया। मौके पर जब पोस्टमार्टम किया गया उस समय भी डाक्टरों से यह कहा गया था कि आप एक बार धक्का लगा दीजिए और मृत्यु का कारण मत बताइए। वरना आप देखिए इस रिपोर्ट को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराज जाएं आप।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायक बहुत पुराने और अनुभवी विधायक भी हैं, आपकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम हुआ और वह पोस्टमार्टम गलत कर दिया गया, इसमें मुझे कुछ शंका होती है। अब इस स्थिति में भी आप चाहें तो मैं इसको सी. आई. डी. को देकर जांच करा लूंगा आपकी शंका के समाधान के लिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लाश कितने दिन तक कुए में रही, यह बता दें आप ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसको सी. आई. डी. में दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन मोहन। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया, माननीय सदस्य। श्री मदन मोहन।

श्री नगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा–सा सुझाव देना चाहता हूं मंत्री महोदय को ।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं । श्री मदन मोहन । सवाल नहीं आएंगे, माननीय सदस्य ।

श्री नगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश को सड़ी हुई होना नहीं बताया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब नहीं आएगा, माननीय सदस्य ।

जाट, मेव तथा ओड़ राजपूत को आरक्षण

60. **श्री मदन मोहन (खैरथल) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार जाट, मेव एवं ओड़ राजपूत को आरक्षण देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : जाट एवं मेव जाति/वर्ग का प्रत्यावेदन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वेक्षणाधीन है । इस सम्बन्ध में आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विचार करेगी । ओड़ जाति/वर्ग राज्य पिछड़ा वर्ग सूची में क्रम संख्या 42 पर अंकित है ।

श्री मदन मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के प्रथम में जो बजट सत्र था उस बजट सत्र में पहला प्रश्न यही था, आज साढ़े चार साल बीत चुके हैं और जो जवाब उन्होंने उस सत्र में दिया था वही जवाब प्राप्त है । चार साल पूर्व मैंने इन्हीं तीन जातियों के बारे में पूछा था–जाट, मेव और ओड़ । ओड़ का सर्वेक्षण हो गया लेकिन जाट और मेव का सर्वेक्षण आज तक नहीं हो पाया है । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ही नहीं, देश में विविध जातियां बसी हुई हैं लेकिन किसान तबके की और गरीब तबके की जो जातियां हैं वे यही हैं । इनको यदि ओ. बी. सी. में शामिल कर लिया जाए तो इन वर्गों के लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा, केन्द्र सरकार की नौकरियों में मिलने लगेगा और गरीब तबके से उठकर इनका उत्थान हो पाएगा, ये आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाएंगे । मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है मंत्री महोदय से कि ये चार साल तो सर्वेक्षण के दौरान बीत गये, यदि चालीस साल का आपका इरादा हो तो चालीस साल इनका सर्वेक्षण और करवाइए, मेरे को तो केवल इतना जवाब दे दीजिए आप इनको ओ. बी. सी. में शामिल करना चाहते हैं या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, पूर्णत: इनकी कोई तैयारी के आधार पर नहीं है और इन्होंने अपनी + + + के आधार पर तैयार किया है । मंत्री महोदय केवल इतना जवाब दे कि इनको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री मदन दिलावर)

कि चार साल में क्या किया, तो चार साल में, 3,664 प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त हुए। उसमें 271 जातियों के अभ्यर्थी थे जिनमें से 263 के सम्बन्ध में जांच, सर्वेक्षण, सुनवाई रिपोर्ट आ गयी है और मात्र 8 जातियां ऐसी है जो अभी सर्वेक्षणाधीन हैं। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट आएगी, सरकार उसके ऊपर गम्भीरता से विचार करके निर्णय लेगी।

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी .... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूं कि राज्य सरकार ने जो सर्वेक्षण करवाया है उस सर्वेक्षण के अनुसार ...

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है, माननीय सदस्य, उत्तर पर्याप्त है। मंत्री महोदय इससे ज्यादा उत्तर दे नहीं सकेंगे, उत्तर पर्याप्त है।

श्रीमती कमला : जो परिणाम आपके सम्मुख आया है....(व्यवधान)

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेव जाति केवल अलवर जिले में बसती है। इसका सर्वेक्षण कहां करवाया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी : प्रश्न संख्या 61.

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्लीमैंटरी नहीं पूछने दे रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले उठते, मैं क्या करता ? मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पहले दो बार उठ गये वे। पहले वाले प्रश्न में भी उठा था मैं। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं इसलिए पहले प्रश्न में भी उठा था फिर बैठ गया, इस प्रश्न में भी उठा था फिर बैठ गया।

श्रीमती कमला : मैंने जो सवाल पूछा है उसका तो जवाब दिलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी तरफ सबसे ज्यादा देखता हूं।

श्रीमती कमला : नहीं, वे जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तो देख रहे हो लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री महोदय।

श्रीमती कमला : जो सर्वेक्षण आया है उसके सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अब आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और क्या करें, यह बताइये ?

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, शांत रहिये, माननीय सदस्य। श्री भवानी जोशी।

गढ़ी (बांसवाड़ा) के लम्बित नामान्तरण प्रकरण

61. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(14)

(श्री भवानी जोशी)

वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में बांसवाड़ा जिले के गढ़ी तहसील कार्यालय में भूमि रूपान्तरण, नामान्तरकरण के कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से कितने आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया एवं कितने अभी लम्बित हैं तथा लम्बित रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में बांसवाड़ा जिले के गढ़ी तहसील कार्यालय में भूमि रूपान्तरण एवं नामान्तरकरण के निम्न प्रकार आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से किये गये निस्तारण का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. भूमि रूपान्तरण :–

वर्ष	पूर्व के	दर्ज	योग	फैसला	शेष
1996–97	—	146	146	137	9
1997–98	9	68	77	77	—

2. नामान्तरण :–

वर्ष	पूर्व के	दर्ज	योग	फैसला	शेष
1996-97	17	1302	1319	1289	30
1997-98	30	1094	1124	1124	—

इस प्रकार भूमि रूपान्तरण एवं नामान्तरण के वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में कोई प्रकरण शेष नहीं है।

श्री भवानी जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भवानी जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया है वह बिलकुल असत्य है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्रीमती कमला : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले 8 वर्षों से इस राज्य सरकार ने न कोई नामान्तरण के कार्य कराये हैं, न अलाटमेंट, न नियमितीकरण, न नदी, नाले अलाटमेंट। कोई राजस्व कार्य नहीं कराये हैं। इनकी यह अजीब परम्परा है, रूटीन में राजस्व अधिकारियों को हर वर्ष जो काम करना चाहिए वह कतई तौर पर नहीं किया गया। इस सदन में माननीय मंत्री महोदय ने वादा किया था सदन को....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्रीमती कमला : कि वे एक मई से लेकर 30 जून तक समस्या निराकरण कार्य करवाएंगे। इन्होंने नहीं करवाया, ये इसके दोषी हैं। इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। आप विराजें, मैं अब समय नहीं दूंगा।

श्रीमती कमला : वादे का तो जवाब दिलवाएं, साहब।

चिकित्सकों की निजी प्रेक्टिस पर रोक

62. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडामीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में चिकित्सकों द्वारा समय पर न आने, पूरे समय आउटडोर में न बैठने तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चिकित्सकों द्वारा मरीजों को उन्हें फीस देकर घर स्थित क्लिनिक पर दिखाने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसकी रसीद भी नहीं दी जाती है और जांच आदि निजी संस्थाओं से कराने के लिए बाध्य किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़) : (1) जी हां । समय पर न आने, पूरे समय आउटडोर में न बैठने एवं प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों की शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच की जाती है, जांच में दोषी पाये चिकित्सकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

(2) राज्य सरकार के नियमानुसार चिकित्सकों को चिकित्सालय समय से पूर्व एवं पश्चात् मरीजों का घर पर फीस लेकर देखने का प्रावधान है । फिर भी जिन चिकित्सकों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच करवायी जाती है और दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि आप इनसे जवाब नहीं दिलवा रहे हैं । सदन के रिकार्ड पर एक मंत्री महोदय ने जो वादा किया, सरकार ने उस वादे को नहीं निभाया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया ।

श्रीमती कमला : तारीखें जारी करके फिर कैंसिल करवा दी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें कृपया ।

श्रीमती कमला : जवाब तो दिलवाओ ।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप मीणा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से यह पूछा था कि क्या राज्य के सभी प्रमुख चिकित्सकों द्वारा समय पर न आने, आउटडोर में न बैठने, प्राइवेट प्रैक्टिस करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । आपने इसमें लिख दिया "जी हां", लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि जिन लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई हैं । एस.एम.एस. में अब तक इस प्रकार की कई शिकायतें आपके पास आयी हैं । क्या कार्यवाही अब तक आपने की, इस बात को माननीय मंत्री महोदय बतावें ।

दूसरा, मैंने पूछा था कि चिकित्सक मरीजों को फीस लेकर देखते हैं और घर पर फीस लेते हैं । माननीय मंत्री महोदय, आपने उनको फीस लेने की छूट दे रखी है लेकिन क्या उनके फीस लेने का कोई मापदण्ड निर्धारित कर रखा है कि घर पर

(श्री रामस्वरूप मीणा)

प्रेक्टिस करते समय 50 रुपये लेंगे, सौ लेंगे ? पांच-पांच सौ, सौ-सौ और दो-दो सौ रुपये मर्जी आवे जो ले लिये जाते हैं। ये भी किस बात के लेते हैं ? कि आपको एस.एम.एस. में एडमीशन तब मिलेगा जब मेरे घर आकर आप फीस दोगे। इस प्रकार की फीस वास्तव में मरीजों के साथ लग रही है। मंत्री महोदय, इस प्रकार का अन्याय मरीजों के साथ जो हो रहा है इस पर रोक लगाने का कोई विचार क्या आप कर रहे हैं ?

तीसरा मेरा प्रश्न है, साहब, आपने जिन डाक्टरों को एस. एम. एम. में लगा रखा है वे डाक्टर क्या करते हैं ? एस.एम. एस. में उनकी जांच नहीं करवाकर उनके सारे परीक्षण बाहर करवाते हैं जिनमें उनका कमीशन बंधा रहता है लैबोरेटरियों से क्या आप उन पर रोक लगाने का इरादा रखते हैं ? आपकी नजर में पहले भी इस प्रकार की बातें, माननीय मंत्री महोदय, आयी हैं लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। या तो उन डाक्टरों से आप मिल गये या उन्होंने आपके हाथ जोड़ लिये आकर इसलिए आपने उनको बख्श दिया। आप इस में क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि जी हां। पूरे राज्य में कई सारी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों में एक–दो नहीं, 664 चिकित्सकों को सी.सी.ए. रूल 16 में चार्जशीट हमने किया और सी.सी.ए. रूल 17 में 85 को। मैं समझता हूं कि शिकायत आने पर चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त जितनी बड़ी संख्या में इस सरकार के समय में हुई है, पहले कभी नहीं हुई। ढाई सौ चिकित्सकों की सेवाएं हमने समाप्त की, 160 चिकित्सकों ने जिनके विरुद्ध जांच हुई, त्याग पत्र दे दिया और 47 चिकित्सकों के विरुद्ध ए. सी. डी. में मामले विचाराधीन हैं।

माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि क्या चिकित्सक चिकित्सालय समय के पश्चात् अपने घर पर मरीजों को देख सकते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मेडिकल आफिसर्स रूल्स, 1964 के अन्दर एक प्रावधान है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कोई चिकित्सक जो राज्य सेवा में है, वह अपने घर पर भी मरीजों को देख सकता है और शाम को भी। उसके लिए फीस निर्धारित है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह मेडिकल आफिसर के लिए 25 रुपये और रात के लिए 30 रुपये तथा सीनियर मेडिकल आफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 रुपये और शाम के लिए 40 रुपये है इसी तरह इनकी अलग-अलग फीस निर्धारित है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि कई जगह इस तरह की शिकायत आती है। हमने एक सर्कुलर जारी करके सब जगह ये निर्देश दे दिये है कि वे एक तख्ती लगा लें और राज्य सरकार की जितनी प्रेस्क्राइब, फीस है, वे ले सकते हैं, उतनी निर्धारित फीस ही वे वसूल करें।

अभी, उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह सवाल उठाया गया कि बनाई मानसिंह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सालय और दूसरे चिकित्सालयों के अन्दर मरीजों का शोषण होता है और वहां इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए इस पूरे कार्य के अन्दर कुछ कमियां व खामियां रह सकती हैं, पर मैं पिछले वर्ष के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के आंकड़े आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। आउटडोर के अन्दर पिछले वर्ष 24,02,624 व्यक्ति सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आए और इन्डोर के अन्दर 222877 व्यक्ति पेशेण्ट बनकर आए, जिन्होंने वहां इलाज लिया। उपाध्यक्ष महोदय, सारी सेवाओं को एक नजर से देखें, मैं समझता हूं उचित नहीं है परन्तु फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि शिकायतें हैं, पहले भी शिकायतों पर कार्यवाही हुई है, और भी कोई उनकी नजर में शिकायत होगी तो वह शिकायत पर्टीकुलर मुझे लिखकर दें, निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमैंट्री है।

श्री उपाध्यक्ष : अब इसमें प्रश्न ही पैदा नहीं होता, उत्तर पर्याप्त है।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, एक प्रश्न है इसी में, रह गया। (व्यवधान) एक रह गया, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है, कृपया विराजें। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : एक भी डाक्टर उपलब्ध नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। इसमें प्रश्न ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : आपने कहा, तब बोल रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं, उत्तर पर्याप्त है। पर्याप्त से भी ज्यादा है। (व्यवधान) विराजें आप। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री आर. पी. शर्मा : मेरा प्रश्न आप सुनेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। (व्यवधान) नहीं आप...

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, जिला सीकर में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, मोदीजी। आप बिना आज्ञा बोल रहे हैं।

खाजूवाला, लूणकरणसर में औद्योगिक संस्थानों की स्वीकृति

63. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नवीं पंचवर्षीय योजना में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाएं खाले जाने का प्रावधान है ?

(2) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय खाजूवाला एवं पंचायत समिति मुख्यालय लूणकरणसर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति देने हेतु विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(18)

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) नवीं पंचवर्षीय योजना में 15 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं इनमें एक चर्म औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(2) जी, नहीं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यथा समय गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 4 वर्षों से मैं राज्य सरकार के समक्ष लूणकरणसर और खाजूवाला में आई. टी. आई. खोलने की मांग रख रहा हूं और 4 वर्षों से बराबर सरकार यही जवाब दे रही है कि हम गुणावगुण के आधार पर या वित्तीय प्रावधान होने पर करेंगे। आपने आई. टी. आई. बहुत खोले हैं पर इस क्षेत्र में आप क्यों नहीं खोलना चाहते जबकि वहां विद्युत का प्रसार हो रहा है, ग्रामीण बेरोजगारी है? उनको रोजगार के लिये कोई ट्रेनिंग देंगे तो उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इसके बारे में आप विचार करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि पिछले 4 वर्ष से मैं इस बात की मांग करता रहा हूं, यह तथ्य बिलकुल ठीक है। किन्तु मैं माननीय सदस्य के अभिज्ञान में एक बहुत नया तथ्य और लाना चाहता हूं। राजस्थान में 32 जिले हैं। जिस समय 1990 में सरकार आयी, केवल मात्र 53-55 आई. टी. आई. थे जो बढ़कर पिछले वर्ष तक 103 हो गये हैं। 5 इस बार और खुल गये हैं इस तरह 108 हो जाएंगे। किन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की मांग प्रत्येक पंचायत समिति से उठती रहती है। मैंने गुणावगुण के आधार की चर्चा क्यों की? आपके माध्यम से एक तथ्य और कह देना चाहता हूं कि 1984 में तत्कालीन सरकार ने मंत्रिमण्डल की एक आज्ञा निकाली थी। आपको जानकारी होगी कि 1984 में कौनसी सरकार थी। उन्होंने वह आज्ञा निकाली, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। इसका नम्बर 185/84 है।

मुख्य मंत्री महोदय की अनुमति से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में नये पोलीटेक्निक एवं आई. टी. आई. खोलने के बारे में अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया गया। वर्तमान में चल रहे विभिन्न स्थानों पर 13 पोलीटेक्निक की स्थिति को नोट किया गया। पूर्व में जो 5 पोलीटेक्निक पुरुषों के लिए 5 पोलीटेक्निक महिलाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोलने का तय किया गया था उसमें वृद्धि करते हुए निर्णय लिया गया कि पुरुषों के लिए 3 अधिक पोलीटेक्निक नागौर, सिरोही और टोंक में खोले जाएं। महिलाओं के लिए पोलीटेक्निक खोलने के स्थानों का चयन जो पहले तय किया जा चुका था उसमें संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि ये पोलीटेक्निक अब अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, पाली और सीकर में खोले जायेंगे।

अब मुख्य बात आ रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में 64 स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव था जिसमें लूणकरणसर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

भी शामिल था। अब इन 64 को बढ़ाकर 68 कर दिया, 4 संस्थान और खोले जाएंगे–शाहपुरा, बालेसर, भोपालगढ़ एवं ऋषभदेव।

यह मंत्रिमण्डल का प्रस्ताव 1984 में है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 6 साल तक तत्कालीन सरकार और रही। यह पोलीटैक्निक नहीं खोला, ये आई. टी. आई. नहीं खुले। यह रह गया। कारण है कि पैसे की उपलब्धता तो हुई नहीं। छह साल खुद का निर्णय करने के बाद नहीं हो पाया। गुणावगुण के आधार पर अभी तक तो जिले बचे हुए हैं दो झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, मूलसिंहजी ने मांग की थी और मांग की गयी थी राजसमंद से 5 खोलने हैं, 2 तो हमने इन जिलों में खोलने का तय कर दिया है, कल आई. टी. आई खोलने का तय कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गुणावगुण के आधार पर अभी यह आता नहीं है। आपकी सरकार ही 6 साल नहीं कर सकी और यहां निश्चित तौर पर औद्योगीकरण का काम पूरा नहीं है, इसलिए जब नम्बर आएगा तब विचार करूंगा। मैं आपकी कोई सहायता अभी नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी खुद कह रहे हैं कि इसका प्रस्ताव है। फिर अब तक क्यों नहीं खुला? जब तक था तो क्यों नहीं खुला? जब आपका तय था उसको क्यों नहीं खोला?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : 85–86 के अन्दर मेरे क्षेत्र में खोला गया, आप कैसे कहते हो कि नहीं खुला? (व्यवधान) भुगत लिया, हमने भुगत लिया और आप भुगतने के लिये तैयार हो जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त। श्री हरिसिंह (महुआ)।

तहसील महुआ के ग्रामों का विद्युतीकरण

64. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में सहायक अभियन्ता कार्यालय, महुआ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु कुछ गांव स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया? यदि नहीं, तो अब कब तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा?

(3) तहसील महुआ में ऐसे कितने गांव हैं जिनके घरेलू कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र लम्बित हैं? ऐसे लम्बित प्रार्थना-पत्रों के कब तक डिमांड नोटिस जारी कर दिये जाएंगे?

(4) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं जिनके घरेलू कनेक्शन की डिमांड राशि

(२०)

(श्री हरिसिंह)

जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो कब-कब? अब उक्त उपभोक्ताओं को कब तक कनेक्शन दे दिये जाएंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) जी, हां । सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, महुआ के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 व 1997-98 में क्रमशः 5 व 11 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था । प्रस्तावित ग्रामों की सूची वर्षवार प्रपत्र (अ) में संलग्न है ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मंत्री बनने के बाद आप पहली बार जवाब दे रहे हैं, तालियां तो बजवा दो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बजाओ, बजाओ तो सही ।

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत देर से मंत्री बने हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप लोगों की कृपा है, इसलिए देरी से बना हूं मैं ।

(2) जी, हां । वर्ष 1996-97 व 1997-98 में प्रस्तावित ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है ।

(3) तहसील महुआ में 93 ग्राम ऐसे हैं जिनमें घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र लम्बित हैं । मैं थोड़ा इसमें संशोधन कर रहा हूं, हरिसिंहजी । इसमें आगामी 4 माह लिखा है, मैं संशोधन कर रहा हूं, इनके मांग पत्र जारी कर दीवाली तक कनेक्शन कराने के प्रयास किए जाएंगे ।

(4) सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कार्यालय, महुआ में ऐसे 32 गांव हैं जिनके घरेलू कनेक्शनों के लिये मांग-पत्र की राशि जमा हो चुकी है । मैं आगे का भी संशोधन कर रहा हूं । इन आवेदकों को दीपावली के पूर्व कनेक्शन दिलाने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री उपाध्यक्ष : यही चाहते थे आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात ।

विद्युत मंत्रीजी आपके जीवन का यह ऐतिहासिक दिन है । ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद में प्रथम प्रश्नकर्ता मैं हूं और उत्तर देने वाले आप हैं और मुझे जैसी उम्मीद थी उस ढंग का उत्तर आपने दिया ।

मेरा एक छोटा-सा निवेदन है । मैंने इसके खण्ड दो में यह पूछा है कि क्या स्वीकृत गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा ? आपने इसको सिर्फ 96-97 के स्वीकृत गांव ही माना है । मंत्रीजी, मेरे यहां एक गांव मिर्जापुर-गंगवाना है, रेवेन्यू विलेज है लेकिन मिर्जापुर-गंगवाना के स्थान पर गंगवाना की जो ढाणी है, उसको विद्युतीकृत कर दिया गया और रेवेन्यू विलेज आज तक विद्युतीकृत नहीं हुआ, जो स्वीकृत भी है । मेहरबानी करके मिर्जापुर-गंगवाना के नाम से जो रेवेन्यू विलेज है उसको तुरन्त विद्युतीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महुम्रा तहसील में 151 ग्राम हैं, जिन गांवों में से 150 ग्रामों को 1998 के म्रन्त तक विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : टोटल हो गया वह तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो एक गांव जो बचा हुआ है, जो अभी म्रापने बताया है, उसको भी इसी साल तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुम्रा) : नोट कर लें, मिर्जापुर गंगवाना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां–हां, मिर्जापुर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम म्रहारी। नहीं है। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंह जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अब क्या कहोगे, कह तो दी बात ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, सुनें। मेरे पास ऐसी बहुत सी शिकायतें म्रायी है कि घरेलू कनेक्शनों के राजस्थान में बहुत-सी जगह प्रार्थना पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं। बोर्ड के अधिकारियों से भी विचार–विमर्श किया है, मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि विद्युतीकृत गांवों में जिनके डिमांड नोटिस जमा हो चुके हैं घरेलू कनेक्शनों के म्रौर जिनके म्रावेदन म्रा चुके हैं, जहां तक सम्भव हो सके म्रधिकांश को दीपावली के पूर्व विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जाएं।

श्री गोपीराम जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी बिजली से सम्बन्धित एक प्रश्न है....

प्रश्न संख्या 65.

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम म्रहारी।

(अनुपस्थित : कृपया म्रागे देखें)

जिला झुन्झुनूं में सामाजिक म्रंकेक्षण

66\. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) **व श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1996 एवं 1997 में कराये गये म्रंकेक्षण के दौरान झुन्झुनूं जिले में कुल कितनी शिकायतें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं के ग्राम सभाम्रों, पंचायत समितियों एवं अन्य माध्यमों से विकास कार्यों के बारे में प्राप्त हुईं तथा किस–किस विकास कार्य के बारे में किस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई ?

(2) जिला ग्रामीण विकास म्रभिकरण, झुन्झुनूं द्वारा इनमें से किस–किस म्रापत्ति/शिकायत का मार्च, 1998 तक क्या–क्या निपटारा किया गया ?

(22)

(श्री शिवनाथ सिंह)

(3) क्या इस सम्बन्ध में अभिकरण की गवर्निंग कौंसिल की बैठकें भी आयोजित हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों ? उन बैठकों में क्या कार्यवाही हुई ?

(4) सामाजिक अंकेक्षण करवाने के पीछे क्या उद्देश्य था ? क्या उक्त जिले में उसकी पूर्ति हुई है ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (**श्री अनंग कुमार जैन**) : (1) सामाजिक अंकेक्षण में विकास कार्यों सम्बन्धी 223 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों का सूक्ष्म ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट "क" में वर्णित है।

(2) मार्च, 1998 तक आपत्तियों/शिकायतों के निर्दटारे की स्थिति प्रश्न के भाग संख्या एक के उत्तर में वर्णित संलग्न "क" में उल्लेखित है।

(3) जी नहीं। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य आयोजना विभाग द्वारा करोया गया।

(4) सामाजिक अंकेक्षण राज्य सरकार के आयोजना विभाग द्वारा इस आशय से करोया गया था कि गांव की आम जनता के सहयोग से यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ एवं सामुदायिक विकास की योजनाओं के अन्तर्गत सही संसाधन सृजित हुए हैं या संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके पैरा दो में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सब कार्यवाही जिला विकास अभिकरण के द्वारा हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने अन्तिम चौथे पैरे में कहा कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ एवं सामुदायिक विकास की योजनाओं के अन्तर्गत सही संसाधन सृजित हुए हैं या संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है, इस कार्य के लिये अंकेक्षण किया गया है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने यह प्रश्न आज साफ तौर से पूछा था कि ये जो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिला विकास अभिकरण द्वारा कितनों का निस्तारण कर दिया गया, कितनों का निपटारा कर दिया गया। वह तो सूची आपने दे दी। लेकिन यह मामला गवर्निंग कौंसिल में डिस्कस हुआ है पहले और उसके बाद में यह तय हुआ था कि जब इनकी पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, गवर्निंग कौंसिल में डिस्कस होकर इनका निस्तारण किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न को टाले गये और यह कह दिया कि यह सर्वेक्षण आयोजना विभाग द्वारा किया गया था। आयोजना विभाग से करो चाहे किसी से करो, लेकिन वह रुपया डी.आर.डी.ए. का है, डी.आर.डी.ए. ने सूची बनायी है, डी.आर.डी.ए. ने इनका निस्तारण किया है इसलिए गवर्निंग कौंसिल में ये मामले क्यों नहीं आये, यह मेरा पहला सप्लीमैण्ट्री प्रश्न है ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग हर तीन माह में एक बार होती है। उसके

(श्री अनंग कुमार जैन)

अन्दर माननीय सदस्यों के द्वारा या उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो शिकायतें दर्ज करवायी जाती हैं, उनकी विस्तृत जांच करवायी जाती है। जांच होने के बाद फिर उसकी रिपोर्ट को अगली मीटिंग में या उससे अगली मीटिंग में रखा जाता है और माननीय सदस्यों की राय भी उस पर ली जाती है। गवर्निंग कौंसिल के अन्दर माननीय सदस्य जो राय व्यक्त करते हैं उसके आधार पर कार्यवाही होती है अब आपने स्पेसिफिक कोई कम्प्लेंट तो मुझे बतायी नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक कम्प्लेंट है जो आपने गवर्निंग कौंसिल में दी हो....

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है, समय निकल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में साफ लिखा है कि क्या इस सम्बन्ध में अभिकरण की गवर्निंग कौंसिल की कोई बैठकें आयोजित हुई हैं? यदि हां, तो कब–कब और नहीं, तो क्यों? बिलकुल टाल गये। मैंने साफ पूछा है कि गवर्निंग कौंसिल की मीटिंगें इस सन्दर्भ में कब-कब हुई हैं और उसमें क्या कार्यवाही हुई है? अब इसको बिलकुल टाल गये। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इनका उत्तर अपूर्ण है और इसमें पूरी जांच करायी जाए। मेरा निवेदन यह है कि इसमें सरकारी अधिकारी इन्वाल्व थे और सरकारी अधिकारियों पर आंच नहीं आने पाए इसलिए इन्होंने यह सब कार्यवाही इस तरह से गोलमोल की है कि कोई भी कार्यवाही विकास अभिकरण में नहीं हो सके। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार जवाब दिया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर हम इनका निस्तारण कर देंगे, आज तक नहीं हो पाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति उदयपुरवाटी के दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने प्रश्न के बाद में एफ.आई.आर. लॉज करवायी है। एफ.आई.आर. से कुछ नहीं, जो रुपया गबन हो चुका उसकी वसूली के लिये आपने एक भी कार्यवाही आज तक नहीं की है। इसलिए माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में भाग तीन में बताया है, यह कार्य आयोजना विभाग द्वारा कराया जाता है। उसके अन्दर 223 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिले में प्राप्त कुल 223 शिकायतों में से 191 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है तथा छह मामलों की एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जा चुकी है। आठ मामलों में एक ए.सी.डी. में, एक न्यायालय में....

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि गवर्निंग कौंसिल में यह मामला क्यों नहीं आया? गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग आप कहते हैं कि तीन महीने में होती है, कोई भी बैठक नहीं हुई। आप इसका थोड़ा-सा जवाब दें।

श्री अनंग कुमार जैन : आप सुन नहीं रहे हैं। तीन मामले एक ए.सी.डी. में, एक न्यायालय में तथा एक जिला परिषद स्तर पर चल रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : गवर्निंग कौंसिल में क्यों नहीं आया?

(24)

श्री अनंग कुमार जैन : तीन मामले जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं के स्तर पर चल रहे हैं तथा पन्द्रह मामले विकास अधिकारी स्तर पर जिनमें क्रमशः बारह मामले नवलगढ़, दो मामले पंचायत समिति सूरजगढ़ और एक मामला पंचायत समिति झुन्झुनूं से है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय खराब किया जा रहा है। मेरा सवाल स्पष्ट है कि गवर्निंग कौंसिल में यह मामला क्यों नहीं आया ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सदस्य, मैंने यह जो आपको संख्या बतायी है अलग अलग पंचायत समितियों की, उनकी जांच चल रही है। जिसमें पाया गया कि अगर पैसे का दुरुपयोग हुआ हैं तो उसकी वसूली की भी कार्यवाही चल रही है। जो कैसेज ऐसे थे जिसके अन्दर क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट हुआ है या कोई फौजदारी कानून के तहत मामला बनता है, तो उसकी हमने एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी है। इन सबके बावजूद मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं बल्कि कितने ही मामले, जितने भी आप मुझे देना चाहें, और गवर्निंग कौंसिल या राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग से उसकी जांच करवाना चाहें, मैं जांच करवा दूंगा और जांच करवा कर आपके पास रिपोर्ट भिजवा दूंगा। बाकी सिर्फ यह कह देना कि क्यों नहीं आया है, तो गवर्निंग कौंसिल का एक लिमिटेड फंक्शन हैं, उसके माध्यम से गवर्निंग कौंसिल कार्य करती है। उसके बाद जो सारी बॉडी की मीटिंग होती है उसके अन्दर भी ये मामले आते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो गवर्निंग कौंसिल में आते हैं, कुछ डी.आर.डी.ए. की पूरी बॉडी की मीटिंग होती है उसमें आते हैं, कुछ मामले जिस विभाग से सम्बन्धित होते हैं उस विभाग के अधिकारियों से हम जांच करवाते हैं, क्योंकि डी. आर डी. ए. का जो फंक्शन है, वह डिफाइंड है। डी.आर.डी.ए., गवर्निंग कौंसिल के अन्दर और फुल बॉडी की मीटिंग के अन्दर जो योजनाएं पास करती है उन योजनाओं के पास होने के बाद उस विभाग को पैसा ट्रांसफर कर देती है। जब यह शिकायत आती है, उदाहरण के रूप में पी. डब्ल्यू. डी. को पैसा ट्रांसफर किया, उन्होंने पूरा कार्य नहीं किया तो उससे सम्बन्धित शिकायत गवर्निंग कौंसिल के पास गयी। कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं है कि वह खुद जाकर जांच करे।

श्री शिवनाथ सिंह : समय खराब कर रहे हैं। प्रक्रिया नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : वे सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारी को भेजते हैं, उनसे जांच करवाते हैं और जांच में जो भी रिपोर्ट आती है इन माननीय सदस्यों को बतायी जाती है। मैं पूरा आपको जवाब दे दूं। (व्यवधान) उसके बाद सम्बन्धित अधिकारी, जिस विभाग ने यह कार्य किया है, उसके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सीधा हम उस विभाग को लिखते हैं....

श्री शिवनाथ सिंह : हम प्रोसीजर नहीं जानना चाहते हैं, हम तो प्रश्न को जानना चाहते हैं। हम प्रोसीजर नहीं जानना चाहते। (व्यवधान)

श्री प्रसंग कुमार जैन : उस विभाग के उच्चाधिकारी विभाग की मॉनीटरिंग करते है कि उसके अन्दर क्या गड़बड़ हुई है और उसका जवाब दिया जाए ..

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं जिले में इन्होंने बहुत धांधली मचा रखी है। न तो समय पर पैसा आबंटन होता है और न....

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के द्वारा यह सर्वेक्षण करवाया गया था और इसका उद्देश्य यह था कि डी.आर.डी.ए. के द्वारा जो धन खर्च हुआ है, उसकी कितनी परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ है। परिसम्पत्तियों का कितना निर्माण हुआ है? यह आपका सर्वेक्षण हुआ है जिसका उद्देश्य परिसम्पत्तियों के लिये था। डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में यह सर्वेक्षण आना चाहिये था क्योंकि रुपया सारा डी.आर.डी.ए. के मार्फत होगा और गवर्निंग कौंसिल डी.आर.डी.ए. की सुप्रीम बॉडी है। कलक्टर उसका अध्यक्ष है और माननीय मंत्री जी उसके मंत्री हैं। हमारा मानना यह है और हमारा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय डी.आर.डी.ए. को यह आदेश देंगे कि जो सामाजिक सर्वेक्षण हुआ है परिसम्पत्तियों के निर्माण के बारे में, उस सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को डी.आर.डी.ए. की अगली बैठक में रखवाएंगे और विचारार्थ रखेंगे?

(12.00 बजे)

श्री प्रसंगकुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया है आज ही इस बात के आदेश प्रसारित कर दिए जाएंगे और निश्चित रूप से अगली गवर्निंग कौंसिल के अन्दर उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य, सुनिए।

श्री भंवरसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड....

श्री उपाध्यक्ष : अब तो आधा सैकण्ड भी नहीं मिलेगा, विराजें। आप विराजें। प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश का भू-जल स्तर

57. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने इस आशय का कोई सर्वे करवाया है कि प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में भू-जल स्तर नीचे जा रहा है? यदि हां, तो कब? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में जल का पुनर्भरण कितना हुआ और दोहन कितना हुआ?

(26)

(श्री विष्णु मोदी)

(3) क्या यह सही है कि जल पुनर्भरण से दोहन की मात्रा अधिक होने के कारण निकट भविष्य में कई जिलों में जल संकट पैदा होने की सम्भावनाएं बढ़ी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कोई कारगर कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1984 से लगातार प्रतिवर्ष वर्षा पूर्व व वर्षा उपरान्त सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। वर्ष 1997 में हुए सर्वेक्षण अनुसार 25 जिलों में भू-जल स्तर नीचे गया है। शेष 7 जिलों में भू-जल का स्तर बढ़ा है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट—"अ" पर संलग्न है।

(2) भू-जल पुनर्मूल्यांकन प्रतिवेदन 1. 1. 95 के आधार पर राज्य के विभिन्न जिलों में वर्षा द्वारा पुनर्भरण (रिचार्ज) व दोहन (ड्राफ्ट) परिशिष्ट—"ब" में दर्शाया गया है। वर्ष 1. 1. 98 को किया गया भू-जल पुनः मूल्यांकन प्रतिवेदन केन्द्रीय भू-जल मण्डल की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् राज्य स्तरीय भू-जल आकलन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् स्थिति स्पष्ट होगी।

(3) घटते हुए जल स्तर का असर पानी के विभिन्न उपयोग व गुणवत्ता पर पड़ता है। इस समस्या का समाधान उचित मात्रा में दोहन है। इसके लिये जन भागीदार आवश्यक है। जनता की राय इस अहम मुद्दे पर लेने हेतु एक विधेयक का प्रारूप पब्लिक ओपिनियन हेतु सबको भेजा गया है। इस पर कई सुझाव आये हैं। यह चर्चा और आगे जारी रखी जावेगी।

भू-जल के उचित उपयोग एवं जल प्रबन्धन हेतु वाटर रिसोर्सेज कन्सोलीडेशन प्रोजेक्ट एवं ओडा के अन्तर्गत अध्ययन एवं परीक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—3 देखें)

जिला डूंगरपुर के क्षतिग्रस्त हैण्ड पम्प

65. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर जिले में कितने हैण्ड पम्प लगे हुए हैं ? उनमें से कितने हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं और कितने खराब हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डूंगरपुर जिले में लगे हैण्ड पम्प किस वर्ष से लगे हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश हैण्ड पम्प बहुत पुराने हैं और इनके पाइप गल गये हैं ? क्या सरकार इन पाइपों को बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में वर्तमान में 7998 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं उनमें से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

7481 हैण्डपम्प चालू हैं। शेष 517 अनुपयोगी घोषित किये जा चुके हैं।

(2) डूंगरपुर जिले में विभाग द्वारा वर्ष 80–81 से हैण्ड पम्प लगाने चालू किये गये थे। वर्षवार लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या परिशिष्ट–एक पर है।

(3) यह सही है कि कई हैण्डपम्पों के राइजर पाइप खराब हो गये हैं। प्रत्येक वर्ष विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के तहत आवश्यकतानुसार पुराने पाइपों के स्थान पर नये पाइप लगाये जाते हैं। वर्ष 1990 से अब तक लगभग 55 हजार मीटर पाइप इस जिले में बदले जा चुके हैं। भविष्य में भी आवश्यकतानुसार पाइप बदले जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वतन्त्रता सैनानियों को देय पेन्शन में वृद्धि

67. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) एवं **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन दी जा रही है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य राज्यों हरियाणा एवं दिल्ली के स्वतन्त्रता सैनानियों को 1000/– रुपया प्रतिमाह तथा उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता सैनानियों को 1250/– रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि दी जा रही है ? यदि हां, तो राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों की पेंशन राशि कम होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य के उक्त स्वतन्त्रता सैनानियों को अन्य राज्यों के बराबर पेंशन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ? विरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों की पेंशन राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक और नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। स्वतन्त्रता सैनानियों की सम्मान पेंशन एक दशक में समय-समय पर निम्नानुसार तय की गई :–

तिथि	पेंशन राशि
1. 1-8-1987	रु. 250/–
2. 1-8-1988	रु. 300/–
3. 1-4-1989	रु. 450/–
4. 1-8-1991	रु. 500/–
5. 1-4-1997	रु. 700/–

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

(2) जी, हां। दिल्ली सरकार से सूचना प्राप्त होना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा में बजट भाषण में स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन में रु. 300/– प्रतिमाह की वृद्धि कर रु. 700/- प्रतिमाह से रु. 1000/– (अक्षरे एक हजार रुपये) प्रतिमाह स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन देने की घोषणा की है।

(3) उत्तर पैरा 2 में दिया जा चुका है।

(4) उत्तर पैरा 2 में दिया जा चुका है।

विश्राम भवन प्रबंधक के पद पर चयन प्रकरण

68. श्री राजेन्द्र चौधरी (कपासन) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रुप–5) जयपुर द्वारा दिनांक 20–2–96 एवं 15–2–97 को विश्राम भवन के प्रबन्धक (ग्रेड द्वितीय) के पदों पर भर्ती हेतु कोई विज्ञप्ति जारी की गई ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पद पर भर्ती हेतु किन-किन प्रार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं इन्होंने डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय से किया है तथा इनका प्रतिशत क्या–क्या था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रार्थियों को लिखित परीक्षा हेतु सूचित किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन को ?

(4) किन-किन प्रार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया तथा किन-किन का चयन किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने उक्त डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, उन्हें आयु में छूट देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय से पर्यटन एवं होटल मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा प्राप्त प्रार्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने परीक्षा हेतु सम्मिलित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार कोटा खुला विश्वविद्यालय के डिप्लोमा प्राप्त प्रार्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 20-2-96 एवं 15-2-97 के विज्ञापन की प्रतियां परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(2) विज्ञापन दिनांक 20-2-96 को निरस्त करते हुए दूसरा विज्ञापन दिनांक 15-2-97 को जारी किया गया

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

जिसके सन्दर्भ में कुल 151 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें कुल 8 आवेदन पत्र पात्र पाये गये। पात्र 8 आवेदनकर्ताओं की सूची मय विवरण के परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। विज्ञापन दिनांक 15-2-97 के सन्दर्भ में पात्र 8 आवेदन कर्ताओं को लिखित परीक्षा हेतु सूचित किया गया जिसकी सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 5 प्रत्याशियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया जिनमें से 4 प्रत्याशियों का चयन किया गया। सूची परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(5) जी, हां। संबंधित सेवा नियमों के उद्धरण की प्रति परिशिष्ट-"द" पर संलग्न है।

(6) जी, हां। कोटा खुला विश्व-विद्यालय द्वारा प्रदत्त पर्यटन एवं होटल मैनेजमेन्ट डिप्लोमा राजस्थान विश्राम भवन अधीनस्थ सेवा नियम 1979 के अन्तर्गत प्रबन्धक ग्रेड-द्वितीय की सीधी भर्ती के लिये निर्धारित योग्यता को पूर्ण नहीं करता। विश्राम भवन सेवा के प्रबन्धक के पद में कैटरिंग से संबंधित कर्तव्यों को सम्पादित किये जाने की दृष्टि से प्रबन्धक ग्रेड-द्वितीय की सीधी भर्ती हेतु योग्यता होटल मैनेजमेन्ट एवं केटरिंग में प्राप्त डिप्लोमा को रखा गया है।

(7) जी, नहीं। प्रश्न का उत्तर पैरा 6 में दिया जा चुका है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला भीलवाड़ा में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति

69. **श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-98 में मृतक कर्मचारियों के स्थान पर उनके वारिसों को राज्य सेवा में नियुक्त करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कुल कितने प्रस्ताव कहां-कहां से कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला भीलवाड़ा में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और इनमें से किन-किन पर नियुक्ति आदेश जारी किये गये एवं कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियो के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अनुसार नियुक्ति दिये जाने के प्रस्ताव सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हीं के द्वारा नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जाता है। उक्त नियमों के अनुसार राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं और न ही राज्य सेवा में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है, अपितु वेतनमान संख्या 9 तक के पदों पर ही नियुक्ति प्रदान

(30)

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

की जाती है जिसमें अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन पर नियुक्ति विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ही देने में सक्षम हैं।

(2) जिला भीलवाड़ा से सम्बन्धित प्राप्त सूचनाओं का ब्यौरा संलग्न है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन

70. श्री हरिसिंह कुम्हेर (कुम्हेर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों में से किसी एक आश्रित को राजकीय सेवा में नौकरी दिये जाने के नियम हैं? यदि हां, तो कब से प्रभावशील हैं? क्या पुराने व नियमों के स्थान पर नये नियम बनाये गये हैं? पुराने व नये नियमों की प्रलेखन प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नये नियमों के प्रभाव में आने की तिथि कौन-सी है।

(3) पुराने नियमों के प्रभावशील होने के दौरान जिन राजकीय कर्मचारियों की सेवारत रहते मृत्यु हुई और उनके आश्रित नाबालिग थे, तो उन्हें बालिग होने की तिथि से कितने दिनों में प्रार्थना-पत्र दिये जाने की अवधि सरकार ने निर्धारित की है?

(4) क्या यह सही है कि श्री बच्चू सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह गुजर निवासी ग्राम चिरावल तहसील नगर की मृत्यु तहसील कामां में पटवारी के पद पर कार्यरत रहते हुए हुई थी? क्या उनके पुत्र ने राजकीय सेवा में लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र जिला कलक्टर भरतपुर को प्रस्तुत किया है?

(5) प्रार्थना पत्र देने के बाद कितने समय में आश्रित को नियुक्ति देने का प्रावधान है?

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रार्थी को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्तियां नियम, 1975 अधिसूचना संख्या प. 3(6) कार्मिक/क—2/75 दिनांक 29.9.75 एवं दिनांक 25.3.76 द्वारा जारी किये गये थे। इसके अन्तर्गत सेवाकाल के दौरान कभी-भी निधन होने पर मृतक के एक आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान था। उक्त नियमों के स्थान पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 बनाए गये है। उपरोक्त दोनों नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996, दिनांक 31.12.96 से प्रभावी हैं।

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

(3) आश्रित जिसे नियुक्ति दिलवाने का मन्तव्य मृतक का प्रथम आश्रित रखता था, उसके नाबालिग होने की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जाने पर उसके बालिग होने तक स्थान आरक्षित रखने का नियम था। ऐसे आश्रित के बालिग होते ही निर्धारित प्रथम प्रपत्र में आवेदन किये जाने पर तथा औपचारिकताएं पूर्ण होने पर नियुक्ति देय थी।

(4) जी, हां। मृत्यु दिनांक 12. 3. 92 को हुई थी तथा आवेदन दिनाक 23. 7. 96 को प्रस्तुत किया गया था।

(5) मृतक के आश्रित द्वारा नियमानुसार निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर रिक्ति उपलब्ध होते ही नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।

(6) जी, हां। नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवश्यक औपचारिकताएं एवं पात्रता की शर्तें पूर्ण होने पर नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

पाली में खसरा नं. 1520/1 का स्वामित्व

71. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नगर परिषद पाली की सीमा में चक नं. 2 के खसरा नं. 1520/1 की भूमि का रकबा कितना है ? अभिलेख में यह भूमि किसके नाम दर्ज है।

उत्तर

नगर परिषद, पाली की सीमा में चक नं. 2 खसरा नं. 1520/1 की भूमि का रकबा राजस्व रिकार्ड के अनुसार 10.15 बीघा है। यह भूमि खरता राम वल्द जसाराम कौम सिरवी सा. देह. खातेदार के नाम दर्ज है।

सहायक अग्नि शमन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रकरण

72. डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान नगरपालिका सेवा नियमों में सहायक अग्नि शमन अधिकारी के पद पर भर्ती की क्या पात्रता निर्धारित की गई है ? क्या इसमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं ? यदि हां, तो मूल तथा संशोधित प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर निगम जयपुर ने वर्ष 1997-98 में कार्यरत अग्नि शमन अधिकारियों में से किस-किस की नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अग्नि शमन अधिकारी के पद पर की है तथा भर्ती के समय उनकी क्या योग्यताएं थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अधिकारियों की नियुक्ति सहायक अग्नि शमन अधिकारी के पद पर नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं योग्यता के आधार पर सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित कर की गई ? यदि नहीं, तो उक्त

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

नियुक्ति किस आधार पर की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अधिकारियों की प्रथम नियुक्ति के पश्चात् सेवा पुस्तिका बनाई जाकर वांछित विवरणों का समय–समय पर इन्द्राज किया जाता रहा है एवं इनकी सेवा पुस्तिकाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका सेवा नियमों में सहायक अग्नि शमन अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष अहर्ता, बम्बई, दिल्ली, इलाहाबाद या नागपुर से प्रशिक्षण पत्र या नागरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम की पात्रता निर्धारित है। उक्त सेवा नियमों में संशोधन नहीं किये गये है। प्रावधान की प्रति संलग्न है।

(2) नगर निगम, जयपुर ने वर्ष 1997–98 में कार्यरत अग्नि शमन अधिकारियों में से सर्वश्री गोपीचंद शर्मा व श्री जयराम प्रसाद की नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अग्नि शमन अधिकारी के पद पर की है, इनकी भर्ती के समय जो योग्यतायें थी उसका विवरण निम्नानुसार है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है :–

1— श्री गोपीचंद शर्मा की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल पूरक परीक्षा पास। सेवा पुस्तिका (डुप्लीकेट) में नागपुर ट्रेण्ड का विवरण अंकित है, किन्तु इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।

2— श्री जयराम प्रसाद की शैक्षणिक योग्यता हायर सैकण्डरी पार्ट प्रथम की मार्क शीट, किन्तु प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है। नागपुर से प्रशिक्षण प्राप्त है।

(3) इस प्रकरण की जांच करवाई जा रही है।

(4) इस प्रकरण की जांच करवायी जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

उदयपुर कचरा कार्यशाला की सिफारिशें

73. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में 1998 में नगर परिषद् के तत्वाधान में कचरा कार्यशाला का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो कार्यशाला की सिफारिशें क्या–क्या हैं?

(2) उदयपुर में प्रतिदिन कितना कचरा और अवशिष्ठ पदार्थ निकलता है तथा इस कचरे के निस्तारण के लिए परिषद् क्या कार्यवाही करती है?

(3) क्या इस कचरे का उपयोग वैकल्पिक ऊर्जा में करने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और इसे कब तक लागू किया जायेगा।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(4) क्या इस कार्यशाला के साथ उदयपुर स्वच्छ अभियान भी हुआ था ? यदि हां, तो इस अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता के लिए किन–किन मोहल्लों में कार्य किया गया और यह अभियान कितने दिन तक चला ?

(5) क्या यह सही है कि उदयपुर में कचरे और गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं और इसकी सफाई के समुचित प्रयास नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । नगर परिषद्, उदयपुर के तत्वावधान में दिनांक 1–2, मई, 1998 को दो दिवसीय कचरा कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें परिषद क्षेत्र से निकलने वाले कचरे का निस्तारण निम्न तरीके से किये जाने की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं :–

1—लैण्ड फिलिंग मैथड
2—खाद बनाना,
3—विद्युत पैदा करना ।

(2) उदयपुर में प्रतिदिन 150–200 टन कचरा और अवशिष्ठ पदार्थ इकट्ठा होता है, जिसे ट्रेंचिंग ग्राउंड पर डम्प किया जाता है ।

(3) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं ।

(4) जी, हां । इस अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता के लिए शहर के सभी बड़े नालों की सफाई करवाई गई । यह अभियान 45 दिवस तक चलाया गया ।

(5) जी, नहीं । शहर में कुछ स्थानों पर जो कचरे एवं गंदगी के ढेर थे, उन्हें पिछले सप्ताह से रात्रि की पारी में उठवाया जा रहा है ।

पार्षदों के भत्ते/सुविधाओं में वृद्धि

74. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने पार्षदों को भत्ता या अन्य सुविधायें दिये जाने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार पार्षदों को विधायकों की भांति भत्ता बढ़ाने एवं अन्य सुविधायें देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । पार्षदों को भत्ता एवं अन्य सुविधायें दिये जाने सम्बन्धित आदेशों की प्रति संलग्न है ।

(2) पार्षदों को विधायकों की भांति भत्ता एवं अन्य सुविधाएं देने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

बाईजी का तालाब (जोधपुर) में रिक्रियेशन पार्क का संचालन

75. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(34)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) क्या जोधपुर शहर में बाईजी का तालाब क्षेत्र में रिक्रियेशन पार्क बनवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) सरकार की उक्त क्षेत्र में रिक्रियेशन पार्क बनवाने की योजना है ? क्या इस कार्य के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब उक्त क्षेत्र में रिक्रियेशन पार्क कब तक बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। नगर निगम, जोधपुर से सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जब नगर निगम, जोधपुर से कोई प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुआ है तो कार्य योजना बनाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न के भाग "एक" व "दो" के उत्तर के बाद प्रश्न के भाग तीन के उत्तर का प्रश्न ही नहीं है।

पंचायत समिति सरदारशहर के भूमिगत जलाशय की मरम्मत

76. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति सरदार शहर में कितने भूमिगत जलाशय हैं, जिनकी छत क्षतिग्रस्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत दो वर्ष पूर्व ग्राम मेहरासर चाचेरा और भोजासर बड़ा के नागरिकों ने टंकी की छत की मरम्मत कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो अब कब तक मरम्मत करा दी जायेगी ?

(3) क्या भूमिगत जलाशय की छत क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें पक्षी और जानवर गिरने से वहां के नागरिकों को कई दिन दूषित पानी पीना पड़ा ? यदि हां, तो इसके लिए कौन–कौन जिम्मेदार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति सरदारशहर में 13 भूमिगत जलाशयों की छत गिरी हुयी है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) जी, नहीं। उल्लेखित दोनों ग्राम के जलाशयों की मरम्मत का तकमीना स्वीकृत किया जा चुका है। वर्ष 98–99 में इन दोनों जलाशयों की मरम्मत करवा दी जावेगी।

(3) जी, नहीं। पूर्व में ऐसे कार्यों के लिए अलग से प्रावधान नहीं होने के कारण समय पर जलाशयों को ठीक करवाने में बाधा रही। इस वर्ष ऐसे कार्य के लिये अलग से प्रावधान किया गया है। अतः ऐसे मरम्मत के कार्यों को शीघ्र ही पूरा करवाया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

मुख्य अभियन्ताओं द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

77. श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग में मुख्य अभियन्ताओं के कई पद हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से और उन पर कौन–कौन कब–कब से कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध पूर्व के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में अनियमितताओं व अन्य मामलों में कार्यवाहियां चल रही हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन के विरुद्ध कब–कब से ? क्या इनमें से किन्हीं को आरोप-पत्र दिये गये हैं । यदि हां, तो आरोप-पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इनके विरुद्ध किन्हीं मामलों में जांच की गई है ? यदि हां, तो कब, किसके विरुद्ध किनके द्वारा जांच की गई ? जांच रिपोर्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । वर्तमान में निम्न मुख्य अभियन्ता कार्यरत हैं :–

1. श्री बी. के गुप्ता दिनांक 28.3.95
2. श्री एस.के सक्सैना दिनांक 28.3.95
3. श्री ओ.पी. गोयल दिनांक 27.5.97
4. श्री एस.के. कुलश्रेष्ठ दिनांक 16.6.97
5. श्री एच.एल. चौहान दिनांक 27.5.97

(2) इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रकरण लम्बित नहीं है ।

(3) उपरोक्त पांचों अधिकारियों के मुख्य अभियन्ता कार्यकल में कोई जांच नहीं करायी गई है ।

ग्राम अमरपुरा तथा रूण्डेडा (तहसील बल्लभनगर) में पेयजल सुविधा

78. श्री **रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अमर-पुरा व रूण्डेडा तहसील बल्लभनगर, जिला उदयपुर में पीने के पानी की भयंकर समस्या है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम रूण्डेडा में आधे ग्राम में मीठा पानी तथा आधे भाग में फ्लोराइड युक्त व खारा पानी वितरित किया जा रहा है ? जिससे वहां के निवासी भयंकर रोगों के शिकार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पूरे ग्राम में मीठे पानी का समुचित वितरण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार । यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा, उक्त गांवों में एक–एक ट्यूब-वैल खुदवाये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक

(श्री रामस्वरूप मीणा)

क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तब उक्त ट्यूबवैल खुदवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। लेकिन यह सही है कि इन दोनों ग्रामों को ग्रीष्म ऋतु में विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं होता है। वर्ष 98 की गर्मी के पूर्व ग्राम अमरपुरा में चल रहे 3 हैण्ड-पम्पों तथा अन्य स्त्रोतों के अतिरिक्त 3 गहरे हैण्डपम्प खुदवाकर चालू किये गये तथा खुले कुएं में होरीजेण्टल बोरिंग करवा कर पेयजल उपलब्ध करवाया गया।

(2) ग्राम रूण्डेडा पाईप योजना से लाभान्वित है। जल स्त्रोत का जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी की गुणवत्ता में बदलाव आ जाने से पानी विभागीय माप-दण्डों के अनुरूप नहीं मिल रहा है। ग्राम को विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु भू-वैज्ञानिक की राय ली जाकर स्त्रोत का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् ही वैकल्पिक योजना प्रस्तावित की जा सकेगी।

(3) रूण्डेडा ग्राम में एक नलकूप लगाने की स्वीकृति मई, 98 में जिला कलक्टर द्वारा जारी की गयी थी। नलकूप बनाने हेतु भूजल विभाग से अनुरोध किया जा चुका है। नलकूप बनाने के प्रयास जारी हैं ग्राम अमरपुरा के लिए नलकूप बनाने की स्वीकृति नहीं हुयी है।

ग्राम पंचायत पुरानावास (सीकर की ढाणियों) को शुद्ध पेयजल

79. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पुरानावास (सीकर की ढाणियों) में खारा पानी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ढाणियों के वासियों को शुद्ध पेयजल सप्लाई करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, हां। ग्राम पंचायत चारणवास उर्फ पुरानावास (कोड संख्या-14) चिन्हित 11 ढाणियों का पानी विभागीय मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। पुरानावास ग्राम को पाईप्ड पेयजल योजना से लाभान्वित किया हुआ है। उक्त ग्राम की 11 ढाणियों को शुद्ध पेयजल विभागीय मापदण्ड के अनुरूप उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त स्त्रोत की जांच की जा रही है। तदुपरान्त ही योजना बनाई जायेगी। वर्तमान में इन 11 ढाणियों में 10 हैण्डपम्प चालू हैं।

चौकड़ी तोपखाना देश (जयपुर) की पेयजल आपूर्ति

80. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम वार्ड नं. 40 व 41 चौकड़ी तोपखाना देश में गर्मियों में पानी की आपूर्ति हो रही है ? यदि हां, तो खूटेटों के रास्ते में भड़भूजें की गली व गुन्दी का चौक में पानी का वितरण क्यों नहीं हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पानी के कम दबाव की समस्या से त्रस्त लोगों की

(37)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सुविधा हेतु गत वर्ष सरकार द्वारा उक्त गली में पानी की नई पाईप लाइन डाली गई थी ? क्या उक्त पाईप लाइन में अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उक्त पानी की लाइन चालू करवाकर सैंकड़ों परिवारों को राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। खुटेटों के रास्ते में मड़भूजें की गली व गुन्दी का चौक क्षेत्रों में जल वितरण कम दबाव से हो रहा है।

(2) जी, नहीं। खुटेटों के रास्ते में मड़भूजें की गली में पानी की लाइन के प्रदूषण की समस्या के निराकरण हेतु लगभग 30 मीटर लम्बाई की एक 80 एम. एम. व्यास की ए.सी. पाइप लाइन वर्ष 1996–97 में डाली गई थी, उसको चालू कर दिया गया है। जिससे इस गली के निवासियों को समुचित मात्रा में पानी मिल रहा है गुन्दी का चौक में पानी की कोई नई पाइप लाइन नहीं डाली गई है।

(3) उपरोक्त बताई गई पानी की लाइन को चालू किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के हैण्ड पम्प्स

81. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में गत पांच वर्षों में कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प चालू व कितने बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार खराब हैण्ड पम्प के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त जिले में ऐसे कितने गांव व ढाणियां हैं, जहां हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि हैण्ड पम्प खोदने के पहले भू-जल की जांच कराई जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में गत पांच वर्ष में 333 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(2) उक्त क्षेत्र के 1584 हैण्ड पम्प चालू हैं। 15 हैण्ड पम्प मौसमी/सूखे व 13 परित्यक्त हैण्ड पम्प हैं। राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार ऐसे ग्राम जहां सर्विस लेवल 50 प्रतिशत से कम है एवं परित्यक्त हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प चरणबद्ध तरीके से लगाना प्रस्तावित है।

(3) बांसवाड़ा जिले के सभी ग्राम 1991 की जनगणनानुसार पेयजल से लाभांवित हैं। जिले में 122 ढाणियों में हैण्डपम्प लगाना शेष है, जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" पर है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) जी, हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

काटली नदी (झुन्झुनूं) की बजरी पर रायल्टी

82. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में जिला झुन्झूनूं की काटली नदी क्षेत्र से उठाई जाने वाली बजरी पर रायल्टी वसूल करने हेतु ठेका किसको दिया गया है।

(2) प्रति ट्रक रायल्टी की राशि कितनी बनती है और ठेकेदार किस दर से रायल्टी वसूल करने का अधिकारी है ?

(3) क्या रायल्टी के अलावा भाड़ा लोडिंग आदि के रूप में धन राशि वसूल करने का ठेकेदारों को कोई अधिकार है ?

(4) रायल्टी वसूल करने वाले ठेकेदार को मौके पर सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती हैं ?

उत्तर

(1) जिला झुन्झूनूं की काटली नदी के कुछ क्षेत्र से बजरी निर्गमन पर रायल्टी वसूली का ठेका श्री जुगलसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह निवासी मलखेड़ा को दिया गया है।

(2) ठेकेदार को खनिज मात्रा के आधार पर 5/– रुपये प्रतिटन की दर से रायल्टी एवं 15/– रुपये प्रति ट्रक (8 टन से अधिक वाले) परमिट फीस वसूल करने का अधिकार है।

(3) ठेकेदार को रायल्टी व परमिट फीस के अलावा भाड़ा लोडिंग अथवा अन्य किसी प्रकार की धन राशि वसूल करने का अधिकार विभाग द्वारा नहीं दिया गया है।

(4) रायल्टी वसूल करने वाले ठेकेदार को मौके पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। रायल्टी वसूल करने की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं को करनी होती है।

विधान सभा क्षेत्र दूदू में वेश्यावृत्ति पर अंकुश

83. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू में वेश्यावृत्ति का धन्धा धड़ल्ले से चल रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? स्थान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बांसरी, पड़ासोली एवं नरेना रेलवे फाटक के पास धड़ल्ले से वेश्यावृत्ति हो रही है ? यदि हां, तो जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर द्वारा इस सम्बन्ध में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित थाना नरैना एवं दूदू में समय-समय पर मुकदमें भी दर्ज हुए है ? यदि हां, तो कब–कब एवं उक्त प्रकरणों का निस्तारण कब हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल)

(4) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में बार–बार शिकायत प्राप्त होने के बाद भी उक्त अन्धों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। इस सम्बन्ध में थाना नरैना एवं दूदू में दर्ज हुए मुकदमें एवं निस्तारण सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(4) जी, नहीं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

ग्राम कानरपुरा (जयपुर) के नामान्तरकरण प्रकरण

84. **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही हैं कि ग्राम कानरपुरा तहसील चौमू, जिला जयपुर में खाता संख्या 47 व 48 खसरा नं. 3, 4, 6, 7, 8 तथा 176, 186 व 187 की भूमि बन्दोबस्त जमाबन्दी संवत् 2006 में माफी मन्दिर श्री सीताराम जी वाके देह पुजारी हरिदास चेला राधा किशनदास के नाम दर्ज थी ? क्या अधिकारियों/कर्मचारियों की भूल के कारण उक्त भूमि अन्य कृषकों के नाम से दर्ज कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों व कब से ?

(2) क्या सरकार अब खाता संख्या 47 व 48 की भूमि जो पूर्व में माफी मन्दिर श्री सीताराम जी कानरपुरा के नाम से थी, अब वापस नामान्तरकरण माफी मन्दिर श्री सीताराम वाके देह वर्तमान पुजारीके नाम दर्ज करने का विचार रखती है ? यदि हां,तो कब तक और नहीं,तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम कानरपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर के खाता संख्या 47 व 48 के ख. नं. 3, 4, 6, 7, 8 तथा 176, 186, 187 की भूमि बन्दोबस्त जमाबन्दी संवत् 2006 में कालम नं. 3 में मन्दिर के नाम अंकित थी। लेकिन कालम नं. 5 में कृषकों के नाम इन्द्राज किये गये थे। उक्त ख. नं. की सम्वत् 1989 से 2009 की खतौनी में भी कालम नं. 5 में अंकित कृषकों को खातेदारी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज की गई है। उक्त भूमि मन्दिर खुद काश्त नहीं थी। जिससे अन्य कृषकों के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त दर्ज खातेदारी के सम्बन्ध में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत न्यायालय कलक्टर, जयपुर में तहसीलदार, चौमू द्वारा दिनांक 11.3.98 को एक रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

(2) खाता संख्या 47 व 48 के उपरोक्त ख. नं. की भूमि को माफी मन्दिर श्री सीताराम जी कानरपुरा के नाम करने के सम्बन्ध में न्यायालय कलक्टर, जयपुर में रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन है।

ग्राम ध्याबा (लाडनूं) की श्मशान भूमि प्रकरण

85. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(५०)

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम छ्यावा तहसील लाडनूं, जिला नागौर की खसरा नम्बर 266 श्मशान भूमि है? यदि हां, तो गत चार वर्षों की खतौनी व गिरदावरी नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इसी गांव में खसरा नं. 288 चारागाह भूमि है? यदि हां, तो चालू वर्ष सहित पांच वर्षों की खतौनी, गिरदावरी व नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है, कि ग्राम छ्यावा, तहसील लाडनूं जिला नागौर के ख. नं. 266 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा रेकार्ड में गैर-मुमकिन श्मशान भूमि दर्ज है। खतौनी, गिरदावरी व नक्शे की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी, हां। यह भी सही है कि ग्राम छ्यावा तहसील लाडनूं के ख. नं. 288 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन चारागाह दर्ज है। खतौनी, गिरदावरी व नक्शे की प्रतियां संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्व न्यायालयों में रीडर्स का पदस्थापन

86. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व न्यायालयों में रीडर का पद स्थाई होता है?

(2) जयपुर जिले के किस-किस न्यायालय में रीडर गत पांच वर्ष से अधिक अवधि से उसी न्यायालय में पदस्थापित है? क्या सरकार 5 साल से एक ही न्यायालय में कार्यरत रीडर्स का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रीडर को कार्यालय के मंत्रालयिक कर्मचारी के पद पर भी लगाया जा सकता हैं और मंत्रालयिक कर्मचारी को रीडर बनाया जा सकता है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या एक ही न्यायालय में रीडर को वर्षों तक रखने को सरकार उचित मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर?

उत्तर

(1) जी, नहीं रीडर नाम का कोई पद सृजित नहीं है। मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारी से रीडर का कार्य सम्पादित कराया जाता है।

(2) जयपुर जिले के न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थापित 8 रीडर्स की सूची संलग्न है। पांच वर्ष से एक ही न्यायालय में कार्यरत रीडर्स को नीति अनुसार स्थानान्तरण किए जाते हैं, लेकिन जनहित व प्रशासनिक हित में कार्यानुभव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त नीति में शिथिलन प्रदान कर पांच वर्ष से अधिक समय तक भी पद पर रखा जा सकता है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी, हां।

(4) न्यायालयों में रीडर का स्थानान्तरण समय समय पर प्रशासनिक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

तहसील डूंगरगढ़ का जिला बीकानेर में स्थानान्तरण

87. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील डूंगरगढ़ को चूरू जिले से बीकानेर जिले में शामिल करने के ग्राम पंचायतों एवं जनता से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या सरकार इस तहसील को भौगोलिक व सामाजिक दृष्टि से बीकानेर जिले में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) तहसील डूंगरगढ़ को चूरू जिले से बीकानेर जिले में शामिल करने के ग्राम पंचायतों एवं जनता से प्राप्त प्रस्तावों का विभाग में परीक्षण किया जा रहा है।

(3) प्रस्ताव का राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत सूंथड़ा (टोंक) में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

88. **श्री जीतराम चौधरी** (मालपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सूंथड़ा, तहसील अलीगढ़, जिला टोंक में स्थित चारागाह भूमि ख. नं. 512 में 1.00 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा तथा कितने वर्षों से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस व्यक्ति द्वारा चारागाह पर किये गये नाजायज अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत सूंथड़ा तहसील उनियारा मु. अलीगढ़ स्थित चारागाह भूमि खसरा सं 512 रकबा 1.00 हैक्टेयर पर अतिक्रमण कर रखा था। यह अतिक्रमण श्री नवीन पुत्र बालकिशन महाजन निवासी आगरा हाल सूंथड़ा द्वारा किया गया था। उक्त अतिक्रमी द्वारा सं. 2049 से उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाता रहा है। तहसीलदार उनियारा से मिली सूचना के अनुसार

(42)

(राजस्व मंत्री)

सं. 2049 से 2051 के वर्षों में 0.20 है. भूमि पर अतिक्रमण किया गया और सं. 2052 से 2054 तक 1.00 है. भूमि पर अतिक्रमण किया गया।

(2) जी, हां। अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत सं. 2054 में प्रकरण संख्या 2632/97 दर्ज किया है तथा निर्णय दिनांक 22-3-98 द्वारा उक्त अतिक्रमी को बेदखल किया जाकर शास्ति आरोपित कर वसूल की गई।

(3) जी, हां। नाजायज अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही समय समय पर भाग–2 के अनुसार की गई। वर्तमान में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

तहसील मौजमाबाद (दूदू) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रकरण

89. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में वर्ष 1996 से जून 1998 तक तहसील मौजमाबाद (दूदू) में तहसीलदार के पद पर कौन व्यक्ति कार्यरत रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार द्वारा मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की जाती है ? यदि हां, तो तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत जून, 1996 से जून, 1998 तक की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में कार्यरत तहसीलदार द्वारा विचाराधीन समस्त विवादों का निस्तारण कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से विवाद किस कारण लम्बित रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा स्थानान्तरण से पूर्व जिला कलैक्टर को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार समस्त विवादों का निस्तारण कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवादों के लम्बित रहने के क्या कारण रहे ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त तहसीलदार ने जिला कलक्टर को गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? क्या सरकार उक्त तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील दूदू में वर्ष 1996 से जून 1998 तक निम्न तहसीलदार कार्यरत रहे है :–

1. श्री मदनलाल बगड़वनियां 2. श्री अनन्तराम शर्मा 3. श्री भीमसिंह।

(2) जी, हां। मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जून, 1996 से जून, 1998 तक की मासिक रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं तत्कालीन तहसीलदार श्री मदनलाल बगड़वनियां के कार्यकाल (स्थानान्तरण) के अन्तिम दो माह में 1513 वाद/प्रा. पत्र दर्ज हुये थे, जिनमें 1498 वाद/प्रा. पत्र निस्तारण से शेष रहे थे। शेष रहे प्रकरणों का निस्तारण उत्तराधिकारी तत्काल तहसीलदार श्री अनन्तराम

(राजस्व मंत्री)

शर्मा द्वारा किया गया। श्री अनन्तराम शर्मा के (स्थानान्तरण) के अन्तिम माह में 124 वाद/प्रा. पत्र शेष रहे थे। जिनका निस्तारण वर्तमान तहसीलदार द्वारा किया जा रहा हैं।

(4) जी; नहीं। प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(5) जी, नहीं। गलत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इस कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम करौली (तहसील टोडाभीम) में वनों की अवैध कटाई

90. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला करौली की तहसील टोडाभीम व नादौती में कुल कितने प्लान्टेशन है? इन प्लान्टेशनों पर वर्ष 1990 से 1998 तक कितनी राशि व्यय की गई? व्यय की गई राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील टोडाभीम के ग्राम पंचायत सकरवाड़ा के ग्राम घेरोली में वन विभाग के पेड़ों की अवैध कटाई की जाकर वन भूमि पर अतिक्रमण किये जा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इन अतिक्रमणों को कब तक हटा देगी।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला करौली की तहसील टोडाभीम एवं नादौती में वर्ष 1990 से 1998 तक 69 क्षेत्रों में प्लान्टेशन कराये गये हैं एवं 4 क्षेत्रों में वर्ष 1998 की वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण कार्य कराया जा रहा है। इन वृक्षारोपण क्षेत्रों पर वर्ष 1997-98 तक कुल 179.32 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। व्यय की गई राशि एवं कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) तहसील टोडाभीम की ग्राम पंचायत सकरवाड़ा के ग्राम घेरोली में अतिक्रमण किया गया था जिसे हटा दिया गया है।

(3) तत्परता से कार्यवाही कर अतिक्रमण हटा दिया गया है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में वानिकी कार्य

91. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1994-95 से मार्च, 1998 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने

(44)

(श्री हीरालाल)

सामाजिक वानिकी के कार्य स्वीकृत किये गये ?

(2) उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ? कार्य के अनुसार खर्च की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 1994–95 से मार्च, 1998 तक वानिकी विकास के 36 कार्य स्वीकृत किये गये ।

(2) स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं । कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राजकीय चिकित्सालय समेजा कोठी के चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही

92. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय समेजा कोठी जिला श्री गंगानगर में चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक नर्स से छेड़छाड़ व मारपीट की गई ।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर कार्यालय पर नर्सेज एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया तथा ज्ञापन भी दिया गया था ? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेजा कोठी में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती रेचल पी. पी. ने अपने पत्र दिनांक 9.6.98 द्वारा डॉ. अजायब सिंह के विरुद्ध प्रार्थी के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट करने की शिकायत की थी ।

(2) नर्सेज एसोसिएशन ने जिला कलक्टरेट पर प्रदर्शन नहीं किया, परन्तु जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया गया । ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी, हां । उक्त प्रकरण की जांच डॉ. कृपाल सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से करवाई गई । दिनांक 11.6.98 की जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा बयान लिये गये परन्तु दिनांक 12.6.98 को श्रीमती रेचल पी. पी. एवं डॉ. अजायब सिंह के बीच सहमति एवं समझौता हो गया । समझौते के बाद किसी भी पक्ष से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है । डॉ. अजायब सिंह को जिला मुख्यालय पर स्थित कण्ट्रोल रूम में कार्य करने हेतु लगाया हुआ है । निदेशालय आदेश दिनांक 6.7.98 द्वारा डॉ. अजायब सिंह की अग्रिम पद स्थापन की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

में निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

मेहन्दीपुर बालाजी बाइपास सड़क का निर्माण प्रकरण

93. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले के मेहन्दीपुर बालाजी में बाइपास बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कहां होकर निकाला जायेगा ? नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बाइपास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की जाना प्रस्तावित है एवं इसका कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रस्तावित मेहन्दीपुर बालाजी बाइपास का निर्माण राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 कि. मी. 131/100 से शुरू होकर वाया ग्राम दौतली एवं घेरोली होकर बालाजी टोडाभीम सड़क के कि.मी. 4/200 पर मिलाना प्रस्तावित है। जिसकी कुल लम्बाई 5 कि. मी. है। नक्शे की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त बाइपास के निर्माण हेतु राशि रुपये 7.50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जिला ग्रामीण अभिकरण, करौली के पत्र संख्या डी. आर. डी. ए. निबंध 97–98/116–20 दिनांक 26. 6. 98 द्वारा दे दी गई है। जिला विकास अभिकरण करौली द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

टोंक जिले के तालाबों व नहरों के रख–रखाव पर व्यय

94. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में सिंचाई के साधन कुएं व तालाब ही हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से तालाब से कितनी-कितनी सिंचाई सुनिश्चित की हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत तीन वर्षों में उपरोक्त तालाबों व नहरों के रख-रखाव हेतु राशि आबंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि एवं उसमें से कितनी राशि खर्च की गई ? तालाब व नहर का अलग अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। टोंक जिले में कुल 173 बांधों/तालाबों की सुनिश्चित की गई सिंचाई का विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। वर्ष 1995–96 में

(46)

(सिंचाई मंत्री)

15 लाख रुपये, 1996-97 में 17.25 लाख रुपये तथा 1997-98 में 4.80 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई तथा वर्ष 1995-96 में रुपये 14.99 लाख, वर्ष 1996-97 में 17.26 लाख व वर्ष 1997-98 में रुपये 4.92 लाख व्यय किये गये। तालाब एवं नहर वार व्यय का विवरण परिशिष्ट–"ब" संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला राजसमन्द के बांध/नहरों के रख-रखाव पर व्यय

95. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1996-97 व 1997-98 में राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के किस-किस बांध व नहर के रख-रखाव व मरम्मत के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना के अन्तर्गत व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में मरम्मत के लिए आवंटित राशि के दुरुपयोग और अनियमितता की तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई।

(3) क्या सरकार उक्त वर्षों की मरम्मत हेतु आवंटित राशि का दुरुपयोग करने की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 व 1997-98 में भीम व देवगढ़ पंचायत समितियों के सिंचाई तालाबों की व नहरों की मरम्मत व रख-रखाव की सूचना प्रपत्र "अ" पर दर्शायी गई है।

(2) जी, हां। एक सामान्य शिकायत सिंचाई खण्ड, कांकरोली के विरुद्ध तत्कालीन सिंचाई मंत्री महोदय को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच श्री दिवाकर महंत तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण वृत, उदयपुर द्वारा कराई गई। शिकायत की पुष्टि नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी।

(3) उक्त वर्षों में मरम्मत हेतु आवंटित राशि के कार्यों में शिकायत पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत की पुष्टि नहीं हुई, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

कालख बांध (फुलेरा) की भराव क्षमता

96. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील फुलेरा में "कालख"

(श्री बाबूलाल)

बांध बना हुआ है ? यदि हां, तो उक्त बांध की निर्माण के समय भराव क्षमता क्या थी एवं उससे किस-किस गांव की कितनी-कितनी जमीन में सिंचाई होती थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि किन्हीं कारणों से उक्त बांध की भराव क्षमता न के बराबर रह गई है ? यदि हां, तो इस बांध में पानी न आने के कारण कितनी भूमि की सिंचाई पर असर पड़ा है एवं कृषकों/सरकार को कितनी हानि हो रही है ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त बांध की सफाई करवाकर उसकी भराव क्षमता में वृद्धि करने के लिये कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । कालख बांध के निर्माण के समय भराव क्षमता 578 मिलियन घन फुट थी । इस बांध से तहसील दूदू व फागी के 59 गांवों में सिंचाई होती थी विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जी, नहीं । बांध के भराव क्षमता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है । परन्तु 1986–87 से इस बांध में पानी की आवक नगण्य सी रही है । पानी आवक में कमी होने के कई कारण है जिनमें निम्न कारण मुख्य हैं :–

1. बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा में अपेक्षाकृत कमी ।
2. बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर मेडबन्दी से पानी रोक लेना ।
3. मुख्य नदी के तीन स्थान पर Kums द्वारा सड़क व ऊंचा Causeway बनाना, जिसे पानी के आवक में बाधा ।
4. जल ग्रहण क्षेत्र के नदी नालों की पेटे की भूमि रेतीली है । अतः अधिक वर्षा जब तक नहीं होती तब तक पानी बहता नहीं है बल्कि भू–गर्भ में चला जाता है ।

बांध में पानी न होने के कारण राज्य सरकार को राजस्व की लगभग 1.50 लाख रुपये की हानि होती है । कृषकों को होने वाली हानि का आकलन इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।

(3) जी, नहीं । तकनीकी आधार पर सामान्यतया, बांधों की भराव क्षमता में वृद्धि उनको ऊंचा उठाकर की जाती है क्योंकि सफाई के माध्यम से कार्य सम्पादन में अधिक लागत आती है ।

कालख बांध की ऊंचाई को 1981–82 में 2 फुट बढ़ाया गया था जिससे भराव क्षमता में लगभग 50 एम. सी. एफ. टी. की वृद्धि हुई है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

तहसील लूणकरणसर के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति

97. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

48

(श्री भीमसेन चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मकडासर तहसील लूणकरणसर व ग्राम कालासर तहसील बीकानेर व ग्राम ग्राडूरी तहसील पूगल विद्युतीकृत गांव घोषित होते हुए भी उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त गांवों के ग्रावेदन कितने–कितने कब से लम्बित हैं तथा उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम ग्राडूरी की पेयजल योजना विद्युत कनेक्शन के ग्रभाव में चालू नहीं की जा सकी है ? ग्रब उक्त गांव की उक्त योजना के लिये कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम मकडासर तहसील लूणकरणसर, कालासर तहसील बीकानेर व ग्राम आडूरी तहसील पूगल पूर्व में विद्युतिकृत घोषित किये गये थे लेकिन इन ग्रामों की लाईनें क्षतिग्रस्त व लाइन का सामान चौरी होने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके। वर्तमान में कालासर ग्राम की लाइन पुनः ठीक कर दी गई है तथा इस ग्राम में मार्च 1991 से 37 ग्रावेदन पत्र लम्बित थे उनमें से 17ग्रावेदन पत्रों का निस्तारण माह मई, 1998 में कर दिया गया है। शेष ग्रावेदन पत्रावलियों का निपटारा ग्रावेदकों द्वारा विभागीय ग्रौपचारिकताएं पूर्ण करने पर तत्परता से कर दिया जायेगा। ग्राम ग्राडूरी की क्षतिग्रस्त लाइन को पुन; ठीक करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। ग्राम ग्राडूरी में वर्ष 1993 से 30 ग्रावेदन पत्र लम्बित हैं। ग्राम मकडासर की क्षतिग्रस्त लाइन को वित्तीय साधनों की उपलब्धि के ग्रनुसार ठीक कर शीघ्र कनेक्शन दिये जा सकेंगे। इस ग्राम में 19 ग्रावेदन पत्र माह ग्रप्रेल, 1998 से लम्बित हैं।

(2) ग्राम ग्राडूरी की क्षतिग्रस्त लाइन को सही करने के निर्देश जून, 1998 में दिये जा चुके हैं तथा लाइन ठीक करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उक्त लाइन ठीक होने पर पेयजल योजना को कनेक्शन दे दिया जायेगा।

ग्राम खिरोटी (सीकर) का विद्युतीकरण

98. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सीकर जिले के सभी पंचायत मुख्यालय विद्युतीकृत किये जा चुके हैं? यदि हां, तो कब–कब ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम खिरोटी पंचायत समिति खण्डेला को ग्रभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) ग्राम खिरोटी में विद्युत कनेक्शन हेतु कितने ग्रावेदन-पत्र कब से विचाराधीन हैं ? उक्त ग्रावेदन–पत्रों पर कार्यवाही की जानी शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्रब उक्त ग्रावेदकों को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत मुख्यालय के नाम से कोई अलग से लक्ष्य प्रस्तावित नहीं किये जाते हैं। केवल राजस्व ग्राम ही विद्युतीकृत किये जाते हैं। सीकर जिले के सभी ग्राम माह मार्च, 1983 तक विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके थे।

(2) जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार खिरोटी नाम का अलग से कोई गांव नहीं है। खिरोटी मनरूपपुरा नाम से (कोड संख्या 10/5/147) गांव है जिसको माह मार्च, 1979 में विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया था। इस गांव में वर्तमान में घरेलू, औद्योगिक व कृषि कनेक्शन स्थापित है।

(3) ग्राम खिरोटी मनरूपपुरा में माह अगस्त, 1996 में घरेलू कनेक्शनों के लिये 35 आवेदन प्राप्त हुये थे। इनको कनेक्शन देने हेतु 22 पोल की 11 के. वी. लाइन, एक 25 के. वी. ए. सब-स्टेशन व 9 पोल की एल. टी. लाइन की एक योजना माह, जून, 1998 में स्वीकृत की गई है। मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। आवेदकों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(4) आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराने व आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने पर ही कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

निर्वाचन क्षेत्र करौली के अविद्युतीकृत ग्राम

99. **श्री हंसराम गुर्जर** (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र करौली के गांव बिहटा, दाहुदपुरा, सेवली, पिपरानी, देवरी, मूडखेरा, कोलीपुरा, सकुलपुरा, पीपल खेड़ला, वरबाना, कोलूपुरा, ताली, सादपुरा, अंधपुरा, रजनापुरा, नयावास को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र करौली के अन्तर्गत वर्णित ग्रामों में ग्राम विरहटा, दाऊदपुरा, पिपरानी, देवरी, मूडखेड़ा, पीपलखेडला, ताली व सादपुरा माह मार्च, 1998 तक विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। ग्राम कोलीपुरा, वरबाना, कोलूपुरा, अंधपुरा व सकुलपुरा जनगणना पुस्तिका 1991 में वर्णित नहीं हैं। ग्राम नयावास (कोड नं. 8/7/83) वर्ष 1998–99 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं। प्रश्न के शेष वर्णित ग्राम सेवली व रजनापुरा का विद्युतीकरण निर्धारित नीति, आबंटित वित्त एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत प्रकरण

100. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) एवं **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत हेतु क्या व्यवस्था अपनाई जा रही है?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(2) गारंटी समय में ट्रांसफार्मर खराब होने पर किन-किन स्थितियों में मैनुफेक्चरर से ट्रांसफार्मर ठीक करवाया जाता है तथा किन परिस्थितियों में बोर्ड अपने खर्चे पर मरम्मत करवाता है ?

(3) वर्ष 1997 एवं 1998 में विद्युत मण्डल ने कुल कितने ट्रांसफार्मर्स अपने खर्चे से मरम्मत करवाये तथा उन पर कितनी धन राशि खर्च की गई ?

उत्तर

(1) गारंटी अवधि में ट्रांसफार्मर्स के खराब होने पर वे निर्माता कम्पनी द्वारा अपने खर्चे पर मरम्मत किये जाते हैं। गारंटी अवधि के समाप्त होने के बाद फेल हुये ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत हेतु राज्य की विभिन्न फर्मों को ट्रांसफार्मर्स मरम्मत हेतु रेट कॉन्ट्रेक्ट पर आदेश किये हुये हैं। मरम्मत कार्य अनुबन्ध की शर्तें एवं विभिन्न कार्यों हेतु निश्चित दरों के अनुसार कराया जाता है।

(2) गारंटी अवधि में ट्रांसफार्मर फेल होने पर ट्रांसफार्मर सप्लाई आदेश एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ट्रांसफार्मर निर्माता से मरम्मत करवाये जाते हैं तथा उपरोक्त मरम्मत कार्य में विद्युत मण्डल का खर्चा नहीं होता है।

(3) वर्ष 1996–97 व वर्ष 1997–98 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने क्रमशः 4778 व 17356 गारंटी अवधि पार वितरण ट्रांसफार्मर्स तथा क्रमशः 221 एवं 326 पावर ट्रांसफार्मर्स अपने खर्चे पर मरम्मत करवाये। इन ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत पर वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में क्रमशः 1274.36 एवं 1512.21 लाख रुपये व्यय किये गये। गारंटी अवधि के ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत पर मण्डल द्वारा कोई खर्चा नहीं किया गया।

राज्य की विद्युत उत्पादन में वृद्धि

101. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य का थर्मल, हाइडल व अणु ऊर्जा उत्पादन में कितना-कितना हिस्सा है, जिसमें से गत वर्ष राज्य विद्युत मण्डल को कितनी-कितनी बिजली प्राप्त हुई और उसकी लागत कितनी-कितनी थी ?

(2) गत वर्ष राज्य में औद्योगिक, घरेलू, वाणिज्यिक व कृषि कार्य पर कितनी कितनी बिजली खर्च हुई ?

(3) गत वर्ष कितनी बिजली किस-किस दर से खरीदी गई ?

(4) चालू वर्ष में किस-किस स्रोत से कितनी-कितनी बिजली प्राप्त होगी तथा कितनी खरीद करनी पड़ेगी ?

(5) राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किये गये, जिससे चालू वर्ष में कितनी बिजली किस स्थान पर अधिक उत्पादित होगी ?

उत्तर

(1) राज्य में थर्मल, हाइडल व अणु ऊर्जा उत्पादन में हिस्सा/आवंटन की

(ऊर्जा मंत्री)

स्थिति तथा वर्ष 1997–98 के दौरान स्त्रोतवार बिजली उपलब्धि की स्थिति संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शायी गयी है। विद्युत क्रय की दर व लागत परिशिष्ट 'ख' व 'ख'–1 में दी गई है। स्वयं व भागीदारी परियोजनाओं के ताप व जल विद्युत गृहों को गत वर्ष की उत्पादन लागत को वर्ष 1997–98 के अंकेक्षण के बाद मालूम होगी।

(2) वर्ष 1997-98 में औद्योगिक, घरेलू वाणिज्यिक व कृषि कार्यों पर खर्च होने वाली अनुमानित बिजली का विवरण निम्नानुसार है :–

(मिलियन यूनिट में)

1.	घरेलू	2377
2.	अघरेलू	823
3.	कृषि	5169
4.	औद्योगिक	6123

(3) वर्ष 1997–98 में स्त्रोतवार खरीदी गई बिजली की स्थिति उपरोक्त परिशिष्ट "क" के कालम–4 में दर्शायी गई है तथा स्त्रोतवार क्रय दर परिशिष्ट "ख" में दर्शायी गई है।

(4) चालू वर्ष में विभिन्न स्त्रोतों से कुल 21130 मि. यू. बिजली की प्राप्ति का आंकलन है जिसमें से 10200 मि. यू. बिजली खरीद से प्राप्त होने का आंकलन है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(5) राज्य/विद्युत मण्डल द्वारा मांग व उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए निम्न प्रयास किये गये व किये जा रहे हैं :–

1. कोटा तापीय विद्युत गृह से पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन करना।

2. उत्तर व अन्य क्षेत्रों एवं पड़ौसी राज्यों से किसी भी कीमत पर विद्युत क्रय करना।

3. सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना प्रथम चरण की पहली 250 मेगावाट इकाई को दिनांक 10 मई, 1998 को ऑयल फायरिंग पर सिंक्रोनाइज किया गया है। इससे अगली रबी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की आशा है।

4. सूरतगढ़ प्रथम चरण की द्वितीय इकाई 250 मेगावाट का कार्य राज्य स्तर पर शुरू करने का निर्णय किया जा चुका है तथा ऊर्जा वित्त निगम से 300 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हो चुका है।

5. सूरतगढ़ द्वितीय चरण (2 × 250 मे. वा.) का कार्य भी राज्य स्तर पर शुरू करने की सम्भावना का आँकलन किया जा रहा है।

6. रामगढ़ 1 × 35.5 मे. वा. जी. टी. एवं 1 × 35.5 मे. वा. एस. टी विद्युत संयंत्र के लिए अतिरिक्त गैस का आवंटन होने पर इस परियोजना को विद्युत मण्डल द्वारा शुरु किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. हिमाचल प्रदेश में स्थित 2051 मे. वा. की तीन चरणों में की जाने वाली

(52)

(ऊर्जा मंत्री)

पार्वती पन विद्युत परियोजना में हिमाचल प्रदेश को 12 फीसदी निःशुल्क विद्युत देने के बाद बची विद्युत में 40 फीसदी हिस्सेदारी के लिए हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात व हरियाणा सरकार के मध्य एम. ओ. यू. किया जा चुका है। सर्वेक्षण का कार्य हिमाचल विद्युत मण्डल द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा 730 लाख रु. हिमाचल प्रदेश विद्युत मण्डल को इस कार्य के लिए दिए जा चुके हैं।

8. मैसर्स सीपा के 6×660 मे. वा. हिरमा (उड़ीसा) में स्थापित किये जाने वाले ताप विद्युत परियोजना से 1200 मे.वा. बिजली खरीद के लिए एम. ओ. यू. कर दिया गया है।

9. नयी परियोजनाओं के लिए सर्वे कार्य प्रगति पर है। कोटा बैराज की डाऊन स्ट्रीम में पन बिजली घर (राहु घाट 79 मे. वा.) को लगाने के लिए मध्य प्रदेश एवं राजस्थान द्वारा साध्यता रिपोर्ट तैयार की जाकर मध्यप्रदेश राजस्थान चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को स्वीकृति हेतु भेज दी गई है।

10. माही द्वितीय परियोजना के अन्तर्गत मानसून की अवधि में अतिरिक्त पानी का उपयोग बिजली उत्पादन में लाने के लिए 2300 क्यूसेक्स क्षमता को बैलेन्सिग रिर्जवायर प्रथम से द्वितीय तक एल. एम. सी. के समानान्तर एक नहर की आवश्यकता महसूस की गई है। इस कार्य का सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है।

11. 4×40 मेगावाट की गांधी सागर परियोजना विचाराधीन है। मध्यप्रदेश ने इस परियोजना के लिए राजस्थान सरकार से स्वीकृति मांगी है, जो कि दे दी गई है।

12. 2×2.5 मे. वा. जाखम पन विद्युत परियोजना में 24.94 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस परियोजना को निजी क्षेत्र में स्थापित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

13. **विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश की नीति इस नीति के अन्तर्गत**

(अ) विद्युत उत्पादन देने वाली तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं के लिए विभिन्न निजी क्षेत्र की कम्पनियों को कुल 3598 मेगावाट की योजनाओं के आशय पत्र दिये गये हैं, तथा 3348 मेगावाट के लिए विद्युत क्रय अनुबन्ध भी किये जा चुके हैं। इसमें धौलपुर में नेफ्था आधारित 702 मे. वा. (संशोधित क्षमता) की विद्युत परियोजना के लिए विद्युत क्रय अनुबन्ध भी शामिल है परन्तु केन्द्र सरकार ने केवल 1415 मे. वा. के विद्युत गृहों के लिए राजस्थान को तरल ईंधन आबंटन किया है।

(ब) इसके अतिरिक्त लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं व अपारम्परिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए विभिन्न निजी क्षेत्र की कम्पनियों को कुल 2250 मे. वा. की योजनाओं के आशय पत्र दिये गये हैं। जिनमें लिग्नाइट आधारित बरसिंगसर (500 मे वा.), जालिया (600 मेवा.), कपूरड़ी (600 मेवा.)

(ऊर्जा मंत्री)

गिराल (100 मेवा.) सोनार माइन्स (150 मेवा.) तथा सौर आधारित विद्युत परियोजनाएं (300 मेवा.) शामिल है। इनमें से 600 मेवा. के लिए विद्युत क्रय अनुबन्ध भी किये जा चुके हैं, जिनमें बरसिंगसर 500 मेवा. व सौर आधारित 100 मेवा. परियोजना भी शामिल है।

(द) मथानियां में सौर व द्रव ईंधन की मिश्रित प्रणाली पर आधारित 140 मेवा. विद्युत गृह की स्थापना के प्रयास जारी हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

ग्राम इण्टाखोई एवं नगरी (दूदू) में विद्युत आपूर्ति

102. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम इन्टाखोई व नगरी पंचायत समिति दूदू को विद्युतीकृत घोषित किया जाकर विद्युतीकृत आपूर्ति चालू कर दी गई थी? यदि हां, तो कब? उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत करने में कितने पोल एवं तार लगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त ग्रामों में मौके पर तार एवं पोल (लाइन) ही नहीं है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं उक्त स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उक्त जगह से तार एवं पोल दूसरी जगह ले गये हैं? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों?

(3) अब सरकार द्वारा उक्त ग्रामों में कब तक विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, दूदू के ग्राम इन्टाखोई व नगरी को माह मार्च, 1991 में लाइन खींचकर विद्युतीकृत घोषित किया गया था। उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत करने के लिये 3.5 किमी. के पोल व तार लगे थे।

(2) जून, 1991 में उक्त ग्रामों की लाइनों के तार चोरी हो गये थे जिसकी एफ. आई. आर. थाना दूदू में दिनांक 6.6.1991 को करवा दी गई थी। अतः इसमें किसी विभागीय अधिकारी व कर्मचारी की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी नहीं है, इस लाइन का सामान दूसरी जगह ले जाकर नहीं लगाया गया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

(3) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप लाइन पुनः खींचकर चालू की जा सकेगी।

तहसील छबड़ा व छीपाबड़ोद के विद्युत कनेक्शन प्रकरण

103. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में तहसील छबड़ा व छीपाबड़ोद में कितने नर्सरी, स्पेशल केटे-

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

नरी व सामान्य श्रेणी के कनेक्शन दिये जाने शेष हैं।

(2) उक्त कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में निम्नांकित कनेक्शन दिये जाने शेष हैं :—

तहसील का नाम	बकाया नर्सरी	बकाया स्पेशल केटेगरी	सामान्य श्रेणी (31 मार्च, 88 तक)
छबड़ा	14	41	15
छीपाबड़ोद	72	21	116

(2) नर्सरी श्रेणी के उक्त कुल बकाया में से 56 के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं और उनमें से केवल 5 मांग पत्रों की राशि जमा हुई है। शेष आवेदकों को भौतिक सत्यापन के अभाव में मांग पत्र जारी नहीं किये जा सके। विशेष सामान्य श्रेणी (स्पेशल केटेगिरी) के उक्त कुल लक्ष्य (62) के अनुरूप 70 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये गये जिनमें से 32 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करवा दी। सामान्य श्रेणी में उक्त कुल बकाया में से 85 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये गये जिसमें से 49 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाई गई है। शेष के मांग पत्र शीघ्र जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं। ज्यादातर आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि माह जून, 98 में ही जमा करवाई गई। इनको शीघ्र ही कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम इन्टाली (मावली) में पशु चिकित्सालय की स्वीकृति

104. श्री रामकरण मीणा (टोडा-भीम) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम इन्टाली तहसील मावली, जिला उदयपुर में एक पूर्णकालीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत किया गया था, जिसे कुछ समय पश्चात सब सेन्टर में परिवर्तित कर दिया गया ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत सब सेन्टर अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम इन्टाली में अरणोदा (जिला चित्तौड़गढ़) में पशु चिकित्सालय को हस्तानान्तरण करने के आदेश गलती से जारी हो गये थे, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं। इन्टाली में उपकेन्द्र वर्ष 1991 से ही स्वीकृत हैं।

(2) स्वीकृत उप केन्द्र कार्यशील हैं।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें)

करौली में जिला पशुपालन अधिकारी कार्यालय का सृजन

105. श्री हंसराज गुर्जर (करौली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बनने के बाद नये विभाग खोलने का नियमों में कोई प्रावधान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला करौली में जिला पशुपालन अधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

नवसृजित जिलों में विभागीय कार्यालय खोलने सम्बन्धी कोई नियम नहीं बने हुए है । लेकिन परम्परानुसार जिला बनने पर विभिन्न विभागों के जिला कार्यालय सुविधा अनुसार स्थापित करती रही है । करौली जिले में सहायक निदेशक (पशुधन विकास) का नया कार्यालय स्थापित कर दिया गया है जो जिला पशुपालन अधिकारी का कार्य भी देख रहे हैं । साधनों की कमी के कारण फिलहाल जिला पशुपालन अधिकारी का कार्यालय खोलना सम्भव नहीं है । भविष्य में ज्यों ही संसाधन उपलब्ध होंगे राज्य सरकार इस पर विचार करेगी ।

इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण पर व्यय

106. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इन्दिरा गांधी नहर योजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है और कितने हैक्टेयर भूमि को नहर का पानी मिलने लगा है ?

(2) उक्त नहर का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था तथा तब कितनी राशि का लक्ष्य निश्चित किया गया था ?

(3) उक्त नहर बनकर कब तक पूरी हो जायेगी । तथा इससे कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी ? इसके पूरी होने में कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

(4) क्या इस योजना को पूरी करने में बार-बार लक्ष्य रखे गए ? यदि हां, तो क्यों एवं कब-कब ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण पर मार्च, 1998 तक कुल धनराशि 1746 करोड रुपये व्यय हो चुकी है। नहर प्रणाली से 11.63 लाख हैक्टेयर सिंचित योग्य क्षेत्र को सिंचाई के लिए खोला जा चुका है ।

(2) इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष 1958 में प्रारम्भ किया गया था उस समय इसकी लागत 67 करोड़ रुपये आंकी गई थी ।

(3) वांछित धन राशि उपलब्ध होने पर नहर निर्माण का कार्य सन् 2005 में पूरा करने का लक्ष्य है इससे कुल सिंचित योग्य क्षेत्र 19.63 लाख हैक्टेयर सिंचाई

(५)

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

के लिए खोला जा सकेगा। वर्ष 2005 तक नहर प्रणाली पूर्ण करने के लिए कुल 4100 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(4) जी, हां। वांछित धन राशि उपलब्ध नहीं होने तथा समय-समय पर लिये गये तकनीकी व नीतिगत निर्णयों के कारण वर्ष 1960, वर्ष 1970, वर्ष 1974, वर्ष 1984 एवं वर्ष 1993 में लक्ष्यों में परिवर्तन किया गया।

सोजतसिटी (पाली) में अतिरिक्त जिला न्यायालय का सृजन

107. श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सोजत सिटी (पाली) अतिरिक्त जिला न्यायालय में सबसे ज्यादा मुकदमे जैतारण उपखण्ड के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है तथा जैतारण उपखण्ड के मुकदमों की संख्या कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार सभी उपखण्डों पर सस्ता न्याय दिलाने हेतु अतिरिक्त जिला न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती हैं?

(3) क्या यह सही है कि सरकार जैतारण में चल रहे अतिरिक्त जिला न्यायालय कैम्प को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) जैतारण में चल रहे अतिरिक्त जिला न्यायालय के केम्प कोर्ट के न्यायाधीश के आवास की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। सोजत सिटी (पाली) के ए. डी. जे. न्यायालय में कुल मुकदमों की संख्या दिनांक 1. 7. 98 को 953 है। तथा जैतारण सब डिवीजन के मुकदमों की संख्या 481 है।

(2) जी, नहीं। नवीन ए. डी. जे. न्यायालय की स्थापना किसी क्षेत्र के 1000–1200 मुकदमे लम्बित होने पर तथा मा. उच्च न्यायालय के परामर्श पर ही की जाती हैं। यदि उक्त मानदण्ड से कम मुकदमे लम्बित हो तो, उक्त क्षेत्र में नवीन ए. डी. जे. न्यायालय स्थापित नहीं किया जाता है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि जैतारण उपखण्ड क्षेत्र के लम्बित मुकदमों की संख्या निर्धारित मानदण्ड 1000–1200 से कम है तथा इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से भी परामर्श प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जी, नहीं। जैतारण में चल रहे ए. डी जे. कोर्ट के दिनों में न्यायाधीश के आवास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है क्योंकि कैम्प कोर्ट अस्थाई व्यवस्था है जिसके लिए अस्थाई आवास की व्यवस्था की जाती है।

जिला भीलवाड़ा में अपना गांव–अपना काम योजना के तहत कार्य

108. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला विकास अभिकरण भीलवाड़ा में अपना गांव अपना काम योजना के प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कुल कितने प्रस्ताव कौन-कौन से कितनी-कितनी लागत के कब से विचाराधीन हैं अब तक स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण रहे, अब इन सभी कार्यों की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ।

(2) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भीलवाड़ा के पास अब तक स्वीकृत कार्यों को पूरा कराने हेतु आवश्यक धन राशि उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक धन राशि उपलब्ध करा देगी ?

(3) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भीलवाड़ा द्वारा उक्त योजना के तहत नये प्रस्ताव लेना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त अभिकरण द्वारा इस योजना के तहत तीस प्रतिशत राशि जन सहयोग को बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । परिशिष्ट-"अ" में अंकितानुसार 50 प्रस्ताव विचाराधीन है । प्रत्येक प्रस्ताव के सम्मुख कार्य की लागत राशि एवं कब से विचाराधीन है, अंकित किया हुआ है । वित्तीय संसाधनों के अभाव में इनकी स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं । इन प्रस्तावों की स्वीकृतियां वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर दी जा सकेगी ।

(2) जी, नहीं । बजट में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अपेक्षित राशि दी जा सकेगी ।

(3) जी, नहीं । प्रस्ताव लेना बन्द नहीं किया गया है अपितु प्रस्ताव के साथ पैसा जमा कराने के बजाय पंजीकरण की व्यवस्था की गई है ।

(4) जी, नहीं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें)

पंचायत समिति आमेर व झोटवाड़ा में विकास कार्य

109. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) वर्ष 1995–96 से 1997–98 में पंचायत समिति आमेर एवं झोटवाड़ा में किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि किस-किस पंचायत को किस-किस कार्य हेतु आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में धन राशि जिन-जिन पंचायतों को उपलब्ध कराई गई थी, उनमें से अधिकांश ने काम नहीं कराया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(श्री गोपीराम जाट)

(3) उक्त वर्षों में किस-किस कार्य के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये हैं ? पंचायत, वर्ष एवं कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब शेष रहे किस-किस पंचायत के किस-किस कार्य का किस-किस वर्ष का उपयोगिता एवं कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 से 97–98 में पंचायत समिति आमेर एवं कोटबाड़ा को विभिन्न योजनाओं में आवंटित की गई राशि का विवरण योजनावार परिशिष्ट–"अ" में अंकित है।

(2) जी, नहीं।

(3) उक्त वर्षों में कार्यों के लिए आवंटित की गई राशि के उपयोगिता एवं कार्य की पूर्णता का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का विवरण प्रत्येक कार्य के सम्मुख परिशिष्ट–"ब" में वर्ष वार, ग्राम पंचायत वार एवं कार्यवार अंकित है।

(4) पंचायती राज संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी गयी राशि का तत्परता से उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने एवं पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र देने के लिए निर्देश दिये गये हैं। यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कार्यवाही संस्था समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देती तो उससे अग्रिम राशि वसूलने/आगामी किस्त नहीं देने जैसी कार्यवाहियां की जावे।

(विवरण विभाग तथा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण विकास अभिकरण सीकर द्वारा सड़क निर्माण

110. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सीकर द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी सड़कें वर्ष 1993 से अप्रेल, 1998 तक स्वीकृत की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत सड़कों में से आज तक एक सड़क भी पूर्ण नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त सड़कों पर रोड़ी ढुलाई, रोलर से कुटवाई का ठेका किन-किन ठेकेदारों को दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार 5 वर्ष में एक भी सड़क का कार्य पूरा नहीं होने की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1993 से अप्रेल, 1998 तक 58 सड़के स्वीकृत की गई थी जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। उक्त स्वीकृत सड़कों में 42 सड़कें पूर्ण हो चुकी है।

(3) जिन सड़कों पर रोड़ी डलवाई तथा कुटवाई का कार्य ठेकेदारों को दिया गया है उनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(4) निर्धारित अवधि में कार्य नहीं कराने की जांच कराई जायेगी एवं जहां कार्य में अधिकारियों की शिथिलता के कारण विलम्ब हुआ हैं उसमें उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

जिला सीकर में सांसद कोटे के अन्तर्गत कार्य

111. श्री अमराराम (धोद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सीकर में गत वित्तीय वर्ष में सांसद कोटे से की गई सिफारिश के विकास कार्यों की स्वीकृतियां बकाया रहने के क्या कारण है ?

(2) अब उक्त स्वीकृतियां कब तक जारी कर कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में गत वित्तीय वर्ष में सांसदों द्वारा की गई विकास कार्यों की सिफारिशों में से जो कार्य नहीं स्वीकृत किये गये उनका मुख्य कारण गत वर्ष में योजनान्तर्गत सांसद कोटे की पूर्ण राशि प्राप्त न होना है।

(2) भूतपूर्व सांसद (लोकसभा सदस्य एवं राज्य सभा सदस्य) के बकाय प्रस्तावों के कार्य तभी स्वीकृत किये जा सकते हैं, जब उनके लिए वर्तमान सांसद द्वारा अभिशंसा की जावें।

ग्रामीण विकास अभिकरण झुन्झुनूं द्वारा स्वीकृत कार्य प्रकरण

112. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1997–98 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झुन्झुनूं द्वारा स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य किन कारणों से निरस्त किये गये ?

(2) उक्त निरस्त किये गये कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी कौन–कौन थी तथा निर्धारित अवधि में विकास कार्य पूर्ण नहीं करवा पाने के कारण उन एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि कार्य निरस्त करने से क्षेत्र विकास कार्य से वंचित रह जाता है ?

(4) क्या समयावधि में कार्य पूरा नहीं करवाना प्रशासन की अकुशलता का द्योतक है ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झुन्झुनूं द्वारा वर्ष 1997–98 में स्वीकृत

(60)

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

किये गए कार्यों में से विभिन्न योजनाओं में 16 कार्य निरस्त किए गए जिनका विवरण एवं निरस्त करने के कारण परिशिष्ट "अ" में अंकित हैं।

(2) निरस्त किये गये कार्यों की सम्बन्धित एजेन्सी एवं उनके विरुद्ध निर्धारित समय पर कार्य प्रारम्भ नहीं करवाये जाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अंकित है।

(3) जी, नहीं। निरस्त किये गये कार्यों के एवज में सम्बन्धित क्षेत्र में क्षेत्रीय सन्तुलित विकास कार्यक्रम की दृष्टि से अन्य कार्यों को स्वीकृत कर समावेशित कर लिया जाता है।

(4) सामान्यत: क्षेत्र (Fields) में कार्यों के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण कार्य समयावधि से पूरे नहीं हो पाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें)

शीघ्र लिपिकों का चयन

113. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एवं मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जयपुर में शीघ्र लिपिकों के पद विज्ञापित किये गये थे? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त पदों को भरने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन पदों के चयन में विलम्ब के लिए कौन दोषी है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है? अब कब तक इन पदों को भर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी, हां। विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सितम्बर, 1997 एवं मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग महाविद्यालय द्वारा जनवरी, 1998 में पद विज्ञापित किये थे।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों एवं विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत बताये गये पदों में अन्तर पायें जाने के कारण पदों को भरने की प्रक्रिया आगे नहीं की जा सकी है। जबकि मालवीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जयपुर में अत्यधिक फार्म प्राप्त होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग महाविद्यालय में कोई भी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में स्वीकृत एवं रिक्त पद पाये जाने पर कार्यवाही की जानी है। तथा मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री रामस्वरूप मीणा एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर के युवा कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष पर कथित प्राणघातक हमला होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) श्री शंकर मानूदा एवं 42 अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ के गांव मण्डफिया स्थित श्री सांवलिया जी मन्दिर बोर्ड द्वारा प्रशासन की कथित मिलीभगत से निरीह ग्रामीणों पर अत्याचार करने एवं मन्दिर की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भीमसेन चौधरी एवं 20 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के कोलायत की टेचरी फाटा ट्रक आपरेटर्स संस्थान द्वारा की जा रही मनमानी कार्यवाही एवं उससे उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री शैलेन्द्र जोशी एवं 15 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में शिक्षा विभाग के अधीन चल रहे सैकण्डरी, मिडिल एवं प्राइमरी स्कूलों में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने जो जानकारी उपलब्ध करवायी है उसका सार संक्षेप इस प्रकार है :–

राज्य में सैकण्डरी 3024, मिडिल 10,517 एवं प्राथमिक स्तर के 31,048 विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में लगभग एक लाख पैंतालीस हजार द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद सृजित हैं। सृजित पदों में से केवल मात्र 3,200 पद शिक्षकों के रिक्त हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि पदों की रिक्तता, नवीन पद सृजन, सेवा निवृत्त, चयनित वेतनमान के फलस्वरूप पदोन्नति परित्याग एवं उच्च पद पदोन्नति के फलस्वरूप होती है। वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। जहां तक पाठ्य पुस्तकें प्रकाशन के अभाव में उपलब्ध नहीं होने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में तथ्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा कक्षा 9 से 12 की 33 राष्ट्रीयकृत एवं कक्षा 12 की आमन्त्रित तथा अन्य पुस्तकों का प्रकाशन कर दिया गया है। राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का विक्रय दिनांक 24 जून, 1998 से प्रारम्भ कर निरन्तर बाजार में आपूर्ति जारी है। लगभग दो करोड़ साठ लाख की पुस्तकों का विक्रय किया जा चुका है। कक्षा 10 की गणित विषय की पुस्तक का मुद्रण हो चुका है एवं दि.13 जुलाई,1998 से उक्त पुस्तक का विक्रय प्रारम्भ किया गया है। कक्षा

(62)

(श्री उपाध्यक्ष)

12 की आमन्त्रित पुस्तकें दिनांक 1 जुलाई, 1998 से बाजार में बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

मिडिल स्कूल का परीक्षा परिणाम 15 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक, 14 जिलों में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत एवं 3 जिलों में 38 से 40 प्रतिशत रहा है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): यह स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार ने जो स्थगन प्रस्ताव का जवाब दिया है वह पढ़ रहा हूं, व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट तो मंत्री जी पढ़ देते। चेयर की तरफ से, मैं कल देख रहा था, कल एक स्टेटमेंट पढ़ा गया था। ऐसी यह परम्परा यहां इस सदन में तो नहीं थी। जो कुछ भी हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उपरोक्त स्थिति से परिणाम निराशाजनक नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक नये-नये प्रयोगों का प्रश्न है, बदलते हुए सामाजिक व आर्थिक परिवेश तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार तथा परिवर्तन कोई नयी बात नहीं, बल्कि एक आवश्यक तथा सराहनीय प्रक्रिया है। यह कहना भी सही प्रतीत नहीं होता है कि स्कूलों में पढ़ाई का कार्य ठप्प हो गया है, विद्यालयों में नियमित शिक्षण व्यवस्था हेतु वार्षिक कैलेण्डर निर्मित किया जाता है। उसी कैलेण्डर के हिसाब से विद्यालयों में शिक्षण कार्य संचालित किया जाता है। शिक्षकों की समस्याओं के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है।

आज सदन में शिक्षा, कला व संस्कृति की मांगों पर चर्चा होगी, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य चाहें तो उस समय अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिसाऊ विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले के शिवगंज नगर में पैट्रोल पम्प नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा के बिसाऊ कस्बे में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिला उद्योग केन्द्र के पूर्व महाप्रबन्धक द्वारा कथित फर्जी उद्योगपतियों को सहायता उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राजेन्द्र चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शंकर मानूवा (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी मंगायी है उसको आ जाने दीजिए।

श्री शंकर मानूवा : आपने जो जानकारी मांगी है वह अपनी जगह ठीक है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन मेरा एक छोटा-सा निवेदन है, वह आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा है ?

श्री शंकर मानूवा : इसके अलावा है। व्यवस्था के अलावा है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के अलावा है?

श्री शंकर मानूवा : व्यवस्था के अलावा यह है कि अभी सरकार से जवाब मांगा है। जवाब आ जाएगा, जो कुछ भी मिसडीड्स हुए है उसका जस्टिफिकेशन आएगा। जबकि हमें तो जस्टिस चाहिए, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण स्थगन प्रस्ताव या जो कुछ भी नियमों के अन्तर्गत देते हैं राज्य सरकार से मैंने व्यवस्था की है....(व्यवधान)

श्री शंकर मानूवा : वह अपनी जगह ठीक है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए आप। वह जवाब 24घण्टे के अन्दर आना चाहिए और वे आ रहे हैं, इसलिए आप विराज जाएं। थोड़ा धैर्य रखें, माननीय सदस्य।

श्री शंकर मानूवा : 24 घण्टे में वह आ जाएगा, 24 घण्टे में जवाब मिल जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह आ जाए। विराजिए।

श्री शंकर मानूवा : ठीक, उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने बात उठायी है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जवाब मांगा है, यह बहुत अच्छी चीज है। लेकिन 43 माननीय सदस्यों ने इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है और आप सरकार से जवाब 24 घण्टे में मंगवाने की बात कर रहे हैं, सरकार से जवाब कई दिनों तक आता नहीं है। इसलिए कृपया इस चीज को एश्योर करें कि सरकार से जवाब आए। मंदिर तोड़ रहे हैं, सांवलिया जी का मंदिर तोड़ रहे हैं। पूरी टूट-फूट हो रही है वहां पर। आतंक मचा हुआ है मण्डफिया के अन्दर, चित्तौड़गढ़ के अन्दर। (व्यवधान) यह आतंक ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पहले से व्यवस्था दे दी है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हां, आपने व्यवस्था दे दी है, वह अच्छी चीज है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दे दी है इस पर चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान) इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा नहीं होगी (व्यवधान) इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य, कृपया विराज जाएं।

(64)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मन्दिर तोड़ा जा रहा है और आप कहते हैं कि हमने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार से जवाब तो दस दिन तक नहीं आएगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगती है.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भगवान के नाम पर वोट मांगने वाले....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, आप सुनिए मेरी बात। आप मेरी बात सुनिए पहले (व्यवधान) माननीय सदस्य... (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ×××

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री आर. पी. शर्मा : ×××

श्रीमती शशिदत्ता : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री शंकर मानूवा : ×××

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ×××

श्री रघुवीर सिंह सेरावा : ×××

श्री दयाराम परमार : ×××

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ×××

श्री शंकर मानूवा : ×××

श्री महेन्द्र मीणा : ×××

श्री रामगोपाल बैरवा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री शंकर मानूवा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह अंकित नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिये आप।

श्री शंकर मानूवा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें तो सही।

श्री शंकर मानूदा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजें माननीय सदस्य आप कार्यवाही थोप रहे हैं।

श्री शंकर मानूवा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।.... (व्यवधान) आप एक मिनट बैठिये न।

श्री शंकर मानूदा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें तो सही।

श्री शंकर मानूवा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय दो मिनट ।....(व्यवधान)....सुन लो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बहुत अर्जेंट मामला है, स्थगन प्रस्ताव दिया है । आपने व्यवस्था दी है वह हमारे सर माथे है । मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को बाध्य किया जाए कि जब तक यह जवाब आपके सामने नहीं आ जाए तब तक वहां उस मंदिर को तोड़ने-फोड़ने की कार्यवाही नहीं करें । यह राज्य सरकार की ओर से एश्योरेंस आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहो हम मान लेंगे । इतना हमें आश्वासन दे दो ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, सदन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो तथ्य आपके सामने रखे हैं, भले ही आप लोग वहां जाकर देख आएं, ऐसी कोई बात नहीं है । (व्यवधान) ..

श्री शंकर मानूवा : हां, हम चाहते हैं जाकर देख लें । मैं मंत्री महोदय की बात का समर्थन करता हूं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि उस मंदिर को भव्य बनाने के लिए आस-पास की जमीन को एक्वायर किया, नोटिस दिया । सब प्रोसेस पूरा किया । उनको आल्टरनेट प्लाट्स दिये, उनको पैसा दिया और उसके बाद जमीन को ..(व्यवधान) इसलिए हटाया ।

श्री शंकर मानूवा : क्या भव्य मंदिर बनाएंगे वह पहले ही भव्य मंदिर है ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप तो वहां पर गये ही नहीं हैं ।....(व्यवधान)

श्री शंकर मानूवा : पुरातत्व के मामले में हिन्दुस्तान में ऐसा मंदिर नहीं बना हुआ है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : चार दिन पहले जाकर आया हूं ।....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सदन की एक कमेटी बना दी जाए ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बुलडोजर चलाकर आपने (व्यवधान)... आप भव्य बनाने के नाम पर मंदिर के मूल स्वरूप का नाश कर रहे हैं । बहुत प्राचीन मंदिर है ।....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक सर्वदलीय कमेटी बनायी जाए । (व्यवधान)

श्री शंकर मानूवा : बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसा मंदिर मिलता नहीं है । ललित कलाओं की....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें । एक मिनट ।....(व्यवधान) मेरी बात तो सुनें आप । मेरी बात सुनना चाहते हैं ? कृपया विराजें । शशीदत्ताजी, विराजें ।

मैंने जो व्यवस्था दी है उसमें आपको निवेदन किया है कि राज्य सरकार से इसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी मंगवाने का प्रयास करूंगा ।....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब आ तो गया राज्य सरकार का ।

श्री उपाध्यक्ष : और मंगा लूंगा। आपकी भावनाओं के आधार पर और मंगवा लूंगा।....(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक मंत्री के नाते नहीं कहा है, मेरे पास विभाग नहीं है। मैं चार दिन पहले वहां स्वयं जाकर मौका देख कर आया हूं इसलिए मैंने कहा है। मंत्री के नाते कुछ भी नहीं कहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इनसे कहो कि क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोपीचंद गुर्जर : जब तक सरकार का जवाब नहीं आए उस समय तक के लिए माननीय सदस्य ने यह मामला.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कह रहे हो कि जवाब मंगवा रहा हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सरकार का स्टेटमेंट दिलवाएं आज।...(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना दो साल पहले बनी, 12 महीने पहले इसका शिलान्यास हुआ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): ये क्या चीज हैं? ये क्या हैं?

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय सदस्य भी उसमें शामिल थे और सरोपा बांध कर आये। इनकी जानकारी में है कि यह भव्य मंदिर बन रहा है (व्यवधान) मास्टर प्लान बना है मुआवजा देकर वहां से आसपास की जमीन खाली करायी जाएगी। एशिया में सबसे बढ़िया, सुन्दर मंदिर बने, इसकी योजना में शामिल है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप बलपूर्वक कब्जा करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हो गया वह तो, अब क्या? सब टूट-टूटा गया, कुछ बचा ही नहीं है। बेकार की बातें कर रहे हो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह मंदिर का मामला है, माननीय देवस्थान मंत्रीजी ने उसका उत्तर दिया। वे इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं तो सोमवार को इसका उत्तर देने के लिए समय क्यों नहीं निर्धारित कर दिया जाए?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने देवस्थान मंत्री के नाते जवाब नहीं दिया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तो किस नाते दिया है?....(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं तो चार दिन पहले मौके पर देखकर आया हूं, वह मैंने आपको वर्णन किया है। मैंने मंत्री के नाते आपको कोई जवाब नहीं दिया, मैं यह कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मंत्री हो, गुलाबचन्द कटारिया, ऐसा नहीं होता।... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभी पार्टियों का वहां ग्रुप जाना चाहिये ।

श्री शंकर मानूदा : वहां पार्लियामेंटेरियन्स का ग्रुप जाना चाहिए ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि बहुत गम्भीर मामला है । वहां कई और मन्दिर तोड़े जा रहे हैं, वहां का बनाया हुआ घंटाघर तोड़ा जा रहा है । वहां के लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, कोई जमीन दी नहीं गयी है । इसलिए यह अहम मसला है, इस पर चर्चा रखी जाए, सोमवार तक जवाब दिलाया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है और निवेदन के अन्दर यह व्यवस्था की है कि राज्य सरकार से जल्दी से जल्दी इस सवाल का उत्तर मंगवा रहा हूं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जल्दी से जल्दी क्या होता है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर मंगवा रहा हूं और मंगवा कर....(व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : अभी आप 24 घंटे की बात कर रहे थे अब जल्दी से जल्दी की बात करेंगे, सोमवार की बात । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सोमवार को वक्तव्य कीजिये ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : यह डिसाइड किया जाए वरना हाउस को नहीं चलने दिया जाएगा । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अभी आपने 24 घंटे कहा है और अब आप जल्दी से जल्दी पर आ गए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बाध्य नहीं हूं मैं इस बात के लिए ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : सोमवार को जवाब नहीं दिया तो हाउस को नहीं चलने दिया जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बाध्य नहीं हूं इस बात के लिए । मैंने राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है, अब मैं राज्य सरकार को निवेदन करूंगा ....(व्यवधान)....

श्री शंकर मानूदा : आप जानकारी प्राप्त करिये... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मामले की गम्भीरता को देखिये, इतना गम्भीर मामला है ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भावनाओं को देखते हुए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल जी धारीवाल । श्री शांतिलाल जी धारीवाल, मैं आपको नाम से पुकारता हूं । ... (व्यवधान) श्री शांतिलाल जी धारीवाल ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बड़ा गम्भीर मामला है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल जी धारीवाल ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शांति कुमार धारीवाल ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, शांति कुमार जी । +++ विराजें । सुनिये, माननीय सदस्य । विरोधी दल के नेता महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को आपने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिए जो कहा, तथ्यों को आपके पास प्रस्तुत करने के लिए आपने निर्देश दिये हैं । बीच में एजुकेशन मिनिस्टर खड़े हुए, देवस्थान मिनिस्टर भी नहीं हैं, कह रहे हैं कि मैं वहां स्थल पर गया था । जमीन एक्वायर हो गयी, सब कुछ हो गया लेकिन इस भव्यता के नाम पर एक तो आप भव्य मन्दिर बना रहे हैं जो आपके 50 सूत्र में पहला सूत्र था अयोध्या का ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा शुरू कर रहे हैं, माननीय विरोधी दल के नेता ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इस बारे में कह रहा हूं । भव्य तो है । आपने कहा, मैं तो आपके शब्दों से कह रहा हूं । .... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भव्य मन्दिर तो बनेगा वहीं पर । उनका काम हो रहा है और वह मन्दिर वहीं बनेगा । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :....(व्यवधान).... यह अपमान है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य ।

श्री परसराम मदेरणा : वर्तमान मंदिर है वह है श्री कृष्ण भगवान का मन्दिर और उसके पच्चीकारी का और कांच का काम किया हुआ है । प्राचीन मन्दिर है, लोगों की धार्मिक भावना उस प्राचीन मन्दिर के साथ में जुड़ी हुई है । इस मन्दिर को जिस तरह से आपने तोड़ने का निर्णय लिया है, यह लोगों की धार्मिक भावनाओं पर आपने गहरी चोट पहुंचायी है और उसी का परिणाम है कि वहा के लोगों में, जनता में भारी असन्तोष है, आक्रोश है । जब आक्रोश है तो आपको निश्चित तौर पर सरकार को निर्देश देना चाहिये कि 20 तारीख तक वह आपके सामने यह तथ्य प्रस्तुत कर दे और स्टेटमैंट दे 20 तारीख को ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : तब तक यथा-स्थिति बनाये रखें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोर्ट है क्या ? आज तक कहीं हुआ है ऐसा ?

श्री परसराम मदेरणा : तब तक स्टेटस-को मेन्टेन रहना चाहिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज तक आसन से कोई यथास्थिति का या और कोई मामला हुआ है क्या ?

पाइंट आफ आर्डर, सर । . (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, मुख्य सचेतक महोदय, कि विरोधी दल के नेता महोदय दो मिनट बोल लें.... (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसी पर तो पाइंट आफ आर्डर कह रहा हूं। (व्यवधान) क्या प्रतिपक्ष के नेता बोलें, उस पर पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : नो जूरिडिक्शन आफ पाइंट आफ आर्डर ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या सदन के नेता बोले उस समय....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : Point of order is not maintanable.

श्री उपाध्यक्ष : यह जीरो आवर है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं, इससे पहले कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं उठेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी इजाजत हो तो बोलूं नहीं तो, जैसा आप चाहें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप नेता महोदय को बोलने दीजिये, व्यवधान पैदा मत कीजिये। ये व्यवधान मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर में यह परम्परा थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जीरो आवर में उठते रहे हैं। (व्यवधान)....जीरो आवर में 10 बार, 15 बार।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब आप बैठ जाइये। (व्यवधान) आप व्यवस्था को मत खराब करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप इस व्यवस्था पर कायम रहें कि जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं उठना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बैठ जाइए, नेता महोदय को बोलने दीजिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जीरो आवर में कोई बिजनस लीजिये। पाइंट आफ आर्डर उठाते नहीं है। कोई बिजनस नहीं है तो पाइंट आफ आर्डर कैसे उठा सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इनको मुख्य सचेतक बना दिया, इनको बोलने का पता ही नहीं है कि कब बोलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विरोधी दल के नेता खड़े हैं और आप बोल रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपकी बोलने की आदत छूटती नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी विषय जब सदन के अन्दर आया है और आपके जो अधिकार है वे आल परवेडिंग हैं। यह चीफ व्हिप का कहना कि आप इस तरह का निर्देश नहीं दे सकते, निश्चित तौर पर निर्देश देते हैं। पार्लियामैंट में भी इस तरह के निर्देश दिये गये हैं। इसलिए आप यह कहो कि आसन का जो जूरिस्डिक्शन है, आसन सर्वसम्पन्न है। आप उसको बिलिटिल मत कीजिये और निश्चित तौर पर....

70

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये क्या + + + कर रहे हैं ? अपने सदस्यों को तो संभालो। कोई व्यवस्था ही नहीं है । बोलने का कोई तौर तरीका भी तो नहीं है । ऐसा कर रहे हैं + + + । यह आपका तरीका है ? आपसे यह उम्मीद की जाती है ? (व्यवधान)

श्री बच्चनमल बैद : आपसे की जा रही है ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय लोकतन्त्र की कौनसी मर्यादा है, कौनसी परम्परा है ? मैं देख रहा हूं कि इस सत्र में मुख्य सचेतक महोदय हमेशा लक्ष्मण रेखा को पार कर खड़े हो जाते हैं । खड़े होने के बाद इनकी जो पूरी पालिसी है, मैं देख रहा हूं कि इस सदन में आप आब्स्ट्रक्शनिस्ट पालिसी अख्तियार किये हुए हो, हर वक्त व्यवधान डालते हो । एक तरफ तो आप रूल्स का हवाला देते हो । जीरो आवर चल रहा है, मैं इस पजेशन में था, मेरी फ्लोर था, आपने मुझे तीन बार डिस्टर्ब कर दिया । उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको कम से कम यह डायरेक्शन तो दीजिये । इनकी प्रताड़ना तो आप दें या नहीं दें, आपकी मर्जी की बात है लेकिन कम से कम कोई प्रसंग चल रहा हो और फिर जीरो आवर का समय हो तो आप निश्चित तौर पर व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ...

श्री हीरालाल इन्दौरा : टेप लगवा दो मुंह पर ।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन बीच में यह जो मुद्दा है यह बहुत अहम मुद्दा है, जनता की धार्मिक भावनाओं से सम्बन्ध रखता है । सभ्यता और भव्य के नाम पर आप इस मन्दिर को तोड़ने जा रहे हैं, यह लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहा है, ठेस पहुंचा रहा है इसलिए आप सरकार को डायरेक्शन दीजिये कि वह सोमवार 20 तारीख को स्टेटमेंट दे ।

श्री राजेन्द्र पारीक : लोक सभा के चुनाव को तो भुला दिया आपने ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है, अपनी व्यवस्था के अन्दर भी निवेदन किया है । मैं जल्दी से जल्दी इसका जवाब मंगवाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : तारीख निश्चित कर दीजिये । (व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल समस्या

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के रूप में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में लेख है कि बिलाड़ा क्षेत्र जिला जोधपुर के गांवों में लम्बे समय से पेयजल की भारी समस्या का ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है । पेयजल विभाग द्वारा बनायी गयी योजनाएं जैसे रतकुड़िया, बासनी योजना, खेड़ी बन्दड़ा योजना के

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

अलावा पीपाड़ शहर के कई मोहल्लों में, बिलाड़ा शहर के कई मोहल्लों में, ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा, ग्राम शेखनगर, ग्राम डूडीनगर, ब्राह्मणों की ढाणी मलार, ठिमलों की ढाणी ग्राम रावणियाना, कूडियों की ढाणी, गोयलों की ढाणी, ग्राम साथिण, डाऊकियों की ढाणी, खारिया खंगार, चौकीदारों का मुहल्ला पालड़ी सीधा, बढ़ाणियों की ढाणी, झाक, जटियों की ढाणी मुरकासनी, ग्राम जसवन्तपुरा, ग्राम स्वरूप नगर (देवनगर) ग्राम कलावणा, ग्राम बरणा, गूजरों की ढाणी खारिया मीठापुर, चौकीदारों की ढाणी ग्राम मालकोसनी, आदि अनेक स्थानों पर पेयजल उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध है तो यह भी नाम मात्र के लिए है। उपरोक्त पेयजल की भीषण स्थिति को देखते हुए पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए एवं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी। (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के बिसाऊ कस्बे में सहायक अभियन्ता विद्युत मण्डल का कार्यालय

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निम्न प्रकार से विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृपा कर सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा में बिसाऊ बहुत बड़ा कस्बा है जिसकी आबादी 20-25 हजार के करीब है। आसपास में महणसर व गांगियासर-टाँई आदि छोटे-छोटे कस्बे हैं तथा पंचायत समिति अलसीसर की बहुत बड़ी आबादी भी इसके आसपास स्थित है। करीब 70-80 हजार की जनसंख्या है जो दूर-दूर तक गांवों में बसी हुई है। आवागमन के साधन बहुत सीमित हैं। सभी गांव तथा ढाणी-मजरे बिजली की सुविधा से जुड़े हैं परन्तु इन गांवों, बिसाऊ कस्बे तथा आसपास के उपरोक्त कस्बों को बहुत दूर चलकर मण्डावा सहायक अभियन्ता कार्यालय में जाना पड़ता है। यह इलाका रेगिस्तानी क्षेत्र है तथा गांव बहुत दूर-दूर तक बसे हुए हैं। विद्युत मण्डल का सहायक अभियन्ता कार्यालय नहीं होने से बिसाऊ की बिजली उपभोक्ता जनता तथा विद्युत के कनेक्शन लेने वालों को बहुत तकलीफ है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की है कि यहां पर सहायक अभियन्ता कार्यालय खुले तथा लोगों को सुविधा उपलब्ध हो। इस मामले को जिला सतर्कता समिति तथा जिले की बिजली समिति के समक्ष भी समय-समय पर उठाते रहे हैं। सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को उपयुक्त मानकर विद्युत मण्डल से अनुरोध किया है कि यह सुविधा बिसाऊ कस्बे तथा आवास के लोगों को उपलब्ध हो तथा बिसाऊ कस्बे में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाए। विद्युत मण्डल, राजस्थान ने इस प्रस्ताव का परीक्षण जोनल मुख्य अभियन्ता, झुन्झुनूं से भी करवा कर उनका प्रतिवेदन मंगाया है। उन्होंने भी यह सिफारिश की है कि बिसाऊ में विद्युत सब डिवीजन कार्यालय खोला जाना सभी दृष्टियों से उपयुक्त है तथा सभी नार्म्स जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

विभाग के हैं उनको पूरा करता है। यह उल्लेख प्रस्तुत कर मेरा अनुरोध है कि जनहित तथा विद्युत मण्डल दोनों के हित में सहायक अभियन्ता कार्यालय बिसाऊ कस्बे में खोला जाए। मंत्रीजी, बोलें आपका विभाग है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायणजी ने कहा और वहां के बहुत सारे ज्ञापन हैं। बहुत दिनों से यह मामला विचाराधीन है। बहुत-से लोग आये, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आये, आपने भी कहा और सभी समाज के लोगों ने कहा। यह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन था। इस पर करीब-करीब विचार कर लिया गया है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही इस बाबत आदेश जारी हो जाएंगे। (व्यवधान) यह बी.जे.पी. का एजीटेशन था लेकिन आपने भी इसमें मदद की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

जयपुर जिला उद्योग केन्द्र के पूर्व महाप्रबन्धक फर्जी उद्योगपतियों को सहायता

श्री हरजीराम बुरडक : महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। राज्य सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य यह था कि उद्योग-पतियों को तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जा सके जिससे उद्योगपति सरलता से सहायता प्राप्त करके उद्योग स्थापित कर सकें। परन्तु जयपुर जिला उद्योग केन्द्र के पूर्व महाप्रबन्धक द्वारा कुछ फर्जी उद्योगपतियों से मिलकर जो सहायता वास्तविक उद्योगपतियों को मिलनी चाहिए थी उनके स्थान पर फर्जी कार्यवाही करके अनुदान आदि सहायता के कई करोड़ रुपये का दुरुपयोग व गबन किया गया है जिसमें जिला उद्योग केन्द्र जयपुर के पूर्व महाप्रबधक फर्जी व्यवसायियों जैसे पी.एल.बी. उद्योग, विश्वकर्मा, जयपुर; अरविन्द इन्टरनेशनल लि. बगरू, जयपुर; डाबरिया एग्लोमेन्टस, मालवीय नगर उद्योग क्षेत्र, जयपुर; भारत पोटरीज लि. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर; शुभम् ट्रेडर्स एण्ड मैन्यूफैक्चर्स झोटवाड़ा; श्री फुट्स प्रा. लि. सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर; शिव शक्ति ट्यूब्स प्रा.लि. आदि ने मिलकर कई करोड़ रुपयों का गबन किया है।

इसी प्रकार से उक्त पूर्व महाप्रबन्धक ने जयपुर शहर में टोंक रोड स्थित जयपुर ग्लास एण्ड पोटरीज की करोड़ों रुपये की भूमि का राज्य सरकार द्वारा बार-बार आदेश देने के बाद भी कब्जा नहीं लिया और उल्टा नाजायज कब्जा करने वालों को ही सहयोग करके उनके हक में अपने विचार प्रकट करके सरकार को वापस लिखा। अभी तक यह भूमि सरकार के कब्जे में नहीं है।

उपरोक्त मामलों की राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने जांच की है। एक मामला भी दर्ज हुआ है लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उसको सरकार उल्टा प्रोत्साहन दे रही है और उसे जयपुर में ही बैठाये रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस सदन के माध्यम से सरकार का पुनः ध्यान आकर्षित कर इस

(श्री हरजीराम बुरडक)

सम्बन्ध में ग्रावश्यक कार्यवाही करके सरकारी धन ग्रौर सम्पत्ति की रक्षा करने की मैं मांग कर रहा हूं।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी। पाली जिले में बारिश नहीं होने के कारण।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में जरा भी बरसात नहीं हुई है। बरसात नहीं होने की वजह से पीने के पानी की पहले ही बहुत समस्या थी पाली में पूरे जिले में ग्रौर विशेषकर मेरे रोहित पंचायत समिति क्षेत्र में। एक तो पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या पैदा हो गयी है, दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर सोइंग भी नहीं हो पायी है। बड़ी मुश्किल से 20 प्रतिशत सोइंग हुई है, जो पहले चक्रवात के टाइम में थोड़ी बहुत बरसात हुई थी। सोइंग नहीं होने की वजह से किसानों के होशो-हवास गुम हैं ग्रौर उनकी परेशानी बढ़ गयी है। मजदूर वहां से बाहर जाना चालू हो गये हैं इधर-उधर जोधपुर जिले में ग्रौर गुजरात वगैरह में। यह बड़ी भयानक स्थिति पैदा हो गयी है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि छोटे-छोटे तालाब के काम ग्रौर छोटे-मोटे अकाल राहत के कार्य वहां खुलवाने की तुरन्त व्यवस्था कराएं। जो काम 15 जुलाई को बन्द हो जाते हैं, वे काम भी दस-पन्द्रह दिन तक जब तक बारिश नहीं हो तब तक हों।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ग्रापके माध्यम से सरकार से यह भी ग्रनुरोध है कि कलक्टर से रिपोर्ट मंगवाएं कि ग्रगर बरसात नहीं हुई है तो ग्रब क्या स्टैप्स उठाये जा सकते हैं, वास्तव में सोइंग कितने प्रतिशत हुई है और क्या तकलीफ है। कलक्टर की रिपोर्ट मंगाकर उसके ऊपर मेहरबानी करके कुछ ग्राश्वासन राज्य सरकार से दिलवाएं तो ग्रापकी बड़ी कृपा होगी। बहुत विचित्र स्थिति ग्रौर बड़ी तकलीफदायक स्थिति पैदा हो गयी है इसलिये मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री सांवरलाल (राज्य मंत्री, सहायता एवं अकाल राहत) : माननीय उपाध्यक्ष महदोय, राज्य सरकार ने 15 जुलाई से राहत कार्य बन्द इसलिये कर दिये कि हमारी जानकारी के मुताबिक राजस्थान में लगभग बुवाई के लायक बरसात सब जगह हो गयी है। फिर भी माननीय सदस्य का ग्रगर कहना है तो मैं विशेष रूप से जो आपने बताया उस क्षेत्र की जिला कलक्टर से रिपोर्ट मंगवा लेता हूं। मंगवाने के बाद ग्रगर स्थिति जैसा ग्राप फरमा रहे हैं वैसी होगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार करके कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया। श्री रामगोपाल, पीपल्दा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान राजकीय चिकित्सालय इटावा में व्याप्त ग्रव्यवस्थाग्रों के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। राजकीय चिकित्सालय इटावा जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सालय है, इस चिकित्सालय में

(श्री रामगोपाल बैरवा)

रोगी वाहन एम्बुलेंस के चालू नहीं होने और अधिकांश समय खराब होने के कारण जिन सीरियस पेशेंट्स को कोटा के लिये रैफर किया जाता है उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। इसी तरह से जो एक्स–रे की मशीन चालू की गयी है यह एक्सरे मशीन भी पचास प्रतिशत खराब ही रहती है, आधे दिन तो खराब रहती है। इसका कारण क्या है यह समझ में नहीं आता। इसी तरह से डाक्टर हैं, पांच डाक्टर नियुक्त होने के बाद भी ज्यादातर दो डाक्टर ही उस हास्पिटल में रहते हैं। दो डाक्टर जब आते हैं दूसरे दो डाक्टर चले जाते हैं। इस तरह एक पारी सिस्टम डाक्टरों में बना हुआ है। सभी डाक्टरों ने अपना प्राइवेट निजी क्लिनिक चला रखा है। हास्पिटल के समय में भी बीच-बीच में जाकर प्राइवेट क्लिनिकों पर पेशेंट्स को देखते हैं और अधिकांश जो पेशेंट हैं उनसे यह बात कहते हैं कि आप हमारी प्राइवेट क्लिनिक पर चलिये।

तो, इस तरह एम्बुलेंस से सम्बन्धित अव्यवस्था है, एक्स–रे मशीन से सम्बन्धित अव्यवस्था है और डाक्टर वहां नहीं रहते हैं अधिकांश समय। हम तो जब भी वहां पर मालूम करते हैं तो हर डाक्टर का जवाब होता है कि हम सी. एल. पर थे। हमें यह नहीं मालूम होता है कि चिकित्सा विभाग में डाक्टरों को कितनी सी. एल. मिल पाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चिकित्सालय में जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने चिकित्सालय के बारे में कुछ उल्लेख यहां किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कुछ बता रहे थे कि केवल डिप्टी को वहां गये हैं। जॉइंट डायरेक्टर को भेजकर उसकी जांच करा लेंगे। मेरी जानकारी में इटावा में जो एम्बुलेंस है वह ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कुल 476 एम्बुलेंस हैं और 432 एम्बुलेंस अब बिलकुल ठीक काम कर रही हैं। फिर भी कोई कमी होगी तो मैं जोइंट डायरेक्टर को इनके साथ भेजकर जांच करवा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी विराजमान हैं। भरतपुर के आई. टी. आई. के कुछ बच्चों का जीवन, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कारण यह है कि मोटर मैकेनिक की परीक्षा के उनके फार्म डायरेक्टर साहब के निर्देशों के हिसाब से, प्रिंसिपल साहब के निर्देशों के हिसाब से एन. सी. वी. टी. की परीक्षा में बैठने के लिये भरे गये थे। 21 जुलाई को परीक्षा होने वाली है और उन्हें कल इस बात की इत्तला दी गयी कि आप परीक्षा में शामिल नहीं किये गये हैं। आपके फार्म इसलिये रिजेक्ट कर दिये गये हैं कि सरकार एफीलियेशन नहीं ले पाई है नेशनल काउंसिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग से। उनकी टीम भी एग्जामिन कर गयी, निरीक्षण कर गयी और जो कुछ कमियां पूरी करनी थीं वह भी पूरी कर गयी होगी। महज उनके लाईजन की कमी की वजह से उन बच्चों को परीक्षा में बैठने से वंचित

(श्री हरिसिंह)

किया जा रहा है। मंत्री महोदय, आज बच्चे रो रहे थे सुबह आकर, बीसों बच्चे थे। उनका जीवन इस प्रकार से अन्धकार-समय हो रहा है, आप थोड़ी मदद करें। उनको परीक्षा में बैठा दें एन.सी.बी.टी. के अन्दर तो आपके हम बहुत आभारी होंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह राजगढ़ का भी मसला है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : यह जो जानकारी अभी दी गयी है और राजगढ़ की जो बात है, इसकी अभी जानकारी मैं कराता हूं और क्या उपाय किये जा सकते हैं उन उपायों को मैं तुरन्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई उप जिला मुख्यालय स्थित बांदीकुई के सरकारी अस्पताल की इन दिनों हो रही दुर्दशा व बिगड़ती स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में उप जिला क्षेत्र में तहसील बसवा, सिकराय, महुवा विधान सभा क्षेत्र लगभग बारह लाख व्यक्तियों की शल्य चिकित्सा हेतु एकमात्र अस्पताल बांदीकुई सी. एच. सी. है। इस अस्पताल में मात्र चार चिकित्सक वर्तमान में हैं किन्तु शल्य चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ व चेस्ट स्पेशलिस्ट, डेन्टिस्ट आदि के न होने की वजह से छोटे-छोटे मामले में लोगों को उपचार के लिए जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल आना पड़ता है और बहुत भारी खर्चा उठाना पड़ता है क्योंकि सारे मरीजों को जयपुर रैफर कर दिया जाता है जिसमें कई बार घायल व्यक्ति बीच में ही मौत का ग्रास बन जाते हैं। वर्तमान में अस्पताल में रोगी शय्याएं मात्र बीस हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उप खण्ड स्तर पर समस्त राजस्थान में फिफ्टी बैडेड हास्पिटल में जूनियर स्पेशलिस्ट होने का मापदण्ड है, किन्तु बांदीकुई उपखण्ड ही एक ऐसा है जहां पर कि अभी तक निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हो पायी है। मेरा निवेदन है कि फिफ्टी बैडेड हास्पिटल और जो पांच स्पेशलिस्ट, जूनियर स्पेशलिस्ट मिलते हैं इससे बांदीकुई अस्पताल को सुसज्जित किया जाए। इससे जो इसके आस-पास के क्षेत्र हैं वे भी निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सब डिविजन स्तर पर एक हास्पिटल का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरी महुआ तहसील भी इसमें सम्मिलित है।

श्री उपाध्यक्ष : नाम नहीं था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इनकी भावना के साथ से भी अपनी भावना बताते हुए .

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनी आपने ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : सिकराय भी इस उपखण्ड से प्रभावित होता है। गम्भीर मामले हैं वे जयपुर तक रैफर कर देते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि पचास बैड करने की घोषणा करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, गत चार वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में जितना योजनाबद्ध विकास इस समय में हुआ है पहले नहीं हुआ। हमने पहले कहा था कि पूरे राजस्थान के अन्दर कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं बचेगी जहां चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की कोई न कोई इकाई आयुर्वेद या होम्योपैथी की स्थापित नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, वे मापदण्ड हमने पूरे कर लिये हैं। फिर सरकार ने यह फैसला किया था कि 20,000 की जनसंख्या पर दुर्गम क्षेत्र में और 30,000 की जनसंख्या में जो सामान्य क्षेत्र हैं उसमें प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। सरकार ने वह लक्ष्य भी पूरा कर लिया। उसके पश्चात् प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक रैफरल चिकित्सालय होगा, यह लक्ष्य भी हमने पूरा कर लिया। निश्चित तौर पर माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया था कि जितने भी उप खण्ड हैं उन समस्त उप खण्डों में हम चरणबद्ध तरीके से 50 बैडेड सैटेलाइट हास्पिटल स्थापित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, संसाधन सीमित हैं, परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने फैसला ले लिया, बजट के अन्दर हमारे प्रावधान भी हैं और इसी बजट के अन्दर हमने यह रखा है कि राज्य के अन्दर बचे हुए जो 8 स्थान हैं उन आठों स्थानों पर जिसमें बांदीकुई भी शामिल है, हम 50 शय्या युक्त सैटेलाइट हास्पिटल स्थापित करेंगे। आवश्यक पदों के सृजन का काम भी करेंगे। नीति का काम था, पूरे नीतिगत तरीके से विकास राजस्थान में होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से लगातार इस विषय को उठा रहा था। हमारे हिंडौन सब डिवीजन के अन्दर बहुत बड़ी तबाही हुई है वर्षा के कारण जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम भी आता है। चारों तरफ पानी पानी हो गया। अनाज भी भीग गया, उसके अन्दर चारा भी भीग गया। यह हालत हो रही है। वहां जाकर किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की है....

श्री उपाध्यक्ष : नाम आ चुके हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रशासन भी वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा, प्रशासन ने जाकर देखा नहीं। क्षेत्र के अन्दर हालत बड़ी खराब हो रही है। माननीय सहायता मंत्रीजी यहां विराजमान हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) कृपया विराजें, माननीय सदस्य। एक मिनट मैं व्यवस्था दे दूं। बैठिये-बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मिनट जवाब तो दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं ? बोलिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हम काफी डूब गये, साहब। हमारे यहां पानी फैल रहा है, सड़कें टूट गयीं, बाढ़ की बड़ी भारी परेशानी खड़ी हो गयी है और मंत्रीजी जा ही नहीं आए हैं वहां पर....।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये। बोल रहे हैं वे।

श्री सांवर लाल : आपके यहां तो लोग बाढ़ चाहते हैं। अभी गया मैं भरतपुर तब यही कहा कि हमारे तो बाढ़ लाओ किसी भी तरह से।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप बाढ़ लेकर गये थे क्या ?

श्री सांवर लाल : आपने ही मांग की थी वहां।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अगर आप भरतपुर जिले का पानी रोकना चाहेंगे, हरगिज नहीं रोकने देंगे, मंत्री महोदय।

श्री सांवर लाल : आपने ही कहा था।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : भरतपुर में बाढ़ का नियंत्रण करियेगा आप। सड़क टूट गयीं उनको बनवाइये आप। लोग बह गये उनको पैसा दीजिये आप। किसानों को जो दिक्कत हुई है उसका मुआवजा दीजिये आप, श्रीमान्।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : भरतपुर के साथ तो वैसे भी सौतेला व्यवहार होता है।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, विगत दिनों मानसून प्रभावी हुआ है। कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा हुई है उससे कुछ सड़कें भी टूटी है। कुछ जगह तालाब को तोड़कर गांव वालों ने गांव को बचाने का प्रयास किया जहां तक हिंडौन की स्थिति है, पांचना बांध की जो बात है, पांचना बांध सुरक्षित है। अभी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हमने निर्देश दे दिया कि किसी भी स्थिति में अगर हैवी रेन भी हो तो भी बांध सुरक्षित रहे इसकी समुचित व्यवस्था आप कर लें।

दूसरी बात, हमारा विभाग है प्रशासनिक विभाग। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि बाढ़ के सम्बन्ध में तत्काल सहायता और रिलीफ लोगों को मिले इसकी व्यवस्था इस सरकार में माननीय भैरोंसिंहजी के राज में ही हमने शुरू की है। हम मई और जून के प्रथम सप्ताह में ही मीटिंग कर लेते है और सम्बन्धित जो कार्यकारी विभाग हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जिला कलेक्टर्स, पी. एच. ई. डी. मेडिकल, वेटरिनरी डिपार्टमेंट, सभी विभागों को राशि एडवांस में ही हम उपलब्ध करवा देते हैं और यह निर्देश देते हैं कि कभी भी अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति हो तो तत्काल रेस्टोरेशन का वर्क चाहे वह तालाब

(श्री सांवर लाल)

का हो, एनीकट का हो, सड़कों का हो कर दिया जाए जिससे अव्यवस्था नहीं फैले, ट्राफिक जाम नहीं हो, इसके लिये और पैसे की जरूरत हो तो उस फण्ड में हमसे मांग लें, तत्काल हम और उपलब्ध करवा देंगे। इसी प्रकार मेडिकल डिपार्टमेंट को भी दे देते हैं किसी प्रकार की बीमारी वगैरह फैलने की स्थिति में। जो पैसा हम देते हैं उसके अलावा और भी आवश्यकता है ऐसी ईमरजेंसी में तो हम उपलब्ध करवाने के लिये तैयार हैं। इसी प्रकार पशुओं के लिये भी हम पैसा देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इमीजिएट रैस्टोरेशन, लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिये सरकार ने ऐहतियात के तौर पर कदम उठा रखे हैं, सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश दे रखे हैं। आपके यहां पर आज तो इतनी स्थिति नहीं, कल या परसों में थोड़ी स्थिति बिगड़ गयी थी। जिला प्रशासन को हमने निर्देश दे दिये हैं जो कोई भी आवश्यकता हो, चाहे शिविर लगाने की आवश्यकता हो, मेडिकल की आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, वह उपलब्ध करवाएं। अगर इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती जाएगी, निश्चित रूप से मैं आपके अनुसार कार्यवाही करूंगा। वैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल आपको बुलाकर जिला कलक्टर से बात भी करवा दी थी, और भी कोई स्थिति हो तो आप मुझे बताना, मैं आपकी पूरी पालना करवाऊंगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पांचना बांध की जो स्थिति बनी है, 3/4 हिस्सा मेरे कमांड एरिया में है पांचना बांध का और 1/4 हिस्सा नादोती और हिंडौन क्षेत्र में है। मेरे गंगापुर क्षेत्र की 16 हजार एकड़ जमीन की पिलाई होती है। सन् 1996 में....

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी ...

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, चर्चा नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सन् 1996 में यह पांचना बांध टूटा था....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य... (व्यवधान) आप बैठ जाएं। विराज जाएं...(व्यवधान) विराज जाएं... (व्यवधान) आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। विराज जाएं। बैठ जाएं। कृपया बैठिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यही तो हमारी दुविधा है। उपाध्यक्ष महोदय, 1996 में यह ओवरडैम तोड़ा....(व्यवधान) अब 21 साल हो गए हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठ जाइये। 21 साल में आप भी शामिल हैं। अब विराज जाएं। बैठिये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि (व्यवधान) सुनिये, माननीय सदस्य। विराजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री हरिशंकर भामड़ा, वित्त मंत्री, वित्त विभाग की 43 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

(वित्त विभाग)

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

1. अधिसूचना संख्या एफ.(14) वित्त/कर-अनु/97/16 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा विभिन्न माल पर देय बिक्री कर की दर को सुसंगत किया गया;

2. अधिसूचना संख्या एफ.4 (14) वित्त/कर–अनु/98/17 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा कतिपय माल के विक्रय या क्रय को कर से छूट दी गयी है;

3. अधिसूचना संख्या एफ.4 (14) वित्त/कर–अनु/98–18 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं पर दिनांक 31. 3. 99 तक कर में छूट प्रदान की गयी है;

4. अधिसूचना संख्या एफ. 4(14) वित्त/कर–अनु/98–19 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा टिन प्लेट के विक्रय या क्रय पर एक प्रतिशत कर की छूट प्रदान की गयी है;

5. अधिसूचना संख्या एफ.4 (14) वित्त/कर–अनु/98–20 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 4 (8) एफ. डी./ग्रुप-4/98 दिनांक 7. 4. 98 में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर–अनु/98–21 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(8) एफ.डी./टैक्स/डिवी/98 दिनांक 7. 4. 98 में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर–अनु/98–22 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा ग्रे क्लाथ के विक्रय को 9. 7. 98 से 31. 3. 99 तक कर में छूट प्रदान की गयी है;

8. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर–अनु/98–23 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा आर. ई जी. लाइसेंस स्कीम स्क्रीप के विक्रय या क्रय को भूतलक्षी प्रभाव से 8. 7. 98 तक कर से छूट प्रदान की गयी है;

9. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर–अनु/98–24 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा स्टेनलैस स्टील के कच्चे माल के विक्रय पर 1% की कर में छूट प्रदान की गयी है;

10. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर–अनु/98–25 दिनांक 9. 7. 98 जिसके द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त सूत की नयी निर्माण इकाई को विक्रय या उसके क्रय को कतिपय शर्तों के साथ कर में छूट दी गयी है;

11. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14)

(80)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

वित्त/कर-अनु/98-26 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा एल्यूमिनियम फाइलों के कारोबार करने वाले व्यवहारी द्वारा किये जाने वाले अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किये गये विक्रय कर देय कर की गणना एक प्रतिशत दर से संगणित की जावेगी;

12 अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-27 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा स्टेनलैस स्टील, फ्लेट्स, इन्गोट्स और बिलेट्स के विक्रय पर कतिपय शर्तों के साथ कर में छूट दी गयी है;

13. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-28 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (1) एफ.डी./ग्रुप-4/95-54 दिनांक 27.3.95 (समय समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-29 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ.डी./टैक्स डिवी/95-40 दिनांक 15.3.98 में संशोधन किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-30 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) एफ.डी./ग्रुप-4/94-49 दिनांक 7.3.94 (समय समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

16. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-31 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा सभी प्रकार के मुद्रित कार्डों के विक्रय या क्रय को कतिपय शर्तों के साथ कर में छूट प्रदान की गयी है;

17. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-32 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा ग्वार की परिष्कृत दाल के विक्रय को कतिपय शर्तों के साथ कर में छूट दी गयी है;

18. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-33 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा स्टोन स्लरी या फ्लाई एश पर आधारित किसी औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में विनिर्मित उत्पादकों के विक्रय को कर से छूट प्रदान की गई है;

19. अधिसूचना संख्या एफ 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-34 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किए पुराने टाट के विक्रय को कर में छूट प्रदान की गई है;

20. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-35 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा मेहन्दी के अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में कारोबार के किसी ऐसे स्थान से उसके द्वारा किये गये माल के विक्रय को कर से छूट प्रदान की गई है;

21. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/98-36 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार या उसके किसी विभाग को उनके उपयोग के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को छोड़कर किसी भी माल के विक्रय पर कर दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है;

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

22. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर–अनु/98–37 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी भारत सरकार या उसके किसी विभाग को कोलतार, पैट्रोल, डीजल, उपसन्देहक सभी प्रकार की भवन निर्माण की सामग्रियां और औषधियों के अलावा किसी भी माल के विक्रय पर कर की दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गयी है;

23. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर–अनु/98–38 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा एम.एम टी.सी. या भारतीय स्टेट बैंक या रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के किसी अन्य प्राधिकृत बैंक द्वारा किये जाने वाले बुलियन के विक्रय पर कर की दर 0.5 प्रतिशत निर्धारित की गयी है;

24. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) वित्त/कर-अनु/96–39 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 में संशोधन किये गये है;

25. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (78) वित्त/कर-डिवी/96–40 अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) एफ. डी /टैक्स डिवी/98-41 दिनांक 9.7 98 जिसके द्वारा ऑटो इकाई के विनिर्माण में आने वाले कच्चे माल के क्रय को कतिपय शर्तों के अधीन कर मुक्ति सुविधा प्रदान की गयी है;

26. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (74) वित्त/कर-अनु/95–42 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 में संशोधन किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (74) वित्त/ग्रुप–4/95–43, 44 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं के आयात को कर में छूट प्रदान की गयी है;

28. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (74) एफ.डी./ग्रुप–4/95–45 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा हाई लाइट स्पीट, डीजल आयल, पैट्रोल और विमानन स्प्रिट अधिसूचित माल के रूप में अधिसूचित को गयी है;

29. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (74) एफ.डी/ग्रुप–4/95–46 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा कर मुक्त माल से भिन्न सभी माल को विक्रय कर नियम के नियम 53 के उप नियम (1) के खण्ड (खे) के उपखण्ड (1) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित माल के रूप में अधिसूचित किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) एफ. डी/टैक्स डिवी/98–47 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा नयी 50 प्रतिशत या अधिक निर्यातोन्मुखी नयी इकाई को मशीन क्रय हेतु 5 वर्ष तक की कालावधि तक कर में छूट प्रदान की गयी है;

31. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) एफ.डी/टैक्स डिवी/98-48 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा सीतापुरा, जयपुर के प्राइवेट सैक्टर के बीच सह उद्यम परियोजना, इन्टर–नेशनल काम्पलेक्स रूम कन्वेन्सन सेंटर के खुलने की तारीख से 15 वर्ष की कालावधि के लिये उसके द्वारा चलाये जाने वाले मनोरंजन शो पर मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) एफ.डी/टैक्स डिवी/98-49 दिनांक 9.7.98

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जिसके द्वारा बुनकरों द्वारा हथकरघा के उप साधनों के विक्रय या क्रय को तुरन्त प्रभाव से कर से छूट प्रदान की गयी है;

33. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) एफ.डी./टैक्स डिवी/98-50 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा 10 रुपये तक के प्रवेश टिकिट पर मनोरंजन कर 100 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत किया गया है;

34. अधिसूचना संख्या एफ 11 (2) एफ.डी./टैक्स डिवी/98-51 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा 3.3.82 से औद्योगिक उपभोक्ताओं के ऊपर विद्युत शुल्क पर प्रोदभूत ब्याज की रकम को इस शर्त पर छूट प्रदान की गयी है कि विद्युत शुल्क की मूल रकम उपभोक्ताओं द्वारा अगस्त, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक 8 मासिक किस्तों में संदत्त की जाए;

35. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) एफ.डी./टैक्स डिवी/98-52 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के प्रकरणों पर मुद्रांक शुल्क बाजार मूल्य का एक प्रतिशत या दस हजार रुपये जो भी कम हो निर्धारित किया गया है;

36. अधिसूचना संख्या एफ. 1 (11) एफ.डी./टैक्स डिवी/97-53 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 1 (11) एफ.डी./टैक्स डिवी/97 दिनांक 21.3.98 द्वारा यथा संशोधित इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2 (8) एफ.डी./टैक्स डिवी/96 दिनांक 14.3.97 में संशोधन किये गये है;

37. अधिसूचना संख्या एफ 9 (4) एफ.डी./टैक्स डिवी/98-54 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं;

38. अधिसूचना संख्या एफ. 2 (10) एफ.डी./टैक्स/98-53 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क दस प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत 16 जुलाई, 1998 से 15 अक्टूबर, 1998 तक किया गया है;

39. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (14) एफ.डी./टैक्स डिवी/98-56 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा वर्ष 1998-99 तक की बकाया कर राशि दिनांक 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 1998 तक जमा कराये जाने पर निर्धारितियों को बकाया कर राशि 3 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट दी गयी है;

40. अधिसूचना संख्या एफ. 1 (11) एफ.डी./टैक्स डिवी/97-57 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को रुग्णता की कालावधि के दौरान भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गयी है, एवं

41. अधिसूचना संख्या एफ. 8 (14) एफ.डी./टैक्स डिवी/95-58 दिनांक 9.7.98 जिसके द्वारा राजस्थान भूमि एवं भवन कर नियम, 1965 में संशोधन किये गये है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया, शिक्षा मंत्री अनुदान की मांग संख्या

(श्री उपाध्यक्ष)

24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,43,76,77,000/- (अट्ठाईस अरब तियालीस करोड़ छिहत्तर लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये माननीय सदस्य, यह जो परची सिस्टम है यह मेरे पास 11 बजे तक आ जाती है मैं उनको बुलवा देता हूं । 11 बजे बाद नहीं आती है ।

श्रीमती कमला । श्री शिवकिशोर सनाढ्य....(व्यवधान) मैं दे दूंगा । मैं समय दे दूंगा आपको कल ।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

1. बेरोजगार युवकों को साक्षरता अभियान के काम में लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण किसान (फुलेरा)

2. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बधाल में सीनियर सैकण्डरी स्कूल निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने के बाद भी क्रमोन्नत नहीं करने से जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल)

3 भीलवाड़ा जिले के ग्राम पारोली के ग्राम बेमाली के माध्यमिक विद्यालय को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

4. भीलवाड़ा जिले में नवक्रमोन्नत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमरों की कमी को दूर करने हेतु वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

5. भीलवाड़ा जिले की राजकीय सीनियर माध्यमिक स्कूल करेड़ा में अध्यापकों की कमी एवं विशेषकर ऐच्छिक विषयों के अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

6. भीलवाड़ा जिले के ग्राम मेजा एवं बावलास तथा चावडिया में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

7. ग्राम छाजुओं का खेड़ा जिला भीलवाड़ा की संस्कृत उच्च प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

8. चूरू जिले के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त स्थानों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(८५)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

9. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में (1) रोपा (2) पारोली (3) खजूरी लुहारी कलां में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

10. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में ग्राम न्योराना के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. ग्राम बोपिया तहसील नीमकाथाना में संस्कृत विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (बैराठ)

12. शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की कमी तथा महिला शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)

13. अलवर निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं कमरों की कमी के कारण छात्रों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)

14. ग्राम जीनवास पंचायत समिति दांतारामगढ़–सीकर की प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. ग्राम लोमियां, कांकरां, डांसरोली, अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ सीकर उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. उच्च प्राथमिक शाला मोहनपुरा पंचायत समिति दांतारामगढ़ में अध्यापकों के पांच पद समाप्त करने एवं जिले की अनेक शालाओं से अध्यापकों के पद समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. पंचायत मुख्यालय लदान पंचायत समिति जीवराली चैनपुरा, गोलासरी पंचायत समिति दांतारामगढ़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण छात्र व छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. शंकर जालूका (कपासन)

19. ग्राम भैंरूपाल्या खेड़ा तहसील मदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के विद्यालय भवन को उपयुक्त स्थान पर नहीं बनाये जाने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

20. शिक्षा के गिरते स्तर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर)

23. ग्रीमण क्षेत्र में शालाओं में समय पर अध्यापकों के नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

24. नव क्रमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों के नये पद सीमित रखने एवं पंचायतों के शिक्षकों के हट जाने से छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. जोधपुर जिले के शहरी विद्यालयों में छात्रों की संख्या नहीं होते हुये भी अध्यापकों की पूरी संख्या होने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पद खाली होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में रिक्त पदों को भरने एवं डी.पी.एड. पाठ्यक्रम बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

27. शिक्षा प्रणाली में बार बार परिवर्तन से विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

28. जोधपुर शहर एवं जिले में वर्तमान सत्र में छात्रों की फीस में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

29. राजसमंद जिले के सैकण्डरी स्कूल घोईन्दा, बनेड़िया, राज्यावास एवं मोही को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. राजसमंद जिले में अनिवार्य शिक्षा लागू कराने की घोषणा के दो वर्ष बाद भी, वास्तविक अध्ययन कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

31. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. पंचायत मुख्यालय सुलाईसर में उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाजूवाला में विज्ञान व वाणिज्य विषयों के अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. कस्बा लूणकरणसर में कॉलेज स्तर की शिक्षा की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. बीकानेर पंचायत समिति के पंचायत मुख्यालयों की क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)

36. ग्राम पंचायत स्तर पर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. राज्य में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये नई भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

38. धोद विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. जिला सीकर की बीबीपुर बड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक शाला में अध्यापकों के स्वीकृत पद होते हुये भी पद स्थापन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. राजस्थान विश्वविद्यालय एवं अजमेर विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्य एवं आर्थिक मामलों में अनियमितताओं की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. पांचवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों का वेतन स्थिरीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

42. बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल मांगरोल में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. राजकीय प्राथमिक विद्यालय ोण, लक्ष्मीपुरा, सीनोता को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागली, बावड़ी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

45. राज्य में विश्वविद्यालयों के गिरते स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. राज्य में पोलीटेक्निक शिक्षा की अध्ययन पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

47. पाली शहर में कन्या छात्रावास के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. सोजत सिटी में महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने में राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. बांगड़ म्यूजियम, पाली के विकास एवं सुचारू व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. बांगड़ कालेज पाली में स्नातकोत्तर कक्षाओं में एम. ए., एम. एस. सी. चित्रकला, भूगोल, हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास

(श्री भीमराज भाटी)

कम्प्यूटर, गणित विषय खोलने बाबत एवं कला एवं वाणिज्य संकाय की सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

52. उच्च माध्यमिक विद्यालय राशमी (चित्तौड़गढ़) में अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान एवं गणित व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. माध्यमिक विद्यालय बूढ़ एवं रूढ़ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

54. खण्डेला कस्बे में छात्रों का कालेज नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बसंसी में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आमावास में छात्राओं की प्राथमिक स्कूल को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम होद में माध्यमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुरारा में माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन)

59. प्रदेश में संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं के अपर्याप्त प्रचार-प्रसार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

60. बूंदी चित्र शैली प्राचीन कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण धरोहर को बचाने एवं पर्याप्त प्रचार के अभाव में इसके नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

61. केशवरायपाटन (बूंदी) क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62. केशवरायपाटन क्षेत्र के विद्यालयों में वांछित विषय एवं पर्याप्त स्टाफ न होने से छात्रों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिए।

63. केशवरायपाटन (बूंदी) विधान सभा ग्रामीण क्षेत्र में एक भी सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालय न होने की स्थिति में छात्रों, छात्राओं एवं जनता के हित में आलोजी का बराना विद्यालय को क्रमोन्नत कर सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

64. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

(88)

(श्री हरजीराम बुरडक)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. शिक्षा कर्मी योजना में नागौर जिले की पंचायत समिति लाडनूं और डीडवाना का चयन कर लिये जाने पर भी कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

66. आई.टी.आई. जसवन्तगढ़ जिला नागौर में दानदाता द्वारा राशि जमा कराने के उपरान्त भी निर्धारित संख्या में स्टाफ नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत चलायी जाने वाली योजना में नागौर जिले में फर्जी आंकड़े तैयार करके राशि का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68. विभाग में जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के लिये प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शम्भूदयाल बडगूजर (केकड़ी)

69. टोंक में सुनहरी कोठी को अधिग्रहण करने के उपरान्त भी मरम्मत नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

70. प्राथमिक विद्यालय (संस्कृत) मानसेरा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. राज्य के स्कूलों में विभिन्न स्तर के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. माध्यमिक बालिका स्कूल, फागी को क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

73. राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन में विज्ञान संकाय आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए।

74. कस्बा के सुरोठ विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में महिला माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के रा. उ. प्रा. विद्यालय छदावली, चुरारी, गांवडी तथा रीठौली को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के गिरते हुए स्तर को न रोकने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

77. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम हेलक के अत्यधिक पुराने उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर के विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को उनका

(श्री हरिसिंह)

पूरा वेतन नहीं दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए ।

79. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं देखरेख हेतु अत्यधिक वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

80. प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)

81. लोक जुम्बिश योजना अप्रासंगिक होने से उस पर व्यय की जाने वाली धन राशि के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

82. थानागाजी में कालेज खोले जाने की महती आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना)

83 सिवाना क्षेत्र की शालाओं में शिक्षकों के अभाव के कारण छात्रों के अध्ययन में पिछड़ेपन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

84. सीणधरी उच्च माध्यमिक शाला में वाणिज्य विषय के व्याख्याता नहीं होने से छात्रों के पलायन के फलस्वरूप विषय बंद होने के कगार पर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

85. सिवाना माध्यमिक शाला में वाणिज्य विषय का एक भी व्याख्याता नहीं है उन रिक्त स्थानों पर व्याख्याता लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

86. सिवाना उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, भौतिक विज्ञान के एक-एक रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

87. गांव फूलन पंचायत समिति सिवाना जिला–बाड़मेर की प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)

88. राजकीय कालेज धौलपुर में आधारभूत सुविधाएं नहीं होने यथा स्टेडियम, होस्टल, मीटिंग हॉल, पुस्तकालय एवं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय नहीं होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

89. संस्कृत पाठशाला के धौलपुर भवन पर किये जा रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

90. धौलपुर जिले के स्कूलों में पदस्थापित अध्यापकों द्वारा अपनाई जा रही ट्यूशन प्रवृत्ति से विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव पर चर्चा के लिये ।

91. राज्य सरकार द्वारा खोले जा रहे विभिन्न स्तर के विद्यालयों में धौलपुर जिले की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

92. सरकारी स्कूलों में गिरते शिक्षा स्तर के कारण प्राइवेट स्कूलों की ओर रुझान व गरीब विद्यार्थियों के अभिभावकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

93. श्री वर्द्धमान कन्या महाविद्यालय ब्यावर को अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को शिक्षा सेवा में लेने पर चर्चा के लिये।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़)

95. राजकीय माध्यमिक विद्यालय बकलसी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुढ़ा (राणाजी का) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

96. नीमकाथाना में महिला कालेज की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. कोटड़ा सैकेण्ड्री स्कूल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. ग्राम पंचायत टोडा-गणेश्वर में महिला विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

99. ग्राम सिरपोई (झालावाड़) में संस्कृत प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. राजकीय प्राथमिक विद्यालय परासली व आजमपुर (झालावाड़) को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनेल (झालावाड़) में 6 विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त स्थान भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. पंचायत समिति मुख्यालय सुनेल (झालावाड़) के कन्या सैकेण्ड्री स्कूल को कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल में एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दीवलखेड़ा (झालावाड़) को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)

103. राज्य में कला एवं सांस्कृतिक धरोहर को बचाये रखने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. शिक्षकों के नीति विरुद्ध स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (राजसमंद)

105. राजसमन्द जिले में पंचायत

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

मुख्यालय, पीपली, आचार्यान, बैठुकी एवं माटोली में संस्कृत प्राथमिक शालाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) एवं **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा)

106. स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रमो में स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित सामग्री सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. राज्य के महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. झुंझुनूं जिले में महिला कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

109. झुन्झुनूं जिले में अनिवार्य शिक्षा योजना को दृष्टि में रखकर पर्याप्त स्कूल खोले जाने व अध्यापक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. भारतीय संस्कृति की मौलिकता बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा)

112. अनौपचारिक शिक्षा, सम्पूर्ण साक्षरता तथा अन्य इसी प्रकार के चलाये जा रहे कार्यक्रमों की सफलता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. स्कूली शिक्षा में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों के शिक्षा स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

114. राज्य की निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिये जाने एवं जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है उनके अनुदान में भी कमी करने के फलस्वरूप शिक्षकों तथा कर्मचारियों को वेतन भत्ते नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. निजी शिक्षण संस्थाओं के लिये बनाये गये एक्ट की कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. राज्य की सभी अकादमियों के सचिवों की नियुक्ति तथा कर्मचारियों को एक-सा वेतनमान तथा पेन्शन-ग्रेच्युटी न दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

117. राजस्थान का संगीत नृत्य कला, चित्रकला, देवालय संस्कृति की परम्पराओं को जीवित रखने के लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. शिक्षा विभाग द्वारा संगीत, उद्योग, ड्राइंग तथा शारीरिक शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान के बच्चों के भविष्य पर पड़ रहे

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

119. टोडाभीम तहसील एवं नादौती तहसील में कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

120. मिडल स्कूल से सैकण्डरी स्कूल एवं सैकण्डरी स्कूल से सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की नीति में अपनाये जा रहे मापदण्डों में समानता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

121. राज्य के स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

122. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुराने व जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत हेतु बजट राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

123. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में फतहपोल स्कूल उच्च माध्यमिक को महिला महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

124. निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद के गांव तिहारी, कानपुरा, न्यारा, झडवासा, बिडक्यावास, भवानीखेड़ा, बीर, माखूपुरा आदि गांवों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

125. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में गांव बड़ल्या, डोडियाना, नारेली, समोद, दिलवाड़ा, देराठू, नावसर, [illegible], गोला, लामाना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

126. राजस्थान संस्कृति पर बढ़ते विदेशी प्रभाव को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

127. राजस्थान प्रदेश की लोक कलाओं में आदिवासी मूल के कलाकारों की जगह शहरी पेशेवर व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

128. नसीराबाद नगर व ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में अध्यापकगण के प्रतिदिन अजमेर, ब्यावर आदि शहरों से आवा-जाही से छात्रों की पढ़ाई में उत्पन्न बाधा की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)

129. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के विभिन्न स्तर के विद्यालयों की क्रमोन्नति एवं स्कूलों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति एवं जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कमल (हिण्डौन)

130. हिण्डौन शहर में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

131. ग्राम वेरावीलपुर ग्राम पंचायत पालडी एवं पंचायत समिति शिवगंज में प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

132. तहसील सिरोही ग्राम ऊड के उच्च प्राथमिक विद्यालय को सैकेण्ड्री विद्यालय में क्रमोन्नत करने, साथ ही जावाल सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में व्याख्याताओं के लम्बे समय से रिक्त चार पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

133. तहसील शिवगंज ग्राम उथमण के उच्च प्राथमिक विद्यालय को सैकेण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

134. ग्राम मांडवा, पंचायत गोल, पंचायत समिति सिरोही में प्राथमिक विद्यालय की क्रमोन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

135. सिरोही नगर मुख्यालय के उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय में चलाये जा रहे वोकेशनल प्रोग्राम को निरन्तर चालू रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर)

136. जालौर जिले में शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ेपन को दूर करने हेतु पंचायत समिति आहोर की प्राथमिक शालाएं सांडन, जोड़ा, कोटडा, मालगढ़, छीपरवाड़ा मीठडी को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

137. जालौर जिले में शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु आहोर पंचायत समिति में स्थित उच्च प्राथमिक शालाएें मोरड़ा, बाला को माध्यमिक शाला एवं माध्यमिक शाला माद्राजून एवं भवरानी को उच्च माध्यमिक शालाओं के रूप में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

138. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

139. प्राथमिक विद्यालय परेड़ा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

140. उच्च प्राथमिक विद्यालय सागवाड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)

141. पंचायत समिति निवाई के मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

142. ग्राम बड्ड, नटवाड़ा, चतुर्भुजपुरा सीदडा व देवली पंचायत समिति निवाई जिला टोंक में माध्यमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

143. सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में डिग्री कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

144. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खण्डीय एव राजकीय माध्यमिक विद्यालय तलावडा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय सलेमपुर के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय वजीरपुर में विज्ञान विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मच्छीपुरा, रायपुर, कुसाया व नोगावों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय अलीगंज, मुस्लिम बाहुल्य ग्राम में उर्दू के अध्यापक की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

149. प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. लालसोट तहसील के रामानुजम संस्कृत विद्यालय की अनुदान राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. लालसोट तहसील के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. पंचायत समिति लालसोट में विद्यालयों को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. पंचायत समिति मुख्यालय लालसोट पर महाविद्यालय खोलकर ग्रामीण छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)

154. सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. महिला शिक्षा की उपेक्षा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. सांगानेर तहसील के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की आज डिमाण्ड है उस पर अपने विचार आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो सोच है, जो नीति है उसका आधार आजादी के पहले 1854 में वुड्स डिस्पैच, 1883 में हण्टर कमीशन, लार्ड कर्जन के 1904 में विश्वविद्यालय की शिक्षा पर नीतिगत निर्णय है। आजादी के एक साल पहले विश्वविद्यालय आयोग गठित हो गया था जिसे डाक्टर राधाकृष्णन् आयोग कहा गया और उसके बाद 1953, 1964, 1968, 1986 तक कई आयोग तथा समितियां बनी। पर राजनैतिक शिक्षा के अभाव में उन आयोगों का लाभ इस देश के बच्चों को प्राप्त नहीं हो सका। इसमें राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है। यहीं लगता है। क्योंकि प्रत्येक आयोग ने भारत सरकार;से यह अपील की कि शिक्षा के ऊपर सम्पूर्ण बजट का जो 2 परसेंट आप खर्च कर रहे हैं इसे कम से कम 10 परसेंन्ट तक बढ़ाया जाए। 6 परसेंट के लिये प्रत्येक आयोग ने कहा और सारे देश के शिक्षक संगठन कहते रहे कि केन्द्र सरकार अपने अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करे और राज्य अपने बजट का 30 प्रतिशत कम से कम शिक्षा पर खर्च करें ताकि गुलामी के दिनों में इस देश का जो शैक्षणिक स्तर कम हुआ उसे हम पूरा कर सकें और जिस गुलामी की मानसिकता से यह देश ग्रसित है, वह मानसिकता हमारी समाप्त हो। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में नहीं हुआ। हालांकि राजनीतिक इच्छा शक्ति इन्दिरा गांधी की थी, उन्होंने एशियाड करा दिये, करोड़ों रुपये उस पर खर्च हुए। एक इच्छा शक्ति थी कि हम यह करें तो उन्होंने करा दिया। केन्द्र में और राज्यों में जो सरकारें रही वे भी कांग्रेस की ही सरकारें थी। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें ही चलती रही लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इन आयोगों के द्वारा जो रिकमंडेशंस की गयी उन रिकमंडेशंस के आधार पर कभी भी यह खर्चा नहीं बढ़ाया गया। 1986 में जो रिकमंडेशंस हुई उनकी क्रियान्विति भी ठीक तरीके से नहीं की गयी। अगर की गयी होती तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कालेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा में बहुत उन्नति होती। ये केवल अधिकारियों के निर्देश बनकर रह गये, अधिकारियों के आदेश बनकर रह गये, राज्यों में भी और केन्द्र में भी। शिक्षा का स्तर क्या हो, शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोक व्यवसायीकरण कैसे हो, साक्षरता कैसे फैलायी जाए, स्त्री को कैसे बलवान बनाया जाए, समानता की शिक्षा कैसे दी जाए, इन सब नीतियों पर राज्य के अधिकारी हावी हो गये और केवल निर्देश होकर निकल गये। हम वहीं खड़े हुए हैं जहां 15 अगस्त, 1947 के पहले थे।

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर 1994 के बाद से आज तक जो उपलब्धियां शिक्षा के क्षेत्र में रही है वे उल्लेखनीय उपलब्धियां है। शासन तो राजस्थान में लम्बे समय तक कांग्रेस का रहा लेकिन आज उपलब्धियों की दृष्टि से अगर देखें तो जो यश आज के शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ है। गुलाब चन्द कटारिया को प्राप्त हुआ है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धियां इस राज्य में प्राप्त की हैं। शिक्षा के बजट में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, कहां से कहां शिक्षा का बजट पहुंच गया। इसके

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लिए राज्य के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सभी धन्यवाद के पात्र है कि जो उपेक्षित थी शिक्षा, उस उपेक्षित शिक्षा की तरफ इन लोगों ने ध्यान दिया। इनके ध्यान देने के कारण बजट में इतनी वृद्धि हो सकी।

जब प्लानिंग कमीशन में वी.के.आर. वी. राव होते थे तब हम शिक्षक संगठनों की ओर से उनके पास गये। हमने कहा कि शिक्षा की यह दुर्गति है, शिक्षा उपेक्षित है। शिक्षक उससे ज्यादा उपेक्षित है और विद्यार्थी उससे भी ज्यादा उपेक्षित है। तो वी.के. आर. वी. राव ने कहा कि मेरे पास कृषि के लिए लोग आते हैं, मेरे पास पानी के लिए लोग आते हैं, मेरे पास सड़क के लिये लोग आते हैं लेकिन शिक्षा के लिये आप लोग पहली बार आये। जब तक इस देश में शिक्षा उन्नतिशील नहीं होगी, यहां का बालक जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक न तो वह उसकी संस्कृति से जुड़ सकेगा, न उसके इतिहास से जुड़ सकेगा, न समाज से जुड़ सकेगा। उसकी सोच व्यक्तिवादी सोच होती चली जाएगी और व्यक्तिवादी जो व्यक्ति होता है उससे देश का कल्याण नहीं हो सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। सब लोग उसकी उपेक्षा करते रहे। लेकिन राजस्थान में 1994 के बाद में जिस तरह का विचार चला तो विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, छात्रों के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। आज अधिक छात्र विद्यालयों में पढ़ रहे हैं।

(12.55 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

बालिका शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। बालिकाएं गांवों में नहीं पढ़ सकती अगर उनको साधन उपलब्ध नहीं हैं। उनको छात्रावासों में रखकर भी उन गांवों की बालिकाओं को पढ़ाया जाए, इसके लिये हमारे जितने भी डिवीजन हैडक्वार्टर हैं उन सब पर छात्रावास बनाये गये, केवल बालिकाओं के लिये क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा बहुत कम थी। सरस्वती योजना चलायी गयी कि एक पढ़ी-लिखी गांव में महिला है वह बैठकर आस-पड़ोस की महिलाओं को ज्ञान दे सकेगी, शिक्षित कर सकेगी। जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जो क्षेत्र थे उनमें शिक्षा की व्यवस्था की गयी। उनके अन्दर बच्चों को ड्रेस दी गयी, किताबें मुफ्त दी गयी और जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ने के लिये प्रोत्साहित किया गया।

जिन सुदूर गांवों के अन्दर शिक्षक जाते नहीं थे, जहां शिक्षक पहुंचता नहीं था वहां का बालक शिक्षा से वंचित था, बच्चियां शिक्षा से वंचित थी। शिक्षाकर्मी योजना चलाकर वहीं पर जो आदमी उपलब्ध था, चाहे वह पांचवीं पास था, आठवी पास था और बेकार बैठा हुआ था, जिसके मन में कुंठा पैदा हो रही थी कि वह कुछ कर नहीं पा रहा था, शिक्षाकर्मी योजना के माध्यम से उसको प्रशिक्षण दिया गया। उसके अन्दर जो ऊर्जा थी, उसमें जो काम करने की शक्ति थी, प्रशिक्षण के माध्यम से उसे प्रज्वलित किया गया। जिसे तनख्वाह 2–3–4 हजार रुपये मिलती है वह शिक्षक भी वहां नहीं पहुंच पाता था, उस गांव में बैठकर उसने अपने ही लोगों को पढ़ाना शुरू किया, उनकी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

परीक्षाएं लेना शुरू किया। आज जो सर्वे हुआ है, कोई हमारे द्वारा नहीं, बाहर की एजेंसियों के द्वारा सर्वे हुआ है कि वहां जो विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों से भी ज्यादा उसमें काम करने वाले लोगों की निष्ठा के कारण बालकों का शैक्षणिक स्तर बढ़ा है, उनके अन्दर पढ़ने की ललक जागृत हुई है और आगे पढ़ने के लिए उनके रास्ते खुले हैं।

लोक जुम्बिश के माध्यम से भी इस बात की कोशिश की गयी। विद्यालय पहले खुले, मैं यह नहीं कहता कि विद्यालय पहले नहीं खुले। जब नागौर के अन्दर पंडित नेहरू ने सबसे पहले इस देश में पंचायतीराज का श्रीगणेश राजस्थान से किया उस समय जो कल्पना थी उस पंचायती राज की वह यह थी कि गांधी की ग्राम स्वराज्य की कल्पना और तिलक की कल्पना के आधार पर केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि ग्राम की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति पंचायतीराज से की जाए। जब पंचायतीराज प्रारम्भ हुआ तो वहां पी. डब्ल्यू. डी. का इंजीनियर था, वहां पर कोआपरेटिव का इंस्पेक्टर था, वहां एग्रीकल्चर का अधिकारी था, वहां शिक्षा प्रसार अधिकारी था, वहां विकास अधिकारी था। ऐसे कई ब्लाक्स थे जिनमें आई. ए. एस. अधिकारी लगाये गये थे और केवल इसलिए लगाये गये थे कि वह कल्पना पूरी हो। लेकिन सचमुच में नौकरशाही हावी होती चली गयी। जैसे-जैसे नौकरशाही हावी हुई वैसे-वैसे धीरे-धीरे सब योजनाएं समाप्त हो गयीं। इसलिए समाप्त हो गयीं कि विकेन्द्रीकरण की जो कल्पना थी वह केन्द्रीकरण में बदल गयी। जो कुछ भी निर्णय होगा सचिवालय में होगा, जो ऊंचा आई.ए.एस. बैठा हुआ है वह निर्णय करेगा, वह सैक्रेटरी निर्णय करेगा। लेकिन गांवों की शिक्षा के बारे में जो निर्णय होना चाहिए था वह निर्णय नहीं हो सका। जब

(13.00 बजे)

प्रौढ़ शिक्षा चलती थी, मुझे तब 70-80 रुपये मिलते थे। मैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक था तो प्रौढ़ शिक्षा मैं चलाता था। उस काम्पीटीशन में मैंने पुरस्कार प्राप्त किया है। और लोग लगे हुए थे लेकिन पंचायतीराज ने जब से प्रौढ़ शिक्षा कम्पलसरी की कि प्रत्येक शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षकों के मन में यह बात पैदा हुई कि यह सब कुछ हम पर ही क्यों थोपा जाता है, यह सब कुछ हम पर ही क्यों। इसलिए जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे वे लोग उससे अलग हो गए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वैच्छिकता के आधार पर राष्ट्र भक्ति जगा कर, उसकी आत्मा को जगा कर आप जो कुछ चाहें इस देश में कर सकते हैं लेकिन सामंती प्रथा की तरह कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, आज 50 साल के लोकतंत्र के बाद यह सब कुछ नहीं चल सकता।

पंचायतीराज की आज डिमाण्ड नहीं है लेकिन कहना चाहता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। मैं गुलाबचंदजी कटारिया को बधाई देता हूं कि इन्होंने बीकानेर से जो आदेश निकलते थे उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया है। इन्होंने

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अपने डिप्टी डाइरेक्टर्स को वे पावर्स दिए हैं जो केवल डाइरेक्टर को प्राप्त थे। लेकिन आज भी उसमें कमी है। इन्होंने बार-बार इन्सपैक्टर्स एक जिले में लगा दिए, डिप्टी डाइरेक्टर्स डिवीजन हैडक्वार्टर पर लगा दिए लेकिन मेरी यह मान्यता है आज भी कि लोगों की समझ में वह बात आ नहीं रही। विभाग के लोगों के साथ बैठकर, जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके साथ बैठकर, ये तीन आई. ए. एस. अधिकारी बैठकर जिस तरह से निर्णय करते हैं वह नहीं, फील्ड में बातचीत होनी चाहिए और फील्ड में भी वह आदमी खुलकर नहीं बोल सकता जो आपका सबार्डिनेट है इसलिए दूसरे लोग जो जन प्रतिनिधि हैं, शिक्षक संघों के लोग हैं उनके साथ बैठकर इस डिसेंट्रलाइजेशन पर बात करें कि कौनसे पावर्स दिए जाएं। जो पावर दिए गए हैं, निजी शिक्षण संस्थाएं बीकानेर जाकर भटकती रहीं और उनके पावर्स आपने नीचे दे दिए, उन निजी शिक्षण संस्थाओं के साथ बैठकर आप चर्चा तो करें कि उनको क्या-क्या कठिनाइयां आती हैं, बिल पास कराने में उनको क्या-क्या करना पड़ता है। जब आप उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे तो यह बात ध्यान में आएगी। मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन किया है लेकिन उस पावर डिसेंट्रलाइजेशन के साथ-साथ थोड़ा-सा लोगों के साथ सक्रियता से बात करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि लोक जुम्बिश के माध्यम से आज विद्यालय भवनों की मरम्मत की गई है। इन्होंने कहीं बाहर के इंजीनियर्स को नहीं लिया, इन्होंने आवास विकास संस्थान के लोगों को नहीं लिया, इन्होंने पी.डब्ल्यू.डी. के बहुत बड़े-बड़े इंजीनियर्स को नहीं लिया, बल्कि गांव के ही लोगों को लेने के बाद में उन्हीं में से मिस्त्री तैयार किए, महिलाओं को मिस्त्री तैयार किया उनको प्रशिक्षण देकर। इस तरीके से विद्यालय भवनों की मरम्मत हुई है, जो भवन बने हैं, वह उल्लेखनीय है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में गुणात्मक दृष्टि से जो मूल्यांकन कराया गया है उसमें अगर हम देखें तो तुलनात्मक दृष्टि से उन विद्यालयों के बच्चे बहुत अच्छे साबित हुए हैं। 'गुरु मित्र' योजना चलाई है जिससे बालक यह अनुभव नहीं करे कि मुझ पर कुछ थोपा जा रहा है। हर व्यक्ति के अंदर, हर बालक के अन्दर ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा को, उसके ज्ञान को शिक्षक केवल प्रज्वलित करता है। ज्ञान तो उसके अन्दर है, बाकी तो जो शिक्षक देता है वह इंफार्मेशन है। उस इंफार्मेशन को ग्रहण करने की कितनी शक्ति है बालक में, उसको गुरू जागृत करता है, इसलिए 'गुरु मित्र' योजना चलाई गई।

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के माध्यम से भी इस राज्य में बालिकाओं, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा प्रारम्भ की गयी हैं, जो वंचित हैं विद्यालयों से। लेकिन शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सतत् शिक्षा चलाई जा रही है, जो साक्षरता चल रही है इसके लिए अलग से पुस्तकें लिखी जाती थीं। एस. आई. आर. टी. के माध्यम से

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

इनकी किताबें तैयार होती थीं और वे किताबें तैयार अलग से होती थीं क्योंकि इनको पढ़ाने वाला शिक्षक ट्रेण्ड नहीं है। जिनको चार-चार, पांच-पांच हजार रुपए वेतन मिलता है वे लोग नहीं हैं, यहां वे लोग हैं जिनको अल्प वेतन मिलता है। इसलिए जो किताबें तैयार की जाती थीं, शिक्षक कैसे पढ़ाएं उनसे, कैसे प्रश्न पूछें। बहुत छोटे-छोटे विषय होने चाहिए जो उस अनपढ़ की समझ में आ सकें। लेकिन किसी की सूझ में आया कि जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, पांचवीं क्लास, तीसरी क्लास, दूसरी क्लास, पहली क्लास को पढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पहली ओर दूसरी को ही पढ़ाना है तो अलहदा से किताबें लिखवाने की क्या आवश्यकता है, पाठ्य पुस्तक मण्डल ने जो किताबें छापी हैं उन्हीं को पढ़ाना चाहिए। उन्हें पढ़ाने के लिए तो आपने दो हजार का आदमी रख रखा है, तीन हजार का आदमी रख रखा है लेकिन उसे पढ़ाने के लिए तो आपने गांव के आदमी को ही तैयार किया है, वहीं के आदमी को ही तैयार किया है तो उनकी किताबें अलहदा होनी चाहिए। इससे उनका मार्गदर्शन भी होता है। मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर मेहरबानी करके विचार करें।

आपने बहुत कुछ किया है–शिक्षकों को उत्साहित किया है, भामाशाह योजना के माध्यम से करोड़ों रुपया शिक्षा विभाग को बिल्डिंग्स के रूप में, सामान के रूप में दिया है। भामाशाह योजना के दानदाताओं को आपने सम्मानित किया है, उसकी वजह से दानदाताओं के मन में यह भावना पैदा हुई है और आज लोग शिक्षा विभाग को दान देने में अपनी उपलब्धि मानते हैं।

आपने बालिकाओं को जिस तरीके से पाठ्य पुस्तक मण्डल के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से प्रोत्साहित किया है छात्रवृत्ति देने के लिए कि जब तक वे पढ़ती रहेंगी हजार रुपया पाती रहेंगी, ये सब प्रबन्ध किए हैं ये उल्लेखनीय हैं। बहुत से शिक्षा मंत्री हुए लेकिन छात्र के प्रति यह जो दृष्टिकोण आपने पैदा किया उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने भी इस दिशा में काम किया है। निर्धन बच्चों के लिए जो जनजाति क्षेत्रों के हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्रों के हैं, उनके लिए पहले भी वर्षों तक समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देता रहा लेकिन उससे उनका कल्याण नहीं हुआ। आज शिक्षा के माध्यम से उनके बारे में चिंतन किया जा रहा है। हमारे यहां पर आज कोई काम्पीटीशन देते हैं, आर.ए.एस. की परीक्षा देते हैं तो उनके लिए पढ़ने का प्रबन्ध वहां पर किया जाता है ताकि वे काम्पीटीशन में आ सकें। आज अगर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लड़के कहीं काम्पीटीशन में बैठते हैं तो उनके पढ़ने का प्रबन्ध किया जा रहा है, उसकी कोचिंग की जा रही है। उसके लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी केन्द्रीय खेल एवं युवा मामलों की राज्य मंत्री उमा भारती ने युवा एवं खेलकूद नीति के प्रारूप में संकेत दिए हैं। इस देश में विश्वविद्यालय

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

खोलने की बात कही है। लेकिन इन 50 वर्षों में युवाओं के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, उनके ऊपर चार्जेज लगाए गए। छोटी-मोटी कमेटियां थीं, जिन्होंने केवल नगर के लोगों का सर्वे किया कि आज युवा वर्ग छात्रावासों के अन्दर मादक द्रव्यों का उपयोग करते हैं, महिलाएं करती हैं, छात्राएं करती है। ये जो छोटे-मोटे लोग थे उन्होंने भ्रामक प्रचार किया। आज भी इस देश का युवा ही डाक्टर है, इंजीनियर है जिसने इस देश की टैक्नोलॉजी प्राप्त की है। वे इन्हीं विश्वविद्यालयों से निकले हुए हैं। आज भी विदेशों के अन्दर आप देखें तो वे डाक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वे इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम्प्यूटर्स में लोग काम कर रहें हैं। वे यहीं के युवा लोग हैं लेकिन उनको बदनाम किया गया है। कितने युवा हैं जो शहर में रहते हैं? तीन चौथाई हिस्सा तो आज भी गांवों में रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस युवा के बारे में शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। जिस तरीके से उमा भारती ने अभी केन्द्र में सोचा है उसी तर्ज पर राज्य को भी सोचना चाहिए। राज्यों के और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में जब इस विषय पर विचार हुआ, सोचा गया तो बड़ी निराशा नजर आई। अब केन्द्र सरकार ने सोचा है, मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस राज्य में भी युवा नीति बनायी जाए।

खिलाड़ियों के लिए सब लोगों ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय जगत में हमारे खिलाड़ी सक्सेस फुल नहीं होते। भारतवर्ष की एक अरब के बराबर जनसंख्या है और हम एक स्वर्ण और कांस्य पदक तक प्राप्त नहीं कर सके। यह विचार जब वहां पर हुआ तब यह विचार किया गया, इन खिलाड़ियों की चिन्ता कौन करेगा? इन खिलाड़ियों की चिन्ता भी राज्य सरकार को करनी होगी। राज्य सरकार खिलाड़ियों की चिन्ता करे, उनके खाने की व्यवस्था करे और उसके साथ उनके रोजगार की व्यवस्था करे। आज भी हिन्दुस्तान जिंक में आर.एम.एम.एम. के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि युवा जिसमें प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास करे। लेकिन एक लिम्बाराम को निकालकर हम उस पर गर्व कर सकते हैं? हम युवाओं में प्रतिभाओं को खोजने का काम करते। वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से सम्पूर्ण देश से बनवासी क्षेत्र के बालकों के एकत्रित करके इनको प्रशिक्षण देकर और इनके सम्पूर्ण देश में आयोजन करके जनजाति क्षेत्रों से प्रतिभाओं को खोज निकालना चाहिए। लेकिन इन प्रतिभाओं के प्रशिक्षण की, उनके रोजगार की, उनकी रोटी की, उनके परिवार की चिन्ता कौन करेगा? राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग इन युवा प्रतिभाओं के लिए कुछ करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी गांवों के अन्दर, शहरों के अन्दर अनेक निर्धन बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा को आगे जारी नहीं रख सकते, लेकिन उनमें टैलेंट है, उनमें प्रतिभा है। अगर वे कम्पीटीशन में खड़े हो सकते हैं तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि शिक्षा विभाग के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अधिकारियों के माध्यम से, हैडमास्टरों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से ऐसे लड़के उनकी निगाह में आते हैं तो उनके प्रशिक्षण की चिन्ता करे। ये खिलाड़ी कौन तैयार करेगा? शिक्षा विभाग का सोच तो यह हो गया कि यह शारीरिक शिक्षक है यह निठल्ला है। यह सुबह प्रार्थना कराता है उसके बाद डण्डा लेकर घूमता रहता है। फिजिकल एजुकेशन के प्रति यह दृष्टिकोण है। यह नकारात्मक दृष्टिकोण है, यह सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में क्या नहीं है? शरीर की रचना के बारे में जो हमारे यहां योग कहलाता था, आज वैस्टर्न से लौटकर यहां वह योगा हो गया। आज उस योग का प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक हमारे यहां हैं, लेकिन हमने क्या किया? हमने कभी शिक्षा विभाग में बैठकर सोचा था कि मिडल स्कूल में हम शारीरिक शिक्षक लगाएंगे। माध्यमिक विद्यालय में सैकण्ड ग्रेड का होगा और हायर सैकण्डरी में प्रथम ग्रेड का होगा, क्योंकि जहां पर व्याख्याता होते हैं वहां का शिक्षक प्रमोशन लेकर जाएगा तो उसमें हीनता पैदा नहीं होगी।

चित्रकला के शिक्षक को हमने समाप्त कर दिया। इस कला की वजह से देश में हजारों विदेशी आते हैं और यहां से उस चित्रकला को लेकर जाते हैं। लेकिन हमारे यहां शिक्षा विभाग में आज भी 18-20 साल तक के थर्ड ग्रेड के चित्रकला के शिक्षक हैं जिनको प्रमोशन नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता कि हमने द्वितीय ग्रेड का शिक्षक समाप्त कर दिया। थर्ड ग्रेड का टीचर सैकण्ड ग्रेड में नहीं जाए तब तक फर्स्ट ग्रेड में नहीं आ सकता। वह फर्स्ट ग्रेड में नहीं आ सकता क्योंकि द्वितीय श्रेणी का शिक्षक उसे नहीं बनाया जा सकता। 18-20 साल तक जो शिक्षक थर्ड ग्रेड में पड़ा रहेगा उसके मन में कितना फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। वेतन तो उसे मिल जाएगा, पैसा तो उसे मिल जाएगा, लेकिन उसके मन में है कि उसकी योग्यता को वह प्रदर्शित नहीं कर सकता।

हमारे यहां उद्योग का शिक्षक होता है। कुछ बहुद्देशीय स्कूल थे उन बहुद्देशीय स्कूलों के पीछे जो स्पष्ट सोच था वह यही था कि आदमी के मन में श्रम के प्रति एक निष्ठा पैदा होगी उसमें काम के प्रति निष्ठा पैदा होगी। लेकिन उसी काम की निष्ठा को समाप्त कर दिया गया। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस राज्य में व्यावसायिक शिक्षा 1976 से प्रारम्भ की गई। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अगर मैं कहूं तो हिन्दुस्तान में जितने आयोग बैठे, प्रत्येक आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा दी जाए. इस बात को कहा। मान्यवर, सबसे पहले 1854 में वूर्स डिस्पैच से व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया अंग्रेजों के जमाने में। उसके बाद में 1919 के कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसको सैटलर कमीशन कहा गया था, उसके मतानुसार व्यावसायिक शिक्षा को उतना ही लोकप्रिय होना आवश्यक है जितना अकादमिक शिक्षा को। उसने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का उचित प्रबन्धन किया जाए। उसने कहा कि इण्टर

(102)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कक्षाओं के पाठ्यक्रम को दोहराया जाए और उसे व्यावसायिक आधार दिया जाए। आयोग के मतानुसार व्यावसायिक शिक्षा का आधार केवल व्यावसायिक कुशलता ही नहीं होना चाहिए, वरन् सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास, सामाजिक मूल्यों एवं सम्बन्धों को संभालने की क्षमता एवं भेदभावरहित वास्तविकता को देखने की अनुशासित शक्ति भी होनी चाहिए। यह उसके पीछे का सोच था। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि व्यावसायिक शिक्षा मनुष्य को ऐसा ज्ञान दे जिससे वह सम्पूर्ण मानवीय और सामाजिक रंगभूमि में अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक करने की योग्यता प्राप्त कर सके। यदि व्यावसायिक शिक्षा इस कार्य में असफल रहती है तो समाज में शांति व व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाता है। माम्यवर, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, मैं केवल शब्दों को बता रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांसीकुई) : माननीय सनाढ्य जी, शिक्षा में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ऐसा है, शैलेन्द्र जी,

तुम ऐसे सीधे लगे जैसे सीधे बांस।
पोर-पोर में गांठ है, रोम-रोम में फांस।।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शिक्षा मंत्री को पश्चाप कर दिया गया है। ये असफल वैज्ञानिक सिद्ध हो गए हैं। पूरे शिक्षा जगत की बर्बादी हो गई है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : 1964 और 1966 में विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की भीड़ को कम करने के लिए कि 50 प्रतिशत लोग उन विश्वविद्यालयों में, उन कालेजों में नहीं जाएं, कोठारी कमीशन ने रिकमण्ड किया और इस बात पर जोर दिया कि व्यावसायिक शिक्षा को चलाया जाए, उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया जाए और प्रभावी ढंग से उनको लागू किया जाए। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, (सी. ए. बी. ई.) ने भी 10+2+3 के लिए रिकमण्ड किया। 1976 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली ने इसको लागू किया। शिक्षा में व्यावसायीकरण के लिए बड़ा परिवर्तन करने के लिए 1976 में सोचा गया और सैकण्डरी स्तर पर इसको प्रारम्भ किया गया। 1978 में राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने एन. सी. ई. आर. टी. के दस्तावेज के आधार पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्य राज्यों के बोर्डों के पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए रिकमंडेशन की और 1984 में लागू किया। यह जब 1976 में प्रारम्भ हुआ तो इसकी क्या दुर्दशा हुई, उसकी तरफ जो माननीय सदस्य सदन में बैठे हैं उनका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जब इस राज्य में 1976 में गठित की गयी तो इस कमेटी का चेयरमैन चीफ सैक्रेटरी को बनाया गया। इतना महत्वपूर्ण इसको समझा गया कि चीफ सैक्रेटरी को इसका चेयरमैन बनाया गया। इसमें उद्योग विभाग का सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, पूरी लिस्ट है, मान्यवर, राजकीय उपक्रम, उच्च तकनीकी शिक्षा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

विकास एवं पंचायती राज, योजना, इन सब विभागों के बड़े-बड़े सचिव थे उन सब को सदस्य बनाया गया। लेकिन इसका हश्र क्या हुआ? 18–10–94 को इसकी मीटिंग हुई। एस. सी. बी. ई. की गत बैठक दिनांक 27-7-92 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति के बारे में जब पूछा गया तो श्री मीठालाल मेहता ने सबसे पहले यह प्रश्न किया कि इसकी यह बैठक विलम्ब से क्यों आयोजित की जा रही है। 27-7-92 के बाद में यह बैठक 18–10–94 को होती है तो वे यह कहते हैं कि यह इतनी विलम्ब से क्यों बुलायी गयी। इसके बाद, मान्यवर, इसके पाठ्यक्रमों पर असंतोष व्यक्त किया गया। मैं उन्हीं में से पढ़कर सुना रहा हूं आपको। मुख्य सचिव महोदय ने राज्य में क्रियान्वित शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी एवं सार्थक बनाये जाने पर जोर दिया। लेकिन अभी एक प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि समय कम है मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इन्होंने उत्तर में जो कहा है और एक आदेश निकालकर व्यावसायिक शिक्षा को बन्द कर दिया, उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने उदाहरण दिया है कि एक कमेटी बनी या एक टास्क फोर्स बनी और उस टास्क फोर्स ने हरियाणा के अन्दर देखा। लेकिन उस टास्क फोर्स ने आन्ध्र प्रदेश में जाकर क्यों नहीं देखा? उसने गुजरात में जाकर क्यों नहीं देखा? उसने कर्नाटक में जाकर क्यों नहीं देखा? मेरे पास सम्पूर्ण राज्यों की लिस्ट है कि कितने विद्यालय चलते हैं, कितने ट्रेड चलते हैं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सोच है कि केवल एस. टी. सी. में जाने के लिए ही व्यावसायिक शिक्षा में बैठते हैं, यह गलत है। 6707 बालक वोकेशनल एजुकेशन में बैठे लेकिन एस. टी. सी. में केवल 621 गये, क्या परसेंटेज बना? आज फोटोग्राफी में, कम्प्यूटर में कितने ट्रेड हैं जिनमें शिक्षा दी जा रही है? इन्हें इस पर विचार करना चाहिए था। 1994 के बाद में जिन ट्रेड्स की आवश्यकता नहीं है, जो गांवों के अन्दर स्कूल चलते हैं, जो शहरों में चलते हैं उनके पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाना चाहिए था, उस ट्रेड से निकलने वाले बालक को उस काम पर लगाया जाना था।

यह जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है शायद अधिकारियों ने कभी देखा नहीं। सहकारिता के सन्दर्भ में व्यावसायिक शिक्षा से निकले हुए बच्चे को अगर सहकारिता की बैंक में लगा दिया जाए तो सहकारिता का पूरा काम वह कर सकता है–आधारभूत कार्यालय, अभ्यास, टंकण से लेकर फाइलों का रख–रखाव वगैरह। अगर इसको देखा जाता तो आज बच्चे निराश हैं, उनको काम मिलता। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक आदेश निकालकर शिक्षा को तो बन्द किया जा सकता है, यह व्यावसायिक शिक्षा आपके आदेश से बन्द तो हो जाएगी लेकिन आने वाले समय में इस राज्य का....

श्रीमती शशीदत्ता : पाइंट ऑफ इंफार्मेशन, सर । एक मिनट ।

श्री सभापति : पाइंट ऑफ आर्डर है ।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय सभापति महोदय, बहुत काम हुए हैं, हम मान रहे हैं । शिक्षा में शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत काम किये हैं....

श्री शैलेन्द्र जोशी : बिलकुल नहीं हैं ।

श्रीमती शशीदत्ता : हम कब मना कर रहे हैं ? हम तो यह कह रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, कि आज हालत यह हो रही है, पूरा एक महीना निकल गया ..

श्री सभापति : पाइंट ऑफ आर्डर क्या है आपका ? व्यवस्था के मामले में क्या है ? (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : मैं बता रही हूं। I am coming on the point of order.

श्री सभापति : कृपया विराजें । ऐसे इंटरवीन मत कीजिये । नियमों के अन्तर्गत कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो बोलिये अन्यथा विराजिये ।

श्रीमती शशीदत्ता : हां मैं बता रही हूं । (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका टाइम आएगा । (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : सभापति महोदय पाइंट ऑफ इंफार्मेशन है । एक मिनट, मंत्री महोदय, आप सुन लीजिये । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया यों बाधा नहीं डालिये । माननीय सदस्या, विराजिये ।

श्रीमती शशीदत्ता : Don't disturb. यह मेरा राइट है । You have no right to speak on this. This is my right.

श्री सभापति : माननीय सनाढ्य जी ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ये क्या बोल रही हैं । यह राइट है इनका ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें आप । माननीय शशीदत्ता जी विराजिये । मैंने आपसे निवेदन किया है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके व्यवहार, आचरण की वजह से बी. जे. पी. की सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दिया है ।

श्री सभापति : कृपया विराजिये । अपने स्थान से भी नहीं बोल रहे हैं, यह बहुत बुरी बात है । अब आप कृपया समाप्त कीजिये, सनाढ्यजी, काफी समय हो गया आपको ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं चर्चा समाप्त कर रहा हूं । मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो व्यावसायिक शिक्षा को बन्द करने का निर्णय लिया है यह आगे आकर इस राज्य के लिए बहुत गम्भीर परिणाम पैदा करेगा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, आप इनको यह निर्देश दें कि खड़े होकर बोलें। ये बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं मान्यवर केवल उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में ही कहूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वे यह कह रहे हैं माननीय सदस्य, कि खड़े होकर बोलें। बैठे–बैठे बोल रहे हैं इतनी देर से।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व तकनीकी शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से उल्लेखनीय काम किये हैं। इस समय उनका वर्णन करने का समय नहीं है बाकी मैं कह सकता हूं कि जितने काम उन 40 वर्षों में हुए थे, अगर उसकी तुलना में देखा जाए तो इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए हैं। इस बजट में बीकानेर व कोटा में सामान्य विश्वविद्यालय की घोषणा करके उल्लेखनीय काम किया है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। अजमेर व बीकानेर में इंजीनियरिंग कालेज खोलकर उच्च शिक्षा में 1500 से अधिक नयी नियुक्तियों के द्वारा शिक्षा को रेगुलराइज किया गया है, विश्वविद्यालयों में अराजकता थी उस अराजकता को दूर करके एक शिक्षा का वातावरण बनाया गया है। कालिजेज में शिक्षक कक्षा में जाएं और विद्यार्थी पढ़ें, यह जो काम प्रारम्भ किया गया है उसके लिए उच्च शिक्षा मंत्रीजी की जितनी सराहना की जाए वह कम है। लेकिन मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, माननीय गुलाबसिंह जी शक्तावत का यहां विराज नहीं रहे है नहीं तो मैं उनसे अपील करता कि 1962 में उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय बना था, मोहनलाल जी सुखाड़िया उस समय मुख्य मंत्री हुआ करते थे। लेकिन बाद में इन्हीं की सरकार थी, गिरिजा जी एजुकेशन मिनिस्टर थीं, वे उदयपुर की थीं और उस कृषि विश्वविद्यालय को उन्होंने 1987 में बीकानेर में ट्रांसफर कर दिया। हमें कोई तकलीफ नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि उस समय यह कहा गया था कि सम्पूर्ण डिवीजन हैडक्वाटर्स पर एक–एक विश्वविद्यालय हो। अगर हमारा एक विश्वविद्यालय बीकानेर चला जाता है तो वह भी राजस्थान का ही पार्ट है, इसलिए हम लोगों ने उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं क्योंकि आज गिरिजा जी, माननीय शक्तावतजी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वहां खुलना चाहिए। खुलना चाहिए तो उसे स्थानांतरित क्यों किया था ? यहां सदन में हरिदेव जोशी ने बजट भाषण में कहा कि वहां स्थानान्तरित कर दिया है, लेकिन उदयपुर में दक्षिण परिसर बनाया जाएगा, वहां प्रो–वाइस चांसलर रखा जाएगा और वहां के लोगों को बीकानेर नहीं जाना पडेगा। यह इस सदन में कहा गया लेकिन 1987 के बाद 1990 तक इनका राज रहा, वे इस वचन को पूरा नहीं कर सके। 1990 के बाद हमने राजस्थान सरकार को कहा, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत को, मंत्रिमण्डल के सदस्यों को निवेदन किया कि वहां पर कृषि विश्वविद्यालय खुल गया है। यहां हमारे उदयपुर में तो सब संकाय हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं, आई. सी. ए. आर. का करोड़ों रुपया वहां लग चुका है अब आपको

(106)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

दूसरा कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में प्रारम्भ करने के लिए केवल एक वाइस चांसलर देना है और एक रजिस्ट्रार देना है। लेकिन जिस तरीके से उसको घुमाया जा रहा है, मैं राजस्थान सरकार से और भैरोंसिंह जी से उदयपुर की सम्पूर्ण जनता की ओर से, उदयपुर संभाग की ओर से एक बहुत नम्र अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा जो हक चला गया था वह हमें वापस दिया जाए। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि उसके ऊपर कुछ खर्चा नहीं होने वाला है। यह गलत कहा जा रहा है कि आई.सी.ए.आर. पैसा नहीं देगा। वह विश्वविद्यालयों को नहीं देता, वह कॉलेजेज को देता है। अगर मेज की स्कीम उदयपुर में चल रही है तो वह पैसा बीकानेर में दिया जा सकता, जो स्कीम जोबनेर में चल रही है उसका पैसा दूसरी जगह नहीं दिया जा सकता। आज दुर्गापुरा में जो स्कीम चल रही है उसका पैसा बीकानेर में नहीं जाने वाला है। यह भी आवश्यक नहीं है कि बीकानेर में अगर वेटरिनरी कॉलेज का है तो वह उदयपुर में भी स्थापित होना चाहिए। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसके साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। यह केवल गुमराह करने के लिए है। राजस्थान सरकार के अधिकारी गुमराह करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक इच्छा शक्ति पैदा कीजियेगा। जब आपने सम्पूर्ण जगह विश्वविद्यालय खोले हैं तो उदयपुर को इस अधिकार से उदयपुर को वंचित नहीं किया जाए। मैं सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के सदस्यों से और खासकर भैरोंसिंह जी से उदयपुर, मेवाड़ की जनता की ओर से निवेदन कर रहा हूं। हमारे सम्पूर्ण एम.एल.एज. चाहे प्रतिपक्ष के थे या पक्ष के थे, मेरी सबसे बात हुई है। माननीय शक्तावत जी का तो स्टेटमेंट छपा है। उन्होंने भी अपील की है और इस अपील के ऊपर निश्चित रूप से गौर किया जाना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी अपील पर ही हो जाएगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सब लोगों ने अपील की है। मेरी अपील पर अगर, महावीरजी, हो जाए तो मैं आपका ऋणी रहूंगा, इस सरकार का ऋणी रहूंगा और भैरोंसिंह जी का ऋणी रहूंगा।

विश्वविद्यालयों में अस्थाई शिक्षक महाविद्यालयों में शेष रह गये हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, जिस तरीके से आपने 1500 लोगों को रेगुलराइज किया है जो थोड़े से रह गये हैं, उन लोगों को भी करें। यू.जी.सी. की मैरिट एडवांस योजना यहां भी लागू की जानी चाहिए। अगर सब जगह लागू है तो हमारे राज्य में वे लोग इससे क्यों वंचित है? आपके जो सरकारी कर्मचारी है उनके दो साल बढ़ा दिये, लेकिन जो निजी शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट पर जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी यह लाभ देने का आदेश निकाल दें। अन्य राज्यों से जो आदेश निकला है उसमें जितने लोग आते हैं, स्वायतशासी संस्थाओं में आते हैं, विद्यालयों में आते हैं, विश्वविद्यालयों में आते हैं, उन सबके लिए आदेश निकाल दिया लेकिन हमारे यहां नहीं। हमारे यहां इस बात का भी प्रावधान है कि आपके

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

यहां पर वह कागज आएगा। उसके बाद में एक्सटेंशन देंगे। मैं चाहता हूं, इसके रूल्स बनाये जाएं।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए एक एक्ट बना और उसकी एक कमेटी बनी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, आज तक उसके ऊपर विचार नहीं हुआ। उसके कारण से लोग परेशान हो रहे हैं और कोर्ट में जा रहे है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसकी रिपोर्ट को आप लाएं। मेरा एक सुझाव यह भी है, मैं शिक्षकों की हड़ताल पर नहीं जाता, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके राज्य सरकार ने अन्य कर्मचारियों के साथ जो समझौता किया है 23.12.1997 को और 3.1.1998 को, उसके अनुरूप शिक्षकों को भी सम्मानजनक वेतनमान देकर जिस तरीके से आज तक एक सौहार्दपूर्ण वातावरण इस राज्य में रहा है उस वातावरण को कायम रखा जाए। यह मेरी आपसे अपील है।

मेरे कुछ और सुझाव भी हैं। वाणिज्य संकाय में पहले तीन लोग काम करते थे, उसको आपने दो आदमी कर दिया। आप का सोच अच्छा हो सकता है लेकिन मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि जो इफैक्टेड लोग हैं उनके साथ चर्चा करके, उसमें से आप कुछ निकालें तो सही दिशा मिल सकेगी। आपकी बहुत योजनाएं हैं, मैंने इन्हें पढ़ा है। आपके मन में काम करने की इच्छा शक्ति है, राजस्थान सरकार की भी इच्छा शक्ति है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, लेकिन इसके लिए मिल-जुलकर बैठकर काम करें, सबकी राय से काम करें। शिक्षा के अन्दर जिस तरह से गुणात्मक विकास हुआ, जिस तरह से परीक्षा परिणाम निकले हैं और उन परीक्षा परिणामों में जिस तरीके से वृद्धि हुई है उससे आप यशस्वी हुए है। यह शिक्षकों का ही सहयोग था जिसकी वजह से यह सब यश आपको प्राप्त हो रहा है। मैं चाहूंगा, उन शिक्षकों के प्रति आपका स्नेह और प्रेम बढ़े और उनके साथ वार्ता करके आप इस शिक्षा जगत को आगे बढ़ाएं। यही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्रीमती कमला जी। (अनुपस्थित)

माननीय हरजीराम जी बुरडक। (अनुपस्थित)

माननीय शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय. मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान के शिक्षा जगत में गये 45-50 सालों में ऐसा कोई भी शिक्षा मंत्री नहीं आया जबकि परीक्षाओं में राजस्थान का सम्पूर्ण प्रशासन एक महीने तक पंगु हो गया। क्या कलक्टर महोदय, क्या एस.पी. महोदय, आपका सारा प्रशासन का काम ठप्प हो गया और उनको परीक्षाएं करानी पड़ी। आप ही एक ऐसे शिक्षा मंत्री है जिन्होंने शिक्षकों से तालमेल का अभाव

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

रखा। उसकी वजह से पुलिस के संरक्षण में, करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करके एक माह तक प्रशासन को पगु बनाकर और कोई भी काम जनता का नहीं हुआ और परीक्षाएं करवाई गयी। इससे पहले माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था, सभापति महोदय, आपको भी याद होगा कि यदि शिक्षक नहीं आएंगे तो हम बगैर परीक्षाओं के अगली कक्षाओं में विद्यार्थियों को आगे बढ़ा देंगे। (व्यवधान) देखिये, आप बात सुनिये। सभापति महोदय, यदि मैं एक भी तथ्य, आंकड़ा या कुछ भी गलत बोलूं, आप मुझे वहीं रोक दें।

मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग है इसमें इस साल मिडल स्कूल की परीक्षाएं, परीक्षाओं के समानीकरण को लेकर हुई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर का परीक्षा परिणाम जीरो प्रतिशत रहा। तेलीपाड़ा जयपुर की स्कूल के बच्चों का परीक्षाफल रहा जीरो प्रतिशत। सीकर जिले की 13 स्कूलों का परीक्षाफल रहा मिडल का जीरो प्रतिशत। भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षाफल रहा मिडल का जीरो प्रतिशत। इसके अलावा पुष्कर में मिडिल स्कूल का परीक्षा फल रहा जीरो प्रतिशत। मेरा दावा है, मेरी एक भी बात को शिक्षा मंत्री महोदय और इनके साथ आज यहां पर सदन में एक कक्ष में अलग से बैठे हुए एक दर्जन शिक्षाधिकारी भी गलत साबित कर दें। यह जो परीक्षाफल जीरो प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है, 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछा उसकी माता जी ने कि बेटा, तू पास होयो कि फेल? मेरे पूरक परीक्षा आई है। तो आई है तो दिखा दे, कहां सीक है सप्लीमेंट्री परीक्षा किसको? 15 प्रतिशत जिसको नम्बर मिले हैं उसको दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दी जाए। सप्लीमेन्ट्री आती है 5 या 7 नम्बर कम होने पर लेकिन यहां 15 प्रतिशत वालों को भी करो। लेकिन आपने, शिक्षा मंत्री महोदय, यह खैर खबर नहीं ली कि इतना कम प्रतिशत क्यों रहा। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको बताता हूं आपका परीक्षाफल इसलिए कम रहा कि आपने आठवीं क्लास में यह तो कह दिया कि शिक्षा का समानीकरण होगा लेकिन आपने उनके सब्जेक्ट टीचर्स नहीं भेजे। आपने नाइंथ-टैंथ के लिए भी सब्जेक्ट टीचर्स नहीं भेजे। मैथेमेटिक्स, साइन्स, इंगलिश के टीचर्स नहीं भेजने के कारण सामान्य टीचर ने उसे पढ़ाया। मेरा दावा है कि आज की नाइंथ क्लास की मैथेमेटिक्स को एम.एस.सी. स्टूडेन्ट जो बीस साल पहले किया हुआ है, वह भी नहीं पढ़ा सकता है। इतना नवीनीकरण हो गया है, इतना मेटोमोरफोसिस चेंज हो गया है। ऐसी स्थिति में आपको स्पेशलिस्ट टीचर्स भेजने चाहिए थे, आपने नहीं भेजे।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि आपका पुनर्मूल्यांकन अभी भी चल रहा है। और तो और, आप ही एक मात्र ऐसे शिक्षा मंत्री हो जिन्होंने कि शिक्षा में हमारी जो फैकल्टी थी उनको तोड़ दिया। अंग्रेजी मीडियम की फैकल्टी खोली आपने पोद्दार स्कूल में, महाराजा स्कूल में, वह फेल हो गई। इसके अतिरिक्त पैसा देकर स्कूल खोले– चार लाख रुपये दो बारहवीं क्लास खुलवाओ, तीन लाख दो दसवीं

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

खुलवाओ, मिडल चाहिए दो लाख, प्राइ-मरी चाहिए एक लाख। जो बड़े-बड़े धनाढ्य क्षेत्र है, सीकर जिला है, झुन्झुनू जिला है और कोई जिला है, जहां के बड़े व्यापारी, उद्योगपति कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जाते हैं वे तो दे सकते हैं, लेकिन हमारा इलाका है

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : (व्यव-धान) हमको कहो, हमारे कोई दान की व्यवस्था करवा दें। बार-बार सीकर का नाम लेकर क्या जाहिर करने जा रहे हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई बात नहीं, ठीक है।

श्री सभापति : तारीफ कर रहे हैं ये तो आपकी, वहां धनाढ्य लोग होते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर जिला सेठों का जिला है। यदि आपके वहां शिक्षा की इतनी ही कमी है तो आप सीकर जिले वालों को कह दें, सीकर जिले वाले अपने लिए दान की व्यवस्था करें तो आपके लिए भी कोई व्यवस्था कर दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो अच्छी बात है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब कह रहे हैं, अब तो दो।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप आ ही रहे हो, खोल ही लेना।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मांगने वाले भी तो हो, दान मांगने वाले।

श्री शैलेन्द्र जोशी : खैर, तो मेरा, श्रीमन्, यह निवेदन है कि ऐसी स्थिति में शिक्षा के प्रसार का औद्योगीकरण हो गया है कि जो पैसा दे वह शिक्षा कर ले। सीकर के लोग बधाई के पात्र हैं, मैं आपकी बहुत अच्छे शब्दों में अभिशंसा करता हूं। आप क्यों यह समझ बैठे हैं कि मैं आपका प्रतिद्वन्द्वी हूं ? मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसी स्थिति में आपको सब्जैक्ट टीचर भेजने चाहिए थे, और लाखों रुपये लगते लेकिन सब्जैक्ट टीचर्स आपने नहीं भेजे।

इसी तरह आपकी तीसरी घोषणा हुई। आप एक तरफ सभ्यता, संस्कृति भारत की अक्षुण्ण रखेंगे उसकी दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आपने आज से 45 दिन पहले कहा कि हम तीसरी कक्षा से इंगलिश मीडियम पढ़ाएंगे। फिर तीन दिन बाद जब आप पर संघीकरण का दबाव पड़ा तो आपने कहा कि नहीं, छठी से हम अंग्रेजी की अनिवार्यता करेंगे। इसके बाद दस हजार थर्ड ग्रेड टीचर्स की पोस्ट को खतम किया जा रहा है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि एक बार एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक मकड़ी की एक टांग काट दी। एक टांग काटने के बाद कहा कि मकड़ी चल, मकड़ी चलने लग गई। फिर उसकी दूसरी टांग काट दी। फिर वैज्ञानिक ने कहा कि मकड़ी चल, मकड़ी चलने लगी। फिर उस-की एक-एक करके सब टांगें काटते गये और वैज्ञानिक यह निर्णय लेते गये कि मकड़ी की टांग कट रही है ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कितनी होती हैं उसके टांगें ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : मकड़ी के टांगें कितनी होती है ?

110

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह भी मैं बता दूंगा। मैं टांग भी बता दूंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप धैर्य रखिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपको पता ही नहीं कि मकड़ी के टांगें कितनी होती हैं।

श्री समापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री टीकमचन्द कांत : सब कुछ बता दोगे। क्या सब कुछ बता दोगे ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : जितनी आपने गिन कर रखी हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : समापति महोदय, फिर सारी टांगें कट गई और वैज्ञानिक ने कहा कि मकड़ी चल तो मकड़ी नहीं चली क्योंकि टांगें सब कट चुकी थीं। तो वैज्ञानिक ने क्या निष्कर्ष निकाला कि मकड़ी बहरी हो गई है, अब सुनना बन्द कर दिया है। यह नहीं निकाला कि सारी टांगें काट दी। शिक्षा विभाग की आज यही स्थिति कर दी गयी है।

अब मैं आपके जो अनुपम और नये–नये प्रयोग हैं उनके बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले शिक्षा मंत्री महोदय ने 1995 में यह कहा कि 27 जून की तिथि निर्धारित कर दी सत्र की। टीचर्स बैठे रहे, कोई प्रवेश के लिए नहीं आया। अन्ततोगत्वा आपको 15 जुलाई, 1995 करनी पड़ी और अपनी गलती सुधारी। यह आपका पहला प्रयोग था। फिर उसके बाद दूसरा प्रयोग किया शिक्षा मंत्री महोदय ने कि दिसम्बर के महीने में शीत–कालीन जो अवकाश है उसको समाप्त कर दिया और विद्यालयों में अध्ययन की घोषणा कर दी। जब छात्र नहीं आये तो वापस दो करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा और आपने वापस असफलता जाहिर की। तीसरा प्रयोग आपने किया कि 1996–97 के शिक्षा सत्र में मई के प्रारंभ में ही एडमिशन की घोषणा कर दी। परन्तु जब प्रवेशार्थी नहीं आये तो वापस आपको 15 जुलाई तारीख निश्चित करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त आपने यह भी कहा कि जून के महीने में पढ़ाई होगी लेकिन राजस्थान एक गर्म जलवायु का प्रदेश है, उसमें छात्रों की संख्या नहीं आई। ऐसी स्थिति में आप जो शिक्षा के कैलेण्डर का समानीकरण करना चाहते थे वह समानीकरण हो नहीं पाया। मेरा निवेदन यह है कि आपने ये जो नये नये प्रयोग किये इन सब का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला।

आपने शिक्षकों पर किस तरह की मार की, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले राजस्थान में चाहे महावीरजी का स्थान हो, चाहे हिन्दुओं का तीर्थस्थान रणकपुर हो, चाहे सीकर के पास सालासर के हनुमानजी हो, वहां पर ट्रांसफर की तीनों साल लिस्ट बनी। ये हमारे हिन्दुओं के धार्मिक स्थानों पर बनी और उसके बाद क्या हुआ उन लिस्टों में ? श्रीमन्, सुनिये कि समानीकरण के नाम पर शिक्षकों का ट्रांसफर आपने किया कि तीस छात्रों पर एक अध्यापक होगा। उसके नाम पर आपने सारे नॉन आर. एस. एस. विचारधारा के टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया। पहली खेप आपकी पूरी हुई। फिर दूसरा आपने रिजल्ट के आधार पर कि जिन शिक्षकों का रिजल्ट खराब है, उस आधार का ढोंग रचकर

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

नांन आर. एस. एस. के लोगों का ट्रांसफर कर दिया। फिर तीसरी आपने जो माडस आपरेंडी यूज की वह श्रीमन्, यह की कि संस्थान प्रधानों की शिकायत पर आपने ट्रांसफर किये। उसमें नॉन आर. एस. एस. के जो प्रगतिशील विचारधारा के शिक्षक थे, जो कांग्रेस की विचारधारा के थे, जो राष्ट्रीय थे. जो एंटी आर. एस. एस. थे उन लोगों को आपने दूरस्थ गांवों में पहुंचा दिया जिससे कि वे जो सही बात है वह नहीं कह सकें। आपने इतना ही नहीं किया, इसके बाद आपने ट्यूशनखोरी के नाम पर ट्रांसफरों का समानीकरण कर दिया और ट्यूशनखोरी का जमघट कर दिया। नॉन आर. एस. एस., प्रोगेसिव, डायनामिक, वास्तव में जिनकी पोटेंशल थी, जो राष्ट्रपति अवार्ड से विभूषित थे, प्रशंसित थे उन लोगों का आपने राजनीतिक भावना से, ईर्ष्या से, द्वेष से, बायस्ड प्रिजुडिस्ड एण्ड मैलाफाइड वे में दूरस्थ इलाकों में ट्रांसफर कर दिया। अन्तिम चरण आपका शिक्षकों का ट्रांसफर करने का यह रहा कि आपने स्वयं जाकर तीन आदमियों की एक कमेटी बनाई और तीन आदमियों की शिकायत पर डाइरेक्टर की अनुशंसा पर निरीक्षण करना बता कर आपने उनके ट्रांसफर कर दिये। जब आपने राजस्थान के शिक्षक जगत को इन पांच तरीकों से ट्रांसफर कर दिया, सभापति महोदय, राजस्थान का शिक्षक वर्ग तिलमिला गया? परिणाम क्या निकला? 32 साल के इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षकों ने परीक्षा नहीं ली हो। शिक्षकों का उद्देश्य है शिक्षा की प्राप्ति करवाना और शिक्षक-शिक्षार्थी के बीच में अच्छे सम्बन्ध रखना। लेकिन अच्छे सम्बन्धों के बीच में चीन की दीवार के रूप में आये तो, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप आये। आपके कारण फिर क्या हुआ हश्र? पहली बार भारत के इतिहास में सम्पूर्ण परीक्षाएं इस प्रांत की पुलिस के संरक्षण में हुई, करोड़ों रुपये बरबाद हुए और एक साल तक शासन ने कुछ काम नहीं किया। ऐसे आप असफल और तुगलकी फरमान जारी करने वाले मंत्री महोदय हुए। मेरा निवेदन करना है कि मेरी एक भी बात जो मैं कह रहा हूं, उसको आप लोजिकली डिनाई करें, रीबट करें, रिफ्युट करें कि किस तरीके से आपने ऐसा नहीं किया।

फिर आपने कहा कि दो पारियों में स्कूल चलाऊंगा। राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल कण्डीशन है, जो इकोलोजिकल कण्डीशन है, सुबह-सुबह छोटे बच्चे घर से निकलते हैं गांव में आते हैं, नदी पार करते हैं, कोई बस मिलती है या नहीं मिलती है, दो पारियों में कैसे सम्भव हो सकता है? लेकिन आपने कहा कि नहीं, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने भी कहा था ऐसे ही। इम्प्रैक्टिकल, इम्पोसिबल, इम्प्रोबेबल, कोई रियलिस्टिक एप्रोच का सवाल नहीं फिर भी आपने दो पारियों में स्कूल करवाया। मैं पूछना चाहता हूं कि दो पारियों में स्कूल चले? नहीं चले। हार कर आपने कहा कि एक पारी में ही स्कूल पूर्ववत् चलने दो।

इसके बाद, 200 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने साइंस की फैकल्टी खोली थी,

(112)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

सभापति महोदय, कामर्स फैकल्टी खोली थी आपने उनका एक नामकरण कर दिया कि ये अनार्थिक स्कूलें हैं, कांग्रेस द्वारा खोली हुई अनार्थिक स्कूलें हैं और आपने साइंस और कामर्स फैकल्टी तोड़ दी। आप पर मेरा सीधा आरोप है कि आपने राजस्थान की लगभग साढ़े तीन सौ स्कूलें तोड़ दीं और फिर कहते हैं कि हमने 25 स्कूलें बढ़ा दीं उसमें साइंस बढ़ा दी, उसमें कामर्स कर दी। आपने तोड़ी कितनी, यह बताएं। आपने स्कूलों को साइंस फैकल्टी विहीन, कामर्स फैकल्टी विहीन कर दिया। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने खोली थी। आज आप कहते हैं कि हमने 30 स्कूलों में साइंस कर दी, 20 में कामर्स कर दी। कुल मिलाकर न्यूमैरिकल वैल्यू 1–1 दो होते हैं या चार होते हैं यह तो आप जानते हैं, आप बता दीजिये आपके जमाने में आपने फैकल्टी ज्यादा तोड़ीं या स्थापित कीं? यदि आप बता देंगे कि ज्यादा स्थापित की तो मैं माफी मांग लूंगा कि मैं गलत आंकड़े पेश कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का जो समय है उसका आपने ध्यान नहीं रखा। बच्चों को परेशानी हुई। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि आपने एक तबादला उद्योग नाम से एक नयी संस्था की रचना की तबादला उद्योग, तबादला इण्डस्ट्री या ट्रांसफर इंडस्ट्री के नाम पर

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम): हनुमान जी ने की थी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : (व्यवधान) ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में आपको कोई अगर शिकायत है तो जांच का इनसे आश्वासन दिला देते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जी, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ट्रांसफर उद्योग शब्द आपने कहा है। एक ट्रांसफर पॉलिसी बना कर जिस तरीके से ट्रांसफर किये गये हैं अगर कोई उसमें आपको शिकायत है तो कहिये। और वैसे कोई आपके संबंधी हैं कोई मिसेज वगैरह जिससे आप बहुत कष्ट में हैं तो आप बता दें, ये निश्चित रूप से ट्रांसफर करा देंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पॉलिसी तो इस बार बना दी, ये तो पहले की बात कर रहे हैं। इस बार तो पॉलिसी बना दी बहुत अच्छा, लेकिन ये तो पहले की बात कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी सिफारिश पर हो जाते हैं क्या?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह सब शिक्षकों के हित ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जोशी जी, प्लीज कैरी ओन।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सभापति महोदय, गुलाबचंद जी, से शिक्षकों का झगड़ा यही है, राजनेताओं का झगड़ा यही है कि ये नीति के अन्तर्गत ट्रांसफर करते है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) ये नेकर पहनाना चाहते हैं शिक्षक वर्ग भी पहन ले नेकर खाकी में?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : और इसलिए आपकी नाराजगी है । अगर इन्होंने आपके कहने से ट्रांसफर कर दिये होते तो आपकी नाराजगी नहीं होती ।

श्री सभापति : बिराजिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : श्रीमान्, मैं शपथपूर्वक इस सदन में कहता हूं कि साढ़े चार साल में शिक्षा मंत्री महोदय के पास मैं एक बार गया था कि मेरे यहां सैकण्डरी स्कूल खोलें । आपने एक स्कूल गये साल खोली थी उसके लिए गए साल भी मैंने धन्यवाद दिया घर जाकर और अभी भी धन्यवाद दे देता हूं । लेकिन साढ़े चार साल में मैं ट्रांसफर के लिए आज तक नहीं गया और न मैं ट्रांसफर में कभी पड़ता हूं, क्योंकि मैं इसको कैंसर मानता हूं ।

श्री भवानी जोशी : मेरे सामने ही ट्रांसफर कराने के लिए गये हैं ।

श्री सभापति : कृपया बाधा न डालें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको मेरा निवेदन करना यह है कि मिडल स्कूल के एग्जाम के नाम पर जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट को लाखों रुपयों का बजट दिया गया उसका मिसयूज हुआ । 25 प्रतिशत वालों को पूरक परीक्षा में बैठने का मौका दिया, इस तरह हमारी मिडल की परीक्षाएं सब स्टैण्डर्ड परीक्षाएं हो गई हैं । इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन करना है कि आज कोई भी शिक्षा जगत में इस बात का धनी-धोरी नहीं है, पाठ्य पुस्तक मण्डल जिसको कि 22 करोड़ रुपये की पुस्तकें छापनी थीं उसने नाइंथ, टैंथ की पुस्तकें नहीं छापीं । अमुक-अमुक जो बुक सेलर हैं उनके पास केवल 25–25 सैट जाते हैं 7–7 दिन के लिए बेचने के लिए । आज पैसा लिये-लिये बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन उनको पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं । पाठ्य पुस्तकों में इतना घपला है कि चार करोड़ रुपये पाठ्य पुस्तक मण्डल की जो धनराशि आई उसको बजाय ऐसे बैंक में रखने के जो 9-9.5परसेंट ब्याज देता एक ऐसे बैंक में जमा कराया जिससे 6.2% ब्याज मिलता है । लाखों रुपया आपने अपने चहेते बैंक में जमा कराया और नुकसान किया शिक्षा जगत का ।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि नाइंथ और टैंथ की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. मार्केट में नहीं आ रही हैं. तीसरी, चौथी, पांचवीं की आउट ऑफ प्रिन्ट हैं और आप कह रहे हैं कि हम समानीकरण करेंगे, आप कहते हैं नवीनीकरण करेंगे । आपने गजेन्द्र गड़कर का नाम लिया, आपने मुदालियार कमेटी का का नाम लिया, आपने आचार्य नरेन्द्र देव का नाम लिया, आपने कोठारी कमीशन का नाम लिया, नाम लेने को तो कुछ भी लो लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान के शिक्षकों का आउटपुट क्या है ? आप इस अर्द्धशती के सबसे ज्यादा असफल, फेलियर फ्लाप शिक्षा मंत्री हैं । अन्त में केवल एक मिनट और माननीय सभापति महोदय । यह 30–6–98 का इंडिया टुडे हैं जो कि आज हमारे देश में जगह-जगह इंटलैक्युअल कैलिबर की मैगजीन का रूप ले चुका है, लिखता है प्रयोगों में उलझी प्रारम्भिक शिक्षा । शिशा मंत्री गुलाबचन्द कटारिया

(114)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

स्कूली शिक्षा व्यवस्था में नित नये प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षा समुदाय इन प्रयोगों को तुगलकी बता रहा है। इन प्रयोगों से छात्रों के भविष्य को कैसे कितना नुकसान पहुंचा है। श्रीमान्, बोलने के लिए बहुत हैं, लेकिन आप बार-बार समय की पाबंदी बता रहे हैं, मैं बैठ रहा हूं लेकिन अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, अच्छे संस्कार ग्रहण करना है। कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थान का विद्यार्थी संघीकरण अपनाए, कोई जरूरी नहीं कि राजस्थान का विद्यार्थी खाकी नेकर पहनने को लाजमी तौर पर बाध्य किया जाए। आपने स्कूली शिक्षकों के लिए कह दिया कि विद्यार्थियों की खाकी नेकर और सफेद कमीज होगी। आपने जो भी पाठ्यक्रम बदला है उसमें भी आर. एस. एस. से सम्बन्धित लोगों की विचारधाराओं की पाठ्य पुस्तकें की हैं....(व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नीली नेकर है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बैठिये, बैठिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : नीली है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : (व्यवधान) इन्होंने जो आक्षेप लगाये हैं।

श्री शांतिलाल चोईवाल : समापति महोदय, खाकी नेकर और सफेद कमीज का यह जो गणवेश लिया है ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक डंडा और दिलवा दो।

श्री समापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शांतिलाल चोईवाल : यह सन् 1952 से चल रही है। हम विद्यार्थी थे तब भी चलती थी (व्यवधान) सफेद कमीज और खाकी पेंट नेकर.. (व्यवधान)

श्री समापति : कृपया विराजें। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : समापति महोदय, अन्त में मैं....

श्री समापति : मैं नाम बोल चुका हूं दूसरा।

श्री शांतिलाल चोईवाल : (व्यवधान).... सारे राजस्थान में हो गणवेश है। यह कांग्रेस दल की ड्रेस क्या है यह भी इनसे पूछ लें। भारतीय जनता पार्टी के....(व्यवधान) खाकी ड्रेस और सफेद कमीज नहीं पहने जाएंगे तो....

श्री समापति : अब ये समाप्त कर रहे हैं। माननीय सदस्य, विराजिये। अपना समय खराब कर रहे हैं आप। 40 सदस्यों की सूची है बोलने वालों की।

श्री शैलेन्द्र जोशी : समापति महोदय, मेरा आपसे अन्त में यह निवेदन है, मेरी आपसे यह गुजारिश है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय नित-नये प्रयोगों की शृंखलाबद्ध शृंखला है उसको बंद करके राजस्थान के....

श्री समापति : समाप्त करें, आप पहले बता चुके हैं इस बात को।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान के शैक्षणिक कैलेण्डर में आर.एस.एस का जो समीकरण किया है यह... (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (अनुपस्थित)।

माननीय श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग सं. 24 पर चर्चा हो रही है। सरकार ने पांच सालों में काफी मात्रा में स्कूल खोले, क्रमोन्नत किये और स्कूलों में काफी बजट भी दिया है। मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं। महोदय, मानव विकास बिना शिक्षा के नहीं हो सकता इसलिए शिक्षा के प्रति जनता में चाहत बहुत पैदा हुई है। बजट में इस चाहत को देखते हुए 550 प्राथमिक शाला नवीन खोली जाएंगी और छात्रावासों का भी निर्माण किया जाएगा।

महोदय, मैं आंकड़े भी बताना चाहती हूं कि जिले में किस तरह इन्होंने स्कूल खोलने, क्रमोन्नत करने का काफी काम किया है। आकड़े मैं बताना चाहती हूं कि 500 प्राथमिक शालाएं, 50 उच्च प्राथमिक, 50 माध्यमिक और इनके छात्रावासों के निर्माण भी होंगे। जो आंकड़े दिये गये हैं, सभापति महोदय, हर जिले में आएंगे ये आंकड़े। अपने जिले मान लो 35 हैं या 30 हैं उसमें सब में दो–दो स्कूल खुल सकती है और क्रमोन्नत भी हो सकती है। ये बहुत ही सुन्दर इन्होंने आंकड़े दिये हैं जो कि हमारे राजस्थान की शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी शिक्षा मंत्री जी को। मैं (व्यवधान) ...

श्री सभापति : कृपया विराजें, व्यवधान नहीं डालें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ... सभापति महोदय, 50–50 कहां खोलोगे ? 50–50 स्कूल खोले हैं, कहां खोलोगे ?

श्री सभापति : मेरा निवेदन है आपसे, माननीय मीणाजी, विराजें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : दो सौ विधान सभा क्षेत्र हैं।

श्रीमती मीना अग्रवाल : माननीय सदस्य, आपको मौका मिलेगा फिर बोलना। बैठ जाइये।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : एक–एक स्कूल तो देते आप। 50–50 खोल दिये और अपने आप उपलब्धी गिना रही हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ये कौन-सा तरीका है आपका ? उनको अपनी बात कहने दीजिये, आप अपनी बात में सम्मिलित कर लेना। ये कोई तरीका नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, 33 प्रतिशत आरक्षण के मामले में भी एक्शन, महिला बोले तो भी एक्शन। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बोलने में महिलाएं अड़चन डालेंगी।

(14.00 बजे)

श्रीमती मीना अग्रवाल : सभापति महोदय, आज जनता में जागृति आई है गांव–गांव में कि बच्चों को पढ़ाना चाहिये। अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। पढ़ाने के बारे में गहराई से मंत्री जी को सोचना है। उच्च शिक्षा मंत्री जी यहां विराजमान है उनको मैं निवेदन करना चाहूंगी कि

(116)

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज में अगर हिन्दी से पढ़ाया जाएं तो हमारे यहां से बहुत से बच्चे जो विदेश में चले जाते है, वे कम हो जाएंगे। और हमारे यहां के डाक्टरों और इंजीनियरों की सेवा यहीं हमें मिल जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और मैं हृदय से इनका स्वागत भी करना चाहती हूं कि अलवर में इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी हैं और अलवर में महिला छात्रावास खोलने के लिये भी इस साल बजट में प्रावधान रखा। राजस्थान में महिला महाविद्यालय खोलने के लिये तो इन्होंने पिछले साल भी किया, अभी भी कर रहे हैं, इसके लिये भी मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की थोड़ी-सी परेशानी बताना चाहती हूं। वह परेशानी यह है कि अलवर जिले में स्कूलों में मरम्मत नहीं होती है। कई भवनों के लिये पी. डब्ल्यू. डी. ने लिख दिया कि यह भवन गिराऊ हालत में है पर वहां कोई सुनवाई इस बारे में नहीं है कि इस भवन को स्थानान्तरित किया जाए। दूसरी समस्या यह है कि अलवर शहर में कम से कम 15 स्कूल पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। मैं बराबर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती रही हूं कि पेड़ों के नीचे स्कूल चल रहे हैं। उसमें सर्दी, बरसात और धूप बच्चे सहन कर रहे है, इससे अलावा इन झंझटों से वहां कई बार छुट्टियां कर देते हैं। इस बारे में भी ध्यान देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री जी से मैं एक और कहना चाहूंगी कि अलवर में इस साल लॉ यूनिवर्सिटी अगर ये खोल दें तो मैं इनकी बहुत आभारी रहूंगी। अलवर जिला दिल्ली से लगता हुआ है मैं अलवर जिले की जनता की तरफ से निवेदन करूंगी कि राजस्थान में सिंह द्वारों पर अगर लॉ यूनिवर्सिटी खोल देंगे तो सारी जनता इनकी वाह वाही करेगी, इनका अभिनन्दन करेगी। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि वे यूनिवर्सिटी वहीं खोलें।

महिलाओं के लिये इस बजट में उच्च शिक्षा मंत्री जी ने तकनीकी एडमिशन फीस में 50 परसेंट की छूट दी है, यह बहुत ही सुन्दर प्रावधान इन्होंने रखा है। इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कि महिला शिक्षा में आये और इंजीनियर भी बने। इसके लिये मैं इनका स्वागत करती हूं। साथ में महिलाओं की जो परेशानी हैं वह मैं मंत्री जी श्री गुलाबचन्द कटारिया को बताना चाहूंगी। जो महिला कुंवारी होती है या विडो है, इन महिलाओं को जहां बसों का साधन हो या जहां रेलगाड़ी का साधन हो ऐसी मेन रोड पर लगाया जाए ड्यूटी पूरी करने बाद जल्दी घर आना चाहती है क्योंकि बच्चों को सम्भालना है, घर-परिवार की जिम्मेदारी होती है। कुंवारी लड़कियां है या विडो है उनको जहां बसों या रेल के साधन मिलें वहां लगाएं या ऐसी व्यवस्था रखे कि उनकी ज्यादातर ड्यूटी वहीं लगें। प्रौढ़ शिक्षा में भी मैं यह चाहती हूं कि युवा महिलाओं को गांवों में कम भेज जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मंत्री जी से मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अलवर में प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा है और वे बिजनस के रूप में कर

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

रहे हैं। उनको गवर्नमेंट ऐड भी देती है चाहे वह कितनी ही परसेंट देती हो। मगर इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है कि कितनी फीस वे रखते हैं, कितना विकास का पैसा वे लेते हैं। मेरा एक निवेदन है कि इनकी सी.ए. से ऑडिट करायी जाए और ऑडिट जनता के सामने, अखबार के सामने रखा जाए कि अमुक स्कूल कितना पैसा लेती है और इससे कितना शोषण अभिभावकों और बच्चों का होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आखिर बोल रही हूं साहब, आप मेरी तरफ देख रहे हैं मेरे को घबराहट लग रही है।

श्री सभापति . नहीं, आराम से बोलिए। बिना घबराहट के बोलिए आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अन्तिम बात बोल रही हूं। हमारे 1994 से निःशुल्क पुस्तकें चल रही है, पांचवीं तक बच्चों की और आठवीं तक बालिकाओं की। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह मतभेद नहीं रखें लड़कों और लड़कियों में। एक ही साथ यह आठवीं तक लड़कों और लड़कियों की कर दी जाए जिससे बच्चों के मन में कोई भावना नहीं आए कि हमारे प्रति ऐसी भावना है।

दूसरी बात एक और कहना चाहूंगी कि अलवर में कुछ ग्रीन बैल्ट जमीन है जो फोरेस्ट में आती है। वहां एक प्राइवेट स्कूल अपना निर्माण कर रही है। उसकी जांच करवाएं, और अगर कानूनी रूप से गलत है तो उसको रोका जाए क्योंकि ग्रीन बैल्ट हमारे लिये बहुत जरूरी है, फोरेस्ट की जमीन है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे इस बारे में भी ध्यान दें।

मैं मंत्री जी से यह भी कहूंगी कि आज जो कटौती फार्म भरा गया था। मांग संख्या–24 का उसमें मैंने भरा था स्कूल मरम्मत, क्रमोन्नत और पेड़ों के नीचे स्कूल चलने का। मगर इन्होंने इसका उलटा लिखा है। इन्होंने यह लिख दिया है कि अलवर निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालय भवन की मरम्मत और कमरों की कमी के कारण छात्रों को हो रही परेशानी। इसमें मेरा क्रमोन्नति का नहीं लिखा, पेड़ों के नीचे का नहीं लिखा। इस लापरवाही पर भी आप ध्यान दें। यही कह कर मेरा धन्यवाद। आपने बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। चर्चा को एक क्षण के लिये रोकते हुए मैं अध्यक्षीय व्यवस्था देना चाहता हूं।

व्यवस्था

राज्य सरकार माननीय सदस्या श्रीमती शशीदत्ता के निर्वाचन क्षेत्र में सेम की समस्या का समाधान करे

माननीय सदस्या श्रीमती शशीदत्ता ने लिखित में अवगत कराया है कि यदि राज्य सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सेम ग्रस्त इलाके की समस्या का समाधान नहीं किया या कोई उचित आश्वासन नहीं दिया तो उन्हें मजबूर होकर दिनांक 29.7.98 को सदन में आत्मदाह करना पड़ेगा। माननीय सदस्या की उक्त घोषणा के संदर्भ में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में माननीय सदस्या से विचार–विमर्श कर सेमग्रस्त क्षेत्र की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

माननीय श्री हरिसिंह कुम्हेर।

118

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, मैं उस वक्त उपस्थित नहीं थी। मुझे पहले मौका दे दें जिससे कि मैं अपनी बात कह दूं। हरिसिंह जी, आप थोड़ा बाद में बोल लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों को कहें कि वे कम से कम बोलें तो सही कि आपने जो व्यवस्था दी है उसके बारे में वे क्या विचार रखते है।

श्री सभापति : करेंगे, तत्काल थोड़े ही होता है।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसे बहुत ही विकासोन्मुख, प्रजा हितैषी, कल्याणकारी और इस प्रदेश को बहुत ही आगे बढ़ाने वाला कह कर बड़े पुरजोर शब्दों में और लच्छेदार भाषा में प्रस्तुत किया है। जब जवाब दे रहे थे तब तो उन्होंने एक बहुत ही अनोखी बात कही कि हमारा यह बजट और हमारी यह सरकार इस बात की कोई परवाह नहीं करती कि घाटा कितना हो रहा है। लेकिन हम मानव संसाधनों को विकसित करने में, मानव शक्ति को सृजित करने में और उसको विकसित करने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और न रहें। माननीय सभापति महोदय, इनके इतने ऊंचे उल्लेख और इतनी स्पष्ट उद्घोषणा के सम्बन्ध में आज जो यह मांग प्रस्तुत हुई है उसे अगर देखें तो उनकी उद्घोषणा, उनका स्वप्न, उनका बड़ा भारी प्रवास जो उन्होंने प्रस्तुत किया वह मेरी समझ में नहीं के बराबर साबित हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कैसे इतने-से प्रावधानों से खुश हो गये और कैसे इसको लेकर बड़ा भारी झण्डा उठाकर सदन में बैठे हैं कि हमने शिक्षा के सन्दर्भ में बड़ा भारी उल्लेखनीय काम किया? आपने जो स्कूलें खोली हैं उनका मैं उल्लेख नहीं करूंगी—वह भी जितनी मांग है राजस्थान के अंदर, जितनी आवश्यकता राजस्थान के अन्दर उसके मुकाबले में आपने बहुत न्यून प्रतिशत में ये स्कूलें खोली है लेकिन इस बजट में तो आपने कमाल ही कर दिया। यह न्यूनतम स्तर है जिस पर आप आकर खड़े हुए हैं। और तो क्या कहूं, इतना बड़ा राजस्थान, इसमें 32 जिले, इतनी सारी पंचायत समितियां और कम से कम दो सौ विधान सभा क्षेत्र और उनमें प्राथमिक शालाएं 550? यानी कल्पना कीजिये कि क्या आपकी सोच है और क्या आप विकास की दर ले जाना चाहते हैं, किस जगह पर इस स्टेट को खड़ा रखना चाहते हैं। प्राथमिक शालाओं की आज कितनी मांग है, मैं पूछना चाहती हूं आपसे? प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से, विधान सभा क्षेत्र स्तर से आज आपके पास कितनी कितनी प्राथमिक शालाओं की मांग पड़ी हुई है? मैं अकेले मेरे क्षेत्र का बता सकती हूं कि पिछले साढ़े चार वर्ष से लगातार मैं 19-20 प्राथमिक शालाओं का बराबर उल्लेख करती आ रही हूं, मांग करती आ रही हूं लिखती आ रही हूं लेकिन एकाध-एकाध कोई इसमें दे देते हैं इसके अलावा कोई स्कूलों का प्रावधान नहीं है। और आज तो आपने सारे राजस्थान के मुंह पर छींका लगा दिया। ये प्राथमिक शालाएं हजारों में होनी चाहिए थीं। हमने अपने

(श्रीमती कमला)

वक्त में 3–3 हजार प्राथमिक शालाएं खोली हैं । राजस्थान में शिक्षा का स्तर....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने वर्षों में ?

श्रीमती कमला : एक–एक वर्ष की बात बता रही हूं, कितने वर्षों की नहीं कह रही हूं । यह बहस का विषय नहीं है । आप ईमानदारी से मानिये कि क्या आज राजस्थान में शिक्षा के स्तर में जितनी कमी, उसके प्रतिशत में जो कमी है उसके मुकाबले में हमने भी कमी रखी ? आपने तो कहीं ज्यादा, जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया । यह प्राथमिक शालाओं का जो आपने आंकड़ा दिया है वह किसी विधायक को या किसी एक मिनिस्टर को आप सौंप देंगे, क्योंकि 550 प्राथमिक शालाएं किस-किस के पांती आएंगी और कहां कहां देंगे आप ? एक एक बांटेंगे तो भी आप जो पिछड़ा हुआ है उसको कुछ देंगे, ज्यादा तो हो जाएगा । सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे यह है और मैं इसको चैलेंज करती हूं उन्होंने जो इस बात को कहा है कि हमने राजस्थान के सभी बड़े गांवों को दे दिया है, राजस्थान गांवों को राजस्व गांव क्या है ? ढाई सौ और उससे ऊपर की आबादी और रेगिस्तानी पहाड़ी इलाकों में डेढ़ सौ और उससे ऊपर की आबादी । माननीय मंत्री महोदय, आपको भी पता होना चाहिए कि जो राजस्व गांव घोषित हुए हैं उनके अलावा आज उतनी ही बड़ी आबादी की जगह-जगह ढाणियां बनी हुई हैं । आप यह समझते कि एक जगह जो ढाई सौ आबादी है वह गांव है लेकिन आज मुख्य गांव को छोड़कर किसान और दूसरे तबके के लोग अपने अपने खेत में जाकर बस गये हैं । 2–2, 4–4 खेतों पर इतनी आबादी बसी हुई है कि वहां आपके राजस्व गांव से ज्यादा आबादी पड़ी हुई है । आज उन ढाणियों के अन्दर 50–50, 60–60, 70–70 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने की उम्र के हैं लेकिन उनके बीच में कोई प्राथमिक शाला नहीं है। आपने जो राजस्व गांव का उदाहरण दिया है यह गलत है । आपने कैलकुलेशन किया है । आज राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में पढ़ने की उम्र के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं इसलिए आप यह दावा कर रहे हैं। यह बिलकुल आपका खोखला साबित हो रहा है ।

दूसरी तरफ जो पहले से आपने प्राथमिक शालाएं खोल रखी हैं, 5–5, 7–7 वर्ष पहले से, उनके पहले अगर 40 बच्चे थे तो आज उनमें सौ–डेढ़ सौ तक बच्चे हो रहे हैं, कहीं दो–दो सौ बच्चे हैं । आपने पूरे समय में एक भी अतिरिक्त अध्यापक का पद सृजित नहीं किया, कोई एक टीचर उन विद्यालयों के अन्दर मौजूद नहीं वह छुट्टी चला जाए तो बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ा लें बाकी कोई पढ़ाने वाला नहीं । इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने इस बजट के अन्दर प्राथमिक शालाओं में अतिरिक्त अध्यापकों का सृजन जो करना चाहिए था, कम से कम 500 इस तरह के अध्यापकों के पद आपको सृजित करने चाहिए, आपने एक का भी सृजन नहीं किया है । आज गांव–गांव के अन्दर जब कहीं जाते हैं, सबसे ज्यादा समस्या यह आ रही है कि दो सौ बच्चे, डेढ़ सौ बच्चे हैं मास्टर एक ही है, उन्हें कहीं कोई देखने वाला नहीं है । इसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी । आपका बहुत बड़ा

(श्रीमती कमला)

लैप्स हुआ है। आपने क्यों नहीं अपने विभाग की तरफ से इसको एसर्ट कराया, यह मैं कह नहीं सकती।

अब सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी भी 50-50, ये आपके मंत्रियों के भी पाती पूरे नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपका दलबल बढ़ गया है, तो विधायक को क्या देंगे? पूरे विधान सभा क्षेत्रों में आप किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि यह 50 का आंकड़ा आप कहां से लाये? अगर एक विधान सभा क्षेत्र को भी एक देना चाहते हैं तो वह कम से कम दो सौ तो रखना चाहिए। ठीक है, आप हमारे कांग्रेसियों को नहीं देते तो आपके किसी एक बी. जे. पी. के विधायक को डबल दे देते, लेकिन कम से कम संख्या गिनकर तो बनाते। आपने पिछले 8 वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो दो मिडल स्कूल, एक सैकण्डरी और एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह कम है क्या?

श्रीमती कमला : आप क्यों बोल रहे हैं? आप मंत्री हैं क्या जो जवाब दे रहे हैं बैठे-बैठे? आप जो गलतियां कर रहे हैं उनको मानना चाहिए। हमने की हम भी मानेंगे, आप कर रहे हैं आप भी मानिये। यह शिक्षा के साथ में खिलवाड़ नहीं हो सकता। आपने जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं और जो कर रहे हैं वह शिक्षा स्तर को आगे ले जाने के लिए मानव शक्ति और मानव संसाधन को विकसित करने के लिए जो ऊंचा नारा लगाया उसके मुकाबले कहीं जमीन पर भी नहीं खड़ा।

दूसरी तरफ, आपने जो विद्यालय बनाये हुए हैं सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी वर्षों से आपके पास में सूचियां आ रही हैं सब्जैक्ट टीचर्स की। जब परीक्षाएं सिर पर आ जाती हैं और लोग चिल्लाते हैं कि साहब, हमारे बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं गणित का टीचर्स नहीं है साइंस का टीचर नहीं है, इसका टीचर नहीं है तब आप कहते हैं हम जल्दी व्यवस्था करते हैं। आपने कितनी बार हाउस में क्वेश्चन ऑवर में जवाब दिया है कि हम इसका जल्दी इंतजाम कर रहे हैं? क्यों नहीं आप साल के शुरू में ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं और साल शुरू होने से पहले सारा सर्वेक्षण करके इसका इंतजाम करते हैं? आपके पास में नये नहीं हैं तो रिटायर्ड मौजूद हैं, ट्रेंड नहीं हैं अनट्रेंड हैं उनको आप ले सकते हैं इन सब्जैक्ट्स के लिए, लेकिन फिर भी वह समस्या अभी मौजूद है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस है और इनको+++आनी चाहिए कि महिला शिक्षा के नाम पर एक कलम भी इन्होंने इस बजट के अन्दर नहीं चलायी। मैं पूछना चाहती हूं, यही आपके आने वाले समय के विकास का दृष्टिगोचर है, यही आपकी सोच है? आप वहां

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती कमला)

पार्लियामैंट में तो बिल ला रहे हैं और यहां की सरकार उनका जीरो प्रावधान कर रही है। आपको सोचना चाहिए था, माननीय मंत्री महोदय। आखिर इस 50 प्रतिशत की आबादी को आप यों ही मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त प्रवेश यह थोड़ा-सा देकर क्या बताना चाह रहे हैं? इस बजट में एक बालिका विद्यालय का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, कोई बजट का प्रावधान नहीं है। मैं मांग करती हूं, आपसे कि जो जनरल एजुकेशन का आपने बजट रखा है उसमें से आप ज्यादा नहीं तो 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए दीजिये? कहां है? एक प्रतिशत भी नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदय जहां कहीं भी बैठे हैं उनको निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह का गलत काम आप अपने राज्य के ऊपर, अपने मंत्रिमण्डल के ऊपर मत लगवाइये कि महिला शिक्षा के नाम पर एक प्राइमरी, एक सैकण्डरी, एक उच्च प्राथमिक शाला कुछ भी आपने इसके अन्दर नहीं रखा है। यह बहुत ही शर्म की बात है और हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, संस्कृत शिक्षा का तो नामोनिशान ही नहीं है। हमने वर्षों से यह कायदा बना रखा था, और आज भी यह मौजूद है, आपने उसको हटाया नहीं है कि जनरल शिक्षा का पांच प्रतिशत संस्कृत शिक्षा के लिए रखा जाएगा। आपने न प्रवेशिका रखी, न आपने उपाध्याय रखी, न आपने प्राथमिक शिक्षा, न उच्च प्राथमिक शिक्षा, कुछ भी इसके अन्दर नहीं रखी, क्यों? जब आप मंत्रीगण संस्कृत के समारोह में जाते हैं तो बड़ा भारी महिमामण्डित करते हैं संस्कृत को कि यह हमारी संस्कृति का आधार है यह हमारी आत्मा है, यह हमारा फलां है और क्या हो गया वित्त मंत्री जी को? और आज क्या हो गया आपको कि आपने संस्कृत शिक्षा के लिये कोई प्रावधान नहीं किया? और तो और, जिस संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये इतनी मेहनत की गयी, जिसके लिये इतनी कोशिश की गयी, आज तक असैम्बली के एजेण्डे में उसका बिल लाकर पास कराने की भी आपने व्यवस्था नहीं करायी। मैं उम्मीद करती हूं और मुख्य मंत्री से निवेदन भी किया है मैंने कि संस्कृत विश्वविद्यालय के विधेयक का पारण तो कम से कम इसी सत्र में कर दिया जाए जिससे हम यह सोच सकें कि सचमुच में आपने जो मेहनत की है उसका लाभ राज्य को देना चाहते हैं। संस्कृत शिक्षा के लिये जो पांच प्रतिशत निर्धारित है उसको आप इसमें शामिल करवाएं और स्कूलों को खोलने की व्यवस्था कराएं।

इसके साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि आपका जो सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा है, क्या आपने उसका सर्वेक्षण करवाया? आपने पता किया कि दरअसल कितनी सम्पूर्ण साक्षरता हो रही है? आज स्थिति यह है कि जिन जिलों को आपने सम्पूर्ण साक्षर घोषित कर रखा है वे आधे भी साक्षर नहीं हैं। इसी दृष्टि से 2001 में यह राज्य सरकार सारे राजस्थान को साक्षर कर देगी! यह कितना बड़ा धोखा-

(श्रीमती कमला)

घड़ी का उल्लेख है आपके बजट के अन्दर। सम्वत् 2001 को आने में कितना समय है ? 1998 तो हो गया, तीन वर्ष के अन्दर? मैं चैलेंज करती हूं इस सरकार की घोषणा को। तीन वर्ष के अन्दर सारे राजस्थान को सम्पूर्ण साक्षर अगर आप कर सकें इस तरीके से तो यह असम्भव चीज है। इस तरह की बातों का उल्लेख करना अपने आप में बहुत धोखाधड़ी है राजस्थान के लोगों के साथ में।

अध्यापकों के ट्रांसफर के बारे में अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। ट्रांसफर करिये, आवश्यकता है तो करिये, कोई बात नहीं है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, एक ऐसा शर्मनाक तरीका है कि जैसे ही छुट्टियां हुई, सारे अध्यापक वर्ग में हड़कम्प मच गया और इनके सारे के सारे साथीगण सक्रिय हो गये, बोलो कहां जाना है, बोलो किसको हटाना है। सारी लिस्ट बना-बनाकर फिर एक गुप्त स्थान पर कैम्प लगाकर स्थानांतरण की चिट, पर्चियां लिस्टें लेकर अधिकारियों से साइन करवाकर जारी करते हैं। मैंने तो आज तक कोई ट्रांसफर के लिये कहा नहीं और न कोई जरूरत है कोई दुःखी होंगे तो अपने आप करा लेंगे लेकिन यह जो अवकला है, यह परम्परा है, यह अखबारों में आता है यह बहुत ही खराब शिक्षा के बारे में एक कायदा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आप परीक्षण करना बन्द करो। आपने ग्रीष्मावकाश का एक परीक्षण किया कि बच्चों को मई तक पढ़ाओ और फिर छुट्टियां करो। आपने देखा कभी ? इतनी भर गर्मी के अन्दर छोटे-छोटे बच्चे, लाल मुंह, पसीना चल रहा है राजस्थान के अन्दर मई में आप स्कूल चलाएंगे और अक्टूबर में आप छुट्टियां करें जब अच्छा मौसम है ? मेहरबानी करके अब आने वाले सत्र में इस तरह न करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : खेती का समय होता है अक्टूबर में।

श्री सभापति : अब कृपया आप समाप्त करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती कमला : खेती आप कर रहे हो क्या ? इन बच्चों को आप इस तरह से मई में (व्यवधान) अब आखिर में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं, आपने बोर्ड की परीक्षाएं लीं उनके जो परिणाम आए, उन परिणामों के बारे में आपने कुछ विश्लेषण किया होगा। कितना भद्दा दाग हमारे शिक्षा विभाग के ऊपर लगा है कि कहीं जीरो प्रतिशत, कहीं 12 प्रतिशत, कहीं 15 प्रतिशत, इस तरह के जो परिणाम आए हैं यह हमारे राज्य के लिये बहुत ही शर्मनाक चीज है। यह ऐसा क्यों हुआ ? कह देते है प्रश्न के उत्तर में कि परीक्षा तो करानी जरूरी थी इसलिए कोई ग्राम सेवक को लगा दिया, कोई किसी को लगा दिया, कोई किसी को लगा दिया। लेकिन लगाने के बाद में आपने यह भी देखा होगा कि कारण क्या है, परीक्षा की कापियां जांचीं किसने, परीक्षा किसने ली ? उनके और

(श्रीमती कमला)

उनके स्तर के अन्दर कितना अन्तर था ? किस स्तर से उन्होंने जांचा ? बच्चों का साल बर्बाद कर दिया और परिवार के लोगों की हालत खस्ता कर दी । इसलिए मैं आपसे इस मौके पर यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज जो हालत हो रही है स्कूली शिक्षा की, शिक्षा विभाग के स्कूलों की, अध्यापक जिस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, सरकार उनके जो हालात बना रही है, यह सब बहुत शोचनीय विषय है । इसके ऊपर गम्भीरता से सोचकर इस समस्या का निराकरण करें, वरना न आपका कुछ बिगड़ा है न किसी और का, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है । अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं ।

श्री सभापति : "अन्त में" तो कई दफा कह चुकीं आप ।

श्रीमती कमला : बस अन्त में ।

गांवों में और शहरों में हमारी इस लापरवाही और इस तौर तरीके से अच्छे और खराब दोनों तरह से प्राइवेट स्कूल पनप रहे हैं, सही कहा मेरी बहन ने, उसको व्यापार बना रखा है । सरकार हाथ ऊंचा करके बैठी रहती है कि यह तो इनका निजी स्कूल है, वे जैसे चाहे लें । इस तरह का नहीं है, आपके इस राज्य के अन्दर यदि कोई निजी स्कूल, कोई दवाखाना मरीजों से और बच्चों से और परिवारजनों से अनाप-शनाप पैसा लूट रहे हैं तो इनकी कोई दलील नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है । आप गाइडलाइंस तैयार करिये कि इस तरह के स्तर पर इस तरह से और आने वाले पांच वर्ष के बाद इस स्लाइडिंग स्केल से यह सारा काम होगा । वह आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं इसलिए आज हालात बहुत खराब हैं और परिवार के लोग लुट रहे हैं क्षमता से बाहर जाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर । इस तरह की नीतियां बनी हुई हैं ।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगी कि शिक्षा प्रजातन्त्र का मूल आधार है, देश के विकास का मूल आधार है । इसके लिये सामान्य शिक्षा बड़े पैमाने पर, महिला शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर और संस्कृत जो हमारी संस्कृति की रक्षक है उसको भी अच्छे पैमाने पर आप जमाइए, उसका प्रावधान करिये । जो आपने आज बजट में नहीं किया है उसको आप वापस सोचिये और पुनर्विचार करिये । यह जो हमारा हक बनता है लेने का, उसको आप उसमें कायम करिये । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज शिक्षा विभाग की मांग के सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय सदस्यगण सभी जानते हैं कि भारत में राजस्थान की गिनती शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़े प्रदेशों में होती है । हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में सतत् प्रयास करके यह कोशिश की है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की जाए । इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है । आज शिक्षा विभाग के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

ढाई सौ की आबादी के गांव, अनुसूचित जनजाति एवं रेगिस्तानी इलाके में ढाई सौ के राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में मिडल स्कूल का प्रावधान रखा गया है, पंचायत मुख्यालय मिडल स्कूल से जोड़े गये हैं। बहुत सारे उच्च माध्यमिक विद्यालय और सीनियर माध्यमिक विद्यालय पिछले सालों में राजस्थान सरकार ने खोलकर राजस्थान की जनता को यह दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों के हित में है। लोगों को शिक्षा की आवश्यकता थी उस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिये सातवीं योजना में जहां 270 करोड़ 88 लाख रुपये व्यय किये गये थे वहीं आठवीं योजना में 1040 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुआ है। जहां गरीब गांव का किसान, मजदूर अपना भरण-पोषण नहीं कर सकता है वहां अपने बच्चों को कैसे पढ़ाये? इस ओर राजस्थान की सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने और शिक्षा मंत्री जी ने ध्यान देकर यह प्रावधान किया है कि गांव के गरीब किसान, मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाएं। सन् 1994 के शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होते ही कक्षा एक से आठवीं तक की बालिकाओं के और एक से पांचवीं तक के बालकों को प्रवेश के साथ ही निःशुल्क पुस्तकें प्रदान कर माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखा दिया कि आजादी के इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है कि जहां गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या फायदा हुआ ?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : फायदा यह हुआ कि जो गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते वे निःशुल्क पुस्तकें देकर उन्हें आगे बढ़ा सकें।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। जल्दी खतम हो जाएगा।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : आपके राज्य में तो इतना भी नहीं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, इससे वार्षिक बजट में कोई अन्तर आया क्या ? उससे खुशहाली बढ़ी ?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : नहीं, आपके राज में अगर ऐसा कुछ किया हो तो बता दो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बहुबूदी बढ़ी, पुस्तकें माफ करने से उनके पक्के मकान बन गये ? (व्यवधान)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : गरीब आदमी के बच्चे आगे बढ़ सकें इसलिए पुस्तकें निःशुल्क .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह प्रक्रिया सही नहीं है बीच में टोकना।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : अब आपके राज्य में किया हो तो आप बताइये।

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

आपके राज में किया नहीं और आपके राज में नहीं किया तो आप इस बात को सुनने के लिये भी तैयार नहीं है ।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारे राज में तो देखिये आप सर्विस छोड़ गये ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : छोड़कर आ गये तो देखिये कि राजस्थान की जनता का विकास किस तरीके से हो रहा है । यह बात भी आप देखिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : अब तो सांवरमल जी के आगे-पीछे घूमते हो ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति से और शिक्षकों के दृढ़ निश्चय के आधार पर विभिन्न योजनाओं जैसे लोक–जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, साक्षरता सतत् शिक्षा और गुरु-मित्र के तहत राजस्थान में शिक्षा जगत में नये आयाम स्थापित किये हैं । आज राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा । मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब भी आप गये और जहां गांव के गरीब किसान, मजदूरों के हित में विद्यालय खोलने की आवश्यकता हुई, आपने बहुत सारे विद्यालय खोले । राजस्थान में खोले हैं । अभी आप सुन रहे थे, शिक्षा मंत्री भी रहीं, श्रीमती कमलाजी बता रही थीं कि इन आठ सालों में तीन–तीन, चार–चार विद्यालय उनको भी मिले हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज....

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : शम्भूदयालजी, मन्त्रीजी को यह तो पूछो कि पिलानी विधान सभा में एक भी खोला क्या सीनियर सैकण्डरी ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : उनको भी पता है ।

श्री श्रवण कुमार : एक तो बताओ । "अन्धा बांटह रेवड़ी घर-घर हाला न दे ।" थे बांट ली, खा लियो, म्हाने कठे दिया ? म्हारो तो जिक्र करो ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : उनको भी बंटा है । माननीय शिक्षा मंत्रीजी, विभाग के बजट में मेरे कुछ सुझाव हैं कि विद्यालयों में नवीन भवन के निर्माण के लिये, जो विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ गये हैं उनकी मरम्मत के लिये और विद्यालय भवन की चारदीवारी के लिये अपने इस बजट में निश्चित रूप से प्रावधान करें क्योंकि इस चीज की हमारे शिक्षा जगत में और विद्यालयों में बहुत भारी कमी अखरती है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी बहुत अभाव है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कराने का श्रम करें । जहां शिक्षकों के रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनमें खास तौर से अंग्रेजी और गणित और विज्ञान सकाय में कैमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के अध्यापकों की निश्चित रूप से पूर्ति कराने का श्रम करें ।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ विद्यालय जो क्रमोन्नत होने चाहिये थे, उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । प्राथमिक विद्यालय जैतपुरा केरोट जो सन् 1962 में खुला था आज वहां छात्रों की

(126)

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

संख्या 215 है और यह भिनाय पंचायत समिति और मेरे विधान सभा क्षेत्र का आखिरी गांव है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करें। उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय के लिए निवेदन है कि पिपलाज का जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है यह सन् 1968 से है और नागोला, भिनाय पंचायत समिति का सन् 1972 से खुला हुआ है। यहां पर छात्रों की संख्या भी काफी है। माध्यमिक विद्यालय से सीनियर माध्यमिक विद्यालय के लिये मेरा निवेदन है कि बुगला, तहसील केकड़ी, अजमेर का ऐसा विद्यालय है कि ग्रामीण क्षेत्र के इस विद्यालय में हमने राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं से बहुत ही अच्छा स्टेडियम कायम किया है। एक बड़े सभा भवन का भी निर्माण हमने करवाया है और इस विद्यालय का भवन भी आपकी आवश्यकता के अनुसार है। यह बुगला माध्यमिक विद्यालय से सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने की कृपा करें। इसी प्रकार पुरानेडा मेरे विधान सभा क्षेत्र का माध्यमिक विद्यालय जहां अनुसूचित जाति, जनजाति का छात्रावास भी है, इस विद्यालय को भी क्रमोन्नत कराने का कष्ट करें।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी जिनको राजस्थान में लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है कि जो इन्होंने कह दिया वह लोहे की लकीर है, आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्र में तो आयाम स्थापित किये ही हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी किये हैं। अभी महिला शिक्षा की बात चल रही थी, यह माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी की देन है कि प्रत्येक जिले में महिलाओं की शिक्षा की उत्तरोत्तर प्रगति के लिये प्रत्येक जिले में महिला महाविद्यालय खुले हैं। केकड़ी और भिनाय विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक राजकीय महाविद्यालय केकड़ी है जहां के विद्यार्थियों को स्नातक के बाद स्नातकोत्तर के लिये अजमेर जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि केकड़ी और भिनाय विधान सभा क्षेत्र के गरीब छात्र–छात्राओं का हित देखते हुए राजकीय महाविद्यालय केकड़ी को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत कराने की कृपा करें। सभापति महोदय, मुझे आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग पर इस सदन में विचार हो रहा है। देश के लिये, समाज के लिये और व्यक्ति के लिये यह मांग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी देश हो, वहां के स्कूलों से विद्यार्थी जब अपने संसार में आए, क्या बनकर आए? इस प्रकार की स्कूल में शिक्षा मिले, संस्कृति भी मिले और वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिले। हमारे पुराने संस्कार हैं

(14.38 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

"विद्या ददाति विनयम्,
सा विद्या या विमुक्तये।"

इसको भी ध्यान में रखें। फिर जब स्कूल से निकल कर जीवन की दहलीज पर

(श्री हरिसिंह)

आकर विद्यार्थी खड़ा हो तब अपने को असहाय, निरीह और किसी जंगल में खड़ा हुआ नहीं समझे। इस प्रकार की शिक्षा अगर हम देंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपना उद्देश्य, अपना कर्तव्य पूरा कर पाएंगे।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि राजस्थान शिक्षा जगत में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। एकाध स्टेट को छोड़ दीजिये। हिन्दुस्तान का जो एवरेज है वह भी कम है। 52.21 के मुकाबले में राजस्थान तो 38.55 प्रतिशत लिट्रेसी में है और इसमें महिलाओं का प्रतिशत ग्रामीणों में तो 11.59 प्रतिशत ही है। यह विचारणीय बात है। हमारी वर्तमान सरकार यह कहती है कि हमने इस पंचवर्षीय योजना में और जब से यह सरकार आयी है तब से शिक्षा जगत में बेहद तरक्की की है, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसमें बड़ी भारी बढ़ोतरी की है। मैं नि:संकोच कह सकता हूं, श्रीमन्, कि यह दावा सरकार का बिलकुल गलत हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़े निकाल लें, शिक्षा मंत्रीजी, जिसमें बारह हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया है। उस बारह हजार करोड़ में राजस्थान में शिक्षा के अन्दर जो आपके फिजिकल एचीवमेंट्स हैं वे उनसे भी कम हैं जो कि कांग्रेस के जमाने में छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना तो सात हजार करोड़ रुपये की थी लेकिन छठी उससे भी आधी थी। बारह हजार करोड़ रुपये से चौथाई लक्ष्य की छठी पंचवर्षीय योजना में हमने जितने प्राइमरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल खोलें उनसे भी कम आप आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर खोल पाये हैं। आप आंकड़े निकाल लें, शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपको लिखाता हूं आप देख लीजिये। आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 341 हायर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, यह आपकी बजट स्पीच है, इसके मुकाबले में हमने छठी पंचवर्षीय योजना में 313 हायर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं। आपने सैकण्डरी स्कूल आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपकी बजट स्पीच के मुताबिक 443 खोले हैं और हमने साढ़े तीन हजार करोड़ की छठी पंचवर्षीय योजना में 647 सैकण्डरी स्कूल खोले। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर आपने अपर प्राइमरी 2,627 खोले हैं, आपकी बजट स्पीच के अन्दर है, आप पढ़ लीजिये और छठी पंचवर्षीय योजना में 1980–85 के बीच में 3,133 अपर प्राइमरी खोले गए हैं। आप चाहे तो मैं आपको वर्षवार आंकड़े दे सकता हूं। अपर प्राइमरी 1980–81 में 246, 1981–82 में 400, 1982–83 में 230, 1983-84 में 663 और 1984-85 में 1,594 कुल 3,133 खोले गए। आप प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं तो छठी पंचवर्षीय योजना में हमने खोले हैं 5,398 और आपने खोले हैं 5,326,12 हजार करोड़ की स्कीम में ....

श्री उपाध्यक्ष : उधर इशारा करिए आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं तो आपसे मुखातिब हूं। मेरा सम्बन्ध तो आपसे है। वे तो सुन रहे है। चलिए, जैसी आपकी आज्ञा है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं....(व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : उधर अंगुली करेंगे तो उनको दिक्कत होगी।

श्री उपाध्यक्ष : अंगुली करने की इजाजत नहीं है। अंगुली करने की इजाजत नहीं दूंगा आपको।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, इस सदन में और इस सदन के बाहर भी यह कहना कि आपने इतना शिक्षा का विस्तार किया है, इसके मुताबिक तो 12 हजार करोड़ में चौगुने स्कूल आपको खोलने चाहिए और पारा बिलकुल नीचे चला गया है इस साल तो आपका। Barometer has gone very down. आप 50 हाई स्कूल खोल रहे हैं, 50 सैकण्डरी स्कूल खोल रहे है, क्या हालत हो गयी है आज शिक्षा के क्षेत्र में? हमने खोले थे जब राजस्थान की आबादी 1981 के सेंसस के मुताबिक 3 करोड़ 42 लाख थी और आज तो आबादी उससे डेढ़ करोड़ ज्यादा बढ़ गयी। कितने बच्चे आज आपके स्कूलों में जा रहे हैं? आप इन बच्चों को पढ़ने के साधन नहीं देंगे तो क्या होगा? एक जनरल से पूछा गया था कि आपके शस्त्रागार में क्या सबसे बड़ा मजबूत हथियार आप चाहते हैं? उसने कहा था प्रिपेयर मैन, Man is the best weapon in the armoury. आप इन्सान को, मनुष्य को क्या करने जा रहे हैं?

मेरे मित्र माननीय सदस्य सनाढ्य जी ठीक कह रहे थे, आपने तो शिक्षा के जो मूल सिद्धांत हैं उनको भी खतम कर दिया। क्या संगीत शिक्षा के अन्दर नहीं है? आपने संगीत के मास्टरों की पोस्टें क्यों एबॉलिश कर दीं? क्या चित्रकारी शिक्षा के अन्दर नहीं है? आपने इन पोस्टों को क्यों एबॉलिश कर दिया?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपके राज में ही हो चुकी थी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप क्या कर रहे हैं? हमारे राज में हुआ सो हो गया लेकिन आप क्या कर रहे हैं अब?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नई शिक्षा नीति आपने लागू की, मैंने थोड़े ही की।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आज सात-आठ साल हो गये। वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों एबॉलिश कर रहे हैं आप? आदमी क्या पढ़कर जाएगा, क्या निकलेगा?

तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं। आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि हमने इतना विस्तार कर दिया, हमने इतने आई. टी. आई. खोल दिए, हमने इतने पोलीटैक्निक खोल दिये। कितने खोले हैं आपने? मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। आज राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता में आपने कितना तकनीकी शिक्षा का प्रावधान कर रखा है यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आपके आठ इंजीनियरिंग, आई टी आइज, पोलीटैक्निक जरूर हैं। आज मैकाले की शिक्षा का समय नहीं रहा कि आप लोगों को मास्टर बना कर यहां खड़े कर देंगे। मेरा तो कहना यह है कि आज जो बच्चा पढ़कर बाहर जाता है वह कम से कम इतना तो हो जाए विज्ञान के युग में कि अपने घर का काम-काज तो कर ले। आज तो आपको हर स्कूल में इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि किस

(श्री हरिसिंह)

प्रकार से घर का रेडियो ठीक कर सकता है, किस प्रकार से अपनी मशीन ठीक कर सकता है, किस प्रकार से बिजली ठीक कर सकता है। यह एक साधारण-सी बात होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं स्वरोजगार होगा। आपने 58 साल से 60 साल तो उम्र कर दी नौकरियों पर बैन लगा दिया। स्वरोजगार की कोई बात आती है तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं देना चाहते, इंजीनियरिंग की शिक्षा नहीं देना चाहते।

मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन कर रहा था कि आपने डिग्री के पोस्ट ग्रेजुएट 6 इंजीनियरिंग कालेजों में 1169 छात्रों को प्रवेश दिया है। डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा के 20 राजस्थान पोलीटैक्निक और चार प्राइवेट कालेजों में प्रवेश छात्रों का है 330 1 1770 तो है गवर्नमेंट और प्राइवेट में 330, कुल 2100 का आपका यह आंकड़ा है। दस्तकारी प्रशिक्षण देने के लिए आपके आई.टी.आईज हैं 9692 सरकारी में और प्राइवेट में 2700, टोटल 12392। कुल मिलाकर नीचे से लेकर ऊपर तक डिग्री एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट तक 16 हजार का प्रवेश है साढ़े चार करोड़ की आबादी में और फिर आप कहते हैं कि बेरोजगारी मिटे। हर जगह आपने सब काम कर दिया बताया लेकिन आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना से मुकाबला नहीं कर पा रही है। आप अपने दिल पर हाथ रखिए कि क्या 16 हजार विद्यार्थियों को पढ़ाकर राजस्थान की भुखमरी को, राजस्थान की बेरोजगारी को मिटा सकेंगे आप आज से 30 साल पहले जब कैरों का राज था पंजाब के अन्दर तो हर तहसील में आई.टी.आई. खोला गया। आप उप खण्ड स्तर पर आई. टी. आई. खोलने की बात करते हैं, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं आप शिक्षा के जगत में तो आपको तहसील लेवल पर आई. टी. आई. खोलना चाहिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : राजस्थान में तो कैरों नहीं थे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कांग्रेस का था कैरों, किसी और का नहीं था। आपके जनसंघ का नहीं था कैरों। और उसी का कारण है (व्यवधान) आप इस पार्टीबन्दी में मत पड़िए, श्रीमान्। आज उसी का कारण है कि पंजाब इतना प्रोग्रेसिव हो गया। आज आप देखिए पंजाब के अन्दर कितने कारखाने लगे हुए हैं। कारण उसका यही है कि उन्होंने हर तहसील में आई.टी.आई. खोले, ट्रेनिंग कालेज खोले और हम इसी में सन्तोष कर रहे हैं कि हमने चार आई.टी आई. और खोल दिये, हमने पांच आई.टी.आई. और खोल दिये हमने छह पोलीटैक्निक और खोल दिये। इससे काम नहीं चलेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी के दिल में लगन है, मैं यह नहीं मानता लगन नहीं होगी आपने विश्व बैंक से सहायता भी ली है विश्व बैंक की सहायता पहले 44 करोड़ थी आज 70-72 करोड़ हुई है लेकिन वह सहायता लेने के बाद भी आज वहां पर असन्तोष क्यों है ? आज शिक्षक यहां पर साल दो साल की सर्विस करने के बाद में इस्तीफा देकर बाहर जाते हैं? क्यों जाते हैं क्योंकि ऑल इण्डिया कौंसिल आफ टैक्निकल एजुकेशन के मुताबिक जो उनकी पे-स्केल होनी चाहिए वह आप नहीं दे रहे हैं। आप सिद्धांततः एग्री कर चुके तो क्या

(श्री हरिसिंह)

वजह है ? मैं पूछना चाहता हूं आज इस फ्लोर पर कि जो जीवन से जुड़ी हुई अति महत्वपूर्ण शिक्षा है और आप 27,600 करोड़ की अपनी नवीं पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हैं, उसमें टैक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ को आप पे-स्केल सही नहीं देना चाहते, क्या कारण है इसका ? कई साल से लटका रहे हैं उनको, आन्दोलन चल रहा है उनका। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि तकनीकी शिक्षा पर सबसे अधिक महत्व देकर आपको तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना चाहिए और उसमें लोगों को सैटिस्फाईड करने के लिए उनको जो ऑल इण्डिया कौंसिल आफ टैक्निकल एजुकेशन पे देती है उसके हिसाब से पे देनी चाहिए।

इसके अलावा मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा था। मंत्रीजी, आपने यह तो बहुत अच्छा किया कि दर्जा तीन से आपने अब के अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कराने की घोषणा की है। इससे हो सकता है कुछ प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे नहीं जाएं। लेकिन वजह क्या है कि कहीं प्राइवेट स्कूल है वहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा जाते हैं ? वजह क्या है ? फिर इतना होने के बाद भी जब परीक्षाएं होती हैं तब आपके हड़ताल होती है। आखिर यह सोचने की बात है। मैं यह नहीं कहता दोष किसका है। शिक्षकों का दोष है, विद्यार्थियों का दोष है, सरकार का दोष है या समाज का दोष है इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोष तो कहीं होगा इसमें और उसका इलाज भी आपको ही करना है जब आप डाक्टर बन कर बैठे हैं राजस्थान के अन्दर शिक्षा के सम्बन्ध में तो। हम आपसे यह आशा करते हैं कि हमारे सरकारी जो स्कूल हैं उनमें आपका स्टाफ इस प्रकार से काम करें कि हमें प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाना पड़े। प्राइवेट स्कूलों की हालत आज क्या हो गयी ? जो सरकारी एडेड स्कूल हैं वे तो बिलकुल दुकान बन गए हैं। अध्यापक और अध्यापिकाओं के लिए जो कानून बना हुआ है, उसके मुताबिक उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। पहले चैक ले लेते हैं फिर दस्तखत कर लेते हैं जो प्राइवेट स्कूलों के मालिक हैं। इस सम्बन्ध में भी आप सोचें कि किस प्रकार से यह काम चले जब तक आप इस को नहीं रोकेंगे प्राइवेट स्कूलों के प्रसार को नहीं रोकेंगे तो वहां भी बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह मैं आपसे एक निवेदन करके चलना चाह रहा था।

इसके अलावा मैं आपसे अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाह रहा था। भरतपुर में एक पुराना कालेज है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, उसको आपने कभी तो आटोनोमस कालेज कर दिया, कभी आपने उसमें और कुछ प्रयोग किये। लेकिन क्या वजह है कि वह इतना पुराना कालेज आज भवन के अभाव से ग्रसित है? यूनिवर्सिटी की मांग अलवर में कर रहे थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे एग्रीकल्चर हो कोई भी विषय हो, किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी हो, कृपा करके अगर आप भरतपुर में यूनिवर्सिटी खोलें तो अच्छा है। आप वहां रह चुके हैं, भरतपुर से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद मिली है इसलिए आप इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

(श्री हरिसिंह)

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रब के ग्राप जो माध्यमिक ग्रौर दूसरे विद्यालय खोलना चाहते हैं 50–50, इससे तो राजस्थान सरकार की कोई नीयत साफ होती नहीं शिक्षा की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में ग्रौर न जो लड़के ग्रच्छे पढ़ कर ग्रा रहे हैं उनको कोई स्कोप मिल पाएगा । मेरा ग्रापसे स्पष्ट निवेदन है कि ग्राप बढ़ोतरी करें स्कूलों के नम्बर में और उनका जो पाठ्यक्रम है उसमें आप वोकेशनल, संगीत, चित्रकारी का प्रोविजन करें। साथ ही साथ कृपा करके यह भी ग्राप देखें कि वहां शिक्षा का स्तर उठे । मैं मानता हूं कि पिछले साल दो साल से शिक्षा के स्तर में पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, पहले प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जहां मैरिट में ग्राते थे ग्राज हमारे सरकारी स्कूलों के भी ग्राने लगे हैं लेकिन ग्रभी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है । इसमें ग्राप कृपा करके बढ़ोतरी करें ग्रौर बढ़ोतरी इस हद तक करें कि एक पंचायत में एक हाई स्कूल । पता नहीं ग्राप खोल पाएंगे कि नहीं लेकिन खोलें । कम से कम ग्राज जो 10-10, 15-15 साल से ऊपर प्राइमरी स्कूल पड़े हैं उन्हें आप इस वर्ष हायर सैकण्डरी जरूर करें । मैंने ग्रापका समय लिया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रपनी बात समाप्त करूंगा । हां, मैं एक दूसरी बात ग्रौर कह रहा था ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत ग्रादर करता हूं, बहुत ग्रच्छा बोलते हैं, विधान सभा में बड़ी तैयारी के साथ बोलते हैं पर शिक्षा जगत में इस प्रकार का सुधार हुग्रा है कि ग्राज भाषण जमा नहीं ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कह रहे हैं ? क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ग्राप जितना ग्रच्छा रिप्रजेंट करते हैं, ग्राज शिक्षा जगत में जो प्रगति हुई है उसके कारण से ग्राप बोल नहीं पा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : शोर्ट ग्रौर स्वीट जितनी बात कही है वह सराहनीय है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सराहनीय है, बहुत ग्रच्छी बात है, धन्यवाद । जय हिंद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा ।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राजादी के बाद में पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया था । उसमें जो हमारा सकल घरेलू उत्पादन उस समय था उसका तीन प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने के लिए रखा गया था और लोगों में बड़ी उम्मीद बंधी थी कि शिक्षा के मामले में हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे । मैं याद दिलाऊं बड़े से बड़े मालदार देश ही नहीं बल्कि जहां पर शिक्षा का सैचुरेशन पहुंच चुका है ग्रमरीका जैसे देश के ग्रन्दर, वहां पर भी ग्रपने सकल घरेलू उत्पादन का 6 प्रतिशत वे ग्राज भी खर्च करते हैं । मैं प्रतिशत का बोल रहा हूं ग्रमाऊंट का नहीं बोल रहा हूं । प्रतिशत से पता लगता है कि हम किन चीजों में फोकस कर रहे हैं, किन चीजों को हम विशेष दर्जा दे रहे हैं, किन चीजों को हम प्राथमिकता

(श्री रमाकान्त शर्मा)

दे रहे हैं। पर दुःख की बात यह है कि उसके बाद में जितनी योजनाएं बनीं—दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं उनमें सकल घरेलू उत्पादन तो बढ़ता गया, अमाउंट तो बहुत बढ़ता गया, परन्तु प्रतिशत घटाकर डेढ़ प्रतिशत पर आ गये। यह बात बराबर आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसी प्रकार चलती रही। एक आशा की किरण दोबारा उठी है जब माननीय अटल बिहारी जी बाजपेयी ने यह बात कही है कि शिक्षा को हम उतना ही प्रोत्साहन देंगे, जितनी आज देश की आवश्यकता है। परन्तु उसके बावजूद भी अभी हमारे बजट के अन्दर जो बात आनी चाहिये थी वह नहीं आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा को हमने महत्व नहीं दिया और शिक्षा को महत्व देने के बजाय हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना से कल कारखानों, स्टील, सीमेंट, रेलवे इंजन, हवाई जहाज आदि इस तरह की चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा खर्चा किया। नतीजा क्या हुआ? जो शिक्षा के माध्यम से हमारे गांवों के अन्दर व्यक्ति तैयार होते और कुछ न कुछ आगे काम करते, कृषि में शिक्षा के माध्यक्ष से पैदावार बढ़ाते, कुटीर उद्योग चलाते शिक्षा के माध्यम से तो हमारा जी. डी. पी. बहुत ज्यादा बढ़ता। हमने उन चीजों पर ध्यान दिया जिसकी वजह से हमारा जी. डी. पी. नहीं बढ़ा। हवाई जहाज का इंजन बनाने से हमारे सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। सकल घरेलू उत्पादन के अन्दर तो तब वृद्धि होती जब ज्यादा से ज्यादा हम गांव के अन्दर कृषि का विकास करते। तो एक ओर हमारा सकल घरेलू उत्पादन जितनी वृद्धि करना चाहिये था दूसरी से लेकर और आठवीं पंचवर्षीय योजना तक, वह नहीं हुआ और दूसरी तरफ गांव उपेक्षित हो गये हैं। आज जितने उद्योग लग रहे हैं वे दिल्ली के लोग लगा रहे हैं, लुधियाना के लोग लगा रहे हैं, मैसूर के लोग लगा रहे हैं, जयपुर के लोग लगा रहे हैं, परन्तु गांव का आदमी उद्योग लगा नहीं सकता क्योंकि उसने शिक्षा ही प्राप्त नहीं की। जो बेसिक प्राइमरी शिक्षा है वही शिक्षा उसके पास नहीं है तो वह उद्योग कैसे लगाएगा? खेती के अन्दर जो खेती की इंट्रीकेसीज हैं, टैक्नीकल चीजें है वह उन सब चीजों को कैसे समझेगा? तो, सकल घरेलू उत्पादन जिस गति से हमारा बढ़ना चाहिये था वह भी नहीं बढ़ा और हमने गांवों को बुरी से तरह पीछे छोड़ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप मशीनें खरीद लीजिये, बाहर से खरीद लीजिए यहां से खरीद लीजिये बढ़िया-बढ़िया, परन्तु मशीनों के पीछे जो काम करने वाला आदमी है उस मानव संसाधन का विकास नहीं होगा तो वे मशीनें बेकार हैं। इसलिए हमारे देश के अन्दर कई बार ऐसी बात होती है कि बड़ी आटोमैटिक मशीनें बाहर से आती हैं और बड़ी जल्दी वे मैनुअल बन जाती हैं। आज क्या स्थिति? आज हम एक तरफ बात कर रहे हैं सुपर कम्प्यूटर की, एक तरफ बात कर रहे हैं अन्तरिक्ष में जाने की, एक तरफ बात कर रहे हैं स्पेस टैक्नोलोजी की परन्तु हमारा काश्तकार तो अभी भी कैलकुलेटर चलाना नहीं जानता। यदि हमारा 77 प्रतिशत काश्तकार कैलकुलेटर चलाना नहीं जानता तो हमने क्या विकास किया है

(श्री रमाकान्त शर्मा)

विज्ञान के अन्दर? विज्ञान में विकास तभी हो सकेगा जबकि गांव का प्रत्येक आदमी आज की आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कर सके। सड़क जरूरी है, बांध भी जरूरी है, बिजली भी जरूरी है परन्तु मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि भारत को यदि वास्तव में एक समृद्धशाली देश बनाना चाहते हैं, भारत को सारी दुनिया के अग्रणी देशों के साथ में बराबर लाना चाहते हैं तो शिक्षा भी जरूरी है मैं अभी पिछले वर्ष कोरिया की राजधानी सियोल गया था एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए। मुझे वहां ताज्जुब हुआ। कुछ दिनों पहले हमारी इकानामी से उनकी इकानामी, उनकी आर्थिक व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, आज भी ठीक है बहुत सारी चीजों के अन्दर बहुत आगे चले गये परन्तु अभी भी हमारे जैसा विकासशील देश है वह। सियोल के अन्दर 24 यूनिवर्सिटी हैं और दिल्ली के अन्दर साढ़े तीन हैं। तो ये जितने भी विकसित देश हैं उनकी तो बात छोड़िये, वहां तो शिक्षा के अन्दर सैचुरेशन है, वहां तो सब प्रकार की शिक्षा है, छोटे से छोटे गांव के अन्दर एक किलोमीटर दूर हर आदमी को कालेज शिक्षा उपलब्ध है प्राथमिक शिक्षा की बात तो छोड़िये, परन्तु जो विकासशील देश है, हमारे दूसरे साथी देश हैं, चाहे ब्राजील का नाम लीजिये, चाहे अर्जेन्टीना का नाम लीजिये, चाहे कोरिया का नाम लीजिये, चाहे थाइलैंड का नाम लीजिये, चाहे मलेशिया का नाम लीजिये इन सब देशों ने भी अपने यहां पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर और पीएच. डी. तक बराबर एक प्रकार का फोकस रखा है। कभी हम प्राथमिक शिक्षा की बात चिल्लाने लग जाते हैं तो उच्च शिक्षा खतम हो जाती है, कभी उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा गोल हो जाती है। कभी समझ में नहीं आता कि इसमें तो 500 स्कूल क्यों रखे हैं और इसमें 50 स्कूल क्यों रखे हैं, उसमें 50 स्कूल क्यों रखे हैं। इसमें दो कालेज क्यों रखने हैं कोई सामंजस्य नहीं है, कोई शिक्षा के मामले में सोच नहीं है कि हमको किस शिक्षा के बारे में कैसा ध्यान रखना है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा के मामले में धनराशि का उतना प्रश्न नहीं है। धनराशि तो आ जाएंगी, धनराशि तो है और धनराशि तो प्राप्त हो रही है। कई बार कहा भी जाता है कि धनराशि की कमी नहीं है। आज हमारी आवश्यकता है शिक्षा के मामले में थिंकिंग एंड रिस्क टेकिंग की। एक विचार और विचार के साथ में एक नयी बात करने की कोशिश की जरूरत है। यदि हमने शिक्षा के मामले में ध्यान नहीं दिया तो, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय आजादी मिली थी उस समय इस देश में सिर्फ 20 करोड़ आदमी निरक्षर थे और आज 50 साल के बाद 50 करोड़ से ऊपर निरक्षर हैं।

(15.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : आबादी का हिसाब है।

श्री रमाकान्त शर्मा : हम किस गति में जा रहे हैं? मुझे मेरे गांव के एक ऊंट गाड़ी वाले की याद आ जाती है। वह ऊंट

134

(श्री रमाकान्त शर्मा)

गाड़ी में चलते हुए सोता रहता था। 6-7 किलोमीटर जाने के बाद कोई मसखरा आदमी ऊंट की नकेल पकड़कर मोड़ देता है। वह तो सोता ही रहता है और अपने घेर की बजाय दो किलोमीटर और आगे चला जाता हैं। वही स्थिति आज हमारी है। देश के अन्दर आज हमने 50 करोड़ से ऊपर निरक्षर पैदा कर दिये। इस मामले में कई दफा दिक्कतें आती हैं। अभी यहां पर मेरी साथी सदस्या बोल रही थीं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में भी हिन्दी होनी चाहिये। बोलते सब लोग हैं, चर्चा कर लेते हैं पर क्यों नहीं हिम्मत होती कि इंजीनियरिंग कालेज में हिन्दी हो? चायनीज के पास में एल्फाबेट ही नहीं हैं। वहां अगर इंजन की बात होती है तो इंजन की फोटो बनती है, इंजन शब्द होता है। लड़के की होती है तो लड़के की फोटो बना देते हैं। चायना के जितने भी सारे के सारे लैटर राइटिंग हैं वे सब सिम्बल्स का आधार हैं। ए.बी. सी.डी., अ, आ, इ, ई और क, ख, ग नहीं हैं फिर भी वे अपना इंजीनियरिंग चायनीज में बनाते हैं।

आज बहुत सारी भाषाएं हैं। दुनिया के अन्दर बड़ी कठिन भाषाएं हैं। रशियन भाषा बहुत कठिन है लेकिन वे तो अंग्रेजी की तरफ नहीं जाते। वे तो अपने सारे इंजीनियरिंग और मैडिकल विषय रशिया में पढ़ाते हैं। हम लोगों में यह क्यों नहीं हिम्मत पैदा हो पाती है कि हम हिन्दी का प्रयोग करें। तो यह हमारी एक प्रकार से कमजोरी है, हमारा सोच कमजोर है। इसलिए मैंने कहा कि हमको कुछ रिस्क लेनी पड़ेगी, शिक्षा के माध्यम से यदि हमको इस देश को बहुत अच्छा मजबूत देश बनाना है तो।

मैं राजस्थान सरकार की बहुत-बहुत तारीफ करना चाहता हूं हृदय से तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने जो कुछ 1990–97 के अन्दर किया वह कोई कम नहीं है। कई माननीय सदस्य बताते हैं कि उस वर्ष में यह हुआ, इस वर्ष में वह हुआ। इसीलिए तो अपने पास में डाकूमेन्ट्स हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने जब भाषण दिया था उसके अन्दर 1990 से पहले का 40 साल का डाकूमेन्ट है और उसमें सब लिखा हुआ है कि पहले क्या था और बाद में क्या था। मैं भी यही जिक्र करना चाहूंगा। 1990 से 97 तक 7595 प्राथमिक स्कूल खोलना कोई छोटी बात नहीं है, खुले हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय 2920 खोले हैं। मेरे पास सारा लिखा हुआ है परन्तु मैं आपका समय बरबाद नहीं करना चाहता, मैं यह कहता हूं कि काम बहुत हुआ है। परन्तु आज देश में शिक्षा की आवश्यकता सबसे बड़ी आवश्यकता है, मूलभूत चीज है उस शिक्षा के अन्दर कुछ ऐसा करना जो अनयुजफुल है, वही चीज हम नहीं कर पाये। उसके लिए आज हमारा जो जे.डी.पी. है वह हमको परमिट करता है, आज हमारा बजट इसको परमिट करता है। वह तो हम सही रखते हैं परन्तु उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हमने क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट किया है, कोई डाउट नहीं इस बात में। हमने महिला शिक्षा के अन्दर बहुत अच्छा काम किया है। आज महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में प्रथम श्रेणी में आ रही हैं, मैरिट में आ

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रही हैं। सब कुछ है परन्तु उसके बावजूद भी अभी आवश्यकता यह है कि हम ऐसी स्थिति पैदा करें कि जो बच्चा पढ़कर आए उसे नौकरी के लिए इधर-उधर घूमना नहीं पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : कोई रास्ता तो सुझाएं।

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, मैं रास्ता सुझाऊंगा। बिलकुल रास्ता बताऊंगा आपको। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर व्यावसायिक शिक्षा की बात आयी। यदि छठी क्लास और दसवीं क्लास के अन्दर व्यावसायिक शिक्षा पढ़ाते हैं तो आज तक कोई व्यावसायिक पैदा नहीं हुआ। मैट्रिक और उसके बाद व्यावसायिक कोई पैदा नहीं हुआ। व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है वह यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जो नर्सेज के प्रशिक्षण हैं वह प्रारम्भ करें। बड़े दुःख की बात है कि नर्सेज और कम्पाउण्डर के प्रशिक्षण के लिए लोग एक लाख रुपये देकर बैंगलौर जा रहे हैं। मेरे गांव से तीन-चार किसानों के लड़के गये हुए हैं। अब पशुधन सहायकों की आवश्यकता और पड़ेगी। और खोलेंगे, जगह-जगह खोलेंगे। पशुधन सहायकों के लिए ट्रेनिंग सेन्टर और खोलें। हम आई. टी आई. ज्यादा से ज्यादा खोलें। हम आई. टी. आई. के यदि 3-3 ट्रेड सेंटर डेढ़-डेढ़ करोड़ के नहीं खोल सकते तो एक ट्रेड इस गांव के अन्दर और दूसरा ट्रेड दूसरे गांव के अन्दर खोलें। हमें तो बल्कि यह करना चाहिए, जैसा कि विदेशों में है—मैं कोई नयी बात नहीं बता रहा हूं, जर्मनी के अन्दर मेरा अध्ययन हुआ है वहां पर आज से 40 वर्ष पहले मैं पढ़ा था—कि कोई भी आदमी सेल्समैन नहीं बन सकता जब तक कि वह सेल्समैन की एजुकेशन प्राप्त कर डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर ले। छोटे-से गांव के अन्दर भी पसारेट की दुकान के अन्दर कोई पसारेट बैठ नहीं सकता जब तक कि वह उसका अध्ययन करके पर्टीकुलर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर ले—चाहे सेल्समैन की बात हो और हम चाहे इस तरह की कोई बात हो। हमको ऐसे प्रोफेशनल स्कूल और कालेजेज खोलने पड़ेंगे। हम मैकाले को बहुत गालियां देते रहे हैं कि उसने ऐसा कर दिया। हमको बाबू बना दिया, हमको यह कर दिया। मैं समझता हूं बहुत हो चुकी मैकाले की बात। मैकाले की बात करें तो मैकाले ने जो बी. ए. और एम. ए. कराया था, आज बी. ए., एम. ए. के लिए कोई नौकरी नहीं है, चाहे बी. ए. कर लो चाहे बी. एस. सी. कर लो। नौकरी तो उन लोगों के पास में हैं जिन्होंने बी. एड. और एस. टी.सी किया है या जिसने कम्पाउण्डर की शिक्षा प्राप्त की है। इस तरह की शिक्षाएं हैं इनके अन्दर हमें यहां तक तक करनां चाहिए कि हर आदमी ड्राइवर न बन जाए कि ट्रक पर बैठा और मार दिया आदमी को। जब तक दो वर्ष तक बाकायदा ड्राइवरी नहीं पढ़े, ड्राइवरी का सर्टिफिकेट नहीं हो, नहीं जाना चाहिए वहां पर। हरेक आदमी मैट्रिक पास करके इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त करे तो दिक्कत होगी। लोग कर रहे हैं। उसको गर्व महसूस होता है कि मैट्रिक पास हूं। मेरे पास ड्राइवरी का सर्टिफिकेट है उसके बाद ही ड्राइवरी कर रहा हूं। इस तरह

(13)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

के प्रशिक्षण, इस तरह की चीजें हमको खोलने की आवश्यकता है।

मैं एक धारा के खिलाफ बोल रहा हूं। बड़ी तारीफ होती है यहां पर लोक जुम्बिश की कि साहब, बड़ा अच्छा काम किया है लोक जुम्बिश में। लोक जुम्बिश का अर्थ यह था कि लोक के अन्दर, लोगों के अन्दर हलचल पैदा की जाए, शिक्षा के प्रति प्रेम पैदा किया जाए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं–नहीं, है गड़बड़। He is very much right.

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3–4 वर्ष पहले परिवार कल्याण के अन्दर आवश्यकता थी 150 रुपये इन्सेन्टिव के दिए जाएं, साड़ी दी जाए, बर्तन दिए जाएं। आज नहीं है आवश्यकता इन चीजों की। आज तो लोग अपने आप आ रहे है। आज उस शिक्षा के लिए कौनसे इन्सेन्टिव की जरूरत है? गांव-गांव का आदमी चाहता है. ढाणी-ढाणी का आदमी चाहता है कि अब बच्चों के लिए स्कूल खुले। हमें कौन से लोक जुम्बिश की आवश्यकता है? आज तो शिक्षा फैल्ट नीड है। प्रत्येक गांव के प्रत्येक बच्चे और बच्ची की फैल्ट नीड है। उसके अन्दर एक नया तमाशा लोक जुम्बिश का खड़ा कर दिया है। क्या करता है लोक जुम्बिश? उसी गांव के अन्दर प्राथमिक स्कूल है उसमें दिन में 250 बच्चे पढ़ते है, वहां उन्होंने एक अनुदेशक बना रखा है। वे अनुदेशक साहब शाम को 11 बच्चे पढ़ाते है। उसमें लिखा है कि एक अनुदेशक 11 से 15 बच्चे पढ़ाएगा। जब उसी गांव के स्कूल के अन्दर 250 बच्चे दिन में पढ़ रहे हैं तो अनुदेशक साहब के पास 11 बच्चे ही शाम को क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तारीफ हुई थी कि वे स्कूलों की मरम्मत कर रहे हैं। पंचायतें सैकड़ों स्कूल बना रही हैं, बहुत बढ़िया स्कूल बन रहे हैं पंचायत के अच्छे स्कूल बना सकती है पंचायत तो क्या वे मरम्मत नहीं करवा सकते? आपने 19 लाख रुपया मेरी पंचायत समिति के अन्दर लोक जुम्बिश को मरम्मत के लिए दिया है। मैं देखने चला गया कि कहां मरम्मत की हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दिया कि कहां मरम्मत हुई है और किसने मरम्मत की है। बड़ी तारीफ हुई थी यहां। वह 19 लाख रुपया आप पंचायत समिति को दे देते तो वे प्राथमिकता के आधार पर जितने भी पुराने स्कूल थे उन सारे के सारों की रिपेयर करवा देते। वहां आप क्या रिपेयर कर रहे हो? स्कूल के मास्टरों को ट्रेनिंग देते हैं, भोजन कराते हैं। लोग आ जाते हैं सौ–सौ, दो-दो सौ आदमी। कौन ट्रेनिंग देता है, यह भी मुझे पता नहीं। हमारे यहां इतने एस.टी.सी. और इतने बी. एड. प्राइवेट और सरकारी हैं। जिन शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलाने का है, ट्रेनिंग तो अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए करिये। बी एड. बढ़ाइये और एस टी.सी. बढ़ाइये। ट्रेनिंग कौनसी हो सकती है उसके पैरेलल एक ट्रेनिंग लोक जुम्बिश ने कर दी। 600 करोड़ रुपया बरबाद कर रहे हैं इस लोक जुम्बिश पर। किसके लिए बरबाद कर रहे हैं? और बाहर से पैसा ला रहे हैं। बाहर के पैसे की हमें इस काम के लिए आवश्यकता है? बाहर से पैसा लाकर इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज खोलिये। हर जिले

(श्री रमाकान्त शर्मा)

के अन्दर मेडिकल कालेज खोलिये, हर जिले के अन्दर बात करिये। बाहर के लोग हमारी शिक्षा का विकास नहीं चाहते। तारीफ हो रही थी शिक्षाकर्मी की। क्या है शिक्षाकर्मी ? एक तरफ तो हम कहते हैं स्कूल के अन्दर बिना एस. टी. सी. और बिना बी. एड. किये किसी भी टीचर को लगाने नहीं देंगे, सवाल ही नहीं है, नौकरी में आ नहीं सकते और दूसरी तरफ उसका भाई सातवीं क्लास पढ़ा हुआ है, आठवीं क्लास पढ़ा हुआ है वहीं का गांव का लड़का या लड़की उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रही है। तो जो बच्चा है छोटा चार-पांच वर्ष का, यदि अनट्रेंड अध्यापक से वहां पढ़ रहा है तो आगे उसकी नींव तो खतम हो चुकी। वह आगे क्या बढ़ेगा ?

स्वीडन जैसे देश की हमारी शिक्षा को समाप्त करने की योजना है। वे नहीं चाहते इसलिए शिक्षाकर्मी के माध्यम से, लोक जुम्बिश के माध्यम से अजीबोगरीब अनौपचारिक मामलों में डाल रखा है। हमारे पास एक तरफ तो रुपयों का जुगाड़ नहीं है। वे तो दे रहे हैं 60 करोड़ और हमारे खर्च हो रहे हैं तीन सौ करोड़। और उसके ट्रेड के अन्दर बेसिक फण्डामेन्टल फाउण्डेशन एजुकेशन है उसके अन्दर ऐसा डेस्टोरेशन पैदा कर दिया गया कि उन बच्चों का भाग्य ही खराब हो जाएगा। जो शिक्षाकर्मी चल रही है, मेरा नम्र निवेदन है कि सैकड़ों करोड़ रुपया अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता पर खर्च हुआ है। हम कहते हैं कि 2001 में हो जाएगा 2001 में नहीं 2015 तक भी नहीं हो सकता। नामुमकिन बात है यह। उन लोगों को जो जा रहे हैं, जाने दीजिये। उनकी शिक्षा पर क्यों फालतू हम पैसा खर्च करते हैं ? प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर 400-500 करोड़ रुपया है। आज आवश्यकता है गांव-गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूल खोलने की। पर ढाणी के अन्दर प्राइमरी स्कूल खोलिये, उस पैसे को वहां लगाइये, जिससे कम से कम आज के जो बच्चे हैं वे बच्चे तो निरक्षर नहीं रह जाएं। वह स्थिति तो नहीं आ जाए। आजादी के पहले बीस करोड़ थे और अब पचास करोड़ हो गये। यही आपकी प्रौढ़ शिक्षा वगैरह चलती रही तो यह पचास करोड़ के बजाय सत्तर करोड़ हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। आबादी तो बढ़ रही है। आबादी बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमने प्राथमिक शिक्षा लोगों को नहीं दी। हमारे बच्चे, हमारे लड़के-लड़कियां यदि आठवीं तक भी शिक्षा ले लेते तो हमारी जनसंख्या की वृद्धि आधी रह जाती यह दुनिया के अन्दर माडल है, किसी भी देश का माडल है जहां शिक्षित हो गये हैं। हमारे यहां पर भी केरल ज्यादा शिक्षित है तो केरल के अन्दर फैमिली प्लानिंग सबसे बढ़िया है। वहां पर जो एन. आर. आर. है वह करीब करीब जीरो के पास पहुंच गयी है, हमारी थ्री पाइंट से एबव हो रही है। हमारी शिक्षा के जो हालात है मैक्रोलेबल पर तो हम बता देते हैं, मैं तो मेरे थानागाजी की बात कह रहा हूं, वहां पर कुल मिलाकर महिला शिक्षा पांच प्रतिशत है। पांच प्रतिशत महिलाएं जहां शिक्षित हों, 95 प्रतिशत अशिक्षित हों वहां कौनसा परिवार कल्याण का आप प्रोग्राम चला देंगे ? किस प्रकार से आप इस वृद्धि को रोक देंगे ? रोक नहीं सकेंगे।

इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जैसी अफ्रीका की स्थिति है, अफ्रीका

(138)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

में कुछ लोक जुम्बिश की जरूरत होगी, नहीं पढ़ना चाहते होंगे। हमारे यहां जरूरत थी 15–20 वर्ष पहले लोग बकरी चराने जाते थे, ऊंट चराने भेजते थे। मैं पंचायती राज मंत्री जी को तीन दिन पहले एक स्कूल खोलने के लिये ले गया था। इन्होंने वहां पर स्कूल खोला, इन्होंने बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया, आठ किलोमीटर दूर मालोताणा गांव है जहां बच्चे पढ़ने के लिये हैं कम से कम अस्सी। वहां अब जाकर स्कूल खुला है। वहां एक भी महिला, एक भी आदमी शिक्षित नहीं था। आठ किलोमीटर दूर जाएगा उसके बजाय भैंस चराएगा। छोटा–सा बच्चा, चार वर्ष का बच्चा आठ किलोमीटर कैसे जाएगा? तो आज ऐसी जगह मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। कभी कभी आप कहते हो राजस्व गांव, राजस्व गांव क्या होता है? ढाणी के अन्दर 200 बच्चे हैं। रामशाला ढाणी के अन्दर चलकर देखें, उपाध्यक्ष महोदय, दो साल पहले स्कूल खुला था उसके अन्दर 75 लड़कियां पढ़ रही हैं। ढाणी है, ढाणी के अन्दर 15–20 गांव दिखाई देते हैं।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, निजी शिक्षण संस्थाएं नियन्त्रण के अभाव में कुछ गड़बड़ियां कर रही हैं परन्तु निजी शिक्षण संस्थाएं तो किसी भी देश की प्रगति के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं, जिस तरह से सरकारी क्षेत्र के अन्दर शिक्षा है उसी तरह से निजी क्षेत्र है। बिना निजी क्षेत्र की शिक्षा के काम्पलीमेंटरी करें, सरकारी क्षेत्र उसमें पार पा नहीं सकेगा। किसी भी देश की आज तक इस तरह की बात हुई नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, कई दफा ये ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे कि ये राजकीय शिक्षा के ही मंत्री हों। शिक्षा मंत्री तो सबके लिये शिक्षा मंत्री हैं। जब कभी ये बताते हैं कि अबकी बार राजकीय शिक्षण संस्थानों के अन्दर मैरिट के अन्दर फर्स्ट 15 प्रतिशत हमारे आये, बीस प्रतिशत हमारे आये या निजी शिक्षण संस्थानों से हमारे यहां पर मैरिट ज्यादा है तो ऐसा लगता है जैसे निजी शिक्षण संस्थाओं के तो कोई अलग मंत्री हैं और प्राइवेट के लिये कोई अलग मंत्री हैं। इनके लिये दोनों समान हैं, शिक्षा के मंत्री हैं सरकारी शिक्षा के मंत्री नहीं हैं। इसलिये इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों को समान भाव से देखें और दोनों के बारे में जो भी नियन्त्रण करने का है वह नियन्त्रण करें। इस तरह का एक अनहैल्दी काम्पीटीशन जो इसमें चल रहा है, आपस के अन्दर ईर्ष्या का भाव चल रहा है निजी शिक्षा के अन्दर और सरकारी शिक्षा के अन्दर, वह ईर्ष्या का भाव सरकार की दृष्टि यदि समान होगी तो समाप्त हो जाएगा।

आपने अभी-अभी मुझे फरमाया कि मैं कुछ सुझाव दूं। मैं उन सुझावों पर अब आना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिये शिक्षा के बारे में चिन्तन की बात थी। हम जो भी शिक्षा देना चाहते हैं प्राइमरी शिक्षा देना चाहते हैं, माध्यमिक शिक्षा देना चाहते हैं, उस शिक्षा का हमारा उद्देश्य क्या है? वह रिजल्ट फोकस्ड शिक्षा होनी चाहिए कि हम किसलिये पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ाने के लिये पढ़ा रहे हैं या हम उनसे क्या कराना चाहते हैं? हम अच्छी खेती के

(श्री रमाकान्त शर्मा)

लिये पढ़ाना चाहते हैं या हम उनको इंजीनियर बनाने के लिये पढ़ाना चाहते हैं या हम इनको एग्जीक्यूटिव बनाने के लिये पढ़ाना चाहते हैं। हमारा शिक्षा का प्रोग्राम जब तक रिजल्ट फोकस्ड नहीं होगा तब तक यह ड्रैसिंग जो चल रहा है कि पहले छुट्टियां हुआ करती थीं दिसम्बर में अब छुट्टियां मई में होने लग जाएंगी या पहले मई में होती थी अब दिसम्बर में होने लग जाएंगी, या ट्रांसफर की नीति यह हो गयी यह बेमतलब है। क्या फर्क पड़ रहा है ट्रांसफर की नीति से ? ट्रांसफर की नीति से क्या शिक्षक अच्छा पढ़ाने लग गये ? ट्रांसफर की नीति की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। और तरह की जो अध्यापकों की ग्रेड की बात आती है या कौर्स की किताबों की बात आती है यह सब विंडो ड्रैसिंग है। मैं इस बारे में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। मुझे उस रोज बहुत दुःख हुआ इसलिये आज वह बात कहना ही चाहता हूं मैं। एक शिक्षा सुधार समिति राज्य सरकार ने बनायी, मुझे भी सदस्य बनाया। एक ही मीटिंग हुई उसकी, दूसरी तो मीटिंग हुई नहीं। क्या हुआ शिक्षा सुधार समिति का, मुझे पता नहीं है। उसमें एक परम विद्वान, अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र के विद्वान, वे फर्माते हैं कि हमको शिक्षा सुधार के अन्दर प्रार्थना स्कूलों में समाप्त कर देनी चाहिए, प्रार्थना से साम्प्रदायिकता पैदा होती है। बात आगे नहीं बढ़ी, वह बात वहीं की वहीं खतम हो गयी। यह सोच है अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा शास्त्रियों का। इस प्रकार की शिक्षा सुधार की बात करेंगे तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी।

मैं समझता हूं अब समय ज्यादा हो गया है इसलिये मैं केवल मात्र हमें क्या करना चाहिये, इस बाबत कहकर दो मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : राजमेढ़ की बात जरूर बता देना।

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, हां, जरूर बोलूंगा। हमें एक तो यह कानून बनाना पड़ेगा, चाहे वह निजी शिक्षण संस्थान हों, चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान हों, कि जो ट्रेन्ड टीचर्स हैं बी एड, एस.टी.सी हैं वे ही पढ़ा सकें। आज गांवों के अन्दर जैसे क्वैक्स हैं मेडिकल साइड के अन्दर वैसे ही टीचर्स भी क्वैक्स हैं। बड़े बड़े जिनको अंग्रेजी पब्लिक स्कूल कहते हैं उनमें मुझे ताज्जुब है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर परन्तु वन एण्ड वाले कोई बी.एड. नहीं है। एम.ए. पास कोई लड़की है या बी.ए. पास लड़का है वह पढ़ा रहा है। जब हम ट्रेनिंग को इतना ज्यादा महत्व देते हैं तो हमको कानून बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मेडिकल में कानून बना हुआ है उसी तरह से कि कोई भी शिक्षा नहीं दे सकेगा उसके अलावा कि जो बाकायदा शिक्षा के अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हो।

शिक्षाकर्मी योजना, मैं समझता हूं, एब्सोल्यूटली नाकारा योजना है, शिक्षा को समाप्त करने वाली योजना है। उसके बजाय उसी की पैरेलल यह योजना हमको चलानी होगी कि प्रत्येक गांव के अन्दर जहां अभी हम स्वयं अपने खर्चे से स्कूल नहीं खोल सकते, हम वहां एक स्कूल का भवन बना दें तत्काल और उसके अन्दर जो भी कोई बी.एड. ट्रेन्ड लड़का या लड़की

(140)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हो उसको कह दें कि आप चलाओ, एस.टी. सी. हो कि तुम चलाओ, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष चलाओ। जैसे-जैसे हमारे पास धनराशि आती रहेगी उस धनराशि के हिसाब से हम उसको दो या तीन वर्ष बाद अधिग्रहण कर लेंगे। वह सरकारी स्कूल हो जाएगा जब हमारी स्थिति हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से अभी तत्काल स्कूल भी खोल सकेंगे। वह उनसे दस-बीस रुपया फीस ले लेगा। जब सरकारी हो जाएगा तब बात खतम हो जाएगी और वह आदमी सरकारी नौकरी के अन्दर आ जाएगा क्योंकि वह बी.एड. होगा। उसी बी.एड. को अपने आप नहीं, हम उसका बाकायदा सलैक्शन कर दें। यह कह दें कि यह हमारा सरकारी स्कूल है, इसके अन्दर आप जाइये और इसके अन्दर पढ़ाना शुरू कीजिये, दस रुपया फीस ले लीजिये प्रत्येक बच्चे से। उसके बाद जब भी हमारे नम्बर के हिसाब से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से समय आएगा तब हम उसको अधिग्रहण कर लें। वह उस वक्त सरकारी स्कूल हो जाएगा।

स्वयंसेवी संस्थाएं जो रिकग्नाइज्ड हैं उनको हमें खुली छूट दे देनी चाहिये कि जो स्कूल खोलना चाहें– सैकण्डरी खोलना चाहें, सीनियर सैकण्डरी खोलना चाहें, प्राथमिक खोलना चाहे, खोलें। जो रजिस्टर्ड वैल रैपुटेड हैं उनके बारे में वे फार्म भरें, फिर इन्सपेक्टर साहब इन्सपेक्शन करने जाएंगे, फिर कह देंगे, नहीं, नहीं, मुझे आज नहीं जंची, मेरे आज जुकाम लगी हुई है बाद में देखेंगे और बाद में दो वर्ष गये। हमें शिक्षा का प्रसार करना है तो हमें स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाओं को लाना चाहिये।

मैं एक और निवेदन करूंगा कि हमने किसी वजह से अंग्रेजों की नकल करके मैट्रिक खतम करके उसका नाम सैकण्डरी दे दिया और आगे हायर सैकण्डरी दे दिया। उस लड़के को मैट्रिक पास से एक प्राइड मिलता था, वह कहता था मैं मैट्रिक पास हूं। अब सैकण्डरी करने से उसको वह प्राइड नहीं मिलता है। फिर मैट्रिक पर शिक्षा समाप्त हो जाया करती थी उस जमाने के अन्दर। तो इसका नाम फिर दुबारा हमको मैट्रिक ही देना पड़ेगा यहां राजस्थान के अन्दर। यू. पी. के अन्दर तो वैसा का वैसा ही चल रहा है। वहां सैकण्डरी नहीं है, वहां तो बाकायदा मैट्रिक और इन्टरमीडिएट है। यहां हमने जाने क्यों कर दिया, किस तरह से कर दिया? मेरा अनुरोध है कि हमको पुनः इसका नाम मैट्रिक रखना चाहिये और उसका नाम इंटर रख दें। चाहे उसका नाम सीनियर सैकण्डरी रख दें, वह कालेज एजुकेशन की प्रक्रिया के अन्दर आता है। परन्तु बेसिक एजुकेशन के अन्दर हम एक आदमी को जिस तरह से ग्रेजुएट बताते हैं उसी तरह से मैट्रिक बताएं तो उसको प्राइड मिल जाएगी।

मैं और बहुत सारी चीजें हैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन अन्त में, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करूंगा यदि मैं अपने क्षेत्र के बारे में आधा मिनट नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर ऐसे–ऐसे सैकण्डरी स्कूल हैं, जैसे गोला का बास है वहां 30 किलोमीटर

(श्री रमाकान्त शर्मा)

तक कोई स्कूल नहीं है। एक तरफ दौसा जाना पड़ता है, दूसरी तरफ टहला जाना पड़ता है, तीसरी तरफ प्रतापगढ़ जाना पड़ता है। बच्चे वहां पर देख रहे है कि सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के लिये भी हम 30 किलोमीटर दूर जाएंगे आज के जमाने के अन्दर भी? इसी तरीके से किशोरी गांव है वहां पर भी 25 किलोमीटर; एक तरफ थानागाजी जाना पड़ता है दूसरी तरफ प्रतापगढ़ बाहर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है या फिर गोला का बास। गोला का बास नहीं है तो चोसर जाइयेगा। एक गढ़ी गांव है। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, प्रस्ताव तो भिजवा दिये मैंने। सिर्फ कांस्टीट्यूएंसी की बात कर रहा हूं। 1945 के अन्दर वह स्कूल खुला था और आज भी वह सैकण्डरी नहीं बन पाया है। तो इस तरह की चीजों पर ध्यान दें।

अन्त में मेरे सारे भाषण का लब्बोलुबाब यह है कि थानागाजी के अन्दर कालेज नहीं खुला तो वहां के छह सौ जवान जो कि अलवर में पढ़ते हैं, वे बहुत जोरों से क्रांति कर देंगे और यह क्रांति रुक नहीं सकेगी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। बर्दाश्त नहीं करेंगे कि थानागाजी से 50 किलोमीटर अलवर पढ़ने के लिये जाएं और अलवर के अन्दर सबसे ज्यादा बच्चे थानागाजी के हों। अलवर नहीं हो तो कोटपूतली जाएं या और कहीं पर जाए थानागाजी के लोग। दुर्भाग्य से हर तरीके से पिछड़ा हुआ है। आज यह बात अजीबोगरीब होती है कि एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर पर तो खोल दिया जाएगा। एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर पर तो हम सारे ही चूरमा–दाल–बाटी बांट देंगे, यह क्या बात हुई? हमें ही बना दीजिये एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर। भाभड़ा जी गये थे थानागाजी के अन्दर, वहां पर यह कह कर आए थे कि ये चीजें क्या हैं. आप तो आन्दोलन कीजिये, थानागाजी को एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर बनवाइये। इससे भी अपने आप बन जाएगा। पब्लिक भाषण के अन्दर कह कर आए थे। यह चीज नहीं है। प्रश्न यह है कि वहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी गये थे। उन्होंने बहुत अच्छे, बिलकुल स्पष्ट तो नहीं था परन्तु उनका एक तरीके से संकेत था कि अवश्य ही आपके यहां पर खुल जाएगा। लोगों ने, जवान लोगों ने, दो सौ–चार सौ बच्चों ने पांव पकड़ लिए थे उनके। उन्होंने कहा था, ठीक है। मैं उसके बाद कई बार मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर चुका। दोनों ने मुझे संकेत दिया है परन्तु आज भी यह स्थिति ऐसी स्थिति है कि थानागाजी का युवा, थानागाजी का स्टूडेंट, थानागाजी के छात्र–छात्राएं–छात्राएं तो पढ़ नहीं पा रही हैं क्योंकि अलवर जा नहीं सकतीं पढ़ने के लिए और ये महिला शिक्षा की बात करते हैं, इन छात्रों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता। श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री उगमराज मेहता : पहले दोनों का खुलासा तो कर दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैंने गलत बोला। श्री भगराज चौधरी का नाम है।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की डिमांड के ऊपर सभी माननीय सदस्य जिनको अवसर दिया गया है, वे अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मगराज जी तो है नहीं, मुझे ही बुलवा दीजिये आप तो।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कोई बात सदन में निवेदन करूं उसके पहले आपके माध्यम से थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में शिक्षा जगत के ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। कौन-कौनसी योजनाएं कामयाब हैं और कौन-कौनसी विफल हैं, उस पर अपनी स्पष्ट अभिमत प्रकट किया, इस बात के लिये मैं उनको साधुवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आपको कोई बोलने को मसाला नहीं रहा ?

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : नहीं, है न। है, मसाला है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उनकी कुछ बाध्यता है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे विद्वतापूर्ण भाषण तो पहले भी दिये हैं पर आपने कभी धन्यवाद दिया नहीं बल्कि टोका है। ये तो हमेशा ही विद्वतापूर्ण भाषण देते हैं।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : बात क्या है कि मैंने और आपने ऐसी घड़ी में जन्म लिया है कि अपने को कोई विद्वान कहेगा ही नहीं। अपन लालायित ही रहेंगे। नहीं-नहीं, अपना तो खोटी घड़ी में जन्म हुआ है। खोटी घड़ी में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां राजस्थान हमने कहां से शुरू किया, इन आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता। कितने विद्यालय खोले कितने प्राथमिक विद्यालय खोले, कितने कांग्रेस वालों ने खोले, कितने भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 साल के शासन में खोले;-कितने मिडल स्कूल खोले, कितने हायर सैकण्डरी स्कूल खोले, कितने सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने विश्वविद्यालय बनाए, मैं इस सब भ्रम जाल में नहीं फसूंगा। हमने सब कुछ खोले, लेकिन हमने सिर्फ क्वांटिटी की तरफ ध्यान दिया, क्वालिटी को बरबाद किया। शिक्षा जगत में जो क्वालिटी हमको तय करनी चाहिये थी, जो क्वालिटी में सुधार करना चाहिये था वह क्वालिटी का सुधार हम शिक्षा में नहीं कर पाये। हमने बड़े-बड़े कमीशन बैठाए सन् 1947 आजादी के समय से चलते चले आ रहे हैं, कोई कालूलाल श्रीमाली कमीशन, कोठारी कमीशन। जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं उन सबके कमीशन आएं, सबने नयी-नयी सलाह दी लेकिन मैकाले का जो मकड़जाल है उससे बाहर नहीं निकल पाए, हमारी शिक्षा उद्देश्यपूरक नहीं बना पाए और न आज ही हम उस ओर कोई प्रयास कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं। मैं याद कर रहा हूं स्व. श्री राजीव गांधी को जिन्होंने पहली बार शिक्षा जगत में नयी शिक्षा नीति के नाम पर आमूलचूल परिवर्तन के लिये एक सोच किया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, दु:ख के साथ कह रहा हूं कि हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, शिक्षा जगत से जुड़े

(श्री हरिसिंह)

हुए अधिकारियों ने, शिक्षा जगत से जुड़े हुए राजनेताओं ने उस पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को विफल कर दिया, उसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

वोकेशनल शिक्षा के लिये राजस्थान की स्थिति मैं आपको बताऊं। वोकेशनल शिक्षा हमने लागू कर दी लेकिन राजस्थान सरकार 8 साल तक यहां वोकेशनल एजुकेशन का पाठ्यक्रम तय नहीं कर पायी और बड़ी होशियारी से वोकेशनल शिक्षा को हमने समाप्त कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, हम वाहवाही लूटते हैं कि हम फ्री किताबें दे रहे हैं, हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि किसी परिवार के वार्षिक बजट पर आप जो यह फ्री बांट रहे हो उसका कोई असर आ रहा है क्या ? उसकी बहबूदी में कोई सुधार हुआ है क्या ? आज बच्चों के मां-बाप फ्री किताबें नहीं चाह रहे। आज बच्चों के मां-बाप आपकी फ्री स्कूली शिक्षा से भी दूर भाग रहे हैं। आज वे चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वे पैसा खर्च करने को तैयार हैं। शिक्षा मंत्रीजी, यह सोचने का विषय है कि सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में आप सीनियर लैक्चरर को दस और ग्यारह हजार रुपये वेतन दे रहे हो और जो प्राइवेट स्कूल वाला बच्चों का शोषण कर रहा है वह चाहे बी.एड. है, उसको सात सौ, आठ सौ और हजार रुपये दे रहा है, फिर भी वह बैटर नतीजे निकाल कर दे रहा है बनिस्पत आपके दस और ग्यारह हजार के। और मां-बाप भी उस हजार रुपये पाने वाले व्यक्ति में अपना विश्वास अभिव्यक्त कर रहे हैं, आपके स्कूल में नहीं भेज करके प्राइवेट स्कूल में बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। ऊंची फीस दे रहे हैं, ड्रैस पर भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आपने किताबों पर जितना माफ किया है, जिसे आप गर्व के साथ छाती पीट-पीट कर कहते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले उतना टाई और बैल्ट पर खर्च करवा देते हैं। लेकिन मां-बाप फिर भी वहीं भेज रहे है, ऊंची फीस दे रहे हैं। आपकी शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आज गली, कूचे, मौहल्ले, गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल खुल गये हैं।

मैं मेरे यहां का, उपाध्यक्षजी, निवेदन कर रहा हूं। मेरे यहां 8–10 सीनियर हायर सैकण्डरी कस्बों में हैं। आज से चार साल पहले उन सीनियर हायर सैकण्डरीज में बच्चों की स्ट्रैंथ एक हजार से लेकर बारह सौ तक थी। उन्हीं गांवों में पैरेलल अब जो सीनियर हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल प्राइवेट के खुले हैं– उच्च शिक्षण संस्थाओं ने खोले हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं ने खोले हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं वहां 300-350 स्ट्रैंथ रह गयी और प्राइवेट स्कूल में स्ट्रैंथ 1000–1200 गयी। एक सोचनीय विषय है। इसके ऊपर आप जब तक गौर नहीं करेंगे, तब तक आप इसका सुधार नहीं करेंगे। एस. डी. आई. आपने पंचायत समिति में दो-दो बैठा रखे हैं। आपने विकेन्द्रीकरण कर दिया, जिले में तीन–तीन शिक्षा अधिकारी बैठा दिये। मैं आपको कह रहा हूं, शिक्षा मंत्रीजी, कि न तो प्राथमिक विद्यालयों के एस.डी.आई. कभी जाकर देखते हैं न ही आपके जिला शिक्षा अधिकारी कभी भी किसी स्कूल की चैकिंग

(१५५)

(श्री हरिसिंह)

करने जाते हैं कि उनके अध्यापक क्या कर रहे हैं। कभी नहीं जाते। हां, मैं एक बात के लिये निर्भीकता से सहमत हूं, जो मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं इन्होंने कहा, कम से कम एक बात के लिये आपको साधुवाद देता हूं, स्थानान्तरण की आपने जो नीति निर्धारित की है, लाख आपके ऊपर प्रैशर आये होंगे, लेकिन हमारे दिमाग को तो मानसिक शांति है। अगर राजनीतिक आधार पर स्थानान्तरण करते तो हमारी चमड़ी भी चुटकियों में चली जाती। अब यह ठीक है कि नीति के तहत कुछ हो रहा है और कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी हो जाती है लेकिन वह ऐसी ज्यादती नहीं है जो मास स्केल पर हो। मैं निश्चित रूप से आपको साधुवाद पेश करूंगा।

मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में अर्ज करना चाह रहा हूं, खास तौर से आपके लिए, चतुर्वेदी जी, आप बैठे हैं भंवरलाल जी। नागपुर से एक नारा चलता है हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान। वह हिन्दुस्तान जिसमें हिन्दू रहें, वह हिन्दुस्तान जिसमें हिन्दी भाषी हों।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह तो महात्मा गांधी ने भी प्रारम्भ में कहा था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप अब छोड़िये। मैं महात्मा गांधी पर भी आ जाऊंगा (व्यवधान) लेकिन आज क्या कारण है कि हम आजादी के ...अब आप मेरी बात को सुन लीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने हिन्दी को जीरो कर दिया, जीरो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने तो यह कहा था कि देश को आजादी मिलते ही जितनी भी पुस्तकों का पाठ्यक्रम है, जितनी भी ज्ञान-विज्ञान है, बिना यह सोचे-समझे कि मेरा आगे क्या होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मेरा बस चले तो पूरा का पूरा इंग्लिश लिटरेचर में लिखे हुए साहित्य और विज्ञान की सामग्री को मैं अरब सागर में फेंक दूं लेकिन हम नहीं कर पाये।

श्री टीकमचन्द कान्त : अफसोस है वे ऐसा नहीं कर पाये।

श्रीमती कमला . मैं यह चाहती हूं कि आप डाकूमेंट पेश करें जिसमें महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस ने यह कहा है– हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान। यह कहीं मिल जाए तो लाकर पेश करिये। आप यहां इस तरह की मनगढ़त बातें न पेश करें। नहीं, कभी नहीं था।... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : सबूत अगर.... (व्यवधान) हिन्दुओं के दुश्मन थे वे ?

श्रीमती कमला : गलत बयान है।

श्री टीकमचन्द कान्त : तो क्या दुश्मन थे ?

श्रीमती कमला : हिन्दी के लिये सब कहा है। हां, हिन्दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हिन्दू कहना पाप है ?

श्रीमती कमला : हिन्दी का तो आज भी टी.वी. पर आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : कोई पाप नहीं है हिन्दू कहना ।....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको पढ़ें आप ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : महात्मा गांधी....(व्यवधान) ऐसा नहीं है ।

श्रीमती कमला : हिन्दुस्तान में सब आते हैं । आप इस तरह की बातें बनाकर जो साहित्य को और इतिहास को बिगाड़ना चाह रहे हैं यह तो आपकी आदत है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो क्रिश्चियन बनाकर बिगाड़ो इसको । ए. आई. सी. सी. में सारे क्रिश्चियन भर दिये, और भी भर दो ।

श्रीमती कमला : आपको दिखता इतना ही है ।... (व्यवधान) आपकी आंख की दृष्टि इतनी ही है कि एक, सौ दिख रहा है । आप उनसे अकेले से ही घबरा रहे हो ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हिन्दी की हिन्दी कर दी । शिक्षा जगत को लूट रहे हैं आप । आपने सब स्टैण्डर्ड कर दिया । हिन्दी की हिन्दी कर दी । न आप हिन्दी के प्रशंसक हो न अंग्रेजी के ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक भी जाट को, यादव को कांग्रेस....(व्यवधान) शामिल नहीं किया....

श्रीमती कमला : क्यों अपने आपको इस तरह पेश कर रहे हो ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी नीति स्पष्ट नहीं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महात्मा गांधी न हिन्दू के विरोधी थे न हिन्दी के विरोधी थे, न हिन्दुस्तान के विरोधी थे ।

श्रीमती कमला : क्रिश्चियन भी इस हिन्दुस्तान में आकर बस गये हैं, यहां के बाशिंदे हैं तो वह भी उतने ही हकदार हैं जितना कि हम कोई और हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य ।

श्रीमती कमला : आपको सोनिया जी से क्यों डर लग रहा है इतना ? क्यों घबरा रहे हो ? सबको चित्त कर दिया । आपका एकाधिकार राज नहीं रहा । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है । आपकी कोई शिक्षा नीति नहीं है । कोई स्पष्ट शिक्षा नीति नहीं है आपकी....(व्यवधान) आपको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है ... (व्यवधान) आप हिन्दी के प्रशंसक ही नहीं हो ।

एक माननीय सदस्य : आप जो कह रहे हैं हिन्दू नहीं है....(व्यवधान) नहीं तो मार डालोगे । हिन्दू नहीं हैं वह ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने तो एक भी जाट को और यादव को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल ही नहीं होने दिया ।

श्रीमती कमला : आप लोगों ने उम्र भर में काम यही किया है । जातिवाद को,

१५६

(श्रीमती कमला)

धर्म वाद को लेकर इस देश के टुकड़े-टुकड़े करना आपको आता है....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप ही करते हो। यह जातिवादी और धर्म का खेल आप ही खेलते हो। आपने जातिवाद का खेल खेल लिया....(व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : महात्मा गांधी ने तो हिन्दी और हिन्दुओं के विरुद्ध कभी नहीं कहा (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ईसाई राज नहीं चलेगा हिन्दुस्तान में।....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप धर्म और जाति का सहारा लेकर इसको बरबाद करने पर लग रहे हो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने तो देश का बंटवारा कर दिया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : महात्मा गांधी के नाम पर तो+++(व्यवधान) केवल कांग्रेस....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : कौन-कौनसी जातियां और कौन–कौनसे धर्म कांग्रेस को वोट देते हैं सारे इकट्ठे होकर के (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : और वह काम आता (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप क्या करोगे (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आदरणीय सोनिया जी ने आपका+++कर दिया इसलिए आप डर रहे हो। आपका सफाया कर दिया सोनिया जी ने....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हिन्दी का अर्थ ही (व्यवधान) हिन्दी का दोषारोपण हो हम पर है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, सोनिया जी के नाम से इनके नेताओं की पिंडलियां थर–थर कांपती हैं, एक अकेली सोनिया के नाम से। जो आडवाणी जी यह कहते थे कि सोनिया का कोई प्रभाव नहीं है

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपका एक आदमी भी (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : चंद दिनों बाद वे आडवाणी जी से कहने लगे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है और जब 10–15 दिन निकल गये तो उसके बाद तो आडवाणी जी की ये ही गयी... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जितने उनके कांग्रेसी लोग (व्यवधान) स्वदेशी नेता तक प्राप्त नहीं कर सके और+++के बलबूते पर ये हमसे टकराने का साहस करते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सोनिया जी सभाओं की रीलें अपनी मीटिंगों में दिखाने लग गये, यह तो इनका+++है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : राजेन्द्र जी, अगर आप ही नहीं जाते... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो हिन्दी ही (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : आप क्यों समय को जाया करें, आप तो बोलना शुरू करो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने शिक्षा जगत् का + + + आपकी कोई नीति सफल नहीं हुई....(व्यवधान) किस हिन्दी की बात कहते हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : उसकी सास ने कुरबानी दी, आपने किसने दी ? नाम तो बताओ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप कहना क्या चाहते हैं ?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय पारीक साहब। कृपया बार–बार खड़े न हों, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब कुर्सी का टाइम आया .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री पारीक साहब, कृपया। श्री रामस्वरूप जी, आदरणीय रामस्वरूप जी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि शिक्षा पर आज हम बहस कर रहे हैं

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले शिक्षित इनको करें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षित आपको भी होना पड़ेगा। कृपया आप भी विराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको भी समझाना पड़ेगा .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको तो मैं समझा दूंगा, माननीय सदस्य, सुनिये।.... (व्यवधान) कृपया बात नहीं करें। बैठे-बैठे न बोलें, माननीय सदस्य। माननीय पारीक साहब, कृपया बार–बार नहीं। यह शिक्षा का मामला है। हमारे राज्य की शिक्षा के अन्दर (व्यवधान) सुनिये, अब इसको तो माननीय सदस्य, मैं सदन में सबको समझा सकता हूं लेकिन मैं यह विचार कर रहा हूं कि मैं आपको कैसे समझाऊं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं ब्राह्मण आदमी हूं, आप अपने चेम्बर में बुलाकर मुझे मिठाई खिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य। श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा इस देश के, प्रदेश के मानव संसाधन से सम्बन्धित है। हम औद्योगिक विकास कर लें, विज्ञान चाहे हमको कहीं से कहीं पहुंचा दे, कितनी भी तरक्की कर लें लेकिन वह तरक्की पूरी की पूरी बेकार होगी अगर हम मानव संसाधन को सही डायरेक्शन में चैनलाइज न कर पाएं। देश की तरक्की का कोई असर नहीं होता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यही दोहरी शिक्षा नीति देश के लिए घातक है। दोहरी शिक्षा नीति से मेरा मतलब है डबल स्टैण्डर्ड स्कूल एक पब्लिक स्कूल और दूसरे देहात में चलने वाले आपके सरकारी स्कूल। पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी गयी। बड़े बड़े अफसरों के लड़के वहां पढ़ने के लिये गये,

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(१५७)

(श्री हरिसिंह)

उद्योगपतियों के लड़के पढ़ने के लिये गये, व्यापारियों के लड़के पढ़ने के लिये गये, राजनीतिज्ञों के लड़के पढ़ने के लिये गये और गांवों में हिन्दी के माध्यम से ग्रामीण गरीब आदमी का बच्चा पढ़ने के लिये गया। यह यहां के ब्यूरोक्रेट्स की और राजनेताओं की सोची-समझी चाल थी कि गरीब के लड़के को कैसे प्रशासनिक पदों से वंचित रखा जाए। अपने लड़कों को वे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते रहे और गरीब के बच्चे को हिन्दी मीडियम के विद्यालयों में भेजते रहे ताकि उनके बच्चों के कंपीटीशन में वे न आएं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं। आप कांग्रेस और बी. जे. पी. की बात न करें। मैं किसी की बात कर रहा हूं। यह गांव और शहर का जो भेद पैदा किया यह इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की पलटन खड़ी करने की साजिश रची गई। उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात शिक्षा नीति में यही हुआ है। लेकिन गांव में रहने वाला बाप आज सजग हो गया है कि मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी दिलानी चाहिए, और वह गांव छोड़कर शहर में इंग्लिश स्कूलों में अपने बच्चे को प्रवेश दिला रहा है। आज शहरों की बढ़ती आबादी का एक कारण यह भी है कि गांवों के स्कूलों में शिक्षा दिलाने के बजाय संरक्षक, मां-बाप यह समझते हैं कि शहर में अच्छी शिक्षा मिल रही है। हर खाता-पीता आदमी शहर में मकान बना रहा है, बच्चों को शहर की स्कूल में पढ़ाने की बात सोच रहा है। शहर के स्कूलों में सरकारी स्कूलें भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं।

मैं एक बात का और अनुरोध कर रहा हूं, बहुत अच्छा किया आपने कि आठवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा लागू कर दी। अब जरा उसका स्टैण्डर्ड तो देख लीजिए कि इस बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट क्या आया? मुझे शेष राजस्थान का पता नहीं, मेरे जिले में साढ़े आठ प्रतिशत रिजल्ट रहा है। कम से कम यह परीक्षा करवाकर आपने अभिभावकों की आंखें खोल दीं, आपने अपनी आंखें खोल लीं, आपने अपने अधिकारियों की आंखें खोल दीं कि आठवीं तक का स्टैण्डर्ड क्या रह गया है। मैं धन्यवाद देता हूं, यह आपने अच्छी प्रणाली लागू की है। लेकिन शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप जवाब दें तो कम से कम एक बात का उत्तर जरूर दे दें कि शिक्षा जगत में आपने ऐसे कितने आदेश निकालें हैं कि आपकी योजनाएं आपको खुद को वापस लेनी पड़ी हैं? आपने स्कूलों में टाइमिंग चेंज किया, आपने प्रवेश का टाइमिंग चेंज किया, आपने छुट्टियों का टाइमिंग चेंज किया और जैसा मेरे पूर्व वक्ता शैलेन्द्रजी ने कहा, वे योजनाएं+++साबित हुई। आपको खुद को उन आदेशों को वापस लेना पड़ा। आप ध्यानपूर्वक मनन करिए, चिंतन करिए कि राजस्थान की परिस्थि-तियों में क्या उपयुक्त है। मेहरबानी करके राजकीय कागज इन आदेशों में यूं ही बर्बाद मत करो, अपने चिंतन का यूं ही ह्रास मत करो। यहां की सब परिस्थितियों को देखें, यहां की सारी स्थिति को देखें

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)
और कम से कम ऐसे आदेश न निकालें जो आपको स्वयं को पश्चाताप करके वापस लेने पड़ें।

इसके साथ ही मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। एक समय था जब राजस्थान विश्वविद्यालय में हैड ऑफ डिपार्टमेंट विषय विशेषज्ञ हुआ करते थे। डाक्टर एम. बी. माथुर, हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। यहीं से गये डाक्टर चेलैया, अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट से, जो केन्द्र में प्लानिंग कमीशन में बैठे हैं। यही से गये डाक्टर नरूला और यहीं के थे पोलिटिकल साइन्स में डाक्टर इकबाल नारायण वर्मा, इंग्लिश डिपार्टमेंट में ए. जी. स्टॉक, समाजशास्त्र के टी. यूनिथानम और डाक्टर दयाकृष्ण जैसे विद्वान और लॉ कॉलेज में डा. जी.एस. शर्मा जैसे विद्वान जिनकी बाहर विश्वविद्यालयों में पूछ होती थी। आज आपके विश्वविद्यालय में कोई स्टॉक है क्या? क्या राजस्थान विश्वविद्यालय का वह स्टैण्डर्ड है जो पहले हुआ करता था, जिस पर राजस्थान गर्व करता था जिस पर शिक्षा शास्त्री गर्व करते थे, जिस पर राजस्थान का बच्चा–बच्चा गर्व करता था? राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए विद्यार्थियों की हिन्दुस्तान में एक इज्जत थी, उनकी एक रैपुटेशन थी।

अफसोस की बात है, मैंने यह सुना है, कन्फर्म नहीं हूं, क्षमा चाहता हूं, कि नवभारत टाइम्स में नौकरी के लिए कोई आवेदन निकला और उसमें यह लिख दिया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातक कृपया एप्लाई न करें। यह पोजीशन है? यह ख्याति हो गयी? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनका शैक्षणिक स्तर बहुत गिर गया है, इसको सम्भालने की आवश्यकता है।

इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं। कल तक कांग्रेस वाले भी कह रहे थे और आप भी उस काम को कर रहे हैं। आपके जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण को साजिशपूर्ण तरीके से डिफीट किया जा रहा है। न उनका बैकलॉग भरते हैं, न जितने आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति के प्रोफेसर, लैक्चरर, और रीडर चाहिए, वे राजस्थान के किसी विद्यालय में नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति के भी नहीं हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के भी नहीं हैं। जो रोस्टर था उसमें पहला हक एस. सी. को, दूसरा एस टी. को, तीसरा ओ. बी. सी. को और चौथा जनरल को दिया था। अब तो मैंने यह भी सुना है कि रोस्टर का सिस्टम चेंज कर दिया, पहला जनरल का होगा। क्यों? क्यों किया है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में एक ही पद निकले तो वह जनरल से भर दिया जाए? फिर तो इकट्ठे पद निकालने ही नहीं हैं। एक–एक करके, दो–दो करके पद निकालो और नियुक्तियां दे दो। इस प्रकार आरक्षण को कम्प्लीट डिफीट कर दिया।

मैं आरोप लगाता हूं कि साजिशपूर्ण तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ साजिश रची जा रही है। निश्चित रूप से दुःखद है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

(158)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : मैं सूचना दे रहा हूं कि राजस्थानी के अन्दर "देवा" नाम की फिल्म बनी हैं जिसमें हमारे मंत्री, नाथू सिंहजी एक्टर हैं भगवान के रूप में। आज इसकी ये सूचना दे रहे थे कि जहां-जहां यह फिल्म लगी है, वहां-वहां वह हाउसफुल है और इस खुशी में.... ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी सूचना निरस्त करता हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा पर बहस चल रही है। यह वर्ष आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए चिन्तन करने का समय है कि हम कहां खड़े हैं। हमारी सरकार ने यह मंथन किया है। सन् 1990 में जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आई तो सबसे पहला विचार शिक्षा पर हुआ। हमारे मुख्य मंत्रीजी के ये बोल हैं कि जब दिल्ली में शिक्षा विदों और मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई तो राजस्थान को शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा प्रांत देखकर मुझे बहुत शर्म आई। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसको बहुत चुनौतीपूर्वक लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बिना कोई विकास सम्भव नहीं और शिक्षा के बिना तो हम आंख रहते हुए भी अंधे हैं। इसलिए राजस्थान में शिक्षा का वातावरण बने, लोग शिक्षित हों, उनका शिक्षा के प्रति रुझान हो और हम अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ पाएं। इसके लिए अनेकों प्रयास हुए और उन प्रयासों का सार्थक परिणाम निकला।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराजे हुए हैं, मैं बधाई देना चाहती हूं। जब देखा गया कि राजस्थान में महिला शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है और उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का शिक्षा प्रतिशत तो पांच प्रतिशत, सात प्रतिशत, आठ प्रतिशत था तो सबसे ज्यादा ध्यान बालिका शिक्षा पर दिया गया। बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें देकर और उनका उत्साह बढ़ाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं। शहर तो मेरे दो ही हैं पर गांव 100 से ज्यादा हैं। एक गरीब किसान की बेटी, एक गरीब चरवाहे की बेटी, एक मजदूर की बेटी जो बकरी चराने जाती थी या छोटे बच्चों को खिलाना ही उसका काम था, जब उसका भाई स्कूल बस्ता लेकर जाता तो वह खड़ी-खड़ी निहारती रहती थी कि क्या मेरे लिए भी ऐसा अवसर आएगा ? मैं बधाई देना चाहती हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें देकर स्कूल की तरफ भेजा है। बालिकाओं का अन्तराशीष आपके साथ है। उपाध्यक्ष महोदय, बच्चों को भी पहली से पांचवीं कक्षा तक निःशुल्क पुस्तकें दी। अभी मेरे कांग्रेसी बन्धु कह रहे थे कि मां-बाप को आज बच्चों की पुस्तकों की जरूरत नहीं, अच्छी शिक्षा की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ने 52 करोड़ रुपये से अधिक रुपये फिजूल नहीं खर्चे हैं। उसका बहुत अच्छा परिणाम आया है। उपलब्धि मिली है,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नामांकन बढ़ा है। आज स्कूलों की स्थिति देखिए, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां स्कूल जा रही है। हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, हमसे पूछो, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। (व्यवधान).... जब हमारी पांचवीं की शिक्षा पूरी हुई तो मां-बाप ने ऐलान कर दिया, बड़ी हो गई, घर का काम सीखो। यह स्थिति बालिकाओं की रही है। मैं बहुत-बहुत आभारी हूं और राजस्थान महिला मोर्चे की अध्यक्ष के नाते और राजस्थान विधान सभा में महिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष के नाते यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ने बच्चियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए जिस तरह की व्यवस्था की, जो-जो योजनाएं चलायी हैं उन सबके बहुत अच्छे परिणाम आये।

आज शिक्षा पर बहस है, मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूं कि सैकण्डरी में 14 छात्रों के बीच पहली से दसवीं तक की मैरिट में 9 छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया है। यह हमारे प्रयासों का ही फल है। शिक्षा का वातावरण बनाया है, रुझान बनाया है।

इसी प्रकार से अनेकों योजनाएं चलायी हैं। सरस्वती योजना चलायी। आज गांव की कोई पढ़ी-लिखी महिला है, गांव में रहती है तो गांव में ही अपना स्कूल खोल ले। अभी शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश की बात चल रही थी।... (व्यवधान) . उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि बालिकाओं की जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको पहले बहुत कम अनुदान मिलता था, लेकिन हमारी बालिकाएं शिक्षित हों इस दृढ़ इरादे के साथ जितनी भी गैर सरकारी बालिका संस्थाएं हैं उन्हें अनुदान 90 प्रतिशत किया गया। जितने स्कूल सरकार खोल सकी, समयबद्ध खोले गए। बालिकाओं के लिए प्राथमिक शालाएं खोलीं, सैकण्डरी खोलीं और मिडिल तो एक नीति बनाकर खोली गई कि हमारा कोई पंचायत हैडक्वार्टर प्राथमिक शिक्षा के बिना न रह जाए। कई बार हमारे विधायक आपस में बैठे होते हैं तो शिक्षा मंत्रीजी को सुनाते भी हैं कि, शिक्षा मंत्री जी, आपने नीति बनाकर स्कूल तो खोल दिए, लेकिन आपने उन क्षेत्रों में स्कूल खोलें जहां से हम नहीं चुनकर आए और हमारे वे क्षेत्र रह गए जहां की जनता हमें वोट देती है। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने कड़वे घूंट भी पिए, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हमारे उलाहने भी सुने, लेकिन राजस्थान में शिक्षा का समग्र विकास हो, कोई क्षेत्र अधूरा न रह जाए, कोई शिक्षा से महरूम न रह जाए इस नाते से नीति बनाकर काम किया। कोई भी पंचायत हैडक्वार्टर हो, चाहे मेरे कांग्रेस भाई जीतकर आए हों....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डोंट डिस्टर्ब। आप बिराज जाएं। (व्यवधान) ....बार-बार नहीं। आप इधर बोलिए, माननीय सदस्य। श्रीमती तारा जी भण्डारी, आप उनकी बात का जवाब न दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपकी आज्ञा का पालन करती हूं, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगी।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नीति बनाकर शिक्षालय खोलने का एक अच्छा रिजल्ट आया है। हो सकता है कोई पंचायत रह गई होगी, लेकिन एक बार तय हो चुका कि कोई पंचायत क्षेत्र बिना मिडिल स्कूल के नहीं रहेगा तो कोई शक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रकार से मन में दृढ़ इच्छाशक्ति लेकर हम चले और प्रयास किए। इसका मायना मैं यह नहीं कह रही हूं कि हम समग्र रूप से पूरे हो गए, हमने सब काम पूरे कर लिए। काम करना बहुत बाकी है। जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, उसके नाते भी शिक्षालयों में वृद्धि ही करते रहनी पड़ेगी, शिक्षा क्षेत्र में खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन यह बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी बालिकाएं मैरिट में आती हैं या अच्छे रिजल्ट्स लाती हैं, उनकी पढ़ाई कन्टीन्यू रहे, इसका भी सोच हमारे शिक्षा मंत्री जी ने किया है। उस सोच के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय पर प्रथम आने वाली, ब्लॉक स्तर पर प्रथम आने वाली बालिकाओं को नौवीं और दसवीं में एक–एक हजार रुपया प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति दी गई। पिछले दो वर्षों से दी जा रही है। इसी तरह से दसवीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाली बालिकाओं को उनकी पढ़ाई कन्टीन्यू रहे, सीनियर हायर सैकण्डरी कर ले इसलिए एक–एक हजार रुपये आगे की स्कूलों के लिए और देने का तय हुआ, और वह दिया जा रहा है।

यही नहीं, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भी प्रयास किए गए। हमारे बच्चे और बच्चियों का स्कूल आने का रुझान बढ़े, नामांकन बढ़े तो ठहराव भी बढ़े, उस ठहराव के लिए प्रयास किए गए। नामांकन के लिए देखिए, पिछले 4–5 दिनों में ही हमने प्रवेशोत्सव मनाया। हममें से कई जन-प्रतिनिधियों ने उन उत्सवों में भाग लिया होगा, उसको नाम दिया प्रवेशोत्सव। हमारी एक प्राचीन संस्कृति याद दिलायी, जब हमारे गुरुकुलों में बालक जाते थे तो उसका मान–सम्मान होता था। कैसी खुशी होती थी! बालक को तिलक लगाया, चन्दन लगाया, रोली–मोली लगाकर उसका स्वागत किया, गुड़–दाना खिलाया। इससे मां–बाप पर असर पड़ता है कि आज हमारा बच्चा पहली बार स्कूल गया। पहली बार स्कूल जाता है तो निश्चित रूप से उसके माता–पिता को खुशी होती है। इसी प्रकार अनेक काम जिससे हम शिक्षा में आगे बढ़े, वे प्रयास निःसंकोच किये गये हैं। उन प्रयासों का परिणाम है कि आज जगह–जगह जहां भी हमने स्कूल खोल दिये, वहां विधायक अपनी मांग रखेंगे, जन–प्रतिनिधि मांग रखेंगे या ग्रामीण क्षेत्रों में हम और आप चले जाएं तो हमारे सामने पहली मांग यही होती है कि मिडिल हो गई अब सैकण्डरी खुलवाओ, सैकण्डरी हो गई हायर सैकण्डरी खुलवाओ, हायर सैकण्डरी हो गई तो कॉलेज खुलवाओ। लोगों में एक भूख जगी है, मांग बढ़ी है और यह समयबद्धता का परिणाम है। अगर पुस्तकें दीं तो रुला-रुलाकर नहीं दीं। पहली तारीख को पुस्तकें हाथ में दे दीं और बच्चों की पढ़ाई चालू। अगर स्कूलें खोली तो एक जुलाई या एक अगस्त तक घोषणा हो जानी चाहिए कि इन स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया। यह सब समय–

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बद्ध काम करने के नाते आज हम जहां भी जाते हैं तो और बातें कम करते हैं लेकिन स्कूलों की बातें हमारे सामने ज्यादा आती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्राइमरी स्कूल मय भवन के।

श्रीमती तारा भण्डारी : प्राइमरी स्कूल भवन के साथ भी मांगी जाती हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी एक कदम हमने आगे बढ़ाया और वह बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहां पर डी.पी.ए.पी योजना चालू की है, कई जिलों में है। 1 मेरे जिले में मैं सौभाग्यशाली हूं कि डी. पी. ए. पी. योजना लागू होने वाली है, उसका सर्वे चालू है। इसका डी. पी. ए. पी. योजना में 40 करोड़ रुपये पांच वर्षों में खर्च होंगे। उसमें पहला काम होगा प्राइमरी के भवन सुधारो–प्राइमरी में बाउण्ड्री-वॉल बनाई जाए, शौचालय–मूत्रालय बनाए जाएं, बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। यह सारा काम डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत होगा। इसके अलावा भी बहुत काम करेंगे कि हमारे भवन कैसे बढ़ें, उनका विस्तार हो, मरम्मत हो, निर्माण हो। हमने भामाशाह योजना चलायी ...

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : विश्व बैंक ने रोक लगा दी।

श्रीमती तारा भण्डारी : विश्व बैंक के हम मोहताज नहीं हैं। हमारे देश में इतने मनीषी, इतने विद्वान हुए कि भारत विश्व गुरु के पद पर रह चुका है और आने वाली पीढ़ियों में फिर विश्व गुरु के पद पर जाएगा। हम किसी के मोहताज नहीं रहे और न रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आधी रोटी खा लेंगे, हम अपना कोई भी स्टैण्डर्ड होगा, कोई भी जरूरत होगी कम करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षित करके उन्हें व्यवहारिक बनाएंगे। कोई चिन्ता नहीं है, अगर अमरीका अपनी एड बन्द कर दे, विश्व बैंक हमें कुछ नहीं दे। हमें जरूरत नहीं है, हम हैं सक्षम और हमारे इरादे हैं पक्के। 2001 तक हमारा राजस्थान शिक्षित होकर रहेगा, यह मुख्य बात है।

मैं आपको डी. पी. ए. पी. योजना की बात बता रही थी। इसके अलावा भामाशाह योजना है। शिक्षा में बहुत सुधार हुए हैं, बहुत बारीकी से सुधार हुए हैं। अगर आप गहराई में जाएं तो एक तरफ हमारे संस्कारों में वृद्धि करने का काम किया गया तो दूसरी तरफ हमारे उन मनीषियों को याद किया गया जिन्होंने वीरता दिखाई की, जिन्होंने दान दिया या जिन्होंने कई अच्छे काम किए।

(16.00 बजे)

भामाशाह ने महाराणा प्रताप को ऐसे वक्त पर मदद दी थी जब चित्तौड़ की मर्यादा संकट में थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि भामाशाह को आज 28 जून को उनके जन्म के दिन याद करते हैं। राजस्थान में दानदाताओं को जिसने 25 हजार रुपये भी लगाये हैं उनको जिला स्तर पर सम्मानित करके भामाशाह बनाते हैं, अगर उसने 50 हजार रुपये लगाये हैं तो हम सम्भाग स्तर पर उसको बुलाकर भामाशाह का तिलक निकालते हैं और

(श्रीमती तारा भण्डारी)

आप यहां जयपुर में ही बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष 28 जून को इन भामाशाहों को बुलाकर कभी हमारे राज्यपाल महोदय, कभी हमारे मुख्य मंत्रीजी, कभी शिक्षा मंत्रीजी, कभी आप इनका सम्मान करते हैं। उस सम्मान से हमें बड़ा फायदा हो रहा है। वह भामाशाह जो हमसे सम्मानित होकर जाता है, गांव की चौपाल में अपना चित्र बताता है, अपना सम्मान बताता है और फिर उसके पीछे 10 नये दानदाता तैयार होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ये सब समस्याएं बहुत छोटी–छोटी हैं, हमारे सामने भी आती हैं, आपके सामने भी आती होंगी कि कभी स्कूल की बाउण्ड्रीवाल की मुश्किल आ गयी। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में तकलीफ हो रही थी कि शिक्षण संस्थाएं तो बन जाती है लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो पाती। बच्चों के सामने एक समस्या हो जाती है कि बारिश पड़ रही है तो बच्चा कहां बैठे, कहां पढ़े। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने इसमें भी प्रावधान किया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से यह प्रावधान किया है कि 50 प्रतिशत सरकार देगी और 50 प्रतिशत चाहे वह सामान हो, चाहे धनराशि हो, श्रम हो, गांव वाले जुटाए, उस स्कूल की मरम्मत हो सकती है। इस प्रकार के जो भी काम किये गये उनसे शिक्षा जगत् में बदलाव की बड़ी-बड़ी आशाएं हो गयीं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षण स्टैण्डर्ड को भी बढ़ाने के प्रयास किये हैं। जो शाला प्रधान अच्छे रिजल्ट देते हैं उनको भी जयपुर बुलाकर शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया। इसी प्रकार से जो बालिकाएं अच्छे रिजल्ट लाती हैं उनको भी सम्मानित करते हैं। इसके अलावा जो मोटिवेटर है अध्यापक, दानदाता को प्रेरित करने वाला अध्यापक है उसे भी सम्मानित किया है। अब कोई शिक्षक अध्यापक हों, बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहें। अभी हमारी कमला बहिनजी, माननीय विपक्ष की सदस्या, वरिष्ठ हैं, मैं तो उनके सामने राजनीति की ए बी सी भी नहीं जानती, बड़ी वकालत कर रही थीं उनकी और कह रहीं थीं कि शिक्षा मंत्रीजी इधर उधर कैम्प लगाकर छिप–छिपकर तबादले करते हैं। इधर अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्रीजी ने अगर कोई गलत काम नहीं किया तो वह यही किया कि उन्होंने नीति बनाकर तबादले किये जिससे कोई राजनीतिक कारणों से दण्डित नहीं हों। हम शिक्षा मंत्रीजी को लड़ते है, कई बार कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, हमारा कार्यकर्ता है कब उसको लाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्रीजी इतने सरल हैं, उनका नाम गुलाब चन्द कटारियां और बिलकुल गुलाब की तरह मुस्कराते हुए कहते हैं, कि उसने जो फार्म भरा वह ले आओ। देख लूंगा कितना समय हुआ, मेरी नीति में आता है तो यस और नीति में नहीं आता है तो नो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सब जैनी ऐसे ही मुस्कुराते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गुलाब में कांटे भी होते हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : कांटे भी होते हैं और, उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सहमत हूं कि ये कांटे चुभे कई लोगों को । प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को चुभे, उन अध्यापकों को चुभे जो केवल राजनीति करते हैं, केवल नेतागिरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते । हमारे शिक्षा मंत्रीजी आ गये, मैं तो इनके साहस की दाद देती हूं कि वे कांटे, वह जहर, वे कड़वे घूंट पी-पीकर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं । मैं इनको बधाई देती हूं, शिक्षा जगत् में जिस प्रकार से आप बदलाव के लिए चले हैं, आप चलते रहें, राजस्थान की जनता निश्चित रूप से आपको बधाई देगी ।

बहुत अच्छा काम हुआ है । आप शिक्षा संस्थाओं का आकलन कराएं, करोड़ों की सम्पत्तियां हमारे यहां जन सहभागिता से इकट्ठी हुई हैं । उपाध्यक्ष महोदय, कहीं कोई मिडिल स्कूल बना रहा है, कहीं पर कोई तहसील भवन बना रहा है, कहीं कोई कुछ और बना रहा है । मुझे याद है कि एक बार शिक्षा मंत्रीजी हमारे यहां आये थे और दो कामों की घोषणा की थी । एक काम की घोषणा तो इन्होंने पूरी नहीं की और मैं अभी तक सुनती हूं, लेकिन एक काम इतना अच्छा करके गये कि जिसका हम रोज उदाहरण देते हैं । हमारे एक दानदाता पिछले दस सालों से यह प्रयास कर रहे थे कि मैं एक मिडिल स्कूल बनाना चाहता हूं, यह पुराना स्कूल गिर रहा है । शिक्षा विभाग उसको गिराकर नया स्कूल बनाने की स्वीकृति नहीं दे रहा है । ये हमारे शिक्षा मंत्रीजी हैं, इन्होंने कागजात देखे और तीसरे दिन उसके घर स्वीकृति चली गयी । आज सुन्दर मिडिल स्कूल भवन उस दानदाता ने बनाकर खड़ा किया और इसी वर्ष 28 जून को उसका भामाशाह के रूप में हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने सम्मानित भी किया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आती हूं जहां भामाशाहों की कमी नहीं है लेकिन सवाल यह है कि हम उनको कैसे प्रेरित करें । कोई सरकार अकेली इससे निपट नहीं सकती । जहां 38 प्रतिशत शिक्षा का हो और 20 प्रतिशत महिला शिक्षा का हो वहां आप सोच सकते हैं कि सारा काम सरकार कराएगी ? सारा काम सरकार नहीं कर सकती । सरकार और जनता, हम मिलकर प्रयास करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो सुझाव देना चाहूंगी । अभी हमारे शिक्षा मंत्रीजी विराज रहे हैं । अभी हमारी वरिष्ठ सदस्या कह रही थीं कि छिपकर तबादले करते हैं । मैं एक मंत्रीजी का नाम नहीं लूंगी, नाम लूं तो पाप लगे, कि उनका जो शिक्षा मंत्री का काल था वह काला काल कहलाता है । लोग उनके बारे में बोलते हैं कि यह शिक्षा मंत्री का काला काल उस समय था । उन्होंने एक बात और कही कि हड़ताल के मौके पर जबरदस्ती परीक्षाएं करा दीं । क्या गुनाह हो गया ? बच्चों की परीक्षाएं थीं और अध्यापक हड़ताल लेकर बैठ गये । अगर उनकी कोई मांग थी, अगर उनकी कोई नाराजगी थी तो राजस्थान सरकार से थी, उन मासूम बच्चों से नहीं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी कर ली, जो परीक्षा देने को तैयार हैं और आपकी अनिश्चितता बनी हुई है कि आप कब परीक्षा लेंगे, कब नहीं करेंगे । तो यह सरकार ने एक साहसिक कदम किया

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बल्कि मैं तो कहूंगी कि बच्चों का भविष्य संवारा है। समय पर प्रशासन का सहयोग लेकर परीक्षाएं करवायीं, समय पर रिजल्ट आये। आप भी सोचते होंगे, आप भी मां-बाप हैं, अगर हमारे बच्चे को कहीं राजस्थान से बाहर भेजना है, किसी अन्य शिक्षण संस्था में भेजना है और अगर उसकी परीक्षा नहीं हुई, उसका रिजल्ट नहीं आया तो वह एक साल तो इन्तजार करेगा। यह तो बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने कि बच्चों की समय पर परीक्षा हो गयी, निर्विघ्न हुई और समय पर रिजल्ट आये। ऐसे ही काम करने पड़ेंगे अगर ऐसी कोई बात है तो। मांगें होती हैं, प्रिवेंसेज होते हैं सरकार के बीच में और अध्यापकों के बीच में लेकिन बच्चों से इस प्रकार का बैर नहीं निकालना चाहिए था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने नैतिक शिक्षा देने का भी प्रयास किया है। स्कूल में प्रार्थना किस प्रकार से की जाए, बच्चों को किस प्रकार के महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाए, किन–किन दिवस को हम मनाएं, इस प्रकार का भी प्रयास किया है।

एक बात सब ने कही है जो मुझे भी अखर रही है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी सुझाव दिया था कि कृपा करके आप रोज-रोज ये नए एक्सपैरीमैंट मत करो, यह वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है उसे चलने दीजिये। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। तो कृपया मेहरबानी करके इस प्रकार के आप प्रयोग नहीं करें। एक प्रयोग इन्होंने और किया है घोषणा की है कि तीसरी तक के बच्चों को अंग्रेजी सिखाएंगे। मैं इसकी तहेदिल से प्रशंसा करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी बात चल रही थी कि निजी शिक्षण संस्थाओं में बहुत भीड़ पड़ रही है और सरकारी स्कूलों में कम आ रहे हैं। इसका एक कारण है। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आता है वह 10वीं में आते ही अंग्रेजी जल्दी पिक–अप करता है और फिकर–फिकर करता रहता है जबकि हमारी सरकारी स्कूल का बच्चा सरकारी स्कूल में वो गरीब का बच्चा ही पढ़ता है, जब 10वीं में जाता है तो उनके साथ काम्पीटीशन नहीं कर पाता। अंग्रेजी जितनी सीखनी चाहिए वह सीख नहीं पाता। इसलिए रिजल्ट्स भी अंग्रेजी के काफी कम आते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा कदम है कि आप तीसरी से अंग्रेजी पढ़ाएंगे। कुछ नहीं तो कम से कम ए बी सी तो बच्चा पढ़ना शुरू करेगा ही। फिर छठी कक्षा में पढ़ेगा और अगर बच्चा मेधावी हुआ तो काम्पीटीशन में आएगा। यह जरूरी है, समय की पुकार है। मैं अंग्रेजी की हिमायती नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पांच बच्चे हैं, सब को अच्छी शिक्षा नहीं दी, पर मैंने किसी को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं दी, लेकिन आज समय का तकाजा है, आज हमारा सारा कम्युनिकेशन दूसरे देशों में, बाहरी इलाकों में इंग्लिश में चलता है। अगर हम अपने बच्चे को हिन्दी के साथ-साथ इंग्लिश भी, जितना उसको व्यावहारिक रूप से चाहिए, पढ़ा दें तो अच्छी बात ही होगी।

श्री उपाध्यक्ष : काफी लम्बा हो चुका है आपका।

(157)

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं और लम्बा नहीं करूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना समझती हूं । मेरे एक-दो सुझाव और हैं, मेरे ज्यादा सुझाव नहीं हैं ।

हमारा शिक्षा विभाग, मैं बधाई देना चाहती हूं कि विधवाओं को शिक्षिका की नौकरी देते हैं । यह तो अच्छा काम करते हैं चाहे पंचायती राज हो चाहे शिक्षा विभाग के लोग हों, कि विधवाओं को नौकरी तो दे देते हैं उपाध्यक्ष महोदय, उसको जब नौकरी देते हैं वह ट्रेंड नहीं होती है, और उससे तीन साल का बांड भरवाया जाता है कि तीन साल में बी. एड. नहीं किया तो नौकरी स्वतः ही चली जाएगी । पर मैं शिक्षा मंत्रीजी को याद दिलाना चाहती हूं कि एक बार आप उसको रोजगार उपलब्ध करा देते हैं और बी एड. की कोई व्यवस्था नहीं । बी.एड. स्कूल तो मैरिटोरियल भर्ती करते हैं, जो महिला मैरिट में है उसको तो मिलता है प्रवेश और बाकी को नहीं । आपने विधवा पर इतनी कृपा की है कि उसको जीविका मुहैया करा रहे हैं तो उसको कंटीन्यू करने के लिए बी.एड. की ट्रेनिंग उनको मिले, यह भी व्यवस्था करवाइये । यह एक और विडम्बना है । जिस समय सैकण्डरी स्कूल वालों को एस.टी.सी. कराई जा रही थी तब कुछ लोगों ने एस. टी. सी. कर ली सैकण्डरी स्कूल पास होकर । अब लेकिन उस विधवा के लिए एक नया कानून आ गया कि सीनियर हायर सैकण्डरी पास हो तो, भई, उसको एस.टी.सी. क्यों कराई ? आपके मापदण्ड में वह अध्यापक नहीं है तो फिर काहे को तो उसको एस.टी.सी कराई और काहे को आप सीनियर सैकण्डरी पूछ रहे हो । तो यह भी एक सवाल है कि यदि विधवा को नौकरी दी है तो फिर आप सीनियर सैकण्डरी को हार्ड एण्ड फास्ट मत कीजिये । विधवा सैकण्डरी पास है लेकिन एस.टी.सी. ट्रेंड है, तो उसको दीजिये । उसने आज ट्रेनिंग इस आशा में की कि मैं ट्रेंड हो जाऊंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के लिए अपना सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगी । शिक्षा विभाग में तो कुछ आंकड़े दिये हैं कि इन्होंने शिक्षकों के बकाया टी.ए. और मेडिकल एलाउन्स दे दिये हैं लेकिन पंचायती राज में बहुत बड़ा घोटाला है । पंचायती राज के शिक्षकों को समय से इन भत्तों का पुनर्भरण नहीं होता तो इसको ठीक करने की जरूरत है । अन्त में मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी की बड़ी तहेदिल से आभारी हूं कि जिन्होंने सिरोही में महिला कालेज की स्थापना की और राजस्थान में अनेक जिलों में महिला कालेज की स्थापना की,महिला पोलीटैक्नीक कालेज की स्थापना की । इसके साथ साथ हमारे शिक्षा मंत्रीजी गुलाबचन्द जी कटारिया की भी मैं आभारी हूं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को पढ़ने के लिए आवासीय छात्रावास बनाये हैं और उस आवासीय छात्रावास में 50 बालिकाएं रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था की है । सिरोही में भी 50 लाख रुपये उपलब्ध हुए हैं और बालिका छात्रावास का निर्माण प्रगति पर है । राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्रीजी, सबकी मैं बहुत बड़ी आभारी हूं कि इन्होंने महिला शिक्षा के लिए बड़ी दृढ़ इच्छाशक्ति जाहिर की है । इससे महिला शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है और बालिकाएं आज शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही हैं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आज शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिससे मानव समाज का निर्माण होता है। 1986 में हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उसके पहले गुलामी के जमाने की, 1982 की मैकाले की शिक्षा हमारे देश में चल रही थी। इस परिवर्तन के बाद इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम कायम होने लगे और इसी सन्दर्भ में राजस्थान भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा। सामन्ती युग से निकला राजस्थान, पिछड़ा राजस्थान आज देश के कई अन्य हिस्सों के मुकाबले आगे आ रहा है। इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय नीति के अनुरूप सन् 2000 तक राजस्थान को शिक्षित बनाने का एक संकल्प जाहिर किया है। लेकिन इस संकल्प की पूर्ति करने के लिए हमारे पास धन का अभाव है, साधनों का अभाव है। इच्छाशक्ति हमारे पास है लेकिन साधन और धन मैं समझता हूं, इसकी बड़ी कमी नजर आती है। राष्ट्रीय साक्षरता का जो प्रतिशत है उससे हम लगभग 14 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। राजस्थान का बजट कभी हम शिक्षा को समर्पित करते हैं तो कभी हम चिकित्सा को समर्पित करते हैं, लेकिन इस सबके बावजूद भी बहुत बड़ी प्रगति की छलांग हम नहीं लगा पा रहे हैं जितनी आवश्यकता है। आज भी मेरा ऐसा अनुमान है,

(16.15 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

जैसा मैं अपने जिले में देखता हूं, लगभग 1,000 राजस्व ग्राम भीलवाड़ा जिले में आज भी वंचित हैं, जहां प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही करीब 75 ग्राम ऐसे हैं जहां आज भी प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय नहीं हैं। 1991 के बाद जो राजस्व ग्राम बन गये, यह बार–बार कहा जाता है कि 250 की जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर दिया गया है। 1991 के बाद पूरे प्रदेश में मेरा ऐसा अनुमान है, करीब दो-ढाई हजार नये राजस्व ग्राम कायम हो गये और इस साल आप कुल मिलाकर 550 प्राथमिक शालाएं खोलेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री महानुभावों से अनुरोध है कि आप नीति की बात करते है तो नीति आप यह बनाइये कि बुनियादी तौर पर शिक्षा गांवों में सुलभ करें। जितने भी राजस्व ग्राम हैं, इस स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आप, शिक्षा मंत्री महोदय, घोषणा करें कि 15 अगस्त के बाद एक भी राजस्व ग्राम ऐसा नहीं रहेगा जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं होगा। यह क्रांति की दिशा में हमारा एक अच्छा संकल्प होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी कहने से करेंगे ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैडम, मुझे सुझाव देने का अधिकार दिया है आपने, मैं दूंगा। ये मेरे कहने से नहीं करते, पर मैं बात तो बताऊंगा। पहले आप मुझे डिस्टर्ब मत करो।

आपने एक अच्छा कदम उठाया है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर मिडिल स्कूल

(159)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्थापित कर देंगे। एक संकल्प आपने लिया है। मैं समझता हूं, संकल्प पूरा हो गया होगा। मेरे पास पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरी जहां तक मान्यता है, राजस्थान में ऐसा कोई पंचायत मुख्यालय नहीं रहा होगा (व्यवधान) पूरी पंचायत में एक समझ ली। उसके बावजूद भी रह गया है तो मैं समझती हूं सबसे पहले उनको प्राथमिकता देनी चाहिए।

तीसरा सुझाव। आपका यह संकल्प पूरा हो गया तो आप इस संकल्प को ले लें कि अगले पांच वर्षों की हमारी जो योजना है उसमें राजस्थान का एक भी पंचायत मुख्यालय या एक भी ऐसी पंचायत नहीं होगी जिसमें सैकण्डरी स्कूल नहीं होगा। यह भी हमको तय करने की आवश्यकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश के लिए हमको शिक्षा की स्थाई नीति बनाने की आवश्यकता है, एक मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है। अभी पांच-सात पंचायतों पर या 15,000 के आसपास की पापुलेशन पर एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की आवश्यकता को भी हमको स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। अभी यह जिक्र चल रहा था कि डी. पी. ई. पी. योजना राजस्थान के 19 जिलों में प्रारम्भ होगी और 400 करोड़ रुपये का प्रावधान उसमें होगा। अभी परमाणु विस्फोट के बाद इस योजना पर तो प्रभाव नहीं आएगा कि आएगी? (व्यवधान) यह आ जाएगी, यह तो मान लें। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना का अच्छा स्वरूप सामने आए। इससे भी हमारी प्राथमिक शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी होगी।

अभी एक से पांचवीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें आप उपलब्ध करवा रहे हैं और आठवीं क्लास तक की छात्राओं को करवा रहे हैं। एक रास्ता आपने पकड़ा, अच्छा है। इससे गरीब बच्चों को मदद मिलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही मेरा एक सुझाव है कि स्वाधीनता की रजत जयन्ती के अवसर पर....

एक माननीय सदस्य : स्वर्ण जयन्ती।

श्री रतनलाल ताम्बी : स्वर्ण जयन्ती कह दीजिये। स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएं और दसवीं कक्षा तक की बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएं ताकि हमारी साक्षरता की दिशा में एक अच्छा कदम हो। मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने आठवीं कक्षा का एक बोर्ड बनाया, एक स्टैण्डर्ड कायम किया। हम लोग पढ़ते थे उस समय बोर्ड था न्यू और ओल्ड। आठवीं कक्षा का वह चला करता था, उसका एक स्टैण्डर्ड था पढ़ाई का। उसके बाद स्टैण्डर्ड बिगड़ गया। मगर आपकी मंशा उसी प्रकार स्टैण्डर्ड कायम करने की है तो यह कार्यक्रम भी आपने अच्छा शुरू किया, उसकी उसी तरीके से आप शुरू करने की बात सोचें।

एक बात आपको और हम सब को और सोचनी पड़ेगी। मान्यवर, मैं तो अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में तीन हायर सैकण्डरी स्कूल हैं दो लाख

(160)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जनता के बीच में। उन तीन हायर सैकण्डरी स्कूलों में पिछले दो–तीन सालों से मैंने चिट्ठियां भी लिखीं, यहां भी उठाया, दुर्भाग्य क्या है कि व्याख्यताओं की व्यवस्था तो आप कर नहीं पाए और उन सबजैक्ट्स को और तोड़ दिया जो चल रहे थे। यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसे मामले में आप व्यवस्था नहीं कर सके, विफल रहे और सजा आपने दे दी उनको और सबजैक्ट्स को तोड़ दिया। आप कृपा करके इस तरह की व्यवस्था करें कि जो भी सबजैक्ट्स आपने तोड़े हैं वे वापस ठीक प्रकार से कायम हो सकें जिससे लोगों को जो सुविधा मिल रही थी वह सारी मिल सके।

शिक्षा का जहां तक सवाल है, इस बात को आपको और हमको मान कर चलना पड़ेगा कि शिक्षा के विस्तार के साथ गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा में हम पिछड़ते चले जा रहे है। जब तक गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमारा स्तर काफी पीछे रह जाएगा। इसके लिए आपको शिक्षाविदों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ बैठ कर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके उसका कोई रास्ता निकले इस बात की कोशिश करनी चाहिए। आपने यह कदम भी ठीक उठाया कि तीसरी कक्षा के बच्चों को आप अंग्रेजी की शिक्षा प्रारम्भ कर रहे हैं। अभी माननीय सभापति महोदया सामने विराजमान थीं, उन्होंने यह बताया कि निजी ...

श्री रामनारायण चौधरी : पहली से कर दें तो क्या नुकसान है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : कोई बात नहीं है, पर आपका भाषण आए तब आप कह देना। मैं बोल रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी क्या राय है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय हरिसिंहजी साहब ने भी कहा, सभी लोगों ने कहा और हम अनुभव करते हैं कि आज प्राइवेट शिक्षा की तरफ लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं। इन कारणों को हमको सोचना पड़ेगा। वहां पर कम तनख्वाह के अध्यापक होते हैं, कम तनख्वाह के व्याख्याता होते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई का स्टैण्डर्ड ऊंचा क्यों होता है ? यह भी एक चिंता का विषय है, हम और आप सब मिलकर इस बात के लिए सोचें कि यह काम कैसे ठीक हो, स्तर कैसे बढ़े बच्चों का।

अब मैं आना चाहता हूं सीधे अपने क्षेत्र के मामले पर। मान्यवर शिक्षा मंत्री महोदय, स्मरण तो आपको होगा, 1993 से लगातार मैं मांग कर रहा हूं। भीलवाड़ा जिले में जिला मुख्यालय से सबसे दूर मेरा निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर है उसमें 60 से 70 प्रतिशत तक पहाड़ी इलाका है, यातायात के साधनों का अभाव है और 50 से 60 प्रतिशत के बीच में एस. सी. और एस. टी. के लोग वहां निवास करते हैं। देश की सेना में सबसे अधिक काम करने वाले भूतपूर्व और वर्तमान सैनिकों की बहुतायत वाला क्षेत्र है भीलवाड़ा। सभापति महोदया, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इसी 9 जुलाई को जम्मू-कश्मीर की सीमा पर तीन आतंकवादियों को भयंकर मुठभेड़ के बीच में हमारे यहां के नायब सूबेदार जयराम सिंह मीणा ने

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मारा था। मारने के दो-ढाई घंटे बाद कोहरे भरी अंधेरी रात में वे खुद वहां वीरगति को प्राप्त हुए. जिनका अभी 12 तारीख को हजारों आदमियों ने दाह-संस्कार किया। वह क्षेत्र जहां के लोग देश की सीमाओं पर काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा रहे, यह आपके लिए और हमारे लिए सोचने का विषय है। इसके लिए मैं आपको सुझाव हमेशा देता रहा हूं कि हमारे यहां निरीक्षण की व्यवस्था बहुत कमजोर है। स्कूलों का स्तर बहुत कम है इसका मुख्य कारण है कि निरीक्षण समय पर होता नहीं। वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय आपने छोटी–छोटी तहसीलों में खोल दिये भीलवाड़ा जिले में जो जहाजपुर से आधे भी नहीं हैं। आपको मैं बराबर कहता रहा हूं कि आप वरिष्ठ जिला शिक्षाधिकारी का आफिस तो वहां कायम करें। इतनी वाजिब मांगे होते हुए भी आपने पता नहीं किस दृष्टि से उसको पूरा नहीं किया। यह तो आप जानें, पर मेरा मानना यह है कि वह बहुत आवश्यक था।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ताम्बी जी, बीजेपी जोइन कर लेते तो खोल देते।

श्री रतनलाल ताम्बी : दाह-संस्कार में भी नहीं जाऊंगा जीते जी। और बोलिये। इस आधार पर काम नहीं कर रहे हो क्या?

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : चुनावों में देख लेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, यह देखते ही रहना आप। यह देखते ही रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी क्या हालत आपकी हुई और हमारे इलाके की क्या हालत रही, चुनाव सामने थे अभी? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही सीमित दृष्टिकोण आपका रहा, यही भेदभाव की, पक्षपात की भावना रही तो इससे कोई बढ़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी आप बहुत कहते थे कि भेदभाव होता है, पक्षपात होता है। पांच स्कूल हम उनके खोलते और आपके दो-दो खोलते थे। पर मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, मैं शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ऐसा नहीं है, ताम्बीजी, आप आकर वापस चले गये इसलिए कह रहे थे। आप आकर वापस चले गये न, इसलिए कह रहे थे।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप बैठ जाइये। बीच में मत बोलिये। यह तरीका नहीं है बात करने का।

शिक्षा मंत्रीजी, आप मुझे जबाब दीजिये, 1993 से मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूलें स्थापित की जाएं। बड़े-बड़े गांव हैं, पांच-पांच सौ लड़के उनमें पढ़ रहे हैं और वहां पर आज भी सैकण्डरी स्कूल की मांग है। जहां नब्बे प्रतिशत एस.टी. के लोग रहते हैं वहां आप स्कूलें नहीं खोल रहे हैं। 95 प्रतिशत जहां पर सैनिक परिवार रहते हैं टीकड़ में, वहां पर आप नहीं खोल रहे हैं। लुहारी कलां में नहीं खोल रहे है, रोपा और पारोली जैसे बड़े-बड़े कस्बे हायर सैकण्डरी की मांग करते हैं, लगातार मांग

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कर रहे हैं। आप अपने आंकड़ों को देख लीजिये, आपने चार साल में किस तरह अंधाधुंध एक-एक क्षेत्र में 12 और 15 स्कूल सैकण्डरी खोल दिये, कहीं दस खोल दिये कहीं आठ। यह साल आप विपक्ष के लिए सौंप दीजिये कि भई, पचीस-पचास स्कूलें कुल आपको खोलनी हैं, आप अपने क्षेत्र को देखकर मूल्यांकन कीजिये। जिन क्षेत्रों में आपने स्कूलें नहीं खोलीं, क्यों आप अपनी छवि खराब कर रहे हो? चार साल जंचे जो कर लिया। इस साल जहां आपने नहीं खोलीं, ईमानदारी से रिकार्ड देख लीजिये। उसके आधार पर सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल स्थापित करके पक्षपात की धूमिल छवि जो आपके बारे में हो रही है, उसको मिटाने का यह अवसर है। ये कुल पचास स्कूल हैं, आप इन स्कूलों को निश्चित रूप से खोलिये। हमारे क्षेत्र में इन साढ़े चार सालों में, भारतीय जनता पार्टी का 1990 से जब से राज आया, एक हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कियों की जहाजपुर में खोली है। इसके अलावा प्रति वर्ष हम सैकण्डरी स्कूल की मांग कर रहे हैं आपसे, आप कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं खोल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक स्कूल इस वर्ष निश्चित रूप से खोले और यह भेदभाव, पक्षपात जो हमको प्रतीत हो रहा है, उसको मिटाए। आप नहीं खोल रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप नहीं खोलें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे जनता हमारी आपसे नाराज हो रही है, जनता भयंकर रूप से हमको मतदान कर रही है। उससे फर्क नहीं पड़ता है इसलिए यह आपकी जो सोच है संकुचित, इसको मन से निकाल देना चाहिए। जहां आवश्यकता है, जहां पर आपने चार साल में कहीं नहीं खोली पहले आप उन क्षेत्रों को निकालिये, चाहे विरोधियों के हों, चाहे आपके हों, किसी के भी हों। पक्षपात का आप पर कलंक है और मेरा आरोप है कि आपने इन चार सालों में नीतियां बनायीं, मापदण्ड बनाये, सारे मापदण्ड किये, उसके बाद भी कहीं क्षेत्रों में आठ खुल गये, दस खुल गये, कहीं बारह खुल गये और कहीं एक-दो भी नहीं खुले।

सभापति महोदया, दो-तीन मिनट और बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं, आपका इस ओर भी ध्यान जायेगा। इस मौके पर मैं शिक्षा मंत्रीजी की समस्याओं को भी जानता हूं। इन पर राजनैतिक दबाव भी है, इसको भी मैं जानता हूं। सारी स्थितियां हैं, उन सबके बावजूद मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। यह स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती है और शिक्षा में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में आपने सौ मिडल स्कूलों का प्रावधान रखा है, पहले के आप आंकड़े देख लें, पन्द्रह-पन्द्रह सौ, बारह-बारह सौ मिडल स्कूल खुले एक वर्ष में। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वर्ष सौ की जगह एक बिंदु और लगा कर एक हजार मिडल स्कूल खोलें। जहां-जहां आवश्यकता है लड़कों की, लड़कियों की, आप खोलें। आप कहीं और कटौती कीजिये, शिक्षा में मत कीजिये इसके माध्यम से समाज का निर्माण होता है। इस दृष्टि से इस साल माध्यमिक विद्यालय भी पचास की जगह पांच सौ खोलने की आवश्यकता है। इसके लिए व्यवस्था आप सोचिए, हम सब मिल कर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। पर राजस्थान के साथ न्याय कीजिये। 50 स्कूलें कहां दोगे आप? 50 मंत्री बांट लोगे सैकण्डरी, 50 हायर सैकण्डरी बांट लोगे। यही तो करोगे आप। यह दबाव रहेगा आप पर तो यही काम करोगे, मुझे दिख रहा है। इसलिए सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल एक क्षेत्र में दो–दो इस साल देने की आवश्यकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह रास्ता क्यों बता रहे हो इनको?

श्री रतनलाल ताम्बी : वह इसलिए कह रहा हूं कि होना नहीं। मैं जानता हूं इनकी हैसियत को। इसके साथ, शिक्षा में कहीं फिजूलखर्ची हो उसको भी आप देख लें। कई जगह अनेक योजनाएं आपने चालू कीं, कुछ योजनाएं सफल भी है। मैं यह आरोप नहीं लगाता कि आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ क्षेत्रों में अच्छी सफलता भी अर्जित की। आप निरन्तर प्रयत्न करते हैं उसमें कहीं सफलता मिलती

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

है, कहीं असफलता मिलती है; नाराजगी भी होती है, कहीं प्रसन्नता भी होती है। पर कुल मिलाकर जो आपके सामने स्थितियां पैदा हुई हैं उन स्थितियों के अनुसार मैं यह चाहूंगा कि आप कम से कम एक बार यह देखिये। कई योजनाएं जिनका बहुत लाभ नहीं मिल रहा है उनमें फालतू खर्च अलग-अलग किया है, उन सबका पैसा एक जगह इकट्ठा करके आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। उस पैसे का उपयोग करेंगे तो राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश में जहां शिक्षा प्रसार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उस तरफ आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है, आप अभी से प्लानिंग कीजिये। प्रारम्भ तो हो ही गया। अभी जहां-जहां व्याख्याताओं की कमी है, जहां-जहां अध्यापकों की कमी है उन अध्यापकों, व्याख्याताओं की सारे रिक्त स्थानों पर पूर्ति करिये। सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी का रिजल्ट जो सामने आया है वह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। व्याख्याताओं, अध्यापकों के स्थानों की कमी है उसकी प्लानिंग वैसे तो आपके जून में करनी चाहिए थी, तब जुलाई में सब स्कूलों में सारा स्टाफ पहुंचता। उस दृष्टि से आपने यह प्लानिंग नहीं की। मैं समझता हूं अब आप इस बारे में विशेष तौर से प्रयास करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे परीक्षा परिणाम ठीक प्रकार से आएं। यही मुझे निवेदन करना है। इसके साथ में संस्कृत शिक्षा के बारे में .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट बात कह कर समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : अब पूरा करिये आप। बहुत बोलते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक मिनट में। हमारी संस्कृति, हमारी परम्परा और हमारा समाज संस्कृत शिक्षा को बहुत जगह चाहते हैं। उस दृष्टि से माननीय उजला अरोड़ा जी नहीं हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा (राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा) : हैं।

श्री सभापति : इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को आप नजर अंदाज कर गये।

श्री रतनलाल ताम्बी : शिक्षा में संस्कृत शिक्षा का प्रभार आपने उठाया है। कई प्राथमिक विद्यालय संस्कृत के चल रहे हैं वर्षों से, उनको क्रमोन्नत करने का सवाल है। कुछ जगह संस्कृत के स्कूल लोग मांगते हैं, वह सवाल है, उसको भी आप देखें। माननीय शिक्षा मंत्री जी, सब्जैक्ट्स के मामले में आपने इस साल कोई ध्यान नहीं दिया है। दो–तीन सालों से जहां सब्जैक्टों की मांग है, आवश्यकता है उसको भी आप देखें ताकि वहां की पूर्ति हो सके। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल बैरवा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए ?

श्री शिवनाथ सिंह : डिमाण्ड पास होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : अभी तो दो घंटे का प्रस्ताव है। क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

दो घंटे बढ़ा दिया गया।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री रामगोपाल बैरवा (चौपस्दा) : माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या 24 जो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर है, उस पर चर्चा चल रही है। मैं भी उसमें अपने-आपको शामिल करता हूं। राजस्थान की गिनती शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में आती है। यदि हम एक नजर डालकर देखें राजस्थान के शिक्षा प्रतिशत को तो 38.55% कुल प्रतिशत है। उसमें महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रतिशत है, ये दो ऐसे कारण हमारे सामने हैं जिनकी वजह से राजस्थान पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आता है। जहां महिलाओं का प्रतिशत 20.44 है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत भी शहरी क्षेत्र का जो 65.33% है उसकी तुलना में 30.37% है। महिलाओं का प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत इतना कम है कि इनकी वजह से राजस्थान का शिक्षा का प्रतिशत काफी नीचे है। आज यहां पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने 1998-99 के बजट पर जिस तरह के आंकड़े यहां पर रखे हैं और बजट में जिस तरह का प्रावधान है, बढ़ती हुई जनसंख्या और शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान के पिछड़ेपन को देखते हुए यदि हम उसकी ओर नजर डालें तो वह काफी नगण्य है। 50 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना, 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना और 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना,

(श्री रामगोपाल बैरवा)

कुल मिलाकर दो सौ स्कूल ऐसे हैं जिनको उच्च प्राथमिक से सीनियर हायर सैकण्डरी तक क्रमोन्नत किया जाएगा। यदि हम विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से भी देखें तो एक विधान सभा क्षेत्र में एक स्कूल आता है

श्री सभापति : आता है क्या ?

श्री रामगोपाल बैरवा : हां, प्रत्येक एरिया में। ग्रामीण क्षेत्र के हित में उसको देखें तो आज आवश्यकता है महिलाओं के स्कूलों को क्रमोन्नत करने की, सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की या उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की। तो ये जो आंकड़े निर्धारित किये गये हैं इन आंकड़ों को बढ़ाया जाए ताकि महिलाओं की शिक्षा के आंकड़े बढ़ सकें। हर क्षेत्र में स्कूल खोला जाए।

दूसरी तरफ राजस्थान प्रदेश को साक्षरता की दृष्टि से आगे लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोग्राम दे रखा है जैसे अनौपचारिक शिक्षा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काफी जिलों को पूर्ण साक्षरता में शामिल कर लिया गया है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, बूंदी जिले को पूर्ण साक्षरता में ले लिया गया है, यदि आज हम वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखते हैं तो तीन साल के इस साक्षरता कार्यक्रम की किसी तरह की कोई उपलब्धि हमें नजर नहीं आती है। जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र गांव में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षित करने के लिए चलाये जा रहे हैं, हम जाकर देखें तो वे बिलकुल बन्द पड़े हैं। हर माननीय सदस्य यदि अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में देखें तो पाएगें कि पूरे के पूरे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बन्द पड़े हैं। साक्षरता का कार्यक्रम और अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम थे, दोनों कार्यक्रम जिन उद्देश्यों को लेकर हम चले, हमें इसका निरीक्षण करवाना चाहिए कि पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम जिन जिलों में लागू किया गया है क्या उन जिलों में कुछ उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है। इसकी जानकारी एक जांच दल भेजकर करवायी जानी चाहिए। इसी तरह से अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम है, इसकी भी समय-समय पर जांच की जानी चाहिए। वरना मैं तो यह स्पष्ट मानता हूं कि इन पर जो राशि खर्च की जा रही है यह एक तरह से लाभ नहीं होकर उस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इसी तरह से आज बात की जा रही है शिक्षा की दृष्टि से कि हम यदि किसी भवन का निर्माण कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें नींव मजबूत करनी पड़ती है। लेकिन हम देख रहे है कि एक प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय में दो सौ, डेढ़ सौ, सौ छात्र अध्ययन करते हैं और उस प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक हैं वह अध्यापक एक से लेकर पांचवीं तक कक्षाएं पढ़ाएगा, डेढ़ सौ छात्रों को एक से पांच तक की कक्षाओं का अध्ययन करवाएगा। तो यह आप और हम सोच सकते हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा कि एक अध्यापक के लिए पांच कक्षाओं को पढ़ाना क्या संभव है ? इस एक अध्यापक और पांच कक्षाओं की वजह से जो हमारा प्राथमिक शिक्षा का स्तर है यह काफी गिर चुका है। पांचवीं कक्षा को पास करके जो

(श्री रामगोपाल बैरवा)

छात्र छठी में प्रवेश लेता है वह अच्छी तरह से किताब भी नहीं पढ़ पाता है, सो अंक गिनती और पहाड़े तक भी वह नहीं पढ़ पाता है। तो जो प्राथमिक स्तर है, जहां से शिक्षा की नींव चलती है यदि वह नींव कमजोर है तो हमारी शिक्षा का स्तर आगे भी कमजोर रहेगा। इसलिए प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, 40, 50 या 60 छात्रों के ऊपर एक अध्यापक नियुक्त किया जाए और यह जो नीति है इसको कार्यान्वित किया जाए। इसी तरह से आज शिक्षा का जो उद्देश्य है वह केवल एक ही उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं कि हमें आगे जाकर सरकारी नौकरी मिले। आज जिस तरह से जिस स्तर से जितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां उनके मुकाबले काफी सीमित है। आज सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी तक का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में केवल व्यावहारिक शिक्षा ही दी जा रही है, ताकि आगे जाकर वे लोग स्व–रोजगार न खोल सकें केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित रहें। शिक्षा के महत्व को समझने के लिये और आने वाली बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी तक का जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए ताकि तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से लोग आगे जाकर केवल सरकारी नौकरियों तक ही आधारित नहीं रहें, अपना रोजगार निर्धारित करें।

इसी तरह से मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें तीन सौ से चार सौ छात्र अध्ययन करते हैं और वहां पर 6-6, 7-7 अध्यापक कार्यरत हैं। जो शिक्षा नीति है उसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय में हम एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा पाये हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने से वहां पर छात्रों को स्वयं को पानी लाना पड़ता है और वे पानी के लिये इधर–उधर अपना टाइम खराब करते हैं। तो प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति अवश्य की जाए।

इसके साथ–साथ, मेरा निर्वाचन क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने पिछले समय में भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया था कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बामली में अधिकांशतः अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र और छात्राएं अध्ययन करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सुझाव तो आप लिखित में भी दे सकते हैं। कोई पूरे राजस्थान सम्बन्धी सुझाव हो तो दीजिए। यह तो लिखित में दे देना शिक्षा मंत्रीजी को। अगले का नम्बर आए। शिक्षा की बहस इतनी अच्छी बहस है कि बहुत सारे लोगों के सुझाव आपने को मिलेंगे। पर्टीकुलर जितना भी एक–एक स्कूलों का हो नाम लिखित में दे देना।

श्री रामगोपाल बैरवा : लिख कर तो दिये हैं, यहां सदन में भी तो अपनी बात कहने दें। दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागली है इसमें अधिकांशतः अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र अध्ययन करते हैं। दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है। इसको माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए ताकि वहां पर जो 20 किलोमीटर दूर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उन लोगों को सुविधा मिल पाए। इसी तरह से प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा और सिनोता, ये भी दूर-दराज के क्षेत्र में हैं, इनको उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। सभापति महोदया, आपने जो आज समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदया, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें दोनों ही महत्वपूर्ण विभागों के जो इन्चार्ज मंत्री हैं वे शिक्षक ही रहे हुए है। इस महत्वपूर्ण विभाग, शिक्षा विभाग पर आज दिन भर चर्चा चली, नीति के बारे में चर्चा चली। जब हम पढ़ते थे, पहली और दूसरी से ही इंगलिश चालू थी, हम इंगलिश पढ़ते थे। उस समय सातवीं का बोर्ड था, 10वीं का बोर्ड था। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ उसके बाद केन्द्र में और प्रदेशों में हमारी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार बनी। धीरे-धीरे शिक्षा में भी परिवर्तन हुआ, इन्होंने यह किया कि पांचवीं क्लास तक कोई भी लड़का फेल नहीं हो, उसको आगे चला दिया जाए। लेकिन पिछले आठ सालों में हमारे शिक्षा मंत्री श्री गुलाबचन्द जी कटारिया ने एक नीति बनाई और उस नीति के अनुसार शिक्षा जगत् में राजस्थान का नाम जो हिन्दुस्तान में बहुत पीछे था, उसको धीरे-धीरे ऊपर उठाया। कई दफा शिक्षा नीति की आलोचना भी होती है और हम भी उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आपकी शिक्षा नीति के अनुसार हम पार्टी के विधायकों को जो फायदा मिलना चाहिये, नहीं मिलता है। शिक्षा नीति के अनुसार तो सारे राजस्थान में जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको उसके अनुसार मिल रहा है। फिर भी यहां कह रहे है कि हमारे यहां इस प्रकार से स्कूल नहीं खुले हैं। आज सारे पंचायत हैडक्वा-टेरों पर स्कूल हैं। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं कि मेरे 24 पंचायत हैडक्वाटर हैं और 24 ही पंचायत हैडक्वाटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय है और 6 पंचायत हैडक्वाटर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। जिस समय माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी 1977-78 में शिक्षा मंत्री थे उस समय उनसे मैंने 6 माध्यमिक स्कूलें लीं और 2 उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करवायीं। माननीय कटारिया साहब से निवेदन किया लगातार पिछले तीन साल से, उनकी भी मेहरबानी हुई और सबसे पहले लोटयाना को क्रमोन्नत किया सीनियर हायर सैकण्डरी में, फिर राजियावास को किया, फिर कोटरा को किया। मेरा आपसे निवेदन है कि एक स्कूल रह गया है जिसकी आप भी घोषणा करके आये हैं सुरडिया। सुरडिया में एक माध्यमिक विद्यालय खोल दें, वहां की जनता आपका बहुत आभार व्यक्त करेगी। वहां की जनता आस लगाये हुए बैठी है कि इस साल माननीय कटारिया जी

(168)

(श्री जुगमराज मेहता)

सुरड़िया की माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करेंगे।

आपने एक से आठवीं कक्षा तक पाठ्य पुस्तकें बालिकाओं के लिये निःशुल्क उपलब्ध करवाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको दसवीं तक कर दिया जाए ताकि बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े।

एक मार्मिक वाकया आपके सामने प्रस्तुत करता हूं राजस्थान में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के बारे में। मुझे भी नहीं मालूम था। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया। मैंने आपसे निवेदन किया और आपसे वार्ता होने के बाद लोगों को कहा कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। 1974 का कानून 1996 में अलग बन गया कि 45 दिन में ही मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अर्जी देनी पड़ेगी। यह आपको भी मालूम नहीं था, आपने भी कहा कि मुझे जानकारी करने पर मालूम हुआ कि इस प्रकार से 1996 में कोई कानून बना है। 1984 में जो व्यक्ति काम पर था, आपके विभाग में नौकरी पर था और 1984–85 में जिसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद अगर उसके घर में कोई बड़ा लड़का दसवीं पास नहीं करे, उसको क्या नौकरी मिलेगी, यह किसी को भी मालूम नहीं। हमें भी मालूम नहीं था कि 1996 में कोई कानून बना, अब मालूम पड़ा है। इसलिए आपसे निवेदन है ...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अब इनको भी कहिए कि लिखित में दे देना।

श्री सभापति : यह पूरे राजस्थान की बात है, एक व्यक्ति की नहीं है।

श्री जुगमराज मेहता : राजस्थान में इस प्रकार के 500 केस हैं और आपके शिक्षा विभाग के 14 या 15 केस हैं, इसलिए, शिक्षा मंत्री जी, इस पर ध्यान दीजिए। आप विधवाओं को, उनके आश्रितों को मदद देना चाहते हैं तो इसमें आंशिक रूप से संशोधन करके आश्रितों को राहत दिलाने का प्रयास करें, यह मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।

दूसरा, इस आजादी के स्वर्ण जयन्ती के वर्ष में आपसे निवेदन है, एक मेरी राय है कि किसी गांव का कोई व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, शहीद हुआ है, सीमाओं पर शहीद हुआ है तो उस गांव में राजकीय स्कूल पर उसका नाम लिखा जाए। स्कूल पर ही कह रहा हूं कि ... उस गांव की स्कूल पर, जहां का वह रहने वाला है और शहीद हो गया, उसका नाम राजकीय महाविद्यालय के आगे लिखें कि फलां फलां राजकीय महाविद्यालय। गांव में विद्यालय ही होते हैं चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो। जहां एक विद्यालय हो वहां नाम उसका लिखा जाए।

हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी, जो घोषणा वह करते हैं वह घोषणा पूरी होती है। पिछली बार मैंने निवेदन किया था शिक्षा मंत्री से, कि हमारे यहां से ड्राफ्ट मसूदा चला गया। कोई फर्क नहीं मसूदा गया, वे भी हमारे साथी हैं। पर मैंने जब चतुर्वेदी साहब से निवेदन किया कि ब्यावर में आपने आई. टी. आई. की घोषणा की थी घोषणा करने के बाद बहुत बड़ा भवन बन गया और आई. टी.

(श्री उगमराज मेहता)

आई. चालू हो गया । वहां पर एक साल होकर प्रवेश करने के लिए अब जगह भी नहीं है । हमने दो करोड़ का एक कन्या महाविद्यालय बनवाया, माननीय चतुर्वेदी साहब वहां पधारे । दो बार मुख्य अतिथि रहे उस कालेज में । पिछली बार आप वहां पधारे थे तब हमने कहा कि अब तीन वर्ष पूरे हो गये हैं, उसके अनुदान के लिए आपसे मांग की कि 90 प्रतिशत इस कन्या महाविद्यालय का अनुदान आप मंजूर करें । आपने कहा, पहले साल तो 60 या 70 होता है । हमने कहा 60–70 नहीं 90 प्रतिशत, महिला शिक्षा के प्रति आप जागरूक हैं । आपने कहा कि नेताजी कह रहे हैं, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा । तो मुझे आशा है कि 90 प्रतिशत की ग्रांट आप अपने भाषण में मंजूर करेंगे । माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप पिछली बार ब्यावर पधारे थे तब आपके मुख्य आतिथ्य में हमने गोटी प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी इंग्लिश, का आपके द्वारा उद्घाटन कराया । 25 लाख रुपये का भवन बना । हमने यह किसलिए किया ? आपकी सोच है, आप तीसरी कक्षा में इंग्लिश चालू कर रहे हैं । अभी चर्चा चल रही थी कि प्राइवेट स्कूल बहुत चल रहे हैं, वे क्यों चल रहे हैं । इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ ईसाइकरण करने के लिए बहुत-सी जगह पर इस प्रकार की इंग्लिश चला रहे हैं, वहां पर यीशु की प्रार्थना पढ़ायी जाती है और उनको पहले ऐसे करना पड़ता है हमने भी सोचा कि एक इंग्लिश मीडियम से स्कूल चालू की जाए । सारे माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार से प्राइवेट स्कूल मान्यता लेकर चालू कर दें । इस प्रकार ईसाइकरण से हम बचेंगे, नहीं तो आज देश का बहुत-सा हिस्सा ईसाइकरण की तरफ जा रहा है । जो अभी चर्चा हो रही थी, मैं यह कह रहा हूं कि आज आप जिसका पल्लू पकड़कर चल रहे हैं वे ईसाइकरण करने के लिए चल रहे हैं, आज देश को हमारी संस्कृति के अनुसार चलना होगा । माननीय शिक्षा मंत्री जी आये थे स्कूल में, इतना जोरदार स्कूल चल रहा है कि....

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, कोई मर्यादा तो होनी चाहिए, बोलिये इनको ।

श्री सभापति : आप किस मर्यादा में बोल रहे हैं ? विराजो, कौन-सी मर्यादा में बोल रहे हो ?

श्री उगमराज मेहता : मैं, चतुर्वेदी साहब और माननीय कटारिया साहब, दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद । जय भारत ।

श्री सभापति : विराजें, रोक नहीं सकते आप । श्री दयाराम परमार ।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : माननीया सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । शिक्षा की मांग संख्या 24 पर जो चर्चा चल रही है उसमें मैं अपनी ओर से कुछ निवेदन करना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदया, हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री बढ़िया फिलोसफर हैं, कई बातें सोचते हैं और सोचकर शिक्षा विभाग के ऊपर लागू करने का दृढ़ निर्णय लेते हैं ।

170

(श्री रामबाबू परकार)

उन्होंने इस तरह के कई निर्णय लिये हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन माननीय सभापति महोदया, शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार करने के बाद भी आज जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में कई गुणा पीछे हैं। एक सर्वे के अनुसार 3024 सैकण्डरी स्कूल हैं, उनमें से 60–65 प्राइवेट स्कूल और इतने ही हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की कम्पेरीजन करेंगे तो हम उनके मुकाबले में बहुत पीछे हो गये। इसी तरह से सभी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों का उनके रिजल्ट के आधार पर और डिसिप्लिन के आधार पर कम्पेरीजन सर्वे के आधार पर हुआ है वहां पर भी हम पीछे हैं। माननीय सभापति महोदया, यह पीछे रहने का कारण क्या है? हमारे पास में बड़े विद्वान अध्यापक हैं, हम एम.एड.बी.एड; एस.टी.सी. ट्रेंड के बिना रखते ही नहीं हैं फिर भी इन विद्वानों के पढ़ाये हुए बच्चे इतने कमजोर क्यों आते है? मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि आज हमारा जितना भी शिक्षक वर्ग है वह एक नहीं 3–4–5 संगठनों में बंट गया और जिसकी जब मर्जी आयी, वह चाहता है कि मेरे को नेता बनना है तो अपने नाम से एक गुट बना लिया। वह अध्यक्ष बन जाएगा और पूरे राजस्थान में घूम-घूम कर अपनी नेतागिरी करता रहेगा। उस संगठन में लगने वाले सारे टीचर्स पढ़ाने का काम नहीं करते। हमने एक गलती और कर दी कि सनाढ्य जी को एम.एल.ए. बना दिया। उनके नाम से जो गुट चलता था। उन और टीचर्स के मन में आया कि ऐसा करने से तो एम.एल.ए. बन सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसे संगठन बना कर खुद ही यह काम करते रहें। शुरू में शिक्षा मंत्रीजी का यह विचार था और वे कहते थे कि सारे संगठनों को समाप्त करके एक संगठन पर लाऊंगा। लेकिन पता नहीं कैसे शिक्षा मंत्री जी अध्यापकों के बीच में घिर गये और ऐसे घिर गये कि वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाये। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसने शिक्षकों के संगठनों को एक करके उनको ठीक तरह से नहीं चलाया, तो आने वाले समय में आपकी स्कूल के जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं वे भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए खत्म हो जाएंगे कि आप जैसे कोई कठोर डिसिप्लिन चलाने वाला, कठोर निर्देश देने वाला कोई शिक्षा मंत्री नहीं हो पाएगा। शिक्षा मंत्री जी, आपका जो समय रह गया इसके समाप्त होने के पहले ही मेरी दरख्वास्त है कि आप शिक्षकों के संगठनों को कमजोर करने की या एक संगठन बनाने की भरसक कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से यह आपका शिक्षा विभाग बढ़िया चलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं और मैं कुछ कदम उठाऊंगा तो मैं चुनाव हार जाऊंगा इसलिए आप कदम उठाएंगे नहीं, यह सुधार होगा नहीं और हमारे प्रदेश के बच्चों को और जनता को इसका फायदा मिलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, मेरा यह भी निवेदन है कि शिक्षा विभाग में आपने डाइरेक्टर को तो आई.ए.एस. लगा दिया, क्यों नहीं इन जिला स्तर के अधिकारियों में भी प्रशासनिक अधिकारी लगा दें?

(श्री दयाराम परमार)

आपने वहां संगठन वाले अध्यापकों को प्रमोशन करके लगा दिया और वे मिलकर पूरे दिन बैठे बैठे आफिस में चाय पीते हैं। वे नहीं चला सकते हैं प्रशासन जो चलना चाहिए। शिक्षा विभाग में अध्यापकों को आपने प्रमोशन करके लगाया है, इसका नतीजा भी हम गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, उनमें चाहे आर. ए. एस. आफिसर लगाए या किसी कैडर के लगाए लेकिन आपको प्रशासनिक अधिकारी लगाने चाहिए। जो भी निर्देश आप देना चाहते हैं उनके माध्यम से गांवों तक पहुंचा दीजिये, अध्यापक की स्कूल तक पहुंचा दीजिये। आप यह ट्रांसफर करने का सारा झोला अपने पास लेकर घूमते हैं वह भी आप गलत कर रहे हैं। जिला स्तर के अधिकारी को पावर दे दीजिये कि आपको किस तरफ से ट्रांसफर करने में क्या करना है। अब आप सारी परेशानी लेकर घूमते हैं तो कई दिनों तक उलझते रहते हैं और अध्यापकों के जो संगठन हैं, झुण्ड के झुण्ड जयपुर में घूमते रहते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि वे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं, और पढ़ा नहीं पा सकते हैं तो हमारे बच्चे अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं और उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं।

(17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदया, मेरे को एक बात की तकलीफ है और वह यह है कि आपने प्राइमरी एजुकेशन शहरों की तो अपने पास में रखी और गांवों की प्राइमरी एजुकेशन दे दी पंचायत समितियों को। हमारे पंचायती राज्य मंत्रीजी तो फिल्में बनाते हैं, पंचायती राज की शिक्षा किस तरह से चलनी चाहिए, गांव का बच्चा और गांव में रहने वाले अध्यापक ...

श्री सभापति : आपको भी रोल दिलवा दें।

श्री दयाराम परमार : मेरे को दिलाते तो मैं भी हो जाता, लेकिन अभी देंगे नहीं। वैसे सिफारिश चला दो तो मेरा सौभाग्य है।

श्रीमती कमला : वे तो देवलोक के अधिपति हो गये।

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदया, यह हो रहा है कि गांवों में प्राइमरी स्कूल जो पंचायती राज के पास में हैं उनके कोई दिशा निर्देशन नहीं हैं। किस तरह से स्कूल चलानी चाहिए, कैसे चल रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वहां एस.डी.आई. लगा रखे हैं, वे तो वहां से कहीं जाना नहीं चाहते हैं। जाते हैं तो ऐसी जगह जाते हैं कि गांव में कौनसा विकास का निर्माण कार्य हो, उसको देखें। जहां से कमीशन मिले उसको देखने जाते हैं, स्कूल को देखने कोई नहीं जाता है। शिक्षा मंत्री महोदय, यदि आप गांवों के लोगों की भलाई चाहते हो और गांवों के लोग पढ़-लिखकर होशियार हों यह चाहते हो तो आपको प्राइमरी एजुकेशन को पंचायती राज से निकालकर अपने विभाग में वापस लाना चाहिए। वह किस तरह से चलाना है, वह आप आपकी व्यवस्था कीजिए। नहीं तो यह स्थिति है कि मेरे यहां एक स्कूल है वहां पर 40

(श्री दयाराम परमार)
लड़कों पर 5 अध्यापक हैं और एक स्कूल ऐसा है जहां पर 300 लड़कों पर एक अध्यापक है। मैंने बी.डी.ओ. साहब और प्रधानजी से कहा कि वहां पर एक अध्यापक है और 300 लड़के हैं तो उन्होंने ट्रांसफर किया। संगठन वाले जयपुर तक आ गये, उन्होंने कहा कि हमारा कोई मास्टर नहीं जाएगा उस स्कूल में। सारे कैंसिल कराकर वापस आए। अब वहां व्यवस्था चला नहीं पाते। प्रधानजी की मजबूरी यह होती है कि वह जन प्रतिनिधि होता है, वहां पंचायत समिति के प्रतिनिधि आकर बैठ जाएंगे, सरपंच आकर बैठ जाएंगे। सरपंच और प्रतिनिधि सोचते हैं कि मास्टर नाराज हो गया तो उसके घर वाले हमको वोट नहीं देंगे। इसलिए, शिक्षा मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमको बचाइये इस गिरती हुई शिक्षा से। आपका रिजल्ट क्या रहा मिडल स्कूल का। वह तो प्राइमरी से बिगड़ गया है। फिर वहां रिजल्ट अच्छा कहां से आएगा? अगर रिजल्ट सुधारना चाहते हैं तो आप स्कूल को पंचायती राज विभाग से मेहरबानी करके निकाल दीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, मैं लम्बी बातें नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 से थी। 1987 में आकर तत्कालीन सरकार ने अपनी किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कि सभी सम्भागों में एक यूनिवर्सिटी हो, उदयपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बीकानेर कर दिया। अभी बीकानेर में आप सामान्य यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी वहां रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उदयपुर की जनता आज इस मांग पर उतर गयी है,वह चाहती है कि उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फिर से खोली जाए। इसलिए खोली जाए कि वहां पर सारी बिल्डिंग की व्यवस्था है, एग्रीकल्चर लैण्ड की जरूरत है, वह भी है। जो सारी आवश्यकताएं हैं वे सारी की सारी पूरी करते हैं तो मैं सरकार से यह पुरजोर मांग करूंगा कि उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोले और इस साल ही खोले ताकि सरकार को उसकी क्रेडिट मिल सके।

मैं अपने एरिये के लिये भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, मेरे एक सागवाड़ा गांव है जहां पर शत प्रतिशत ट्राइबल रहते हैं। शिक्षा मंत्रीजी ने देखा है शिक्षा मंत्रीजी खुद जानते हैं उस गांव को कि 17 किलोमीटर के पहले उनको कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं मिलता है। बरसात के दिनों में उसका रास्ता भी कट जाता है, दुर्गम स्थान है। हमारी पूरी पंचायत में 8 गांव हैं उनमें से केवल एक लड़की अध्यापिका बन पायी है, वरना वहां कोई शिक्षित नहीं हो पाया है। आप जैसे शिक्षा मंत्री बरसों तक बने रहे मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आपका यह कार्यकाल पूरा हो रहा है। इससे पहले–पहले सागवाड़ा के लोगों को सैकण्डरी स्कूल देकर जाएंगे तो वे आदिवासी जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। आदिवासी हमेशा दिल का साफ होता है वह जो बात कहता है, वह किसी भी परिस्थिति में हो, याद रखता है। आशा है मेरी इस बात पर निश्चित रूप से गौर फरमाएंगे।

(श्री दयाराम परमार)

मेरा उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन हैं आप जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से बराबर मैं यह कहता आया हूं, मांग करता आया हूं कि खैरवाड़ा में आपको एक डिग्री कालेज खोलना है। खैरवाड़ा ट्राइबल एरिया है, वहां पर 7 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, 18 सैकण्डरी स्कूल हैं और 65 मिडल स्कूल हैं। डूंगरपुर में उच्च शिक्षा के लिये होता यह है कि ये लोग उदयपुर से आए हैं इसलिए इनको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। कई बार हमारे लड़कों को वहां परेशानी खड़ी हो जाती है और फिर उनको उदयपुर या इधर–उधर भटकना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप खैरवाड़ा में डिग्री कालेज खोलने की कृपा करें। हमने कालेज के लिये जमीन वगैरह सारी रिजर्व करवा दी है तथा और भी कोई जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार को हम हैल्प कर देंगे। माननीय सभापति महोदया, आपने मेरे को समय दिया उसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदया, शिक्षा विभाग की मांगों पर आज चर्चा हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इतना महत्वपूर्ण कि कांग्रेस के राज में 5 वर्ष तक कोई एक शिक्षा मंत्री एक ही स्थान पर शायद ही रहा हो, लेकिन मजबूती के साथ आज माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया शिक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं, रीति-नीति से कर रहे हैं, तौर तरीके से कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा विभाग का प्रसार कर रहे हैं। उसकी आलोचना करने पर तुला है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष यह कहता है कि आपने ट्रांसफर को तो उद्योग बना दिया, शिक्षा का स्तर गिरा दिया, सारा रापटरोल कर दिया शिक्षा विभाग का। (व्यवधान) कई लोगों ने कहा है। माननीय जोशीजी ने कहा है। यस, ऐसा कहा है।

एक माननीय सदस्य : जो भी कोई आदमी हैं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अच्छा, कोई बात नहीं। वे आदमी है या नहीं है, हाउस जानता है अच्छी तरह।

यह बात सही है कि प्रजातन्त्र में शासक वर्ग को सावचेत रखने के लिए प्रतिपक्ष की ओर से सही बात कही जानी चाहिए। अच्छी बात नहीं है उसको भी कहना चाहिए लेकिन उसके साथ–साथ अच्छी बातें है उनकी सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है, आश्चर्य किया है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़े खेद का विषय है।

माननीय सभापति महोदया, सारे तौर तरीके, रीति-नीति, शिक्षा नीति, ट्रांसफर नीति, क्रमोन्नत नीति इनके कारण इस विभाग को आप खराब कह रहे हैं? मैं यह तो रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन यदि कोई शाला क्रमोन्नत होती है तो वह भी नीति से होती है, यदि कोई ट्रांसफर होता है वह भी नीति से होता है। एक भी आक्षेप इस तरह नहीं लगाया जा सकता है माननीय शिक्षा मंत्री जी पर कि उन्होंने

(174)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

दुर्भावनापूर्ण किसी तरह का कोई निर्णय लिया हो। आपमें से किसी की यदि हिम्मत हो तो यह कह कर बताएं।

श्री श्रवण कुमार : आप यह बताओ कि ये स्कूल रीति-नीति से खोली जा रही हैं क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने स्थान से बोलें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : ये स्कूलें रीति-नीति से खोली जा रही हैं, मैं समझता हूं इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया है। यही कारण है कि आज शिक्षा मंत्रीजी बड़ी मजबूती से इस विभाग को प्रगेत्तर करने के लिये 5 साल तक कीज में बने रहे। क्या आपकी सरकार में कोई भी व्यक्ति 5 साल तक शिक्षा विभाग को सम्भालने के लिये कीज में बना रहा है ? मुझे आशंका है कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं रहा होगा।

श्री अमराराम (धोद) : खोईवाल जी इनके तो मुख्य मंत्री भी नहीं रहे। आपके मुख्य मंत्री रहे हैं पहली बार।

श्री शांतिलाल खोईवाल : जहां तक शिक्षा विभाग के सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल के नतीजों का प्रश्न है उसमें सुधार हुआ है। पहले आम अभिभावकों की मंशा यह रहती थी कि अपन अपने बच्चों को प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में दाखिला दिलाए जहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा है। लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा और खराब रहने का मानदण्ड क्या है ? मानदण्ड होता है नतीजा। हाउस के सभी माननीय सदस्यों को प्रसन्नता होनी चाहिए कि चाहे सैकण्डरी स्कूल की परीक्षा का नतीजा हो, चाहे सीनियर सैकण्डरी स्कूल की परीक्षा का नतीजा हो, आज सरकारी स्कूलों के बच्चों का मैरिट लिस्ट में नाम अच्छा है, ज़्यादा संख्या में है। यह किस बात की देन है ? क्या यह तौर-तरीका इस विभाग को संचालित करने का नतीजा नहीं है ? फिर भी आप आलोचना करते रहते हैं, क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है ? आज क्या शिक्षा विभाग की इसलिए आलोचना की जाती है कि राजस्थान में हर सम्भाग मुख्यालय पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है ? क्या आज शिक्षा विभाग की इसलिए आलोचना की जाती है कि राजस्थान में सामान्य विश्वविद्यालयों की व्यवस्था कर दी गयी है सारे सम्भाग मुख्यालयों पर ? आपको जानकर प्रसन्नता होनी चाहिये कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1991 से अभी तक तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है- अजमेर में हुई है, कोटा के लिये घोषणा हुई है, बीकानेर के लिये घोषणा हुई है। पहले कितने विश्वविद्यालय थे ? एक उदयपुर में था और एक यहां था जयपुर में।

श्री श्रवण कुमार : घोषणा हुई है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह घोषणा नहीं होती है जो काम होता है। तो 60 परसेंट विश्वविद्यालयों की स्थापना इन सात-आठ सालों में हुई है और 40 परसेंट विश्वविद्यालयों की स्थापना चालीस साल में हुई है। क्या इसलिए आप लोग आलोचना करते हैं ? कोई पार्टी, कोई शासक,

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

कोई शासन अच्छा काम करे, फिर भी आप आलोचना करें, यह अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है उसकी तारीफ करनी चाहिये और जो अच्छी बात नहीं है उसकी जानकारी देते हुए उसके सुझाव देने चाहिये कि यह अच्छी बात कैसे हो सकती है। माननीय सभापति महोदया, यह आदत पड़ी हुई है इसलिए यह कोई खास बात नहीं है।

आज नीति के हिसाब से मैं बात करूं। तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से मैंने तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध किया कि राजस्थान में एक मात्र जिला मुख्यालय राजसमंद है जहां पर आई.टी.आई. जैसी व्यवस्था भी नहीं है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज हाउस में अपने विचारों में इन्होंने पूरी सहमति व्यक्त कर दी है कि झुन्झुनूं और राजसमंद में इस वर्ष आई. टी. आई. संस्था खोल दी जाएगी। यह भी नीतिगत बात है, यह बात शायद आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आपको शायद यह बात भी अच्छी नहीं लग रही होगी कि कल कारागार विभाग की जिस तरह की स्थिति उभर कर आयी और तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी ने प्रसन्न होकर हाउस में घोषणा कर दी कि एक आई. टी. आई. संस्था कारागार में भी खोल दी जाएगी। क्यो, भाई? जो व्यक्ति वहां पर सजा भुगत रहे हैं, पता नहीं किस परिस्थिति में उनसे क्राइम हो गया और उसके कारण उनको जेल में जाना पड़ गया, क्या जेल में जाने के बाद में अपने जीवन को सुधारने का अवसर उनको प्रदान नहीं करना चाहिये? निश्चित तौर से इस तरह के अवसर प्रदान करने चाहिये। जो काम रीति–नीति से होता है उसकी आलोचना करते हो, बड़ी विचित्र बात है। (व्यवधान) मैं जेल में रहा हूं और पूरे पन्द्रह साल रहा हूं, माननीय सभापति महोदया...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मुझे मेहरबानी करके डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री टीकमचन्द कान्त : मेरी एक बात है। आजीवन कारावास तो चौदह साल तक का ही होता है, फिर ये पन्द्रह साल कैसे रहे?

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान सरकार की एक बड़ी अच्छी नीति के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि मुस्लिम समुदाय को मजहब की दृष्टि से उर्दू तालीम देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनका भी अपना रेशो है। जनसंख्या के हिसाब से उनका इस प्रदेश में रेशो है उस रेशो के हिसाब से उनके लिये उर्दू तालीम की व्यवस्था होनी चाहिये। मैंने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया कि मेरे राजसमंद में आठ हजार जनसंख्या है मुस्लिम समुदाय की .

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

वहां पर अंजुमन के माध्यम से पांचवीं तक तो उनको उर्दू तालीम की व्यवस्था करा दी जाती है लेकिन इसके आगे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है मेहरबानी करके राजसमंद में या रेलमगरा में जो लड़कियाँ और लड़कों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स

(श्री शांतिलाल चोईवाल)

हैं वहां पर उर्दू तालीम की व्यवस्था कराने के लिये एक एक उर्दू अध्यापक की व्यवस्था कर दें। मैं आभार व्यक्त करता हूं शिक्षा मंत्रीजी का कि उन्होंने मुझे पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी कि मुख्य मंत्रीजी को आपने जो अनुरोध किया है, हमने विचार किया और शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं कि इस नवीन सत्र के प्रारम्भ होने से पहले उर्दू अध्यापकों की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन व्यस्तता के कारण मैं समझता हूं कि इस पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। मैं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो चुका है, शिक्षा निदेशक को निर्देश दें कि वे तत्काल राजनगर के दोनों सीनियर सैकण्डरी स्कूल और रेलमगरा के दोनों सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के लिये एक-एक उर्दू अध्यापक की व्यवस्था तत्काल फर्माएं, यह नितान्त आवश्यक है। यह घोषणा के तहत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री शांतिलाल चोईवाल : सभापति महोदया, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात अर्ज कर रहा हूं, शिक्षा में गुणात्मक प्रगति हो रही है। संख्यात्मक हो ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन गुणात्मक भी हो रही है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, आज शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन बढ़ा है। अध्यापकों को इस बात के लिये चिन्ता होने लगी है कि समय पर शाला में जाना है, समय पर अध्यापन का कार्य कराना है, अच्छे नतीजे देने हैं। अच्छे नतीजे देने के लिये कई तरह के प्रोत्साहनों की घोषणा भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने की है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदया, मैं एक बात और कहूंगा। शिक्षा की भूख जनता को बहुत है। वह भूख यह है....

श्री सभापति : यहां पर सभी विद्वान बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य, यहां सभी विद्वान लोग हैं, सबके सुझाव लेने हैं।

श्री शांतिलाल चोईवाल : पचास सैकण्डरी स्कूल, पचास सीनियर सैकण्डरी स्कूल और सौ मिडल स्कूल की जो घोषणा की है यह ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इसकी संख्या ठीक दुगनी की जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे शिक्षा जगत में सब जगह वाह-वाह होगी।

मैं एक छोटा-सा निवेदन और करूंगा। मैं समझता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा कर्मी योजना, लोक-जुम्बिश योजना इन पर राजस्थान में लगभग 400 करोड़ रुपये सालाना खर्च होते हैं, यहां तक कि इन योजनाओं को संचालित करने के लिये सरकारी प्राथमिक शालाओं को भी बन्द करने की व्यवस्था कर दी जाती है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन सारी योजनाओं से कोई लाभ नहीं है। यदि आपको वास्तव में शिक्षा का प्रसार करना है तो मेहरबानी करके अनिवार्य शिक्षा कर दीजिये पूरे प्रदेश में। आपने राजसमंद में अनिवार्य शिक्षा की घोषणा दो साल पहले

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

की थी अभी मेरा विधान सभा में प्रश्न था, उसका जवाब मेरे पास आया कि अभी हम वातावरण बना रहे हैं । दो साल आपको वातावरण बनाने में लग गये तो फिर इस तरह की घोषणाओं के क्रियान्वयन का क्या हश्र होगा ? मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस तरह का वातावरण तो बन चुका है, आपको जितनी प्राथमिक शालाएं अनिवार्य शिक्षा की दृष्टि से झुंझुनूं और राजसमंद जिले में खोलनी हैं इसी सत्र से खोलिये, जितने स्कूल क्रमोन्नत करने हैं इसी सत्र से करिये और जितने उच्च, जितने सैकण्डरी स्कूल और सीनियर सैकण्डरी बनाने हों, अपने सर्वे के आधार पर जहां–जहां पर आवश्यकता हो तत्काल करिये ताकि आपने जो घोषणा की है उन घोषणाओं का महत्व रहे । दो साल में सिर्फ वातावरण बनाने का कोई मतलब नहीं रहता सिर्फ वातावरण बनाने में आपको दो साल लग जाएंगे तो वास्तविकता को क्रियान्वयन करने में कितना समय लगेगा ? मैं आगे इसके बारे में बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता ।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री शिवनाथ सिंह जी ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान के सम्बन्ध में जब शिक्षा की बात होती है, साक्षरता की बात होती है तो देश के अन्य प्रांतों से हम बहुत नीचे आते हैं । नीचे आते हैं, इस के लिये हमें आज से पचास-साठ पहले जाना पड़ेगा । राजस्थान राजाशाही के अत्याचारों से, जागीरदारी प्रथा के अत्याचारों से पीड़ित था और एक जर्जर टुकड़ा जमीन का था जिसको जोड़कर राजस्थान बना है । उस समय राजाओं के राज में, जागीरदारों के राज में पढ़ने की सुविधा का तो सवाल ही नहीं उठता । पढ़ने की इजाजत तक नहीं थी । मेरी उम्र के बहुत-से लोग इस बात से पीड़ित हैं कि जो अपने आपको सवर्ण मानती थीं कुछ जातियां स्कूल में उनके बराबर बैठकर हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था । इस प्रकार के वातावरण से हम निकल कर आये हैं । आज चर्चा होती है कि हमने आठ साल में यह कर दिया, तुमने चालीस साल में कुछ नहीं किया । सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भवन की नींव बनाने में जोर आता है, ऊपर की छत बनाने में चौथाई हिस्सा भी जोर नहीं आता है । आज से पचास साल पहले जब हमने आजादी हासिल की उस वक्त के राजस्थान के ढांचे को हम देखें, आमदनी नहीं थी, वातावरण नहीं था । उस स्थिति में जो उस वक्त की सरकार थी उसने अपना काम शुरू किया ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं आज आप आंकड़े चाहे कुछ भी दें कि पहली योजना में यह हुआ, आठवीं में यह हुआ, नवीं में यह हुआ । लेकिन सभापति जी, जो एक नम्बर की कुर्सी पर बैठेगा उसको झक मारकर काम करना पड़ेगा । वह कभी भी काम को टाल नहीं सकता । जो–जो यहां बैठे हैं उन्होंने अपने समय में काम किया है । आज भी मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंहजी यहां बैठे हैं अपने काम कर रहे

(...शवनाथ सिंह)

है। उस काम को हम स्वीकार करते हैं और आज जो जनता की भलाई के लिए शिक्षा के सम्बन्ध में बजट में बढ़ोतरी हुई है उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। सवाल इतना उठता है कि यह जो बढ़ोतरी आपने की है और राज्यों में भी हुई है, देश में भी हुई है, रुपये का अवमूल्यन हुआ है, सब काम होते हुए भी उस रुपए का सदुपयोग हम कहां तक कर पाए हैं और कर रहे हैं? यह बात बहुत बड़ी परीक्षा की है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापतिजी, आज जो व्यवस्था शिक्षा के मामले में है उस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। एक बात के लिए मैं माननीय कटारिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ट्रांसफर की नीति इन्होंने अपनाई। उसकी कितनी भी आलोचना हो सकती है लेकिन मैं इसकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि ट्रांसफर के लिए मास्टर इन चार सालों से हमारे पास में नहीं आये, हमारे कपड़े नहीं फाड़े। इसके विषय में कुछ भी लेन-देन होगा, जो आपकी संस्थाएं हैं वे कुछ भी करती होंगी लेकिन जन प्रतिनिधियों के पास में इन्होंने आने का अवसर नहीं दिया। इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। नीति के आधार पर ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें कहीं गलती हो सकती है लेकिन सुधारने की चेष्टा की जाती है। इसके लिए भी आपको बहुत साधुवाद मैं करता हूं।

माननीय सभापतिजी, शिक्षा के मामले में ये सुधार चाहते हैं, इनका मानस सुधार करने का है लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सभापति जी, आज हम स्कूलों में जाते हैं तो दरवाजे पर लिखा रहता है "ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान"। मैं कटारिया जी और चतुर्वेदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इस श्लोगन को कितना सार्थक किया है। हमारे जो विद्यार्थी वहां से पढ़कर बाहर निकलते हैं, उनमें हम सेवा भाव कितना पैदा कर पाए हैं और कितने हम इस मामले में सफल हुए हैं, यह हमारे सोचने का विषय है।

माननीय सभापति जी, मैं संकेत रूप में अपनी बातें छोटे रूप में कहूंगा। मैं माननीय कटारिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र की इस समय में आपकी पूरी चेष्टा होते हुए भी शिक्षा के मामले में बड़ी उपेक्षा हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों का जो मामला है उनकी स्थिति दयनीय है।

आज आठवीं कक्षा का आपने बोर्ड बनाया है, बहुत अच्छा काम आपने किया है। कभी जब हम पढ़ते थे उस वक्त छठी और आठवीं का बोर्ड था, आपने फिर उसको बोर्ड बनाया, एक तरह से परीक्षाएं लीं। लेकिन उसका परिणाम जो आने वाला है। आपको उससे शिक्षा लेनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मेरा निवेदन खास तौर से यह है कि जिन स्कूलों के अध्यापक अपने छात्रों का आठ और दस प्रतिशत रिजल्ट लाए है, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, वहां से उनको हटा दीजिए। जब तक आप यह कदम नहीं उठाएंगे तब तक आपके बोर्ड के प्रारम्भ करने का और उसका रिजल्ट आने का कोई मतलब नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

निकलेगा। हरेक अध्यापक को महसूस होना चाहिए, जो राजस्थान में पढ़ाता है कि आप काम नहीं करोगे तो आपको दण्डित भी किया जा सकता है। और जिन स्कूलों के रिजल्ट अच्छे रहे हैं उनको आप उनकी सुविधा की जगह दीजिए, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति जी, ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, पीड़ा मुझे भी बहुत है। मैं इस बात को तो यहां प्लीड नहीं करूंगा कि पंचायत समितियों से वह शिक्षा ले ली जाए। प्राइमरी एजुकेशन पंचायत समितियों के पास रहे। हम तो मिडल तक की परीक्षा, मिडल तक की शिक्षा पंचायत समितियों के पास रहे, इसके प्रशंसक हैं, इसकी चेष्टा करने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायत समितियों के माध्यम से चलने वाली स्कूलों के अन्दर अव्यवस्था की कमी नहीं है। अव्यवस्था किस रूप की है? कि हम पूरे अध्यापक वहां नहीं दे पा रहे हैं। दो–दो सौ, ढाई-ढाई सौ लड़के हैं वहां एक अध्यापक है, भवन नहीं है. इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान देकर पंचायत समितियों के पास रहते हुए शिक्षा में सुधार होगा तब तो आपकी वाहवाही होगी और पंचायत समितियों से आपने ले लिए तो जो मिडल स्कूलों का रिजल्ट रहा वह भी उसमें रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा प्राइमरी एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी, मेरे बहुत-से साथियों ने निवेदन कर दिया, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि अलग–अलग योजनाएं आपने बना रखी हैं–शिक्षाकर्मी है, लोक–जुम्बिश है, सम्पूर्ण साक्षरता है, गुरु-मित्र है, गुरु-दुश्मन है, अनौपचारिक शिक्षा है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गुरु–दुश्मन ?

श्री शिवनाथ सिंह : हां, अनौपचारिक में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये अलग–अलग नाम आपने क्यों रखे हैं? लोगों का मानस यह है कि इसमें सरकारी अधिकारियों का स्वार्थ निहित है। विदेश से रुपया आता है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाए और किसी न किसी एजेन्सी के पास ब्यूरोक्रेसी इसका फायदा उठा ले इसलिए ये लोक–जुम्बिश और अन्य योजनाएं चलायी हुई हैं। इन सबको आप बंद कीजिए। इकजाई बजट लीजिए प्राइमरी एजुकेशन और अपर प्राइमरी एजुकेशन का और इसमें लगाइए। यह बहुत बड़ा कुचक्र है। माननीय सभापति जी, हमारे यहां मेरे जिले में भी सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चला। अभी आडिटर जनरल की रिपोर्ट आयी। मैंने प्रश्न पूछा था, उसका जवाब भी आया है। आडिटर जनरल की रिपोर्ट में से एक–दो लाइन पढ़ना चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि पांच जिलों में प्रति शिक्षार्थी लागत अनुमानित लागत की 1.20 से 22.92 गुणा थी। जो अनुमान हमने किया था 1.20 परसेंट उसका वहां खर्च हुआ है 22.92 परसेंट। इसी तरह से, सभापति जी, हमने राजस्थान में 26.12 लाख निरक्षर लोग चिन्हित किये थे, उनमें

(श्री शिवनाथ सिंह)

से सिर्फ 10.21 लाख को साक्षर करने का दावा हम करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह अपने आप बजेगी। एक अखबार में इसका मूल्यांकन आया। उसका हैडिंग है "प्रति व्यक्ति खर्च कहीं 80 रुपए और कहीं 1600 रुपए" इस सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में आया है। कैसे क्या हो गया? एक जगह, एक जिले में, एक स्थान पर उसका खर्चा 80 रुपए प्रति व्यक्ति आया है और दूसरे जिले में दूसरे स्थान पर उसका खर्चा 1600 रुपए प्रति व्यक्ति आया है। और साक्षर हम कितना कर पाये, मैंने आपको इसकी संख्या दी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम आपका पूरी तरह से असफल रहा। असफलता का कारण है कि जन प्रतिनिधियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। किसी भी जिले में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एम.एल.ए. और एम.पी. किसी को भी सम्मिलित नहीं किया गया है, उनका सहयोग नहीं लिया गया है और सबसे भयंकर बात यह है कि परचेज का जो मामला है उसमें तो किसी को नजदीक नहीं आने दिया। मेरे जिले में दो किताबें निकली हैं।

श्री समापति : अब आप समाप्त करें।

श्री शिवनाथ सिंह : खतम कर रहा हूं।

श्री समापति : आपके जिले का लिखित में भेज दें क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं कह रहा हूं न, लिस्ट भेज दूंगा। एक की कीमत 6 रुपये 50 पैसे और दूसरी की कीमत 5 रुपये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी देख सकते हैं, ये किताबें बाजार में 2 रुपये से अधिक की कीमत की नहीं हैं। इस प्रकार की धांधली जो परचेजिंग में हुई है उसी का नतीजा है की कहीं 80 रुपये और कहीं 1600 रुपये आपका खर्चा है।

माननीय समापति जी, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा। इन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि जिस जिले में कालेज हैं, प्राइवेट कालेज हैं, वहां कालेज नहीं खोलेंगे। झुंझुनूं जिला इसका बहुत ज्यादा पीड़ित जिला है। पहले मैं उन सेठों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वहां कालेज खोले। लेकिन आज वे धीरे-धीरे बन्द कर रहे हैं। उनमें सब्जैक्ट्स नहीं हैं। आपसे 90 प्रतिशत ग्रांट लेते हैं वे इसलिए आपसे इतना ही निवेदन करना है कि कम से कम स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये झुंझुनूं जिला हैडक्वार्टर पर एक महिला कालेज खोलने का आप विचार करें। मैं घोषणा के लिये तो आपसे नहीं कहना चाहता, लेकिन इस पर आपको विचार करना चाहिये और झुंझुनूं जिले को एक कालेज देना चाहिये। माननीय समापति जी, मैं आपकी घंटी को देख रहा हूं।

श्री समापति : अब पूरा हो गया आपका।

श्री शिवनाथ सिंह : इतना ही निवेदन करना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री समापति : आपका अनुभव तो बहुत गहरा है पर समय सीमा है।

श्री शिवनाथ सिंह : वह ठीक है । मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि शिक्षा के अन्दर कितना ही रुपया खर्च हो, स्कूल चाहें कम खुलें, हमें चिन्ता नहीं लेकिन स्कूलों में गुणात्मक सुधार हो, इनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो, इस बात के लिए माननीय मंत्रीजी चेष्टा करें । मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूं, धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा नाम नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आपका भी नाम आ जाएगा ।

श्री सभापति : नाम है, लिस्ट के अनुसार बोल रही हूं । विराजे नाम की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : कहीं नाम है तो सही ?

श्री सभापति : अब वह मुझे सपना थोड़े ही आता है, देखूंगी ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदया, शिक्षा की मांग पर चर्चा चल रही है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है इसमें सर्वप्रथम मैं, खेलकूद मंत्रीजी नहीं विराज रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं । खेलकूद भी शिक्षा का एक बहुत ही अभिन्न अंग है । माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आज जो खेलों का स्तर दिन–प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है उसके बारे में अपने को कुछ सोचना चाहिये । सर्वप्रथम तो मैं यह जानना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूलों में, मिडल स्कूलों में और सैकण्डरी स्कूलों में खलों के सामान की आपके पास क्या व्यवस्था है ? स्थिति यह है कि प्राइमरी स्कूल के अन्दर तो मेरे ख्याल से उनके पास जो सामान होना चाहिये वह सामान भी नहीं है । सभापति महोदया, आज स्कूलों के अन्दर जो सबसे मुख्य चीज होनी चाहिये वह है खेल के मैदान की व्यवस्था । मुझे याद है, 1975–76 में जब हमारे राजस्व की आबंटन कमेटी की मीटिंग हुई थी तो मेरे गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव के प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल को क्रमशः पांच बीघा, 10 बीघा और 15 बीघा जमीन का आवंटन किया गया । लेकिन अफसोस की बात है कि आज सारी जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है । आपकी इसके लिए प्रयास कर लिये । मैं तो इस मौके पर इतना ही निवेदन करूंगा कि राजस्व अभियान जो कि 15 अगस्त से प्रारम्भ हो रहा है, इसके अन्तर्गत प्रशासन को यह निर्देश दें कि जहां स्कूलों की जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है उसको तुरन्त खाली करवाकर फील्ड की व्यवस्था करें । एक पाइंट तो मेरा यह है ।

दूसरा, सभापति महोदया, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि आज ट्यूशन की प्रवृत्ति कितनी बढ़ रही है ? आज ट्यूशन ने तो ऐसा रूपधारण कर लिया है कि, नवीं क्लास का बच्चा हो चाहे दसवीं क्लास का बच्चा हो या सीनियर हायर सैकण्डरी का बच्चा हो, एडमीशन के साथ उसको उसके अध्यापक यह कहते हैं कि अगर हमारे पास पढ़ने नहीं आएगा तो हम तुझे फेल कर देंगे मैं आपको गंगापुर की एक छोटी सी बात बताऊं, आज साइंस का

182

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

टीचर्स, इंग्लिश का टीचर्स दस–दस शिफ्ट चला कर एक साल में ढाई लाख से लेकर पांच लाख रुपये कमाता है। तो इस प्रवृत्ति को रोकने का आपके पास कोई उपाय है ? इस पर भी जरा विचार कीजिये।

तीसरा निवेदन यह है, जैसा अभी माननीय कोठारीजी ने भी कहा था कि मुस्लिम बहुल गांवों में जहां पर मिडल स्कूल हैं, सैकण्डरी स्कूल हैं और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें उर्दू के टीचर की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, मेरे गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में मलीगंज के अन्दर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुआ था। 1982 से आज तक भी उस स्कूल की छात्र संख्या 200 से अधिक नहीं बढ़ी है क्योंकि उस गांव के अन्दर मस्जिद में जो मदरसा चलता है उसमें छात्रों की संख्या 300 और 400 है। नतीजा क्या निकलता है कि छठी–सातवीं पास करने के बाद या तो उनको गंगापुर आना पड़ता है या अपने घर बैठ जाना पड़ता है। इसलिए मेहरबानी करके इस तरह के जो सैकण्डरी स्कूल अल्पसंख्यक बहुल गांवों में हैं उन सभी स्कूलों के अन्दर उर्दू के टीचर की व्यवस्था आपको करनी ही चाहिये।

मेरे सवाईमाधोपुर जिले की ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सवाईमाधोपुर जिला अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग बहुल जिला है। मैं जहां तक सोचता हूं शिक्षा की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सवाईमाधोपुर जिला आज राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसका एक कारण है, डांग क्षेत्र सवाईमाधोपुर जिले में है, डाकूग्रस्त क्षेत्र सवाईमाधोपुर जिले में है, चम्बल, बनास और मोरेल का बीहड़ सवाईमाधोपुर के अन्दर है। खण्डार से आने वाले माननीय विधायक बैठे हैं, इनके खण्डार क्षेत्र की स्थिति क्या है ? मेरे गंगापुर विधान सभा क्षेत्र को ही लें, हमारे यहां पर 1985 और 1990 के बीच में हमने सभी रैवेन्यू गांवों में प्राइमरी स्कूल खुलवा दिये। अब स्थिति दूसरी बनी। गांवों की जो जनसंख्या है वह अपने ऊंचे टीलों को छोड़कर सड़क के किनारे आ रही है या अलग ढाणियों के अन्दर जाकर बस रही है जिसको हम ढाणी बोलते हैं। अब उन ढाणियों में प्राइमरी स्कूल खोलने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी जनसंख्या 150 से लेकर 250 तक हो चुकी है। इसलिए मेहरबानी करके जहां पर ढाणी है, जिसकी जनसंख्या 150 और 200 है वहां प्राइमरी स्कूल खोला जाए।

सभापति महोदय, आपने महिला शिक्षा की बात की थी, पंचायती राज मंत्री जी तो नहीं हैं....

श्री सभापति : हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : हैं क्या ? पंचायतीराज मंत्रीजी से निवेदन कर दीजिये, उनको निर्देश दे दीजिये। ये कहते हैं कि प्राथमिक शालाएं हम महिलाओं की नहीं खोलेंगे। गत वर्ष मैं आपसे मिला था और मेरे क्षेत्र में कुछ कन्या प्राइमरी स्कूलों के लिए आपसे निवेदन किया था। आपने कहा कि इस साल कोई प्रावधान

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

नहीं है। हमने कहा कि नहीं होगा प्रावधान, हम आ गये वापस। जब कन्या प्राथमिक विद्यालय ही नहीं होगा तो बताइये उच्च प्राथमिक विद्यालय कहां से बनेगा?

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): समापति महोदया, ये ठीक कह रहे हैं। पहले एक प्रोविजन था शिक्षा विभाग में कि जो प्राइमरी स्कूल लड़कियों की होती थी उनको अपग्रेड करने में, मिडल स्कूल करने में प्रायोरिटी होती थी इसलिए लोग गर्ल्स स्कूल खुलवाते थे। पांचवीं क्लास तक ब्वायज और गर्ल्स स्कूलों में, पांचवीं क्लास के बच्चे और बच्चियों में क्या अन्तर है? एक गांव में दो हमने इसलिए समाप्त किया कि एक गांव में तो दो स्कूल हैं और कई गांव ऐसे हैं जहां बिलकुल ही स्कूल नहीं। इस अन्तर को समाप्त करने के लिए कि एक बार शिक्षा की दृष्टि से पूरा राजस्थान कवर हो जाए इसलिए हमने यह व्यवस्था की है। पांचवीं क्लास तक क्या लड़के और क्या लड़किया?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल: हमारे सवाईमाधोपुर जिले के जो अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल ग्राम हैं, आज भी वहां यह स्थिति है कि लड़कियों को लड़कों के स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर: पांचवीं क्लास तक क्या लड़का और क्या लड़की?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल: नहीं पढ़ाते है, नहीं भेजते हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर: अब नहीं पढ़ाएं तो नहीं पढ़ाएं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल: इसलिए मेहरबानी करें आप और कहीं नहीं तो अगर आपके क्षेत्र ....

श्री शिवनाथ सिंह: माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जहां मिडल स्कूल में अपग्रेडेशन का सवाल आता है उस वक्त वह बाधा आती है आज भी बाधा आती है कि नहीं आती कि गर्ल्स स्कूल नहीं है इसलिए हम मिडल में अपग्रेड नहीं करेंगे? यदि माननीय मंत्रीजी कह दें ऐसी बाधा नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह बाधा है आज के दिन भी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल: माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने खण्डीप ग्राम के अन्दर प्राथमिक विद्यालय थी कन्याओं की, उसको गत वर्ष मेरे निवेदन पर क्रमोन्नत कर दिया। इसी प्रकार से और प्राथमिक विद्यालय है जो आज नहीं तो कल, परसों, दो साल में, पांच साल में, 10 साल में कभी भी क्रमोन्नत हो सकते हैं। खैर, यह तो आपके सोचने का विषय है।

समापति महोदया, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर कोई भामाशाह तो है नहीं, अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, उनकी स्थिति हम जानते हैं। गांवों के मिडल स्कूल हैं, डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में बात करते हैं कि इनकी मरम्मत के लिए पैसा दे दो। उन्होंने कहा कि नया स्कूल बनवा लो लेकिन मरम्मत के लिए पैसे का कोई प्रावधान नहीं है। मेहरबानी करके जो स्कूल जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं उनकी मरम्मत

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

का प्रावधान करवा दीजिये। विशिष्ट योजना मंत्रीजी बैठे हैं। सभापति महोदया, खास तौर से मैं गंगापुर के अग्रवाल समाज को इस सदन में धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में उच्च शिक्षा मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को भी उसमें शामिल करते हुए धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे एक महिला कालेज की बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे अग्रवाल समाज ने उस समास्या का समाधान कर दिया और राज्य सरकार ने 90 प्रतिशत अनुदान देकर उसकी पूर्ति कर दी। साथ में दुबारा और धन्यवाद दे दूं कि इस स्कूल इन्होंने बी.एड. का पाठ्यक्रम अग्रवाल शिक्षण समिति के माध्यम से गंगापुर में भी चला दिया। जहां धन्यवाद देने की बात है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : एक निवेदन मेरा है कि हम भामाशाह हैं या नहीं हैं लेकिन आप भामाशाह जरूर है। यह मत कहिये कि हम.... (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : निवेदन सुन लें कि मैं भामाशाह हूं या नहीं। अपने मुंह से तो क्या बताऊं, यह तो गंगापुर की जनता जानती है कि शिक्षा के मामले में मैं और मेरा परिवार कहां तक सहयोग करते हैं। विद्यार्थियों को पुस्तके फ्री बांटते हैं, जो लड़कियां मैरिट में आती हैं उनको....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप भामाशाह बनेंगे और बन रहे हैं। धन्यवाद आपको।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : नहीं, हमारा दूसरा ही ट्रस्ट है। गोल्ड मैडल भी देते हैं, उनको वजीफा भी देते हैं जो निर्धन बच्चे हैं उनको किताबें भी। चाहे कितने ही बच्चे हों, एक से लेकर 500 तक बच्चे हों उन सब बच्चों को पुस्तकें देते हैं। भामाशाह तो खैर मैं नहीं बन सकता लेकिन मैं जितना भी सहयोग दे सकता हूं, दे रहा हूं।

शिक्षा मंत्री महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। गंगापुर के दो हिस्से हैं, एक तो दक्षिणी और दूसरा उत्तरी। दक्षिणी क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग है और मोरल नदी और बीहड़ वन है। वहां पर एक मिडिल स्कूल और उस क्षेत्र का एक मात्र सैकण्डरी स्कूल है। सारे के सारे बच्चे गंगापुर आते हैं, स्थिति यह हो गयी है गंगापुर स्कूल की कि आज वहां पर 4500 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसलिये मेहरबानी करके उस गांव की साइड के अन्दर, जो वर्षों से पिछड़ा हुआ है उसके अन्दर एक सैकण्डरी स्कूल दे दीजिये। गत वर्ष भी आपने उसके लिए वायदा किया था लेकिन हो सकता है कि नार्म्स में नहीं आने के कारण से नहीं दिया हो। वैसे अब आप 50 दे रहे हो, मुझे तो आशा है कि मेरा 50 में नम्बर आ जाएगा।

आखिर में आपको एक धन्यवाद दे दूं। मैं जहां तक सोचता हूं सबको ही होगा, वह स्थानान्तरण की लाइन हमेशा लगा करती थी, विधायकों के पास लोग आकर पड़े रहते थे। आपकी स्थानान्तरण नीति के माध्यम से जो आपने फार्म्स मंगवाये हैं और उसका जो आपने पूर्ण रूप से

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

पालन किया है, वह आज हमारी दूर हो गयी है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओम प्रकाश शर्मा। (अनुपस्थित)।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदया, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको तो समय देना ही नहीं है। आप तो बुजुर्ग हैं, आपकी छत्रछाया चाहिए।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि शिक्षा के निरन्तर विकास की ओर प्रदेश को अग्रसर करने में आप अपना कोई प्रयास छोड़ नहीं रहे हैं। पिछले सात वर्षों से निरन्तर शिक्षा के बजट में वृद्धि इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय एवं प्रदेश की सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये आमूलचूल परिवर्तन के लिए भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों एवं कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं के लिए निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवायी हैं। मध्याह्न भोजन पोषाहार कार्यक्रम के तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दिया जाता है। यह अपने आप में एक अनूठी योजना है जो हमारी सरकार ने प्रारम्भ की। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय के ऊपर मिडल स्कूल खोले। दलगत राजनीति के ऊपर उठकर हमारी सरकार ने प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले। प्रत्येक जिले में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से महिला कालेज की स्थापना की गयी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि शिक्षा की जिस ढंग से हम निरन्तर गति देते आ रहे हैं, शिक्षा को प्रदेश में बढ़ाने के लिए जैसा हमारी सरकारी का मानस है उस दृष्टि से इस बार जो हमने मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल या सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने के लिए बजट में संख्या दी है वह बहुत कम है। निरन्तर हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, देते आ रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक गरिमा बनायी है। उस गरिमा को कायम रखते हुए प्रदेश में एक अच्छा मैसेज देने के लिए हम सभी सदस्यों की यह भावना है कि इन क्रमोन्नत होने वाले स्कूलों की संख्या दुगनी की जाए। इस वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय हमारी सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने लिये हैं कि प्रदेश के 235 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं तो चाहूंगा कि प्रदेश में प्रत्येक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की जाए।

माननीय सभापति महोदया, अभी हमारे साथियों ने कुछ योजनाओं को निरर्थक बताया है अनौपचारिक शिक्षा, लोक जुम्बिश, प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षाकर्मी

186

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

योजना । निश्चित रूप से इनमें से कुछ योजनाएं निरर्थक हैं लेकिन शिक्षाकर्मी योजना, मैं समझता हूं योजना तो अनुपम नहीं है [illegible] की बात करता हूं । झालावाड़ जिले के शिक्षाकर्मी योजना इतनी [illegible] रही है कि हमारे [illegible] स्कूल हैं, शिक्षाकर्मी स्कूल [illegible] नियमित स्कूलों से अच्छे [illegible] रहे हैं । इससे हमें दोहरा [illegible] है । एक तो हमारे बेरोजगार भाई हैं, [illegible] उनको [illegible] रोजगार ही मिले, [illegible] वेतनमान ही उनको मिले, वे रोजगार से लगे हुए हैं । दूसरा, इस योजना के [illegible] एक दोष था । जहां हमारे नियमित स्कूल थे वहां भी हम शिक्षाकर्मी स्कूल खोल दिया करते थे लेकिन अब केवल शिक्षाविहीन गांवों में ही यह शिक्षाकर्मी योजना लागू की जा रही है । जिस गांव की 250 की पापुलेशन नहीं है, 100-150 की पापुलेशन है लेकिन वहां के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो इस योजना के माध्यम से उन गांवों के बच्चे शिक्षित हो सकेंगे । यह योजना मेरी नजर में काफी सार्थक है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे झालावाड़ जिले के ऐसे शिक्षाविहीन गांवों की सूची शिक्षाकर्मी बोर्ड में भेजी हुई है लेकिन वहां से कोई टीम वहां नहीं पहुंच पाई है उन गांवों का चयन करने के लिए । माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, टीम पहुंचाएं और उन गांवों में शिक्षाकर्मी स्कूलों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से इस अवसर पर मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगना चाहता हूं । हमने यह घोषणा की थी, हमारी सरकार की यह घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर हम एक बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल देंगे । इस घोषणा से [illegible] पंचायत समिति मुख्यालय अभी वंचित है । [illegible] समिति मुख्यालय सुनेल में बालिका सैकण्डरी स्कूल कार्यरत है लेकिन सीनियर हायर सैकण्डरी नहीं [illegible] । मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि [illegible] पंचायत समिति मुख्यालय सुनेल, पर बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल दें । साथ ही जीवलखेड़ा एक बहुत बड़ा गांव है, लगभग 5 हजार की पापुलेशन है । वहां काफी समय से उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है, उसे सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें ।

इस अवसर पर मैं माननीय [illegible] मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में [illegible] वाली [illegible] के [illegible] स्कूल कार्यरत है । स्कूल बहुत अच्छी चल रही है, मेरा अनुरोध है कि इस स्कूल को क्रमोन्नत करके उच्च माध्यमिक विद्यालय करने का कष्ट करें ।

श्री सभापति : आप तो धन्यवाद करो ।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : एक मिनट है । माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक विद्यालय के विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा । 250 की आबादी वाले गांवों में हम प्राथमिक शालाएं खोल चुके हैं, कुछ ही शेष रही होंगी । मेरा निवेदन है कि 250 से इस संख्या को कम करके 200 की आबादी वाले गांवों में प्राथमिक स्कूल

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

खोलें। ऐसा हम निर्णय लें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा सुलभ हो सकेगी। मुझे इस अवसर पर समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मगराज चौधरी।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : सभापति महोदया, शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान हमारे देश में शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसके कई कारण हैं। इसले विगत में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आप सब इसके जानकार हैं। 1952 में राजस्थान बनने के बाद जो सरकारें बनीं, लगातार इस बात का प्रयास किया गया कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का प्रसार हो मगर फिर भी जितनी प्रगति हमें करनी चाहिये थी दुर्भाग्य से अभी तक हम कर नहीं पाये और इसी का यह परिणाम है कि आज भी हमारा प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ, एकाध प्रान्त को छोड़कर गिना जाता है। यह हमारे लिये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। राजस्थान के अन्दर कुछ पूर्वी जिलों और उत्तर पूर्वी जिलों को छोड़कर जब पश्चिमी जिलों की बात करते हैं तो वहां की जो शिक्षा की स्थिति है उसे देखते हुए तो हमें और भी चिन्ता होती है। जालौर व बाड़मेर जिले में सतत् प्रयत्न करने के पश्चात आज भी हमारा साक्षरता का जो प्रतिशत है वह बहुत कम है। हमें बहुत तीव्र गति से इस अन्तर को मिटाने का प्रयास करना चाहिये। इस प्रकार का अन्तर मिटाने के लिये केवल मात्र बातें करने से काम नहीं चलेगा। वातावरण तो शिक्षा का बन चुका है, लोग वहां स्कूलें मांग रहे हैं मगर वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए हमें वहां पर शिक्षा के लिये ज्यादा साधन देने की जरूरत है। कदाचित्‌ साहब आपने पिछले वर्षों में वहां पर कुछ स्कूलें खोली हैं। कुछ सैकण्डरी स्कूलें भी खोली हैं मगर वांछित फल अभी तक नहीं मिला। जो जिले पिछड़े हुए थे वहां पर एक-दो सैकण्डरी स्कूल खोलने के पश्चात भी हम पूर्वी जिलों से बहुत पीछे हैं। आज वहां ऐसी स्थिति है कि 10–10, 12–12 किलोमीटर की परिधि के अन्दर चार-चार हजार की आबादी के जो रेवेन्यू विलेजेज हैं, जहां 500–550 तक बच्चों की संख्या है वहां पर भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल का जहां तक सवाल है मेरे पूरे पंचायत क्षेत्र में केवल मात्र तीन हैं, जिनकी आबादी लगभग दो लाख है। अब दो-लाख की आबादी के पीछे आज दिन तक हम केवल मात्र तीन हायर सैकण्डरी स्कूल खोल पाये हैं तो उसका अर्थ यह हुआ कि सत्तर हजार की आबादी के पीछे हम एक हायर सैकण्डरी स्कूल खोल पाये हैं। 35-35, 40-40 किलोमीटर की परिधि के अन्दर वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। आप अनुमान लगाइये कि ऐसी स्थिति के अन्दर मैट्रिक पास करने के पश्चात विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी हायर एजुकेशन शुरू कर सके? प्रायः यह होता है कि मैट्रिक के बाद उसको शिक्षा बन्द करनी पड़ती है। मिडल स्कूल तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात दस–दस, बारह–बारह किलोमीटर पढ़ाई के लिये जाएं, हमारे

(श्री मगराज चौधरी)

यहां पर जो क्लाइमेट है उसे देखते हुए यह पूरे साल सम्भव नहीं होता कि बच्चे इतनी दूरी पार करने के पश्चात वहां जा सकें, आ सकें। यातायात के साधन भी नहीं हैं। इसलिये मेहरबानी करके पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर और जालोर के अन्दर मिडल स्कूल के बच्चों का आप प्रोटेक्ट नहीं हो उसके लिये ज्यादा सैकण्डरी स्कूल खोलने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, दो लाख की आबादी पर मान लो आपकी तीन हायर सैकण्डरी स्कूल हैं तो आप वहां आने वाले समय में बच्चों की शिक्षा के भविष्य पर क्या विचार रखते हैं, यह सोचने की बात है।

जहां तक आपके कार्यकाल में कुछ कार्य करने का सवाल है, आपने कहा कि शिक्षा का ठीक वातावरण बनाया। मैं स्वयं मानता हूं कि आपने बहुत प्रयत्न किये, शिक्षा का वातावरण भी बन चुका है, स्कूलों में नामांकन भी बढ़ा है मगर नामांकन बढ़ने के साथ-साथ जब तक आप स्कूलों के अन्दर अध्यापकों की भर्ती ही नहीं करोगे, अध्यापक नहीं लगाओगे तब तक केवल मात्र नामांकन से क्या लाभ होगा ? हालात आज ये हैं कि पंचायती राज के अन्दर तो 150–150 बच्चों पर भी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। जहां 150 पर एक अध्यापक और 250 पर दो अध्यापक हैं, वहां मैं समझता हूं कि खाली बच्चों को एक बाड़ा बनाकर बैठा दिया जाता है....

(17.55 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पढ़ने के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूं, आपको पंचायती-राज की स्कूलों के अन्दर....

श्री मांगूसिंह गुर्जर : अभी इस वर्ष हमने लगभग 6 हजार अध्यापकों की भर्ती करने के आदेश दे दिये और उसकी प्रक्रिया जारी है।

श्री मगराज चौधरी : आप जब तक प्रक्रिया जारी रखेंगे, जब तक भर्ती करेंगे तब तक जनसंख्या और बढ़ जाएगी क्योंकि आबादी बढ़ रही है। बढ़ती आबादी के साथ प्रत्येक प्राइमरी स्कूल के अन्दर 25–25, 30–30 बच्चे बढ़ रहे हैं और आप स्वयं भी बढ़ाने की बात कह रहे हैं इसलिये आप तो बराबर उत्तरोत्तर अध्यापकों की भर्ती करते रहिये।

श्री मांगूसिंह गुर्जर : इसके लिये परिवार नियोजन भी चला रखा है।

श्री मगराज चौधरी : जहां तक बालिका शिक्षा का सवाल है, बालिकाओं में शिक्षा का फैलाव बहुत कम था, प्रसार बहुत कम था जो कुछ भी हम लोगों ने वातावरण बनाया, आपने वातावरण बनाया उससे आज बालिकाएं स्कूलों में आ रही हैं। बालिकाओं के स्कूलों में आने के साथ-साथ आपको स्कूलों में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। जो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं, हमें वांछित फल नहीं मिलेगा।

आपकी माध्यमिक शालाओं और उच्च माध्यमिक शालाओं के बोर्ड की परीक्षाओं में जहां तक रिजल्ट का सवाल है, उसको बढ़ाने में, ठीक करने में सुधार करने में

(श्री मगराज चौधरी)

आपने कुछ प्रयत्न किये हैं और कुछ फल भी मिले हैं। मैं विशेष तौर से आपको इसके बारे में धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक शिक्षा शास्त्री के नाते आपने इस बात को समझा है कि हमारे स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है और रिजल्ट ठीक नहीं आते हैं। अधिकतर बच्चे अगर पास होते हैं तो थर्ड क्लास आते हैं और फर्स्ट डिवीजन तो बहुत कम। उसमें बहुत कम सफलता आपको मिली है लेकिन और सुधार करने की आवश्यकता है। यदि आप प्रयत्न करेंगे तो मुझे आशा है इसमें आपको सफलता मिलेगी।

आठवीं क्लास की परीक्षा के स्तर में एकरूपता लाने के लिये आपने बोर्ड की परीक्षा के रूप में छोटा-मोटा जो रूप दिया और शामिल परीक्षा लेने का फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो सातवीं क्लास का पूरे राजस्थान के अन्दर मारवाड़ का एक बोर्ड हुआ करता था। बोर्ड का मतलब हमें समानीकरण के आधार पर, एकरूपता के आधार पर बराबर मेहनत करायी जाती थी। जब हमारी नींव ठीक होती थी तो सातवीं के बाद में, आठवीं और सैकण्डरी और हाई सैकण्डरी में पहुंचते थे। उन दिनों हाई स्कूल हुआ करती थी तो अलबत्ता ठीक रिजल्ट रहा करता था। मगर जबसे हमने पंचायती राज संस्थाओं के नीचे यह शिक्षा दी और बोर्ड दसवीं तक नहीं रखा तो फिर आप देखिये कि पहली क्लास से लगाकर के दस क्लास तक बच्चा जाता है बिना रिकार्ड के। आप अन्दाजा लगाइये कि किस प्रकार का शिक्षा का स्तर होगा। इसलिए यह जो आपने निर्णय लिया है इस यात के लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। इसको मजबूती से आप लागू करिये, लागू रखिये और चलाते रहिये। इससे निश्चित तौर से छात्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

इसके बाद शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में आपने जो नीति अपनाई है, यह बहुत अच्छी नीति अपनाई है। जैसे माननीय सदस्यों ने धन्यवाद दिया, मैं उनसे भी आगे बढ़कर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साढ़े चार साल के अन्दर एक भी अध्यापक हमें नहीं मिला जो यह कहता हो कि हमारा तबादला कराओ। मेरे ख्याल से आपके पास आया होगा तो आपने भी कहा होगा कि नीति में रहोगे तो हो जाएगा। मैं समझता हूं इस बारे में बहुत अच्छा फैसला किया है। जो भी नीति से सम्बन्धित बातें आपने इसमें रखी हैं, शर्तें रखी हैं उन शर्तों का भी अगर मान लो हम विचार करें तो वे भी बहुत वाजिब शर्तें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कब आएगा, गांव से शहर में कब जाएगा, कितने साल के बाद तबादला होगा, आपने बहुत अच्छी बातों का उसमें उल्लेख किया है, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं तो मैं भी आपको धन्यवाद दे दूं।

श्री मगराज चौधरी : हमारी मिडल स्कूलों की हालत, हमारी सैकण्डरी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। इसलिये स्कूलों की मरम्मत के बारे में जो सहभागी योजना चालू की है उसमें थोड़ा सुधार करने का मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में पचास प्रतिशत अनुदान के रूप में लोग धनराशि उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, ग्रामीण विकास अभिकरण के मार्फत 'अपना गांव अपना काम' योजना में तीस प्रतिशत

(श्री भगराज चौधरी)

और सत्तर प्रतिशत की जो भागीदारी है उस भागीदारी के रूप में इस योजना को आप लागू कराएं तो इसमें हमें ठीक सफलता मिलेगी और जो जर्जर हालत में हमारी बिल्डिंगें पड़ी हैं पुरानी, उनकी मरम्मत हो सकती है।

(18.00 बजे)

इसके अलावा विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने की बहुत जरूरत है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे शिक्षा मंत्री होते हुए भी वांछित मात्रा में स्कूल आप नहीं खोल पाये। आपकी इच्छा जरूर थी, जब भी मिले आपने अपना दुःख प्रकट किया मगर वित्त मंत्री ने आपका साथ नहीं दिया। मुख्य मंत्रीजी अपना ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने फलां साल शिक्षा को समर्पित कर दिया। मगर खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या समर्पित किया? केवल मात्र पहली क्लास से पांचवीं क्लास तक और बालिकाओं के लिये आठवीं क्लास तक की पुस्तकें मुफ्त वितरण करने की व्यवस्था की। इसके लिए 13 साल में मात्र 8 करोड़ रुपया खर्च किया राजस्थान में, जो बढ़ते-बढ़ते 12 करोड़ तक पहुंच गया। तो क्या 8 करोड़ रुपये की पुस्तक व्यवस्था करने से शिक्षा को समर्पित साल हो जायगा? अगर आप स्कूलों की संख्या में वृद्धि के नाम पर धन की कमी महसूस करते हैं तो मुफ्त में वितरण करने की व्यवस्था को आप विदड्रा कर लीजिये। हमें स्कूल चाहिये, हमें किताबें मुफ्त में नहीं चाहिये। हम अपने बच्चों को अपनी खुद की किताबें खरीदकर विद्यालयों में पढ़ा लेंगे। जैसे पहले हरिसिंह जी ने कहा था, आज कोई माता-पिता मुफ्त में किताबें प्राप्त करने के नाम पर अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से वंचित नहीं रहेगा। भेजना चाहता है मगर वह चाहता है कि स्कूल हर गांव में खुलें। अध्यापक पूरे हों, स्कूलें पूरी हों, हायर सैकण्डरी स्कूल पूरी हों और गांव से गांव बच्चे को बराबर अवसर मिले। 50 सैकण्डरी स्कूल 50 हायर सैकण्डरी स्कूल और सौ प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने के बारे में जो आपकी व्यवस्था है बजट के अन्दर, वह समुद्र में बूंद के समान है। दूसरे शब्दों में कहूं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा, आप इस साल कम से कम पांच सौ मिडिल स्कूल खोलें और जहां तक सैकण्डरी का सवाल है उसको भी आप पांच सौ कर दें।

कांग्रेस की सरकार के समय में मुझे याद है, शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे, उन्होंने एक साल के अन्दर बराबर एक सौ सैकण्डरी स्कूल खोले थे। एक भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा था जहां कि 2-2 3-3, 4-4 स्कूल नहीं खुले थे। जहां जरूरत थी वहां 4-4 भी दिये और जहां जरूरत थी उनको दो दिये। आपका भी यह अन्तिम समय है, अन्तिम से मेरा मतलब, आपकी सरकार का यह अन्तिम वर्ष है, इसलिये आप भी इस संख्या को बढ़ाकर पांच-पांच सौ कर दीजिये। वित्त मंत्रीजी आज यहां पर हैं नहीं, हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। मुख्य मंत्रीजी से कहेंगे, वित्त मंत्रीजी से कहेंगे और आप भी अपना प्रयास करिये। आप दुःख तो महसूस कर रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ आगे किये जाने की जरूरत है, मगर आप मेरे ख्याल से कहते नहीं हैं। अगर कहते हैं तो वे क्यों नहीं मानते, यह भी सोचने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : कितना लम्बा और है माननीय सदस्य जी ?

श्री मगराज चौधरी : एक मैं और निवेदन करना चाहूंगा, पिछले 2–3 साल के अन्दर हम महसूस कर रहे हैं कि आपने विद्यालय खोलने के नाम पर एक व्यापार चालू कर दिया। अब ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर तीन–चार–पांच लाख रुपये ग्रामीण कहां से लाएगे ? जालौर में इस साल अभी तक बरसात नहीं हुई है, बाड़मेर के अन्दर अभी तक बरसात नहीं हुई है। भूकम्प, तूफान जो बीच में आया था उससे हजारों लोगों के घर उजड़ गये। जहां ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इस प्रकार के हालात हैं वहां खुद के योगदान से वे सैकण्डरी स्कूल खुल सकें या हायर सैकण्डरी स्कूल खुला सकें, मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं करनी चाहिये। हमें तो मेहरबानी करके इस प्रकार के सहयोग से बाहर रखिये और विशेष रियायत देकर वहां कुछ स्कूल खोलने में हमारी मदद करिये।

अध्यापकों की कमी के बारे में तो कई बार चर्चा की जा चुकी है, मगर समझ में नहीं आता। आपने कहा कि हम छह हजार अध्यापक फिलहाल नियुक्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं। एक तरफ तो हजारों बच्चे बी. एस. टी. सी. किये हुए बी. एड. किये हुए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, नौकरी की तलाश में मारे-मारे फिर रहे हैं और दूसरी तरफ आज हजारों अध्यापकों के लिये हमारे स्कूल खाली पड़े हैं। अगर आपको बी. एड. टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, अगर बी. एस. टी. सी. नहीं मिल रहे हैं तो मेहरबानी करके अनट्रेंड टीचर्स भी आप एक बार तो लगा लीजिये। हम और आप पढ़ते थे, सुजानसिंह जी पढ़ते थे उस समय कहां ट्रेंड टीचर्स मिला करते थे ? ट्रेनिंग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी पढ़ाने की भावना होनी चाहिये। उसके लिये आपका अंकुश होना चाहिये, एक वातावरण पढ़ाई का और पढ़ाने का बनना चाहिये। ट्रेनिंग से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिये अगर आपको नहीं मिलते हैं तो जितनी आपको जरूरत है उतने आप लगा लीजिये जिससे हमारे स्कूल खाली नहीं रहें। स्कूल खाली नहीं रहेंगे तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, परीक्षा परिणाम सुधरेंगे और एक अच्छा वातावरण बनेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा निःशुल्क पाठ्यक्रम के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : ये रात को 12.00 बजे तक बोल सकते हैं।

श्री मगराज चौधरी : इसको तो जैसा मैंने कहा, बन्द कर दीजिये क्योंकि इसमें कई जगह पाठ्य पुस्तकें बराबर पहुंचती नहीं हैं। आपके यहां ज्यादा छपती हैं, ज्यादा छपना दिखाई जाती हैं लेकिन बीच में गड़बड़ घोटाले होते हैं, और असत्य प्रमाण पत्र लिये जाते हैं कि इतनी किताबें हमको मिल गयी। असत्य प्रमाण पत्र देने के कारण से बहुत-सी स्कूलों में किताबें बंटती ही नहीं है। तो ऐसा काम क्यों करें ? वैसे ही हमारी बहुत बदनामी हो रही है भ्रष्टाचार फैलाने के नाम पर। आप भी चाहे तो इसको बन्द कर दीजिये मगर इस पैसे को बचा कर और स्कूल खोलिये।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। मैंने स्वयं जाकर देखा। जिला परिषद के अन्दर प्रस्ताव पास हुआ कि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

(श्री मगराज चौधरी)

कहां खोल रहे हैं, हमको बताइये तो सही कहीं चल करके। 20 बार चर्चा करने के पश्चात् भी जालौर के अधिकारी हमें यह नहीं बता सके कि फलां गांव में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चल रहा है। मेरे ख्याल से जैसी जालौर में स्थिति है करीब-करीब वैसी ही पूरे राजस्थान में होनी चाहिये। आप इसको बन्द करें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

जहां तक साक्षरता का सवाल है यह प्रोग्राम भी बिलकुल ही असफल हो चुका है। झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमें जोड़ा नहीं गया, मगर जालौर में ऐसी स्थिति नहीं है, हमें जोड़ा गया था। प्रमुख है, माननीय विधायकगण हैं, प्रधान है, सरपंच है, हम सब साथ में थे। मगर 15 से 32 साल की अवस्था के जो काश्तकार हैं, जिन्हें काश्त का काम करना पड़ता है, वे बचपन में नहीं पढ़ पाए तो इस उम्र में क्या पढ़ पाएगे? सबसे मोटा फेल होने के कारण यह है कि इसमें पढ़ाने वालों को आप किसी तरह का रैमुनरेशन नहीं दे रहे हैं। आप गांव के लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप पढ़ो और पढ़ाओ जिसमें लालटेन की कोई व्यवस्था नहीं लालटेन भी गांव वाले देंगे, तेल भी वही देंगे, सब कुछ वही करेंगे। केवल मात्र अफसरों के कमीशन खाने से आपने किताबें खरीदवा दीं। जालौर के अन्दर इस प्रोग्राम के तहत 4 करोड़ रुपये का मेरे ख्याल से खर्चा होने जा रहा है, मगर वहां रिजल्ट बिलकुल जीरो है। इसमें हमें सफलता प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिये क्योंकि हमारे यहां फेल हो चुका है।

स्कूलों में परीक्षा परिणामों को बढ़ाने के लिहाज से आपने इंस्पेक्शन करने की व्यवस्था लागू की है उसको और प्रभावी बनाइये। फिलहाल आपने तीन-तीन साल में निरीक्षण करने की व्यवस्था की है, पर इसमें और कुछ बढ़ाने की जरूरत है। आप ऐसा क्यों नहीं करें कि साल में कम से कम छह बार निरीक्षण किये जाएं जिससे हर दो महीने में संस्था प्रधान को, संस्था शिक्षकों को यह डर रहे कि पता नहीं किस समय इंस्पेक्शन करने आ जाएं। ऐसा करने से परीक्षा परिणाम को बढ़ाने में और विद्यार्थियों की संख्या को वहां पर उपस्थित रखने में मदद मिलेगी और एक अच्छा वातावरण बनेगा।

इसके अलावा अंग्रेजी विषय को जहां तक स्कूलों में तीसरी क्लास से चालू करने की बात कही है, यह बहुत अच्छी बात कही है। बहुत-से माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें, आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आपने काफी शिक्षाप्रद बातें कही है, अब विराज जाए आप।

श्री मगराज चौधरी : मैं नहीं करूंगा। (व्यवधान)

जहां तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सवाल है, कालेज एजुकेशन का सवाल है, इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि केवल मात्र कालेजों की संख्या बढ़ाने से आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। आज हालात यह हो गयी है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, कालेज एजुकेशन में बहुत गिरावट आयी है। उसका कारण यह कि आपने राजनीति वहां पर घुसा दी। आप राजनीति वहां पर घुसाना बन्द करिये और

(श्री मगराज चौधरी)

थोड़ा कठोर दृष्टिकोण अपनाकर शैक्षणिक स्टाफ से काम लेने की नीति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात करें जैसा कि माननीय कटारिया जी ने किया है। इनके मुंह पर तारीफ करना मुझे बार-बार अच्छा नहीं लगता, मगर मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा प्रयत्न इन्होंने किया है उसी प्रकार का प्रयत्न कर आज कालेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। आज क्या हालत हो गयी यूनिवर्सिटीज की? आज सीनेट बंटी हुई, आपस में टीचिंग स्टाफ ने बंटवारा किया हुआ है। कालेज खुलते नहीं और खुलते हैं तो टीचिंग स्टाफ वहां पर आता नहीं। यही हालत करीब–करीब सब यूनिवर्सिटीज में है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर अन्य पिछड़े वर्ग को भी सरकारी सेवाओं में नियुक्त करने के लिये मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बारे में सरकार ने बात कही है। सरकार ने यह बात कही है तो मेरे ख्याल से सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिये। ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटीज के अन्दर लैक्चरर है, असिस्टेन्ट लैक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, रीडर हैं, उनमें भी इस प्रकार का लाभ बैकवर्ड क्लासेज को दिया जाना चाहिये। मेरे ख्याल से आपने अभी तो इसके बारे में कोई आदेश नहीं दिये हैं, आपको शीघ्र देने चाहिये।

इसके अलावा मेडिकल कालेजेज, इंजीनियरिंग कालेजेज में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को भर्ती करने के लिये हमने आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। मगर दुर्भाग्य से ओ. बी. सी. के बच्चों का जब आप भर्ती के लिये टैस्ट लेते हैं– पी.ई.टी. कहिये, या प्री-मेडिकल टैस्ट कहिये, उसमें आपने आरक्षण नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में वे बच्चे तो वहां जा ही नहीं पाएंगे। उस परीक्षा में अगर वे सामान्य मैरिट में आ जाते हैं तो ठीक हैं, मगर विशेष रूप से आपकी तरफ से उसमें कोई रियायत नहीं देने के कारण सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके बच्चे मेडिकल कालेजेज में, इंजीनियरिंग कालेजेज में जा नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल से इसमें भी आपको आरक्षण का लाभ दिये जाने के लिए उचित आदेश देने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अभी अन्तिम क्यों कहा, माननीय सदस्य? अन्तिम–अन्तिम कहते हुए आपको 10 मिनट हो गये।

श्री मगराज चौधरी : मैं सिर्फ आधे मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आधा मिनट।

श्री मगराज चौधरी : आधे मिनट में। जहां तक बी.एस.टी.सी. और बी. एड. की परीक्षाओं का सवाल है उसमें भी आपने ट्रेनिंग चालू कर दी। बिलकुल ठीक है, ट्रेनिंग में मैरिट होती है। उसकी मैट्रिक की मैरिट है, हायर सैकण्डरी की मैरिट देखी जाती है, बिलकुल ठीक बात है। मगर कम से कम जो वर्ग सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से

(श्री भवराज चौधरी)

आता है, अलग तरीके का वातावरण है इससे यह अपेक्षा करें कि बड़े अच्छे हालात में पले-पोसे विद्यार्थियों के साथ कम्पीट करें, उनके साथ टैस्ट में बराबर आए तो यह सम्भव नहीं है। इसलिए बी. एड. और बी.एस.टी.सी. की परीक्षा में बैठने के लिये भी आपको इस पिछड़े वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित करनी चाहिए जैसे आपने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये सीटें आरक्षित कर रखी हैं।

अन्त में मैं दूसरी कोई बात नहीं कहना चाहता, केवल एक बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि मेहरबानी करके इस साल के बजट में ज्यादा सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिए, ज्यादा हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिए और ज्यादा उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने के लिये आप व्यवस्था करिये, जो संख्या आपने दी है कम से कम उसको 4-4 गुना कर दीजिये। 50 की 200, फिर 50 की 200 और 100 मिडल स्कूलें हैं तो उसकी 500 कर दीजिये। इन्हीं बातों को कहते हुए आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह रावत।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमें भी कुछ ठोस मुद्दे रखने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि काफी वक्ता हैं वैसे तो, लेकिन चार मंत्रियों को उत्तर देना है। तो कृपया....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह आखिर के लिये ही क्यों? यह शुरू से क्यों नहीं होता है, मैं तो यह पूछना चाहता हूं?

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह आपसे नहीं कह रहा हूं। यह व्यवस्था मैं करूंगा, आज तो नहीं कर पाया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह शुरू से क्यों नहीं होता है? शुरू में 50 मिनट.... (व्यवधान) आखिर में 4 मिनट और शुरू में 40 मिनट, यह गलत है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, न्याय करो आप इसमें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, 10 बजे तक बैठेंगे। अनुदान की मांग 12 बजे तक पास कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा लास्ट में जाकर नम्बर आता है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पूर्व सभापति ने ... (व्यवधान) उसके बाद आपने मुझे बोलने के लिये कहा था।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो-दो मिनट की भीख मांगी जाती है यहां पर, शर्म की बात है। हम को भीख मांगनी पड़ती है दो मिनट के लिये। यह हालत हमारी हो जाती है लास्ट में जाकर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सुबह से लेकर रात जब तक आपका बजट पास नहीं हो जाता तब तक हम यहां पर बैठे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : नियमों को शुरू से लागू क्यों नहीं करते आप? आधा-आधा घण्टा बोलकर गये हैं सारे सदस्य और अब 2-2मिनट भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका 18वां नाम दिया है, आपके सचेतक ने दिया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारा चाहे 18वां या कोनसा भी है लेकिन न्याय करें, आप हमारे साथ।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनका तो चालीसा ही कर दिया आपने।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नाम है... (व्यवधान) आपका नम्बर आ रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : उपाध्यक्ष महोदय, उधर से बोलने के बाद, इधर से बोलने के बाद इधर से भी बुलाना चाहिए। जब मगराज जी बोल गये तो इधर से नम्बर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इधर से ही आ जाने दो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परन्तु देश में आज राजस्थान की स्थिति शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ी हुई है और विशेष रूप से बालिकाओं की, महिलाओं की शिक्षा के दृष्टिकोण मे राजस्थान आज भी देश में काफी पिछड़ा हुआ है। पहले की सरकार ने और अब इस सरकार ने प्रयास किये परन्तु यह पिछड़ापन अभी तक दूर नहीं हुआ है। मैं संक्षेप में बिन्दुओं पर अपनी बात कहूंगा पहले कटारिया जी के मामले में और फिर उच्च शिक्षा मंत्री ललित जी के लिए उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में।

माननीय कटारिया जी ने कुछ वर्ष पूर्व कुछ ठोस अच्छे निर्णय लिये थे। आपने स्कूल्स का कैलेण्डर बदला, आपने वहां के जो टीचिंग आवर्स थे उनमें परिवर्तन किया। आपने टीचर्स को अनुशासित करने के लिए बहुत प्रशंसनीय कदम उठाये थे और मैंने उसके लिए आपको व्यक्तिगत बधाई भी दी थी। परन्तु पता नहीं किस कारण से आप एक कदम आगे बढ़ाकर एक कदम पीछे हट गये और इस कारण से आपकी अथोरिटी का इरोजन हुआ। सरकार के जो निर्णय होते हैं वे सोच-समझकर लिये जाने चाहिए। उन निर्णयों की अगर आप अनुपालना नहीं करवा सकते तो अपनी शक्ति का एहसास आपको पहले से ही होना चाहिए था। बाद में कई हड़तालें हुई और अनुशासनहीनता बढ़ी उसका मैं एक महत्वपूर्ण कारण यह भी मानता हूं। फिर भी मैं आपका प्रशंसक हूं कि आपने वे ठोस कदम लिये। आज शिक्षा के क्षेत्र में क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण से तो काफी कार्य हुए हैं, मैं मानता हूं कि इस सरकार ने काफी स्कूलें खोलीं लेकिन क्या स्कूलें खोलने से ही राजस्थान की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया? क्या हमारी क्वालिटी उससे इम्प्रूव हो गयी? उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, हम आज भी काफी पिछड़े हुए माने जाते हैं। शिक्षा मंत्री जी चाहें तो सर्वेक्षण करवा सकते हैं कि देश में जो भी नेशनल लेवल के काम्पीटीटिव एग्जाम्स हैं–चाहे सेन्ट्रल सर्विसेज है, चाहे आई.आई.एम. है या आई.टी.आई. वगैरह हैं, उनमें राजस्थान के विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत रहा? राजस्थान के विद्यार्थियों में भी जो

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

प्राइवेट कालेजेज हैं उनका क्या प्रतिशत रहा और जो गवर्नमेंट कालेजेज हैं उनका क्या प्रतिशत रहा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्वालिटेटिवली आप कहां स्टैण्ड करते हैं। इसके कुछ ठोस कारण हैं, उन कारणों को आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिये। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा समय की कमी के कारण से। पहला कारण तो यह है कि प्राइमरी स्कूल में अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया, 6 हजार टीचर्स का आप इंतजाम कर रहे हैं। यह प्रशंसनीय बात है लेकिन इसका मतलब यह है कि अभी तक 6 हजार टीचर्स की कमी थी। इसी प्रकार से मिडल स्कूल में, कॉलेज के अन्दर....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इसका ऐसा होता है कि रेगुलर प्रोसेस है। हमारे विभाग के टीचर्स शिक्षा विभाग में प्रमोट होकर जाते हैं। उसमें चले जाते हैं तो हमारे स्थान खाली हो जाते है। नये स्कूल्स खोले जाते हैं, कुछ रिटायर हो जाते हैं तो पोस्ट कैलकुलेट करके हर साल भर्ती करते रहते हैं। यह कंटीन्यू प्रोसेस है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूलों में पद खाली पड़े थे। वे टाइम–टू–टाइम जो खाली होते हैं वहीं हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : नहीं, स्कूलें तो खाली थी, मंत्री महोदय। ठीक है, यह कंटीन्यू प्रोसेस है, मैं मानता हूं आपकी बात। खैर, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं।

टीचर्स की कमी और जो टीचर्स हैं वे भी स्कूल्स के अन्दर काफी अनुपस्थित रहते हैं, यह एक कटु सत्य है। स्कूल में अगर साढ़े 10 का टाइम है तो टीचर्स 11 या साढ़े 11 बजे तक वहां पहुंचेंगे और साढ़े 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे टीचर्स आपको बस स्टैण्ड पर मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। माननीय कटारिया साहब, कभी आप सरप्राइज चैक किया कीजिये। अजमेर से ब्यावर की ओर गुमटी चौराहे के इधर नेशनल हाइवे पर आप देखेंगे तो वहां पर 4 बजे के आसपास अजमेर जाने वाले और ब्यावर जाने वाले टीचर्स और अध्यापिकाएं आपको खड़ी हुई मिलेंगी एक घंटे पहले स्कूल छूटने के। यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको अगर आप चैक कर सकें, कंट्रोल कर सकें तो एक अच्छी चीज होगी।

इसके साथ–साथ जो अभी बताया गया, ट्यूशन की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। यह एक कंटेजियस डिजीज की तरह फैल रही है। मैटेरियलस्टिक सोसायटी है इस कारण से एक दौड़ सी लगी है टीचर्स के दिमाग में भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए। विशेष रूप से जो साइंस के टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं, कामर्स के टीचर्स हैं, ट्यूशन के कारण से उनका मन अपने स्कूल में पढ़ाने में लगता ही नहीं है। स्कूल के बच्चों को वे प्रेरित करते हैं कि वे उनके पास में आकर पढ़ें। इसके कारण भी वहां वातावरण दूषित होता है।

आपने अभी एक बात कही। पहले टीचर्स का एक संघ था, दो हो गये, तीन हो गये, चार हो गये और पांच हो गये। या तो सरकार की यह नीति है कि डिवाइड एंड रूल। एक संघ हो जाएगा तो एक बड़ा मजबूत संघ हो जाएगा और सरकार बार्गेनिंग के लिए मजबूर करेगा इसलिए डिवाइड एंड

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

रूल । आपके दृष्टिकोण से तो शायद यह सही हो लेकिन संघ के नेतागीरी करने वाले जो नेता लोग हैं तहसील स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, आज उनके कारण से भी वहां वातावरण दूषित है । वे ट्रांसफर्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, गुटबाजी के चक्कर में पड़ें रहते हैं और इस कारण जो उनसे अपेक्षित रिजल्ट है वह रिजल्ट वे दे नहीं पाते । ट्यूशन, अनुपस्थिति और इन टीचर्स का राजनीतिकरण, इनको आप समाप्त करने के कोई ठोस प्रयास कीजिये तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के अन्दर निश्चित रूप से परिवर्तन होगा ।

एक स्थानान्तरण की बात थी । यह बात सही है कि सुपरफीशियली ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग में सब कुछ शांत है । हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि हमारे पास नहीं आते स्थानान्तरण के लिए । हम राज में बैठे ही नहीं हैं तो हमारे पास क्यों आएंगे ? लेकिन राज वालों से पूछो कि स्थानान्तरण कैसे होते हैं । स्थानान्तरण करने का मोडसे आपरेंडी बना रखा है । माननीय कटारिया साहब जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर या डिवीजन हैडक्वार्टर पर, खास-खास लोग हैं इनके पुराने मिलने वाले हैं–चाहे वे इनके आर. एस. एस. के हों चाहे इनके साथी–संगी हों और अन-ऑफिशियल लिस्ट दी जाती है । डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर को बुलाकर वह अन-आफिशियल लिस्ट उसको थमा दी जाती है और उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है, यह भी एक कटु सत्य है । इसलिए हम इस भ्रम में नहीं रहें कि हमको कोई परेशान नहीं करता है । अभी आपने पदस्थापन की नीति प्रिन्ट करके भेजी है हमारे पास में, उसको मैंने थोड़ा पढ़ा था । अगर आप उसकी पालना कर सकें तो मेरे ख्याल से एक बहुत आदर्श वातावरण यहां बनेगा । अगर आप उसकी पालना नहीं कर सकें तो बहुत सोच-समझकर बनाई गई है वह नीति । आपसे आशा और अपेक्षा की जाती है कि उस नीति की पालना करें और प्रदेश के अन्दर शिक्षा का वातावरण इम्प्रूव करने की कोशिश करें ।

एक आपने अंग्रेजी तीसरी क्लास में प्रारम्भ कर दी । मैं तो सोचता था कि कटारिया साहब स्वदेशी के बड़े प्रबल समर्थक हैं । मैं स्वयं छठी क्लास से ही अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, इस बात का समर्थक हूं । आपने क्या सोचकर तीसरी से शुरू कर दिया ? कि वे प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी स्कूल के नाम से चले जाते हैं ? क्या आप उनको आकर्षित कर पाएंगे ? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसके लिए? क्या सिलेबस बनाया है उनके लिए ? अब जबकि हिन्दी की ओर अग्रसर हो रहा है पूरा देश, आज जहां साइंस और टैक्नोलोजी की किताबें इंग्लिश की बजाय हिन्दी में आ रही हैं, लॉ किताबें इंग्लिश के बजाय हिन्दी में आ रही हैं तो तीसरी क्लास के बच्चे पर अंग्रेजी थोपने का मोह कैसे सवार हो गया ? मुझे यह समझ में नहीं आता है, कृपया इसको एक्सप्लेन करने का कष्ट कीजिए ।

उच्च शिक्षा मंत्रीजी से उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी 1987 में । माननीय हरिदेवजी जोशी को मैं एक स्टेट्समैन मानता हूं, वे दूरदर्शी और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

लिए कटिबद्ध थे। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य सनाढ्य साहब पधार गए, उन्होंने यहां पर कहा कि हरिदेवजी जोशी जी ने वहां से यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर दिया और गिरिजाजी ने उसमें यह किया, वह किया। हरिदेवजी जोशी ने सिर्फ उदयपुर का नहीं सोचा, उन्होंने पूरे राजस्थान के सर्वांगीण विकास का सोचा और तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि हर डिवीजन मुख्यालय पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जनरल यूनिवर्सिटी बनाई ओर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बीकानेर शिफ्ट किया। उनका 5 मार्च, 1985 का भाषण है, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। हरिदेवजी जोशी ने मुख्य मंत्री के रूप में बजट भाषण में कहा, "राज्य के उदयपुर विश्वविद्यालय को सामान्य विश्वविद्यालय रखकर एक अलग कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। किन्तु उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय का साउथ कैम्पस रहेगा जिसमें वर्तमान कृषि संकाय की भी प्रवृत्ति चालू है, यथावत रहेगी। राज्य के सभी संभागों में एक–एक विश्वविद्यालय स्थापित हो और वर्षों से चली आ रही क्षेत्रीय मांग की पूर्ति और संतुलित क्षेत्रीय विकास एवं शैक्षणिक विकास सम्भव हो सके।" तो वहां पर सारी गतिविधियां चल रही हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पांच में से चार फैकल्टी पहले भी थीं और आज भी वहां पर यथावत् कायम हैं।

चतुर्वेदी साहब ने बजट में कोई यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की तो स्वाभाविक है कि वहां एक्सपैक्टेशन थी कि यूनिवर्सिटी खुले। जहां तक बीकानेर संभाग का प्रश्न है, मैं बीकानेर सम्भाग में यूनिवर्सिटी खोलने का विरोधी नहीं हूं। वहां आपने यूनिवर्सिटी खोली, अच्छा किया लेकिन अगर तुलनात्मक आंकड़ों को आप देखें तो उदयपुर सम्भाग का हक किसी भी प्रकार बीकानेर सम्भाग के हक से कम नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर सम्भाग में ग्रामीण जनसंख्या 24 लाख है जबकि बीकानेर सम्भाग में साढ़े सात लाख। उदयपुर सम्भाग में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 55 है.... (व्यवधान).... मैंने उसका विरोध नहीं किया है, आप बात तो पूरी सुन लीजिए। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 55 प्रतिशत है उदयपुर सम्भाग में और बीकानेर सम्भाग में 23 प्रतिशत है। कृषकों की संख्या 5.67 लाख है और बीकानेर में 1.94 लाख है। कृषकों की संख्या बीकानेर सम्भाग में 14.76 लाख है जबकि उदयपुर सम्भाग में 18.84 लाख है। तो किसी भी दृष्टिकोण से उदयपुर सम्भाग में कृषि विश्वविद्यालय (व्यवधान).... मैंने कब कहा कि बीकानेर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए ? मैं तो तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करके यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उदयपुर सम्भाग जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पांच फैकल्टीज में से चार फैकल्टीज चल रही हैं आलरेडी। आपको ये जो अफसर एडवाइज करते हैं कि वहां पर 12 करोड़ का खर्चा हर साल आएगा, यह बिलकुल मिथ्या है, गलत है। सिर्फ 20–25 लाख रुपए का खर्चा आएगा और उस खर्च में भी कमी कर सकते हैं।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

क्योंकि अभी सारे उदयपुर से बीकानेर आते हैं और बीकानेर से उदयपुर जाते हैं तो जो टी.ए., डी.ए. का खर्चा होता है अधिकारियों का, उस खर्चे में भी निश्चित रूप से कमी होगी। इस प्रकार उदयपुर यूनिवर्सिटी को खोलने का पूरा औचित्य है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र में चार–चार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। मध्यप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल जैसे छोटे से राज्यों में दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं तो क्यों नहीं दक्षिणी राजस्थान के अन्दर एक और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाए? मेरी यह पुरजोर मांग है और उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय रखें, यह मेरी आपसे अपेक्षा है।

मैं माननीय चतुर्वेदी साहब को याद दिलाना चाहूंगा, वे 26 फरवरी को वहां पधारे थे ..(व्यवधान).. याद दिलाने से फ़ायदा है, मुझे उम्मीद है कि वे उदयपुर के साथ न्याय करेंगे। वहां पर आपने यह घोषणा की थी कि जब भी प्रदेश में यूनिवर्सिटी खोली जाएगी उस वक्त उदयपुर का ध्यान रखा जाएगा। इसमें आपके फोटोग्राफ भी हैं इसलिए आप मना नहीं कर सकते। उन्होंने नये विश्वविद्यालय खोलने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रोक का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में कम से कम तीन विश्वविद्यालयों की और जरूरत है। इसमें एक कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में होना चाहिए। चतुर्वेदी ने कहा कि जब भी रोक हटेगी, ये विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आपने 26 फरवरी को यात्रा की और 27 फरवरी की राजस्थान पत्रिका में आपका यह स्टेटमैंट है। इसलिए माननीय चतुर्वेदी साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपनी बात को दृढ़ता से रखते हैं और उसको दृढ़ता से पूरा भी करते हैं, यह आपकी प्रतिष्ठा है, कृपया आप इस प्रतिष्ठा के अनुकूल उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।....(व्यवधान)....मैंने उनको प्रायोरिटी दी है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जितने भी मामले अब तक हुए हैं मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्कूल-कॉलेज इन सबका स्तर गिरता चला जा रहा है। आज छात्रों का नैतिक चरित्र गिरता चला जा रहा है। पहले लोग अनपढ़ थे लेकिन वे चरित्रवान हुआ करते थे लेकिन आज शिक्षा ने लोगों के चरित्र को नीचे गिरा दिया है। एक समय था जब स्कूलों के अन्दर गुरुओं की पूजा ब्रह्मा के रूप में की जाती थी। आप भी हमारे गुरु रहे हैं, आपने भी यह कार्य किया है, आपका भी मान–सम्मान था तब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका गुरु नहीं था।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज आप हमारे गुरु हो....(व्यवधान).. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गुरु की गरिमा गिराई गई है। जितनी भी शिक्षा दी जा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

रही है, नैतिक शिक्षा का ह्रास हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। आपने आदर्श विद्या मंदिर खोल रखे हैं, उनके बच्चों में और सरकारी स्कूलों के बच्चों में फर्क नहीं है ? आपके बच्चे आदर्श विद्या मंदिर से निकलते हैं, जाकर माता–पिता के चरणों को छूते हैं, जाकर अपने गुरु के चरणों को छूते हैं। आप सरकारी स्कूल खोल रहे हैं, इनमें क्यों ह्रास हो रहा हैं इस बात का ? क्या ये आपके स्कूल नहीं हैं ? आर. एस. एस. के आदर्श विद्या मंदिर को तो आप अपना स्कूल मानते हो, वे तो आपके घर के स्कूल हैं लेकिन ये जो सरकारी स्कूल हैं उनका भट्टा बैठा दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह शिक्षा नहीं दे पाएं (व्यवधान) हमारे यहां तो दत्तक पुत्र की तरह हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : राजेन्द्र जी, जनसंघी आत्मा उनके मन में हैं। पुराने जनसंघ की आत्मा उनके मन में है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। आज यह कहते हैं कि गांवों में कि टेलीविजन देखने से बच्चे बिगड़ गए हैं। आज ऐसे–ऐसे गाने आते हैं, "पंडितजी मेरे मरने के बाद, थोड़ी शराब पिला देना, "यह शिक्षा आज बच्चों को दी जा रही है। "हम तुम एक कमरे में बन्द हों और चाबी खो जाए," ऐसी शिक्षा टेलीविजन पर छोटे-छोटे बच्चे देखते हैं, यह ह्रास हुआ है शिक्षा का उसी का परिणाम है कि गुरु के छुरे दिए जाते हैं, गुरु को गाली मिलती है स्कूलों के अन्दर। एक वह समय था जब "गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वर।
गुरु साक्षात् परम् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे:नम:।" आज गुरु की क्या दुर्दशा है ? यह गुरु स्वयं ही जानता होगा अपने दिल में दुःख है उनके साथ ? सबसे ज्यादा खराब समय यदि गुरुओं के लिए आया है तो वह आया है माननीय श्री गुलाबचंदजी कटारिया साहब का। मैं तो कहूंगा कि आप इस कुर्से के + + + हो जिस प्रकार + + + ने कार्य किए थे, वे ही आपने अब तक किए हैं। इस बी.जे.पी. का + + + आपने, बहुत अच्छा किया। आप करते रहो इसी प्रकार आपने कितने–कितने नियम बदले राजस्थान में ? आपने ड्रेस क्यों बदल दी ? क्या जरूरत पड़ी थी सफेद ड्रेस को हटाने की ? आपने स्कूलों में उस कसाई ड्रेस को रख दिया, नीले रंग को। नीला रंग कर दिया। सफेद क्या बुरा था ? सफेद रंग तो सबसे बढ़िया रंग होता है, जहां कोई भी धब्बा लगता है साफ दिखता है, लेकिन आपने ऐसा रंग पसन्द किया जिस रंग को दुनिया में कोई काम नहीं लेता है। आपने फैक्ट्री वालों से मिलकर उस रंग को पसन्द किया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस रंग को तुरन्त हटा दिया जाए और वह पुरानी ड्रेस दुबारा दिलायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा बोलचाल में स्टैण्डर्ड मेंटेन करें।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अप्रकाशित की गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि स्कूलों के अन्दर अभी अध्यापकों की हड़ताल हुई थी। इस हड़ताल की क्या जरूरत पड़ रही थी? जब केन्द्र में कोई भी वेतनमान का निर्णय होता है तो राज्य सरकार उसको लागू करती है, माननीय मंत्री महोदय ने इन शिक्षकों से क्यों हड़ताल करायी? दो-दो महीने तक रहे। हैण्ड पम्प के मिस्त्रियों से आपने परीक्षा कार्य करवाया है। आज इस परीक्षा का स्तर किसी ने गिराया तो आपने गिराया है। राजस्थान के अन्दर अध्यापकों को शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। इनकी बुराइयां अखबारों में निकाली। गलती आपकी थी और आपने अध्यापकों पर थोप दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आज भी अध्यापकों के वेतनमान रोक रखे हैं, उनका जल्दी से जल्दी निर्णय करके भुगतान कराएं।

आखिर में मेरा तीसरा निवेदन उच्च शिक्षा मंत्रीजी से है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जी, आप कहते हैं हमने विश्वविद्यालय खोलने में, कालेज खोलने में न्याय किया है, महाविद्यालय खोलने में न्याय किया है। आपने अपने कोटा के अलावा मुझे मेरे क्षेत्र में क्या दिया, आप यह बता दीजिए? आप स्वयं महसभा में पधारे थे। मैं मानता हूं आप बहुत सच्चे मंत्री हैं, आपकी कोई बात असत्य नहीं जाती है, लेकिन बड़े दुःख की बात है। महसवा में गांव वालों ने आपको घोड़ी पर बिठाकर दुल्हा बना दिया, इसलिए कि ये महाविद्यालय दे देंगे। लेकिन बड़े दुःख की बात है, आप घोषणा करके आए थे इतनी बड़ी मीटिंग में लेकिन आज तक महाविद्यालय नहीं खुला। मैं तो आप को सच्चा मंत्री कहूंगा अगर आज आप यह घोषणा करेंगे, नहीं तो झूठ में आपका नाम कायम हो जाएगा।

मेरा तीसरा निवेदन है कि हमारे यहां स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी हैं, स्कूलें गिरने जैसी हो गई हैं। कई स्कूलें तो गिर गईं। शिक्षा मंत्रीजी, आप कृपया उन स्कूलों में भवन निर्माण के लिए तुरन्त पैसा दें ताकि बच्चों के जीवन को खतरे से बचाया जा सके।

आखिर में दो बातें और मेरी रह गयी हैं वे मैं आपको बता देता हूं। जयपुर का ही एक मसला है। सरकार कहती है वह बहुत ईमानदार हैं, मैं कहता हूं खण्डेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा द्वारा चलायी जा रही शिक्षण संस्थाओं में डी. ओ. की मिलीभगत से चयन प्रक्रिया शिक्षा समिति को दर किनार कर जो नियम विरुद्ध प्रबन्ध समिति बनायी जा रही है इसमें एक प्रकार से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपको प्रबन्ध समिति बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों आपने पहले की व्यवस्था को इस प्रकार से बदला है? इसका एक ही कारण है आप अपने डी.ओ. से मिल चुके हैं और उससे मिलकर इस प्रकार से किया जा रहा है। ये जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं चल रही है, शिक्षा मंत्री जी, आप इनके बाई लाज को देखे। क्या ये उन बाई लाज के द्वारा ही चल रही हैं? सब इन बाई लाज को दरकिनार कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से एक ही मांग करता हूं, शिक्षा मंत्री जी, अगर आप ईमानदार है तो इन तमाम प्राइवेट संस्थाओं के बाई लाज को उठाकर देख लीजिए। मेरा निवेदन है कि

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उसके अनुसार कार्य करवाइए। कोई डी. ओ. वगैरह, किसी के कहने से काम मत करो। मुझे विश्वास है कि आज आप इस ईमानदारी की यहां घोषणा करेंगे।

अन्त में हमारे पंचायती राज मंत्री जी तो यहां नहीं है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां ढाणियों में प्राइमरी स्कूल का सवाल आता है। प्राइमरी स्कूल के लिए गांवों में वे ढाणियां रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं है, इससे बड़ी दिक्कत आ रही है। ढाणियों की आबादी 600, 500, 400, 300 है और आज उन ढाणियों के अन्दर शिक्षा का बड़ा अभाव है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी ढाणियों को गांव का दर्जा दिया जाए और वहां तुरन्त भवन के साथ प्राइमरी स्कूलों की घोषणा करवाई जाए। क्योंकि भवन कभी नहीं बन पाते, पाटड़ों में ही आज स्कूलें चल रही हैं जो गिर जाती हैं। माननीय मंत्रीजी, स्कूलों के लिए विचार किया जाए।

अन्त में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी दोनों यहां पर विराजमान है, उनसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि यह अदला-बदली की नीति है उसको छोड़ें। एस. सी., एस. टी. के साथ आप जो अन्याय कर रहे हो आज राजस्थान के विश्वविद्यालय के अन्दर एस.सी., एस.टी. का कोई भी प्रोफेसर आपने नियुक्त नहीं कर रखा है और न उच्च पदों पर बैठा रखा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? जहां भी कोई उच्च पद की बात आती है, ये बात तो एस. सी., एस. टी. की करें लेकिन हमको दरकिनार कर जाते है। नौकरियों में हमारा बैकलाग नहीं भरा जाता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एस. सी, एस. टी. का ध्यान रखें और इन लोगों के तबादले पर भी ध्यान रखें। कई बार मैंने देखा है जहां कोई मीणा लिखा हुआ आ जाता है, मीणा लिखने का मतलब उसका तुरन्त ट्रांसफर हो जाता है। यह बहुत बड़ा ऐब पैदा हो गया। लोगों ने मीणा लिखना बन्द कर दिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी नीति आप त्याग दें और ट्रांसफर की जो नीति है उसको मैदान में रखें, चुपचाप कहीं जाकर बैठे नहीं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। मुझे विश्वास है मंत्रीजी कालेज की घोषणा अवश्य करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 पर आज यह सदन विचार कर रहा है!

श्री उपाध्यक्ष : पुनरावृत्ति न करें, कोई नयी बात कहें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : किसी भी राष्ट्र और प्रदेश के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारी बातें माननीय सदस्यों ने कही है मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि शहरों में जो विद्यालय हैं, मैं जोधपुर का उदाहरण देना चाहूंगा, वहां पर मैंने पहले प्रश्न किया था, उसका सर्वे किया गया, छात्र संख्या शून्य से लेकर 10-15-20 और अध्यापकों की संख्या वहां पर 6-7-8। भवन है उसका किराया भी सरकार दे रही है। वहां पर

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

छात्रों के लिए अध्यापक हैं, लेकिन छात्र नहीं हैं दूसरी तरफ जो गांवों के विद्यालय हैं–आप हैडमास्टर्स से छात्र संख्या की सूची मांगते हैं। आपने नीति बना रखी है, नियम बना रखे हैं अध्यापकों की नियुक्ति के, कि किसी शाला में छात्रों की संख्या के आधार पर नियुक्ति की जाती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र के अन्दर ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनमें नार्म्स के आधार पर छात्रों की संख्या देखते हुए अध्यापक नहीं हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो शाला आप क्रमोन्नत करते हैं, क्रमोन्नत करने के बाद पंचायती राज व्यवस्था के उनके टीचर्स विथड्रा हो जाते हैं। वे वहां से चले जाते हैं और बाद में उस मिडल स्कूल की हालत बड़ी दनयीय हो जाती है। उसका नाम मिडल स्कूल हो जाता है पर उसकी हालत बहुत दयनीय है। इसके बारे में भी कुछ उत्तर देते समय सरकार ध्यान दे, इसके लिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

समानीकरण की नीति की बात कही, मुझे लगता है इसके बारे में बहुत ही ब्रेक लग रहे हैं और उसको करने में आप बड़ी भारी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। आपने स्थानान्तरण नीति तो बहुत सुन्दर बनायी है और हम चाहते हैं कि उसकी पालना भी हो। हम उसका स्वागत करते हैं। परन्तु जिस तरह के हालात हैं, आज जब नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है छात्रों की फीस गवर्नमैंट स्कूल और जो एडेड स्कूल हैं उनमें तीन–तीन गुना बढ़ा दी गई। उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। पांचवा वेतन आयोग पूरा लागू नहीं हुआ, उसकी सिफारिश लागू नहीं हुई उसके पहले फीस बढ़ा दी गई। क्या यह उचित है? आज छात्रों की इतनी फीस बढ़ायी गयी है कि इस बारे में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप इसकी जांच कराइए। इसकी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। क्या कोई कितनी भी फीस ले सकता है? आप 90 प्रतिशत एड जिस स्कूल को देते हैं क्या वह भी तीन गुना या चार गुना फीस ले सकती है? आपकी अंग्रेजी माध्यम की जो एडेड स्कूलें हैं उनकी पैसा लेने की कोई सीमा ही नहीं है।

आज मैं एक बात का और अनुरोध करना चाहूंगा। जोधपुर के अन्दर राजस्थान का एकमात्र शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। मैंने तीन वर्ष पूर्व यहां प्रश्न के माध्यम से सदन में आपका ध्यान दिलाया था, शिक्षा की डिमाण्ड्स पर भी कहा था, हम आपसे मांग कर रहे थे और उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी हम मांग कर रहे थे कि वहां सी.पी.एड. और डी.पी.एड. तो है लेकिन एम.पी.एड. की शिक्षा राजस्थान में नहीं है इसलिए राजस्थान में एम.पी.एड. शुरू की जाए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के माध्यम से एम.पी.एड. की शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिए। पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो हालात शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के हुए हैं, आज वहां पर डी.पी.एड. का पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया। आज इस एक मात्र सरकारी महाविद्यालय की इतनी दुर्गति हुई है उसके जिम्मेदार कौन हैं? हमने वहां पर प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

की, केवल इस ग्राधार पर उन पैरामीटर्स में हमारा महाविद्यालय नहीं आया और इसलिए हमारा डी.पी.एड. का पाठ्यक्रम निरस्त हो गया। इसमें ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है ? ग्राज हमारे स्टूडेंट कहां जाएंगे ? हम तो एम. पी.एड. की उम्मीद कर रहे थे और हमारी डी.पी.एड. ही खतम हो गयी। मुझे इस बात का बहुत दुःख है, मैं चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कि आप जितनी भी अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकें, करें और इस डी.पी.एड. पाठ्यक्रम को वापस शुरु करवाएं। इसके अलावा फिजिकल कालेज में जो कमियां हैं, जिनके कारण से ऐसा हुआ है, उन कमियों की भी पूर्ति कराएं।

आज हम जब इस महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा कर रहे हैं तो टीचर्स की कमी की बात जरूर होती है। आपके साइंस के टीचर गांवों में नहीं लगना चाहते, कैमेस्ट्री, फिजिक्स और मैथेमेटिक्स के टीचर गांवों में नहीं लगना चाहते। अब आप बताएं कि वह गांव का विद्यार्थी कैसे क्या करेगा? हर किसान तो अपने बच्चे को शहर में नहीं भेज सकता और जो गांवों में स्कूलें खोली हैं, आप मानेंगे नहीं। मैंने सदन में बार-बार अनुरोध किया कि मेरे क्षेत्र के अन्दर सीनियर सैकण्डरी स्कूल थी, वहां पर साइंस फैकल्टी थी। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर वह फैकल्टी इसलिए खतम कर दी गयी कि छात्र नहीं आ रहे हैं। चार साल से आपने फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स के टीचर ही नहीं लगा रखे तो मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स कैसे अपना एनरोलमैंट रख सकते ? मंत्री महोदय, वहां पर इस आधार पर फैकल्टी को समाप्त कर दिया गया कि छात्र संख्या कम हो गयी है। चार साल से आप टीचर नहीं दे रहे हैं उनको तो वे कैसे वहां रह सकते हैं? इस आधार पर आपने उस फैकल्टी को खतम कर दिया, यह कौनसा तरीका है ? स्टूडेंट यदि वहां रहते हैं और टीचर नहीं है तो कैसे काम हो सकता है ? टीचर रहे और फिर स्टूडेंट्स नहीं तो फैकल्टी खतम करो, वह बात तो समझ में आती है। इस तरह का माहोल है, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप गम्भीरता से विचार करें।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप पीपाड़ पधारे थे और वहां पर महिला महाविद्यालय का आपने श्रीगणेश किया था, उसको प्रारम्भ किया था। उसके लिए मैंने आपको पब्लिक मीटिंग में धन्यवाद भी दिया था। जोधपुर जिले में तीन ही कस्बे हैं फलौदी, पीपाड़ और बिलाड़ा, इनमें बिलाड़ा मुख्य कस्बा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसके बारे में जरूर विचार करें, इतने महत्वपूर्ण कस्बे के आसपास में कोई भी उच्च शिक्षा का केन्द्र नहीं है इसलिए बिलाड़ा के अन्दर आप महाविद्यालय छात्रों का खोलने का कष्ट करें। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24–शिक्षा, कला

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

एवं संस्कृति पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार रखने, मंत्रीगण द्वारा जवाब देने और मतदान होने तक सदन का समय बढ़ाया जाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या–24 के पारित होने तक समय बढ़ाया जाता है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल सभी माननीय सदस्यों ने पुस्तकें वगैरह तो देखना ही छोड़ दिया कि क्या नियम हैं, क्या नियम नहीं हैं । इसका नियम यह है कि आधा घंटे तक का तो आप स्वयं स्व-विवेक से समय बढ़ा सकते हो ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैंने सदन की अनुमति से बढ़ाया है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पारित होने तक बढ़ाया जाए, यह नियम विरुद्ध है । बढ़ा दिया वह तो ठीक है लेकिन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपने जो परम्पराएं बना रखी हैं उन्हीं के अनुसार चल रहा हूं । शिक्षा मंत्री महोदय ।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट आपका, फिर तो 20-25 मिनट हो जाएंगे । (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : सारी बात रह गयी विश्वविद्यालय खोलने की, स्कूल खोलने की । हमारे क्षेत्र की आवश्यकता के बारे में... (व्यवधान) इतना इम्पोर्टेण्ट विभाग है, इसके बारे में हमारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ध्यान कराना है, हमारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताना है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अपना पार्ट अदा करेंगे और अपने घर जाएंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या फर्क पड़ने वाला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री भीमसेन चौधरी : थोड़ा–थोड़ा बोलने का समय दीजिये सबको ही ।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री महोदय । चार मंत्री बोलेंगे । विराजें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मैंने कल भी निवेदन किया था ।

श्री उपाध्यक्ष : 4–4 बोलेंगे । माननीय पारीक साहब, कृपया विराजें । विराज जाएं । कभी–कभी तो मान लिया करो । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे तो आपके आदेश शिरोधार्य हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर तो आप विराज जाएं । आदेश अगर शिरोधार्य है तो आप विराज जाएं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अपने बुजुर्ग को अपनी कोई मन की बात और पीड़ा नहीं कहें तो यह कोई बात हुई क्या ? आप कहें थोड़ा-सा । हम आपको कुछ न कुछ अच्छी बात ही कहेंगे । ऐसी क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): मैं तो शासन की तरफ से जो भी आदेश हैं; बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का ..

श्री राजेन्द्र पारीक : यह गलत है। माननीय मंत्रीजी, आप विराजिये तो सही। ऐसी क्या हड़बड़ी है ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मांगें 12-12 बजे तक पारित होती हैं। अपोजिशन में रहे हैं। (व्यवधान) बोलने के लिए ही तो आते हैं यहां, काम तो आपको करना है। बोलने का अधिकार नहीं है हमारे साथियों को। दिन भर में नहीं बोले (व्यवधान) बोलने तो दिया जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : मुझे बोलने का समय मिलना चाहिए, मुझे मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : परसादीलाल जी, आपका समय तो मैंने रामस्वरूप जी को दे दिया था। पारीक साहब, विराजें। (व्यवधान) शिक्षा मंत्री महोदय, विराजिये।

श्री भीमसेन चौधरी : बोलने का समय दिया जाना चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से और सदन में अपने विचार रखकर सुझाव दिये। मैं उन सबके लिए नम्रतापूर्वक आपका सम्मान करता हूं।

मेरे मन में कुछ कष्ट जरूर है और कष्ट इस बात का है कि जब 1994 में पहली बार बजट भाषण पर मैं अपना जवाब दे रहा था तब मैंने सदन के सामने स्पष्ट शब्दों में इस बात को स्वीकार किया था कि विभाग इतना कठिन है और मैं जानता हूं कि इसमें सुधार करने का मतलब राजनीतिक जीवन से खेलना है। लेकिन फिर भी मैंने यह कहा था कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं और मैं मन से यह चाहता हूं कि शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन हो। बच्चा मेरा आधारभूत प्रभु का स्वरूप है, मैं उसकी भलाई के लिए जो कुछ कर सकता हूं वह मैं जरूर करूंगा। उसके लिए मुझे आप सब को भी धन्यवाद देना है कि इन चार–साढ़े चार वर्षों में पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने शिक्षा में सुधार की दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से भी समय–समय पर पूरी तरह से मदद की है। उसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं।

केवल आलोचना के लिए आलोचना करना। अन्य किसी डिपार्टमेंट के बारे में करें तो मुझे बात समझ में आ सकती है लेकिन शिक्षा तो देश का आधार है, हमारी इस राजनीति से ऊपर की चीज है। हमें राजनीति करने के लिए बहुत लम्बी–चौड़ी जगह पड़ी है, वहां हम अपने तर्क और वितर्क के आधार पर अपनी बात को समझा सकते हैं लेकिन जिसके आधार पर देश बनेगा उसमें भी अगर हम अपने राजनीतिक खेमों में बंटकर और केवल राजनीतिक चश्मा लगाकर उसको देखने का प्रयास करेंगे तो आलोचना तो जरूर हो सकती है, अखबार में भी कुछ आ सकता है लेकिन उससे शिक्षा का सुधार नहीं हो सकता। शिक्षा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ऐसी चीज है कि इन सबसे ऊपर उठकर आदमी प्रयत्न करेगा तभी शिक्षा का स्वरूप आ सकेगा। मुझे इस बात का सन्तोष है कि इन साढ़े चार सालों में राजनीति के सारे वातावरण से ऊपर उठकर मैंने शिक्षा को एक स्वरूप में देखा है। मैंने राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा। मेरे पास पूरी की पूरी सूची पड़ी हैं, मैं एक-एक जिले और एक-एक एम.एल.ए. के कौनसे विद्यालय क्रमोन्नत हुए, अभी इसी समय निकालकर एक-एक व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं। मैंने जो कुछ भी किया, यह सोचकर नहीं किया कि मुझे किस विधान सभा क्षेत्र में स्कूल खोलना है और किस विधान सभा क्षेत्र में नहीं क्योंकि चाहे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया है पर बालक तो आखिर राजस्थान का है। और मैं शिक्षा मंत्री किसी विधान सभा का नहीं हूं, मैं सम्पूर्ण राजस्थान का शिक्षा मंत्री हूं। मैंने अपने बालकों की भूख को ध्यान में रखकर यह प्रयास किया है। जहां आवश्यकता हो, जहां पिछड़ा रह गया, जहां स्टेट के एवरेज से भी कम पड़ता है विद्यालय, प्रति लाख की जनसंख्या के आधार पर जो हमारा औसत है उससे भी जिस जिले में कम गया उसमें हमने ज्यादा देने की कोशिश की। हो सकता है, 5–7–10 प्रतिशत कहीं पर इधर-उधर हटा भी दूंगा तो मुझे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत किया है तो मेरे कुछ ऐसे कारण रहे होंगे लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मैंने 95 प्रतिशत काम जो कुछ भी किया है, क्रमोन्नति से लेकर ट्रांसफर तक, नीति के अनुसार, शिक्षक की आवश्यकता के अनुसार करने का प्रयास किया। मुझे आज इस बात का भी दुःख है कि इन पिछले चार–पांच सालों में जो कुछ भी शिक्षा की प्रगति हुई है, इसको आंकड़ों में जानते हुए भी बार-बार इस बात को कहा जा रहा है कि आपने आखिर किया क्या, आपने आखिर किया क्या। मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमने क्या किया।

1989–90 में शिक्षा का सारा जो बजट था 663 करोड़ रुपये मात्र था और हमने अभी जो बजट रखा है शिक्षा का और वह भी सैकण्डरी शिक्षा की कह रहा हूं, वह 2645 करोड़ रुपये है। क्या हमने गुनाह किया? हमने केवल छोटे-से काल में इतना प्रतिशत खर्चा शिक्षा पर बढ़ाया। इस शिक्षा पर खर्चे से कहीं कोई भवनों पर नहीं जाता है, यह हमारा जितना भी बजट है उसका 97 प्रतिशत केवल शिक्षकों की तनख्वाह में जाता है। हमने इसमें कौनसी चीज कर ली जिसके कारण से हमने शिक्षा के प्रसार के लिए काम नहीं किया? हमने कोई भवन बना दिया हो या और कोई चीज बना दी हो तो समझ में आता है लेकिन जो कुछ भी बजट हमको मिलता है उसका 97 प्रतिशत हम केवल सैलेरी मद में देते हैं। 3 प्रतिशत पैसा हमारे पास बचता है जिससे मरम्मत करा लो, फर्नीचर बना लो, दरी खरीद लो और कुछ भी कर लो। उसके आधार पर राजस्थान के इतने बड़े ढांचे में आप जिस प्रकार की आवश्यकताएं महसूस करते हैं, उस प्रकार की पूर्ति कभी सम्भव नहीं लगती है।

मुझे इस बात का बहुत दुःख हुआ। कोई तो कम से कम यह कहता कि नहीं,

208

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो विशेषकर 1994 से लेकर यह काल खण्ड निकला, उन्होंने पहला बजट शिक्षा को समर्पित करके 136 करोड़ से 272 करोड़ रुपये एक ही साल में दिया। क्या हमने उसमें कमी की थी जिसके कारण से इस प्रकार की आलोचना मिली? 7वीं पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा खर्च हुआ 8वीं पंचवर्षीय में हमने उस खर्च को 3.85 गुना बढ़ाया, यानी हमने लगभग चार गुना बढ़ाया। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले इसमें 10 गुना खर्चा बढ़ाया बजट में। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर इस प्रकार से राजनैतिक विचारों के आधार पर चर्चाएं करते हैं तो वास्तव में दुःख होता है।

मुझे आज यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि विद्यालय क्रमोन्नत किये, वह कोई सामान्य संख्या में नहीं किये। इतनी अधिक संख्या में क्रमोन्नत किये लेकिन कमी किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं की। जो उनके फायदे की चीज है वहां से उठाकर उसको चर्चा का विषय बनाने का प्रयास किया।

मैं अब आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। मैं केवल 1994–95 से ही संख्या दे रहा हूं। 1994–95 से लेकर 1998–99 का जो बजट आया है, प्राइमरी स्कूल 5004 क्रमोन्नत हुए और मिडिल स्कूल 3212 क्रमोन्नत हुए। इसके बाद सैकण्डरी स्कूल 601 तो हमने सामान्य में खोले और जन सहभागिता में 157, दोनों मिलाकर 758 खोले जो कुल स्कूलों का 25 प्रतिशत है। जितने सैकण्डरी स्कूल हैं उनके 25 प्रतिशत स्कूल केवल इन साढ़े चार सालों में खोले। सीनियर सैकण्डरी स्कूल 470 तो हमने सामान्य में खोले और 90 स्कूल हमने जन सहभागिता में खोले, सारे मिलाकर 560 खोले। इसका अगर प्रतिशत करें तो 70 प्रतिशत स्कूल केवल इन चार सालों में 10 प्लस 2 में बने हैं। अब क्या कमी की है, कौनसी कमी की है जिसके कारण से आलोचना हो रही है कि यह कमी हो गई? हां, यह बात जरूर है कि हमने कभी भी राजनैतिक चश्मे के आधार पर स्कूल नहीं खोले। हमारा दोष यही है। यदि हम भी आपकी तरह से करते कि चुनाव के पहले चाहे जितनी घोषणा करो, लोगों को बांट जाओ, खुले या नहीं खुले, उस तरह से अगर स्वभाव होता तो जरूर हमारी सरकार भी हमको 500–500 देती ताकि हम जनता को बांटकर अपने आगे के वोटों की व्यवस्था कर लेते। हमने जो कुछ भी हमारे साधन थे उसके आधार पर किया लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये कि क्या हैं तो मैं भी वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि यदि इसमें भी कुछ संभव हो, बढ़ाया जा सकता हो क्योंकि क्षेत्र की आवश्यकता है, जनता की भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से यदि हम कुछ बढ़ा सकें तो हम निश्चित रूप से बढ़ाएं।

मैं तुलना नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी कटुता में आऊं लेकिन आज के भाषण सुनकर मेरे मन में बहुत पीड़ा और दुःख हुआ इतने हल्के स्तर की आलोचना। जिसका कोई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेना-देना नहीं, जो कहीं पर सच्चाई को छूती भी नहीं है पर चूंकि हमको आजादी है, हम जो चाहे कह सकते है इसलिए मैं इसका कोई प्रतिवाद नहीं करना चाहता लेकिन मन में दुःख जरूर होता है। कम से कम थोड़ी बहुत भी सच्चाई हो, उसके आधार पर कोई आलोचना हो। तर्क के आधार पर कोई बात समझाई जाए, मैं समझने के लिए तैयार हूं। कई सुझाव आपके बहुत अच्छे और अमूल्य सुझाव आये ....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप गलत कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कोई तरीका नहीं होता। मंत्री से कोई विधायक बात करता है तो सारे के सारे खड़े होकर इस तरह से +++ शुरू कर देते हैं, यह कोई कायदा हुआ क्या ? (व्यवधान) बिलकुल नहीं। चुपचाप बैठिये और मंत्री से बात करने दीजिये, हमारा अधिकार है। इस तरह से करोगे तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, बिलकुल नहीं बोलने देंगे। हमारा अधिकार है मंत्री से बात करने का। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ....या तो आप चुप हो जाइये, नहीं आपका यह बजट भाषण नहीं होगा। आप होते कौन हो इस तरह से रोकने वाले ?

श्री राजेन्द्र पारीक : विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा :+++आनी चाहिए आपको। (व्यवधान) यह आपकी +++नहीं चलेगी। शांति से सुन लो।

श्री राजेन्द्र पारीक : विराजिये आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और आपको चौंकाने वाले आंकड़े सदन के सामने रख रहा हूं। इन वर्षों में यानी 1990 से लेकर 1997 तक, 1998 तो अभी शुरू हुआ है, हमने जो टीचर्स की भर्ती की है उसके फीगर्स देखकर आश्चर्य होगा कि 1990 से लेकर 1997 तक 87009 अध्यापकों की नियुक्ति की है। मैं आपको आंकड़ों में बता रहा हूं कि 1990 में अध्यापक थे 1,56,000 और महिला अध्यापिका 50309 थीं, जो अब बढ़कर 1998 में 2,11,000 तो अध्यापक है और 82,316 महिला अध्यापिकाएं है। आपको सुनकर इन फिगर्स में एक और ताज्जुब होगा कि महिलाओं का इस अध्यापन प्रोफेशन में आने का प्रतिशत अपने आप में रिकार्ड प्रतिशत है। 63 प्रतिशत महिलाओं का इस नौकरी में सलैक्शन हुआ 1990 से लेकर अब तक। क्योंकि सलैक्शन में, मैरिट में महिलाएं अपना स्थान ज्यादा अच्छा बनाती हैं तो अध्यापक वर्ग में जिस बात की हम कमी महसूस कर रहे थे कि तब तक बालिका शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिलेगा जब तक महिला शिक्षिका उसके विद्यालय में नहीं होगी, ये सारे आंकड़े इस बात को बताते हैं कि हमने शिक्षकों की भर्ती की। यह बात जरूर है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पद रिक्त रहे हैं लेकिन थर्ड ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड में हमने 31 मार्च को निल

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बैलेंस किया। लेकिन उसके बाद भी प्रमोशन होते हैं। एक जगह हम फेल हुए, हमने अपनी तरफ से सब प्रयास किये लेकिन व्याख्याता की जगह नहीं भरी क्योंकि मुझे नियमों ने बांध रखा है। मैं 50 प्रतिशत व्याख्याता आर. पी. एस. सी. से ले सकता हूं, वे मैंने पूरे के पूरे ले लिये लेकिन 50 प्रतिशत तो प्रमोशन से ही करना पड़ेगा। उस सीमा से ऊपर मैं नहीं निकल सकता कानून से। मैंने एक बार नहीं 4-4 बार डी. पी. सी. की, जितनी जरूरत थी उससे तीन-तीन गुना की लेकिन कुल जोइनिंग 18 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, उससे ज्यादा जोइनिंग नहीं होती क्योंकि घर बैठे 9-18-27 मिलता है, वे जाते ही नहीं हैं जोइन करने के लिए और कानून ने मुझे बांध रखा है कि आप आर.पी.एस. सी. से 50 प्रतिशत से ज्यादा टीचर्स ले नहीं सकते। आपकी समस्या मेरी समस्या है, बालकों की समस्या मैं अपनी समस्या मानता हूं। मैंने उसके लिए रिटायर्ड लोग हैं उनको नौकरी पर ले लिया। मैंने थर्ड ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड के सब्जैक्ट के थे उनके लिए छूट दी कि आप उनको लगा दो। उनको 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेमेंट करेंगे। हमेशा हम अपने आर्डर जनवरी में निकालते थे, अब की बार हमने जुलाई में ही आदेश निकाल दिये कि जहां जहां भी नहीं हैं, शिक्षक की एवज में कोई शिक्षक लगाकर पढ़ाई का काम किया जाए। उसके साथ ही हमने इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट की फाइल बनाकर भेजी है कि विदिन सर्विस के जो टीचर्स हैं चाहे वह थर्ड ग्रेड का हो चाहे किसी भी ग्रेड का हो, चाहे लाइब्रेरियन हो चाहे शारीरिक शिक्षक हो, अगर वह योग्यता रखता है तो वह आर. पी. एस. सी. में जाए और अपना सलेक्शन होकर....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपकी फाइल क्लीयर हो गई है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : फाइल क्लीयर हो गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह भर्ती का कार्यक्रम होगा। उसके आधार पर हम इसको कर सकेंगे।

आज बहुत लोगों ने कहा कि बालिका शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं है मैं सोचता हूं कि 1994 से लेकर सबसे ज्यादा पैसा अगर हमने किसी बात पर खर्च किया है तो बालिका शिक्षा पर किया है। यानी बालिका शिक्षा हमारा एक तरह से मैन मोटो रहा है क्योंकि जब तक बालिका शिक्षा नहीं बढ़ेगी, यह जो निरक्षरता का कलंक है हमारे माथे पर लगा हुआ, इसको हम नहीं धो सकेंगे। बालिका फाउण्डेशन बनाकर हमने बालिकाओं की मदद करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में हमारे यहां 5500 सीटें हैं। उसमें 20 प्रतिशत सीटें तो आरक्षित हैं महिलाओं के लिए और एस.टी.सी. की जितनी भी ट्रेनिंग की सीटें है उसमें से 40 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए हैं। यही नहीं, हमारे पास 15 महिला बी. एड. कालेज है और उनमें 1870 पद अतिरिक्त हैं। यानी हमारा जो 7000 का सलेक्शन बी. एड. में होता है, उसमें से लगभग 3000 तो केवल महिलाओं का सलेक्शन होता है। हमने इस बात की कोशिश की है कि महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व बढ़े।

(19.00 बजे)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपने देखा होगा, बालिकाओं को स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए हमने आठवीं तक उनकी पुस्तकें मुफ्त कीं। आपने यह भी देखा होगा कि हमने यह जो समान परीक्षा आठवीं की है उसमें पिछले साल से जो पंचायत समिति में सर्वश्रेष्ठ अंक लेकर बालिका आएगी उस बालिका को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्य पुस्तक मण्डल ने नौवीं क्लास पढ़ने के लिए भी एक हजार रुपये का वजीफा दिया और उसको दसवीं क्लास में पढ़ने के लिए भी एक हजार का वजीफा दिया। आपने देखा होगा हमने 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लेकर सैकण्डरी परीक्षा जो भी बच्ची पास करती है राजस्थान में, सब के लिए ऑफर दे रखा है और हमने पिछले साल पुरस्कार दिये हैं। गार्गी पुरस्कार के रूप में उनको एक हजार रुपये ग्यारहवीं क्लास में पढ़ेगी तब भी मिलेंगे और बारहवीं क्लास में पढ़ेगी तो भी उसे एक हजार रुपये मिलेंगे। हमने 22 लाख रुपये गार्गी पुरस्कार के रूप में सरस्वती के जन्म के दिन उन बच्चियों को दिये। हमने हर बात में इस बात की कोशिश की। सरस्वती योजना को हमने प्रारम्भ किया। गांव में कोई पढ़ी-लिखी बच्ची अगर शादी-ब्याह होकर चली भी गई, लेकिन अपने आंगन में एक छोटा-मोटा विद्यालय दिन में दो-तीन घंटे का अपने घर के काम के बाद भी अगर वह चलाए तो हमने उसको ट्रेनिंग देकर टीचर के रूप में तैयार किया। हम उसको साल के साढ़े चार हजार रुपये देते हैं और उसे यह छूट भी दी कि अगर वह फीस लेना चाहे तो पांच-दस रुपये जैसी उस गांव की क्षमता है वह भी वह ले करके कर सकती है। लगभग 1700 विद्यालय सरस्वती विद्यालय के रूप में आज की तारीख में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। दत्तक ज्ञान की योजना हमने निकाली। किसी भी गरीब बच्ची को गोद लीजिये, दानदाता से कहते हैं, जो पहली से आठवीं तक पढ़ती है और उसके लिए पांच सौ रुपये उसके खाते में जमा करा दीजिए ताकि उसको किताब कापी के लिए किसी से मांगना नहीं पड़े, उसे आसानी से मिल जाए। नौवीं से लेकर बारहवीं तक की एक बच्ची को गोद लो और एक हजार रुपये उस बच्ची के खाते में जमा कराओ। उसके कारण से उसकी पढ़ाई आराम से चल सकेगी। सम्भागीय केन्द्रों पर छात्रावास बनाये हैं क्योंकि छात्रावास नहीं होने के कारण से बच्ची को हर जगह टैन प्लस टू स्कूल नहीं मिलेगा, उसको हमने वहां तक लाने की कोशिश की है। सम्भागीय स्तर पर हमारे 6 विद्यालयों के छात्रावास बनाने के लिए हमने पचास-पचास लाख रुपये दिये। पांच छात्रावासों में एडमीशन होकर वे अपनी गति पर आ गये। इसके साथ ही हमने 25 छात्रावास की प्रत्येक जिले पर और स्वीकृति निकाल दी, कहीं चालीस-चालीस लाख, पचास-पचास लाख की, ताकि हर जिले पर कम से कम एक बालिका छात्रावास हो, जहां पचास बालिकाएं गांव की रह कर अपनी पढ़ाई को ठीक प्रकार से कर सकें। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से अगर यह कहा जाए तो उचित नहीं होगा कि हमने बालिका शिक्षा का किसी प्रकार से ध्यान नहीं रखा।

नामांकन की दृष्टि से लोग मजाक करते हैं हमारी, क्या यह प्रवेशोत्सव होता

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है, क्या धूधकपंथी है। मैं सोचता हूं धूध-कपंथी में से भी कुछ निकलेगा, प्रयास तो करो। दो–पांच प्रतिशत ही निकलेगा, नहीं से कुछ तो अच्छा होगा, बजाय उसकी आलोचना करने के। आखिर हम बार-बार गये हैं, लाने की कोशिश की है। हम सौ लाएंगे, सौ नहीं टिकेंगे बीस तो टिकेंगे, प्रयास करने में कोई हर्जा है क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : आपकी किसने आलोचना की है ? हतने तो सुनी नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसलिए हमने प्रवेशोत्सव के माध्यम से इन सालों में, इस साल की गिनती तो अभी नहीं आई....

श्री रतनलाल ताम्बी : ऐसी आलोचना किसने की है, हमने सुनी नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन इन केवल तीन सालों के प्रयास से 18 लाख बालकों का नामांकन बढ़ा है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के बारे में, पैसे का कोई महत्व नहीं पाठ्य पुस्तक के लिए। वह आदमी इतना गरीब नहीं है कि आपकी पन्द्रह और बीस रुपये की किताब नहीं खरीद सकेगा। लेकिन किताब से ज्यादा किताब लाना, खरीदना और बच्ची को देना, पूरा एक-एक महीना गांव के लोगों का, किसान का बरबाद हो जाता है। बाजार में लाने जाते भीलवाड़ा, हिन्दी मिलती गणित नहीं मिलती, गणित मिलती सामाजिक नहीं मिलती। कभी इस बच्चे की मिलती उस क्लास की नहीं मिलती, वह चक्कर ही लगाता रहता। महीने में चार बार अगर कोई आदमी भीलवाड़ा आए, अपनी ध्यानगी छोड़े और उसकी किताब लेकर आए। उसके कारण से कई बार बच्चा स्कूल छोड़ कर भाग जाता है। अगर अध्यापक उसको जोर से तंग करता है या कहीं डांटता-डपटता है कि तू किताब लेकर नहीं आया, निकल जा बाहर, बच्चा भाग जाता है। हमने कोशिश की, अगर राज के खजाने में से 15 करोड़ रुपये साल का खर्च होकर भी अगर 57 लाख बच्चों को हम मदद कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। हमने उसको मदद करने की कोशिश की है और उसके कारण से नामांकन निश्चित रूप से बढ़ा है। मुझे बहुत दुःख हुआ आज इस बात का जब हमारे कुछ बंधुओं ने कहा कि यह शिक्षा-कर्मी योजना भी ठीक नहीं। मैं चाहता हूं कि वे मेरे साथ चलें और मेरे साथ चलकर दस–बीस गांव की जनता से स्वयं पूछें, बालकों से पूछें और उनके अभिभावकों से पूछें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस शिक्षाकर्मी स्कूल के बच्चे का जो स्तर है, मैं किसी से तुलना तो नहीं करना चाहता लेकिन उसके बावजूद भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को साथ बैठा दीजिये, इनका बच्चा ज्यादा अच्छा और उसकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी है। कहा यह कि हमने करोड़ों रुपये खर्च किये। हमने कोई करोड़ों रुपये खर्च नहीं किये। हमने शिक्षा-कर्मी योजना पचास लाख से शुरू की थी और आज हमारा बजट है कितना ? 27 करोड़ का बजट है। 27 करोड़ रुपये में हम 2700 स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारे एक विद्यालय पर जो खर्चा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आ रहा है वह केवल दस हजार रुपये सालाना आ रहा है। अगर एक प्राइमरी स्कूल की बात करें तो मैं सोचता हूं, एक स्कूल ही दस हजार रुपये महीने की तनख्वाह खा जाएगा। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि शिक्षाकर्मी की जो पहर पाठशाला है उसमें हमने 536 गांवों में शत–प्रतिशत नामांकन कर लिया इन 2700 में से। हमने अपनी पहर पाठशाला से कोशिश की है कि उसके आधार पर अध्यापक काम करें।

लोक जुम्बिश के बारे में भी कहा, हमारे माननीय सदस्य थानागाजी वालों ने कहा कि 600 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। हमने कोई 600 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये, जब से हमारी योजना चालू हुई तब से लेकर केवल 112 करोड़ रुपये हमारे कुल खर्च हुए। हमारा प्लान जरूर 600 करोड़ रुपये का है लेकिन हमने कोई खर्च नहीं किये। जनता को जब तक साथ नहीं लेंगे तब तक हमारा नामांकन नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कुछ कमियां भी हों। मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं कि कहीं कमी नहीं होगी, कहीं गलती नहीं होगी। इतने बड़े काम में कहीं कोई कमी भी रही होगी, कोई गलती भी रही होगी, कोई सुस्ताई भी रही होगी, जो उपयोगिता हम चाहते हैं शायद वह नहीं निकल पाई होगी स्वीडिश गवर्नमेंट की मदद से हमने यह काम किया, हमारा इसमें पैसा कितना लग रहा है ? 83 प्रतिशत हमको अनुदान के रूप में मिल रहा है और 17 प्रतिशत पैसा हमारा। हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करो, सब बच्चों को स्कूल तक लाओ, लेकिन जो कुछ आज हमारे पास है हम इस पूर्ति को नहीं कर सकते। हम पचास वर्ष से प्रयास करते रहे हैं तब भी सब बच्चों को स्कूल तक नहीं ला सके। हमने इन्हीं योजनाओं के माध्यम से यह प्रयास किया कि किसी प्रकार से शत-प्रतिशत नामांकन हो जाए, बच्चा स्कूल आ जाए। इसके लिए सब प्रकार का प्रयास किया। हमने 13 जिले लोक जुम्बिश को दिये, बीकानेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर और बारां। जो बाकी 19 जिले बचे हैं वे हमने जिला प्राथमिक शिक्षा (डी.पी.ई.) को दिये ताकि वर्ल्ड बैंक की मदद से हमको चार सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति मिले। इसमें भी हमारा केवल 15 प्रतिशत खर्चा है, बाकी तो हमारी शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से ही उन्होंने यह काम किया। हमने उसमें पहले फेज में दस जिलों को लिया और सैकण्ड फेज में नौ जिलों को लिया। अभी हमने उसका काम प्रारम्भ किया है और इस साल दस जिलों का काम हो जाएगा। दस जिलों में सीकर, झुंझुनूं, अलवर, गंगानगर, टौंक, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, नागौर और सिरोही, ये पहले फेज में हैं। हमने इसमें कहीं नहीं छांटा कि कहां से एम.एल.ए. कौन आता है, कहां से कौन–सा स्टाफ लगाएं। हमने आवश्यकता के अनुसार, जो हमारी क्षमता और शक्ति है उसके अनुसार इस काम का प्रयास किया लेकिन वे इसकी भी आलोचना करते हैं।

साक्षरता अभियान के बारे में मैं यह जरूर कहूंगा, एक धारणा बन गई है, शत-प्रतिशत साक्षरता का मतलब यह समझ

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लिखा कि उस जिले ने सारी साक्षरता प्राप्त कर ली । ऐसा हमारा कभी भी सोच नहीं है । मैंने आपको परसों भी किसी एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि शत-प्रतिशत साक्षरता का मतलब कहीं यह नहीं है कि एक भी अंगूठा छाप नहीं है वहां, क्योंकि हमारा लक्ष्य 15 से लेकर 35 साल की एज का है और उसमें भी हम शत-प्रतिशत नहीं कर पा रहे हैं । हमारे सारे राजस्थान में 32 ही जिलों में साक्षरता अभियान चला कर हमने 91 लाख लोगों को आईडेंटीफाई किया, लेकिन अभी तक साक्षरता के विद्यालय तक 75 हजार को ला पाये और उसमें से भी केवल 32 लाख लोगों को ही हम साक्षर कर पाये । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उसमें से 20 लाख महिलाएं हैं । हो सकता है उसमें कोई क, ख, ग सीखा होगा, किसी को नाम लिखना ही आया, किसी को किताब पढ़ना आया होगा, किसी को नहीं आया लेकिन जिस काम को हम चाहते थे, इस जन आंदोलन के कारण आज विद्यालय की भूख उठी है, चारों तरफ से एक ही बात आती है विद्यालय खोलो, विद्यालय खोलो । यह जन जागृति से ही सम्भव हुआ । हो सकता है हम उसमें सफल नहीं हुए होंगे, लेकिन आखिर कुछ तो हमको इस जन जागरण के माध्यम से मिला । आपने देखा होगा कि राजस्थान पहला राज्य है उत्तर भारत में, जिसने अपने 80 लाख बच्चों का बीमा कराया है । पिछले दो साल से हमारे सारे बच्चे जो पहली से लेकर बारहवीं तक सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उन सबको राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये किस्त जमा करके बीमा योजना से कवर कर रखा है । हमने किसी बच्चे से नहीं लिया । मध्य प्रदेश ने शुरू जरूर किया लेकिन वह बच्चों से पैसे लेकर किया । हमने इस प्रकार से कोई नहीं किया ।

हमारे पास साधन कम हैं । हमारे पास विद्यालय बहुत हैं, मरम्मत हमसे वास्तव में बराबर नहीं हो पाती । यह विषय उठता है, बार-बार यह सवाल उठाया जाता है कि आपके सरकारी विद्यालय हैं नहीं । मैं आज बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि अगर प्राइमरी स्कूल जो पिछले साल तक के, एक भी ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा विद्यालय नहीं है जिसकी अपनी (own) बिल्डिंग नहीं हो और जिसका अपना (own) भवन नहीं हो । केवल 830 विद्यालय इस राजस्थान में ऐसे हैं जो किराये के भवन में चल रहे हैं । वे जर्जर अवस्था में हैं किराये के भवन, क्योंकि हम उनका किराया जितना होता है उतना दे नहीं पाते । 20 साल पहले हमने उसको दो सौ रुपये में ले लिया, अभी भी वह दो सौ रुपये चल रहा है । मकान मालिक सोचता है कि गिर जाएगा तो कम से कम छोड़कर तो जाएगा, उसके पहले तो जाएगा नहीं और हमारी मुसीबत यह है कि वहां से छोड़ दें तो उस शहर की किसी गली में हमको कोई जगह मिलती नहीं, इन बच्चों को लेकर हम जाएं तो कहां जाएं । अगर खाली कर दें तो हमको लोग पकड़ते हैं कि उस सेठ से मिलकर पैसा खाकर स्कूल खाली करके आ रहे हैं, नहीं जाएं तो वह गिरता है । अब हमारी समस्या को कोई देखने की कोशिश नहीं करता । मैं इस बात के लिए आदरणीय भंवरलालजी शर्मा का भी बहुत आभारी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हूं। गांवों में तो हमको जमीन दे देते हैं, सरकार दे देती है निःशुल्क दे देती हैं लेकिन शहरों में हमको जमीन आसानी से नहीं मिलती थी। हमने आपसे प्रार्थना की कि कम से कम राजकीय विद्यालय और राजकीय अस्पताल के लिए आप निःशुल्क भूमि हमें दो। हमें जितनी आवश्यकता थी और जितनी हमने कोशिश की, उतनी-उतनी सारे राजस्थान की नगर पालिकाओं में हमें भूमि उपलब्ध हुई और हमने नगर पालिकाओं के माध्यम से उनके भवन बना कर खड़े किये। यह जरूर हो सकता है, कई जगह ऐसी हैं जहां पर कोई जमीन ही उपलब्ध नहीं है, वहां तो उसी तरह पेड़ों के नीचे स्कूल चलें। इसमें क्या शर्म है? राजस्थान में आखिर हम गरीब हैं, हमारे पास जितने साधन होंगे उतने ही तो बनाएंगे। ऐसा कौन-सा पहाड़ पड़ गया हमने पेड़ के नीचे पढ़ लिया तो? पेड़ों के नीचे स्कूल का फोटो भी अखबार में छप जाता है कि पेड़ों के नीचे बच्चे बैठे हैं। बैठे हैं तो क्या हो गया? गरीब मुल्क है। अगर उसके पास कमरे नहीं हैं तो जो साधन उनके पास उपलब्ध हैं, पढ़ाने वाले का मन चाहिए वह कहीं भी पढ़ा सकता है कहीं भी कर सकता है। बारिश आएगी तो अन्दर चला जाएगा। जैसे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन साधनों का हम उपयोग कर सकते हैं, अगर हमारे मन में कुछ करने का है तो।

हमने एक नया और किया कि हम सरकारी विद्यालय को कैसे सुसज्जित करें। हमने सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी विद्यालय में एक संस्था विकास कोष समिति का गठन किया और रजिस्ट्रेशन करवाया। हमने सहकारिता मंत्रीजी से बहुत निवेदन किया कि ये जो ढाई हजार रुपया इसके रजिस्ट्रेशन का लगता है यह हमारे विद्यालयों को बहुत लगता है, लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी सम्भव नहीं हुआ, हमने कहा कि चलो ढाई हजार रुपये भी इकट्ठा करके कम से कम जमा कराएं। इस समिति को बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वह यह हैं कि जन प्रतिनिधियों और सब प्रकार के लोगों का इसमें काम्बीनेशन हैं। इसको पूरा अधिकार दिया कि आगे से भवन का कोई भी निर्माण करना हो, ये कहीं से भी चंदा एकठ्ठा करके लाएं तो भी अपने खाते में रख सकते हैं और अगर गांव की बैठक बुलाकर यह समिति गांव से यह प्रस्ताव पास कराए कि हमें इस चीज की जरूरत है इसलिए 10 रुपये प्रति बच्चे इकट्ठा करना है तो भी यह समिति कर सकती है। सरकार की तरफ से अगर हम लाख-दो लाख रुपये देना चाहते हैं तो हमें पी.डब्ल्यू.डी. और पंचायती राज से काम कराने की जरूरत नहीं रहेगी। यही समिति अपना काम कर सकेगी और इससे विकास हो सकेगा। आज कई माननीय सदस्यों का सुझाव आया कि हमें मरम्मत का पैसा नहीं मिलता। यह बात सच है कि वास्तव में हमें साल भर का मरम्मत का 50 लाख रुपया मिलता हैं। अब हमारे पास 51 हजार तो स्कूल हैं और 50 लाख रुपया हमको कुल मिलता है, हम इसमें कौन-कौन से कमरे का रिपेयरिंग करा सकते हैं? हमारे लिए यह सम्भव नहीं है। हमने सरकार से कोशिश की कि सहभागिता में हमको पैसा दो और दो साल में हमको चार करोड़

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रुपये मिले। लेकिन 50-50 प्रतिशत होने के कारण से गांव का आदमी उसमें कोई बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर पाया और हमको सफलता नहीं मिली। मैं आज इस सदन के माध्यम से इसको 30-70 रेशो के हिसाब से करने की घोषणा करता हूं कि 30 प्रतिशत भी अगर जनता दे तो 70 प्रतिशत हमसे ले कर अपने गांव की स्कूल की रिपेयरिंग वे करा सकते हैं।

रिक्त पदों के बारे में बहुत चर्चा होती है कि बहुत रिक्त पद हैं। हमने बहुत सारे पदों को भरा भी है, मैं आपके सामने रखता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक 96563 कुल हैं उसमें आज की तारीख में 1829 खाली हैं। यह जुलाई है और इस समय तो स्वाभाविक रूप से खाली होते हैं। कई रिटायर होते हैं, कई और कहीं होते हैं और किसी कारण से जाते हैं, कोई इधर होता है तो बहुत ज्यादा यह हो गया, वह भी कुल रिक्त पदों का 1.8 प्रतिशत है तृतीय श्रेणी के....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : (व्यवधान).... उनको तो आपने बाहर भेज दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वो तो डांटें तो कई लोग चले जाते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : व्याख्याताओं का बताएं आप तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं बता रहा हूं। द्वितीय श्रेणी में 39380 पद कुल हमारे पास हैं, 599 पद आज की तारीख में रिक्त हैं जो अभी भर्ती से पूरे करेंगे। व्याख्याताओं के 14569 पद हैं और 2104 पद रिक्त हैं। अब ये दो हजार पद वास्तव में बहुत बड़ी संख्या है। हमने प्रयास किया, जो भी सम्भव हो सकता था। मैंने जो समस्या बताई, महीने दो महीने में आर.पी.एस.सी. से वे टीचर जो आज सर्विस में है उनको एक मौका दे कर सीधे व्याख्याता में उनका इन्टरव्यू करा रहे हैं। उसमें शायद हमको... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : 20 तो मेरे एरिया में ही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वास्तव में शिक्षा का अगर कोई आधारभूत आदमी है तो वह अध्यापक है। जब तक अध्यापक को सन्तुष्ट नहीं कर पाएंगे, उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। हमने इस बात की कोशिश की। यह बात जरूर है कि हमने 20-20 साल की जो डी.पी.सी. थी....

श्री परसादीलाल मीणा : थोड़ा शार्ट करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं निवेदन मंत्री जी, आपसे करता हूं कि आज आप इतने विचलित हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हर आदमी....

श्री टीकमचन्द कान्त : सुनिये, सुनिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : हर आदमी आपके भाषण से प्रभावित है, अब आप तो घोषणाएं करके इसको समाप्त करिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : थोड़ी देर कृपा करो न आप भी। जितने इस विभाग में डी.पी.सी. और पदोन्नति....

श्री सभापति : कृपया बीच में नहीं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इन चार वर्षों में हम जितनी डी. पी. सी कर सके, 21-21, 20-20 साल की पुरानी डी. पी. सी. को पूरा करके हमने सारे के सारे लोगों का प्रमोशन करके पदों को भरा है, चाहे वह आज प्रिंसिपल कल डी. ई. ओ. बन रहा है । जितना भी बैकलॉग था, आज मैं यह कह सकता हूं कि केवल रूका इस कारण कि 60 साल की उम्र 27 तारीख के दिन हो गयी और हमने जून में ही सारी डी. पी. सी. कर ली थीं । लेकिन चूंकि अब उसके कारण रिक्त पदों की गिनती में फर्क आ गया इसलिए अब न्यू डी. पी. सी. करनी पड़ेगी, बाकी हमने अपना सारा काम कर लिया ।

मेडिकल का बहुत पुराना बकाया था टीचर्स का, हमने 11 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से अभियान चलाकर उनकी समस्या को हल किया और मार्च, 1997 तक का सारा उनका मेडिकल दे दिया । उसके बाद का लगभग एक साल का अभी भी हमारे पास पैंडिंग है उसका हमें पेमेंट करना है ।

इसी तरह से आपने देखा होगा, शिक्षक भवन था ही नहीं । मेरे आने के बाद आपने देखा, बीकानेर में बना, जयपुर में बना, जोधपुर में बना और उदयपुर में बना । चार शिक्षक भवन बने और दो शिक्षक भवन स्वीकृति में पड़े हैं- कोटा और अजमेर । यही नहीं, हमने शिक्षक संघों से भी मांग की कि वर्ष में एक दिन की तनख्वाह दो जिससे राजस्थान के प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर एक शिक्षक भवन बन जाए ताकि कोई भी शिक्षक आए तो वह कम से कम रेट में ठहर सके और अपना घर महसूस करे । हम उस दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं ।

मैं सोचता हूं, सेवा पुस्तिकाएं जो हैं उनकी डबल कॉपी हमने 1,83,000 की बना कर पूरी कर दी । उनकी 11 सूत्री मांगों की दृष्टि से मैं सोचता हूं, जिसके लिए बार-बार आपका सुझाव आता है कि अगर शिक्षक में, विद्यालय में गुणात्मक सुधार करना है तो निरीक्षण को मजबूत करो । हर बार आपका विधान सभा में यह सुझाव आता था । हमने पिछले साल एक योजना बनाकर शत प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण वर्ष में दो बार कराया । हमने अपने डी. ई. ओ. जितने भी हैं उनके जिले के अन्दर जितने दस जमा दो के स्कूल हैं उनके अनुसार बाइफर्केट कर और उनके नाम के आगे लिख दिया कि डी.इ.ओ.-I इतने स्कूल देखेगा । उसका कैलेण्डर बना हुआ है, उसको देखता है । एक प्रिंसिपल को हमने उसके नजदीक के तीन सैकण्डरी स्कूल दे दिये, जिसके साल में तीन निरीक्षण उसको करने हैं । एक हैडमास्टर सैकण्डरी स्कूल को हमने चार मिडिल स्कूल दिये उसके पेरीफेरी के जिनका वह इन्चार्ज है । हम इनकी बार-बार बैठकर मानीटरिंग करते हैं कि क्या कमी हैं, क्या खामी है । मैं शत प्रतिशत तो नहीं कह सकता हूं पर 90 प्रतिशत में वर्ष में दो बार निरीक्षण हुआ । तीन बार नहीं हो पाया, दो बार निरीक्षण हमने किया ताकि विद्यालय में क्या कमियां हैं इसके बारे में पता लगे ।

स्थानान्तरण नीति के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि अभी शिक्षा में गुणात्मक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सुधार करना है। चाहे पार्टी आपकी रहे या मेरी रहे या किसी की भी रहे अगर शिक्षा को ठीक ढंग से चलाना है तो जब तक ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं होगी तब तक यह विभाग कभी ठीक ढंग से चल नहीं सकता। इतनी बड़ी फौज को चलाने के लिए सारे डी.ई.ओज. भाग जाते हैं आफिस छोड़ कर क्योंकि कोई न कोई शिक्षक संघ छाती पर चढ़ जाएगा, कोई न कोई माथे आ जाएगा। किसी न किसी डर से भागता रहता था कोई आफिस में नहीं बैठता था। हमने इसको साल में दो बार कैलेण्डर में डाल दिया। एक जून में करेंगे और एक अक्टूबर की छुट्टियों में करेंगे, इसके अलावा कोई ट्रांसफर नहीं होगा। मैं अधिकारियों को एक जगह बुलाता हूं, कोई मेरे ट्रांसफर करने के लिए नहीं बुलाता हूं लेकिन मैं उनको उस दबाव से मुक्त करना चाहता हूं। अगर वह अपने आफिस में बैठकर आज 15 निकालेगा तो शाम को उसकी छाती पर 25 लोग चढ़ कर उसको 25 का आदेश करने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं वहां पर उनको कहता हूं कि आप अपनी जो नीति है उस नीति के आधार पर लिस्ट बना दो। एक कॉपी मुझे दो, एक डाइरेक्टर को दो और एक लेकर यहां से पधारो और जाकर चिपका दो। लोगों ने कहा कि हमने कोई उद्योग चला दिया, फैक्ट्री चला दी। मुझे बहुत दुःख हुआ इस बात का। अगर आप में से कोई माननीय सदस्य कहे या एक पैसे का भी मुझ पर इस बात का इल्जाम लगा हो कि मैंने ट्रांसफर करने को किसी दृष्टि से व्यवसाय बनाने की कोशिश की। मैं तो सबसे ज्यादा दुःखी इस बात के लिए हूं कि न तो मेरी पार्टी के लोग मेरे से खुश है न मेरे परिवार के लोग न मेरे मित्र। मेरा कोई नहीं है। इस तरह से मैंने अपने सुधार के कारण अपना एकाकी जीवन जिया, केवल इस कारण कि मैंने एक नीति बनाई तथा उस नीति का मैं कठोरता से पालन करूं। लेकिन उसके बाद भी आलोचनाएं आ ही जाती है ...

श्री राजेन्द्र पारीक : हम आपके साथ हैं चिन्ता ही मत करो आप तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : धार्मिक स्थान में कोई कहता है कि हमने जनकपुर में ले जाकर करा, कोई हमारे भाई कहते हैं कि हमने महावीरजी में उनको बन्द करके किया। मैं आज भी आपको कहता हूं, आप में से अगर कोई चाहे तो मेरी लिस्ट उठाकर ले जावे, मैंने उसमें नियमों से कहीं इधर-उधर किया होगा तो 5-10 प्रतिशत हो सकता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैं कोई ऐसा नहीं कहता हूं कि मैंने 100 प्रतिशत सही किया होगा लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने 90 प्रतिशत वही किया होगा जो नियम में आया होगा। मैंने ट्रांसफर के आधार पर इस बात की भी कोशिश की कि जो अपने तीन साल का या पांच साल का 90 प्रतिशत से अधिक रिजल्ट देगा वह मन चाहा स्थान अपना लिखकर ले आवे उसका मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर होगा।

मुझे आज यह सुनकर भी बहुत दुःख हुआ कि हमारे मिडल स्कूल बोर्ड का रिजल्ट कई स्कूलों में जीरो प्रतिशत रहा। मैं आज इस सदन में घोषणा करता हूं कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जिस संस्था प्रधान का भी जीरो प्रतिशत रिजल्ट रहा और अगर 6 महीने से वह उसी विद्यालय में था तो वह जिले के बाहर ट्रांसफर हो कर जाएगा। उसको जो भी नाराजगी प्रकट होगी वह उसकी किसी भी दृष्टि से हो जाएगी। यही नहीं, शिक्षा में गुणात्मक दृष्टि से सुधार हुआ। यह मैं अपने भाषण से नहीं कह रहा हूं, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणामों के तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। इसका एक–एक आंकड़ा इस बात को प्रमाणित करेगा कि हमने परीक्षा परिणामों को सुधारने का प्रयास किया। 1994 में जहां सैकण्डरी स्कूल का परीक्षा परिणाम 45 परसेन्ट था, 1995 में 47 परसेन्ट, फिर 1996 में 47 परसेन्ट, फिर 47 परसेन्ट और अभी एक रिजल्ट हमारा आना बाकी है। यह सैकण्डरी का है। इसी तरह से विज्ञान वर्ग में 44, 44.90, 52, 50 और अबकी बार 57 प्रतिशत रिजल्ट रहा हैं। इसमें जो स्वयंपाठी छात्र हैं वे भी मिले हुए हैं, नियमित छात्रों का प्रतिशत तो इस साल विज्ञान का 63 प्रतिशत रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : परसेन्टेज बढ़ाना हो तो हड़ताल करवा दिया करो परीक्षाओं में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसी तरह से वाणिज्य वर्ग में 50, 51, 61, 60 और 63 और कला वर्ग का आज रिजल्ट निकल गया उसमें 40, 43, 49, 47 और आज 50.5 प्रतिशत रिजल्ट रहा है। यानि परीक्षा परिणामों को भी बढ़ाया है। केवल परीक्षा परिणाम ही नहीं बढ़ाया है, मैरिट में भी आपने बच्चों की सूची देखी होगी। कई बार यह कहते हैं आप रोज राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय क्यों बोलते हो। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे मन में दुःख है कि राजकीय विद्यालय की प्रतिष्ठा घट गई है, ऐसा सब लोग मानते हैं। अगर मेरा अध्यापक मेहनत नहीं करता, वह नहीं पढ़ाता और मेरा सहयोग नहीं करता तो क्या मैं यह परीक्षा परिणाम ला सकता था ? इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो उस शिक्षक का है जिसने मेहनत करके इस बात को साबित किया कि राजकीय विद्यालय किसी दृष्टि से कमजोर नहीं हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, इन पिछले वर्षों में हमने अपने बच्चों को मैरिट में लाने के लिये कई प्रयास किये हैं। हमने इस बात की कोशिश की और हम जुलाई में अपने बच्चों को आइडेंटीफाई करते हैं और विद्यालय में उनका बोर्ड बना कर लगाते हैं कि 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक लेकर जो बच्चा नवीं में पास होगा उसको लिस्ट करो कि तुम दसवीं में किन बच्चों पर प्रयास करोगे कि यह बच्चा मैरिट में आएगा। 11वीं में जिस बच्चे के 70 परसेंट से ज्यादा नम्बर आये, फैकल्टीवाइज उसका बोर्ड बनाकर लगाओ कि ये बच्चे हमने मैरिट में छांटे उसके माता–पिता को बुलाकर कहा, उसके टीचर को कहा कि वह इस पर अलग से ध्यान देगा। यही नहीं, हमने अक्टूबर की छुट्टियों में जिला स्तर पर सारे जिले के बच्चों को एक स्थान पर बुलाकर 15 दिन के लिए उनके खाने–पीने की व्यवस्था की और उनको पढ़ाया ताकि हमारे बच्चे भी मैरिट में आ सकें। इसी कारण से आपने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

देखा होगा, इन पिछले वर्षों में हमारा मैरिट का प्रतिशत बढ़ा है। आज ही कला वर्ग का रिजल्ट आया उसमें 7 मैरिट राजकीय विद्यालयों की है और 6 प्राइवेट की, नम्बर एक और नम्बर दो दोनों राजकीय विद्यालयों के बच्चों ने कला वर्ग में मैरिट में स्थान बनाये हैं। इसी तरह से विज्ञान में भी हमारे 7 बच्चे मैरिट में आये, नम्बर एक और नम्बर दो राजकीय विद्यालयों के बच्चों ने प्राप्त किये। वाणिज्य में अबकी बार हमारी मैरिट नहीं आई। हम पिछले साल 2 मैरिट पर थे, इस बार हमको एक भी मैरिट नहीं मिली। हम कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं हमने इनका परसेंटेज भी सुधारने की कोशिश की। अगर आपने जो मैंने आपको आंकड़े दिये उनको देखने की कोशिश की हो तो हमने संख्या की दृष्टि से नहीं गुणात्मक दृष्टि से भी अन्तर किया है। आप देखेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में फर्स्ट डिवीजन 12 प्रतिशत लड़के पास हुए थे सन् 1993 में और पिछले साल 18 प्रतिशत लड़के फर्स्ट डिवीजन पास हुए। सैकिण्ड डिवीजन 1993 में हुए 33 प्रतिशत, इस बार हुए 39 प्रतिशत। इसी तरह से विज्ञान में 18 प्रतिशत लड़के फर्स्ट डिवीजन आये थे, 1993–94 में पिछले साल 37 प्रतिशत बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। सैकिण्ड में उधर 63 परसेंट बच्चे हैं। दोनों को मिलाकर केवल 19 परसेंट बच्चे थर्ड डिवीजन थे, 1993–94 में और अबकी बार जो रिकार्ड आया है उसमें केवल 2 प्रतिशत बच्चे थर्ड डिवीजन आये, यह अपने आप में एक रिकार्ड है।

सरकारी विद्यालयों के बारे में अफवाह फैलायी जाती है। उसका कारण है कि मेरे पास सब प्रकार के बच्चे आते हैं। गरीब का बच्चा किसी भी स्कूल से आता है, थर्ड डिवीजन पास करके आता है, सप्लीमैंट्री पास करके आता है मैं उसको ना नहीं कह सकता हूं कि मेरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। वह कहीं से भी किसी भी स्तर का आएगा, मुझे उसको भर्ती करना है। तो मैं थर्ड डिवीजन के बच्चों को लेकर, सैकिण्ड डिवीजन के बच्चों को लेकर फर्स्ट डिवीजन निकालता हूं। प्राइवेट स्कूल 12 साल तक उसको पढ़ाता रहता है पहली से और जब बच्चा दसवीं में आता है और कमजोर होता है तो कहता है तुझे प्राइवेट बैठना है। उसका फार्म प्राइवेट के लिये निकाल देते हैं, वह बच्चा रैगुलर में परीक्षा नहीं देता है। उसके बाद अगर वे 75 प्रतिशत रिजल्ट ले आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह तो क्या है कि देखने का चश्मा बदल गया है। हम फोकट में पढ़ाते हैं इससे लोगों को लगता है यह फोकट का काम अच्छा नहीं होगा, जहां पैसे लगते हैं वह बहुत अच्छा काम होगा, यह एक मनोवृत्ति बन गई है। उसका तो कोई उत्तर नहीं है। अब आप चाहते हो कि प्राइवेट संस्थाओं पर कंट्रोल करो। क्या कंट्रोल करें? जब जाने वाला स्वयं अपना झोपड़ा तुड़ाने के लिये जा रहा है मैं उसको कैसे रोक सकता हूं? वह जानता है कि यहां होने वाला है। अगर उसके पैरेलल में मेरा स्कूल नहीं हो उसके बाद जाए और मुझसे शिकायत करे, समझ में आ सकती है। मैं उसके लिये भी कोशिश कर रहा हूं कि उनको

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किस तरह से बांधा जाए। हमने कोशिश करके अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजी है, लॉ डिपार्टमेंट उसको देख रहा है। यह नहीं हो सकता है कि वे मनचाहे ढंग से लूटें और गरीब का इस तरह से शोषण करें कि किताब भी यहीं से लेनी पड़ेगी, टाई भी यहीं से खरीदो, जूते भी यहीं से खरीदो। ये जो सारी दुकानें चल रही हैं, मन में दुःख जरूर है लेकिन जब तक उसकी सही पकड़ नहीं आएगी तब तक कोई हल निकालने से कोर्ट में चले जाएंगे और हमारा केस अटक जाएगा। न घन के न घर्म के, दोनों के बीच में रह जाएंगे। इसलिए मैंने उनको बुलाया, उनकी मीटिंग ली और मीटिंग लेकर उनको समझाने की कोशिश की कि आपका खर्चा अगर 5 हजार रुपये महीने का हो तो आप 5 हजार रुपये फीस रखो, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यह रिकार्ड तो बताना पड़ेगा कि आप आमदनी कितनी करते हो और खर्चा कितना करते हो। बांधने की कोशिश की थी लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है।

मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारे पी.टी.आईज. ने अपने परिश्रम से एक टाइम में सारे टूर्नामेंट कराये। पहले साल भर टूर्नामेंट ही टूर्नामेंट होते, वह नहीं है। अब कैलेंडर के अनुसार होंगे, सारे राजस्थान में एक ही दिन होंगे ताकि समय बचे और हमारे बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलने गये हैं, वहां भी अपना कुछ कीर्तिमान बनाया। तीरंदाजी में राजस्थान ने कांस्य पदक प्राप्त किया, वालीबाल में राजस्थान ने कांस्य पदक प्राप्त किया, कुश्ती और जूडो में भी हमने पदक प्राप्त किये। हमने स्वर्ण पदक भी लिये हैं, रजत भी लिये हैं और कांस्य भी लिये हैं। 4 स्वर्ण लिये, 7 रजत लिये और 10 कांस्य लिये, 21 पदक हमारे बच्चे जूडो और कुश्ती में लेकर आये। हैंडबाल में भी हम लोगों ने रजत पदक प्राप्त किया, बास्केटबाल में हमने कांस्य पदक प्राप्त किया। एथलेटिक्स में भी हमारे बच्चों ने पदक प्राप्त किया। एथलेटिक में 5 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 4 कांस्य पदक मिले है। यह पिछले साल का रिकार्ड मैं आपको बताता हूं। यही नहीं, हमारे बच्चे अभी स्काउट में उड़ीसा में जो जंबूरी हुई थी उसमें गये थे, वहां राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त होकर कमीश्नरी ध्वज मिला। ऐसा नहीं है, प्रयास तो हो रहा है और सब दृष्टि से कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ–न–कुछ सुधार हो।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को भी जितनी रियायत दी जा सकती है उतनी रियायत हमने दी। हर प्रकार से हमने अपने कानून को शिथिल किया ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। मान्यता के बारे में हमने प्राथमिक शालाओं की मान्यता समाप्त कर दी। आठवीं तक की मान्यता प्राप्त करने के लिये केवल एफिडेविट दे दे, तीन साल तक हम उससे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या चला रहे हो। आखिर जब तक प्राइवेट संस्थाएं नहीं आयेंगी, हमारे बूते पर हम सारी शिक्षा कर लेंगे, यह हम कभी भी नहीं कर पाएंगे और इसलिए हमने उनको आमन्त्रित किया मिडल बोर्ड बनाने के पीछे भी हमारा सोच यही है कि कम से कम हमारा स्तर नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बिगड़े। इस कारण से हमने मिडल बोर्ड को बनाया। आपने देखा होगा कि मिडल बोर्ड का परीक्षा परिणाम सारे राजस्थान का 57 प्रतिशत रहा। यह बात सच है कि कई विद्यालयों में 8 परसेंट, 10 परसेंट रहा है। इससे कम से कम हमको अपनी तरफ झांकने का तो मौका मिलेगा कि हम कहां खड़े हैं आखिर। हमारे अध्यापक को पता लगेगा, बालक को पता लगेगा, उसके अभिभावक को पता लगेगा कि आखिर हम कहां हैं। हम बच्चे को धक्का मारकर 10वीं में भेज दें और उसके बाद वह लौटकर खाली हाथ आए तब उसके घर पर कोहराम मच जाता है क्योंकि भूखा-प्यासा रहकर गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है। हम पहले से ही उसकी नींव को मजबूत कर सकें, इसके लिये कोशिश करें हो सकता है उसमें हमको कुछ असफलता मिली होगी लेकिन आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो हमें निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। माध्यमिक विद्यालय और सीनियर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता का प्रकरण जो बीकानेर जाता था। उसको हमने नीचे डी.ओ. और डिप्टी डाइरेक्टर्स को दे दिया। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का भी जो बीकानेर होता था वह हमने डी.ओ. को दे दिया, वहां से उसको मान्यता मिल जाएगी। यही नहीं अनुदान स्वीकार करने का भी जो अधिकार था वह भी हमने सारे का सारा डिप्टी डाइरेक्टर्स और डी.ओज को दे दिया है नियुक्ति के बारे में अनुमोदन करने के लिये पहले साल-साल, दो दो साल अनुमोदन नहीं होता था हमने कहा कि 45 दिन में अगर अनुमोदन करके नहीं भेजता है तो अनुमोदित माना जाएगा। यह हमने अपनी तरफ से किया ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। चयन समिति में जो अनुदानित संस्था है उसके लिये तो हमारा व्यक्ति तय है कि यह जाएगा। उसको नामजद कर दिया कि उस स्कूल के एरिये में यही व्यक्ति जाएगा ताकि उसका काम ठीक प्रकार से हो। लेकिन जो केवल मान्यता प्राप्त है उसके लिये किसी के जाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही नियुक्ति दे सकता है किसी भी अध्यापक को। रिटायरमैंट की फाइल पहले यहां आती थी, सैक्रेटेरिएट आती थी उसकी उम्र को वैरीफाई करने के लिये दो साल उसकी सेवा बढ़ायी जानी चाहिये। हमने कहा यह हमारा काम नहीं, अगर संस्था कागज बनाती है और उसको रखना चाहती है तो संस्था को ही अधिकार दे दिया। वह दो साल तक अगर सेवा बढ़ाना चाहे तो संस्था अपनी सेवा बढ़ा ले। हमने तो हमारे काम को जो हमारे पास थे उनको बीकानेर दे दिया, बीकानेर का काम था उसको नीचे दे दिया। इसी प्रकार से अध्यापकों की पहले जो पी. एफ. में कटौती होती थी, उसको कहा जाए तो वह केन्द्र के फण्ड में जमा होता है ताकि उनको कभी पेंशन का जो प्रोविजन हम सोच रहे हैं वह भी उसमें से उनको मिल सके। हमने यह भी कोशिश की कि जो अनुदानित पद पर है और अगर वह उसी स्कूल में चयनित हो जाता है प्रिंसिपल की पोस्ट पर तो पहले तो वह प्रिंसिपल की जो ग्रेड है उसमें लगता था किन्तु अब उसकी पे प्रोटैक्ट करते हुए प्रिंसिपल लगने का भी हमने प्रावधान किया है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं एक समस्या जिसके बारे में ध्यान आकर्षित किया गया वह है व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। हम सब लोगों को यह है कि व्यावसायिक शिक्षा क्यों बन्द की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं हकीकत कहूं तो स्थिति यह है कि हमने इस कल्पना से व्यावसायिक शिक्षा को शुरू किया था ताकि बालक नौकरी की ओर नहीं भागकर अपने बूते पर खड़ा रह सके। लेकिन कुछ गलतियां हमारी रहीं कि उसको जितना स्ट्रेंथन करना चाहिए हमने वैसा नहीं किया। लेकिन हमारे यहां तो हर बच्चा शार्ट कट ढूंढ़ता है कि उसको नौकरी का रास्ता किधर से मिलता है। व्यावसायिक शिक्षा में जो बच्चा पास होता है उसको 85 प्रतिशत अंक मिलते हैं। वह एस. टी. सी. में अगर सलैक्शन के लिए जाए तो नम्बर एक पर सलैक्शन होता है। और जो बच्चा हमारा साइंस का जाएगा उसको 45 प्रतिशत होगा। दोनों जब सैकण्डरी में पढ़ते थे तो एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, वह तो आगे साइंस में गया और जो थर्ड डिवीजन पास हुआ वह व्यावसायिक शिक्षा में गया। व्यावसायिक शिक्षा से वह तो अध्यापक पहले बन जाएगा और यह लुढ़ककर सैकण्ड डिवीजन पर आ गया। इसीलिए अब की बार हमने यह किया कि केवल मैरिट के आधार पर ही नहीं, परीक्षा होगी, प्री एस. टी. सी. परीक्षा होगी उसके कारण से ही उसका हो सकेगा।

मैं अब उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी हमने नयी व्यवस्थाएं की हैं उनके बाबत आपके सामने कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में उनके अध्यापक के बिना कभी भी आठवीं बोर्ड का रिजल्ट नहीं सुधारा जा सकता है इसलिए अगले साल से अंग्रेजी, गणित, हिन्दी और संस्कृत को कामन मिलाकर, यह थर्ड ग्रेड अध्यापक हर मिडल स्कूल में हो ताकि वास्तव में बच्चे को जैसा हम तैयार करना चाहें वह हम तैयार करें। इसी तरह से माध्यमिक विद्यालय में गणित अंग्रेजी और विज्ञान का तो थर्ड ग्रेड का सीधे सलैक्ट होकर आता है 50 परसेंट और बाकी सब प्रमोशन से आते थे, उसके अब हमने सात पद किये, सातों 50 परसेंट सीधे सलैक्शन से आएंगे और 50 परसेंट प्रमोशन से आएंगे ताकि अच्छे टैलेंटेड अध्यापक हमको मिल सकें। उसके लिए भी व्यवस्था की है।

इसी तरह से, एस.टी.सी. के पाठ्यक्रम में भी हमने कुछ बदलाव किया है। एस.टी.सी. के साथ यह जो डी.पी.एड., सी.पी.एड. है, इनका भी इस साल से एस.टी.सी. का प्री टैस्ट हो जाएगा। अगले साल से शारीरिक शिक्षकों की जो भर्ती होगी वह भी टैस्ट के द्वारा होगी ताकि इधर उधर से जो लोग आते हैं उनको किसी तरह से हम कन्ट्रोल कर सकें। जैसा आपने देखा, जो अच्छे परीक्षा परिणाम देते हैं पिछले दो साल से विवेकानन्द जयन्ती के दिन उनका सम्मान करते हैं। जो अपने जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देता है राजकीय विद्यालय उसको 25 हजार रुपये का पुरस्कार देते हैं। उस 25 हजार में से 20 हजार रुपये वह संस्था के काम में लेगा और जो 5 हजार रुपये हैं उनमें 1 हजार संस्था प्रधान को पुरस्कार के रूप में और

224

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

4 हजार उन शिक्षकों के बीच में बंटेंगे जिन्होंने इस सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट को बनाने का प्रयास किया। जो राज्य में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देगा सैकण्डरी का और सीनियर का, उन दोनों को 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया। उसमें से 40 हजार विद्यालय के काम में और 10 हजार उनके व्यक्तिगत पुरस्कार में हैं। साथ ही हमने उनको यह कहा कि आपको हर वर्ष हम किसी दूसरे राज्य की शिक्षण संस्थाएं ले जाकर दिखाएंगे टूयूर के माध्यम से कि वहां शिक्षा का कैसा स्तर है। मैं आज यह घोषणा करना चाहता हूं कि मिडल बोर्ड में भी जो विद्यालय अपने जिले के राजकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणामों में सर्वश्रेष्ठ रहेगा उसकी संस्था को भी बुलाकर 12 जनवरी के दिन 20 हजार रुपये का पुरस्कार देंगे। उसमें से 16 हजार वह विद्यालय के काम में लेगा और उसका 20 प्रतिशत अपने और अपने अध्यापकों के बीच में।

शिक्षा निदेशालय के भी हमने दो भाग किये हैं क्योंकि हमारा इतना अधिक काम बढ़ गया कि एक डाइरेक्टर सारे एजुकेशन का काम कभी भी नहीं कर सकता है। तो हमने प्राथमिक शिक्षा का अलग निदेशालय बनाया, माध्यमिक शिक्षा का अलग निदेशालय बनाया। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से किया है, मैं कुछ सुधार करना चाहता हूं। इस सारी व्यवस्था में से हमने कोशिश की कि डेढ़ सौ माध्यमिक विद्यालय पर कम से कम एक डी ई.ओ. सैकण्डरी स्कूल रहे, 300 से ज्यादा प्राइमरी और अपर प्राइमरी पर एक डी.ई.ओ., प्राथमिक रहे। उसके आधार पर ही सारे जिलों के अन्दर डी.ई.ओ. के पद कहीं बढ़े हैं, कहीं घटे है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हम अगले साल से दो या तीन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद सृजित करेंगे ताकि निरीक्षण का काम अच्छी तरह से हो सके। इसी तरह से, राजस्थान की लगभग जितनी भी पंचायत समितियां बाकी रह गयी है जिसकी मांग श्री ताम्बी जी भी कर रहे थे कि हमारे यहां डिप्टी डी.ई.ओ. का आफिस खोलें, प्रत्येक पंचायत समिति पर एक डिप्टी डी ई.ओ का आफिस जरूर होगा और उसको हम ब्लाक आफिसर के रूप में रखेंगे ताकि वह वहां के प्राथमिक विद्यालयों का भी निरीक्षण कर सके और शिक्षा की दृष्टि से उनको कुछ गति दे सके।

मैं सोचता हूं शिक्षा सामग्री की दृष्टि से भी इसी साल 1903 उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक हजार का अभी और हमको सहयोग मिला। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बोर्ड है, छोटी-मोटी सामग्री है, टेबल है, कुर्सी है, इस सामग्री की दृष्टि से 12 करोड़ 57 लाख की स्वीकृति दी है। 135 विद्यालयों में हम कम्प्यूटर की स्वीकृति दे चुके हैं और सौ विद्यालयों में हम और कम्प्यूटर की स्वीकृति दे रहे हैं।

हमने मदरसों को भी हमारी शिक्षा की किताब के साथ जोड़ने का प्रयास किया। पिछली बार हमने प्रयास किया कि मदरसों के बच्चे भी कम से कम हमारी हिन्दी और गणित पढ़ें। 430 मदरसों में हमने एक बुक बैंक बनाकर पिछले साल 13 लाख 71 हजार की किताबें उनको दीं और इस साल हम 29 लाख 4 हजार की पुस्तकें

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उन मदरसों के बच्चों को दे रहे हैं। प्रत्येक माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक विद्यालय संस्था विकास कोष समिति का गठन कर दिया। एस.डी.सी. का बता दिया। हमें राजसमन्द और बारां में डाइट की स्वीकृति मिल गयी और वहां डाइट बनेगी। तीन बाकी रह गये दौसा, सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही इनकी भी हमको स्वीकृति मिलेगी। तब राजस्थान में सभी जिलों में डाइट बनेगी।

यही नहीं, हमने पुस्तकालयों को सुधारने की दृष्टि से भी प्रयास किया कि हमारी लाइब्रेरी भी ठीक हो। उसके लिए हमने राज्य स्तरीय पुस्तकालय विकास समिति बनायी, वह बन चुकी है। अब हम सम्भाग और जिले की पुस्तकालय समिति बना रहे हैं और उनको भी इस प्रकार के अधिकार दे रहे हैं कि वे अपने पुस्तकालयों को ठीक कर सकें। उनमें जन प्रतिनिधि होंगे और बाकी वे लोग मिलकर होंगे। हमने इस सब के लिए 50 लाख रुपये की मदद की। जितने भी जिला और मण्डल स्तर के पुस्तकालय भवन हैं उनको देने के लिए हमने 50 लाख रुपये की और स्वीकृति दी है। अभी हमारे केन्द्रीय जो पुस्तकालय हैं उनको हमने 15 लाख रुपये दिये हैं। संस्था विकास कोष .... केवल दो मिनट और लूंगा मैं आपका।

एक हमारे ध्यान में पिछले कई दिनों से आ रहा है कि हम बच्चों को पी.एम.टी. पी.ई.टी. या बी.एड., एस.टी.सी. के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं और बाकी संस्थाएं बहुत ज्यादा पैसा लेकर बच्चों को कोचिंग कराती हैं। हमने उस विद्यालय के संस्था विकास कोष को यह अधिकार दिया है कि वह नोमीनल पैसा लेकर उन बच्चों का यह कोर्स चलाएं ताकि हम अपने बच्चों को इस कोर्स के माध्यम से पी.ई.टी., पी.एम.टी. के लिए, बी.एड. और एस.टी.सी. के लिए तैयार कर सकें। इस प्रकार का पहला प्रयोग जयपुर में हम इस साल करने जा रहे हैं। जो बच्चे दिन में नौकरी करते हैं, दसवीं पढ़े हुए हैं, कोई नवीं पढ़ा होगा, कोई आठवीं पढ़ा होगा, उनके लिए रात्रिकालीन फुलफ्लैजेड विद्यालय कर रहे हैं ताकि कोई भी कामकाजी बच्चा अगर चाहे तो उस विद्यालय में जाकर रैगुलर पढ़ाई करके अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकता है। यह पहली शुरूआत हम जयपुर में कर रहे हैं और सोच यह है कि सम्भागीय केन्द्रों पर अगले साल तक इसको कवर करेंगे। इसी तरह से शहरों की कच्ची बस्तियों में जो हमारे विद्यालय हैं उनकी हालत बहुत खराब है। अभी केन्द्र सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई और हमको वर्ल्ड बैंक और बाकी कुछ एजेन्सियों के माध्यम से लगभग 17 करोड़ रुपये की सहायता मिली है ताकि हम शहरी कच्ची बस्तियों के विद्यालयों को भी ठीक प्रकार से कर सकें।

इसी तरह से पाठ्य पुस्तक मण्डल ने इस बार पुस्तकों के पैसे घटाये 50-50 पैसे प्रत्येक के, उसके बाद भी हमको 70 लाख की बचत हुई। उस 70 लाख में हमने 40 लाख की एफ. डी. की है कि बालकों में विभिन्न प्रवृत्तियों का उजागर करने के लिए उसके ब्याज में विभिन्न पुरस्कार देकर हम बच्चों में यह प्रतिभा विकसित करने

226

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का प्रयास करें। इस बार चित्रकला की, उनकी कविता रचनाओं की भी की, उनके और भी लेख लिखने की दृष्टि से भी की ताकि उन बालकों में इस प्रकार की प्रवृत्ति बन सके।

एक विषय जो बहुत ही विवादित विषय हो गया, वह है अंग्रेजी कि तीसरी क्लास में अंग्रेजी के बारे में सोचने का दिमाग में कैसे आया। मैं क्योंकि गांव का रहने वाला हूं। मेरे मन में कुछ दर्द है। दर्द इस बात का है कि मैंने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं की। इसलिए मैं अपने आपको भी अंग्रेजी की दृष्टि से काफी कमजोर महसूस करता हूं। अगर मुझे अवसर मिलता तो शायद अपने काम को और ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता। अब जब केन्द्र के मंत्रियों के साथ मिलता हूं या कभी मीटिंग में जाता हूं तो अपनी बात को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता; झिझक महसूस होती है। जो गांव के विद्यालयों के बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत टैलेण्टेड हैं जो मैरिट में आए हैं, लेकिन चूंकि इनकी अंग्रेजी का बैकग्राउण्ड अच्छा नहीं होता तो जैसे ही ये कालेज में जाते हैं उसके बाद इनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। हमारा बच्चा छठी में ए बी सी डी सीखता है। छठी में ही आधे साल तो उसको चार अक्षर ए, बी, सी, डी में लग जाते हैं। फिर किताब को पकड़ भी नहीं पाता है कि आठवीं में बोर्ड आ गया। अभी बोर्ड के रिजल्ट का विश्लेषण किया तो जितने बच्चे फेल हुए है इस आठवीं के बोर्ड में उनमें 90 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी में फेल हुए हैं, क्योंकि गांव के बच्चों का वैसा बैकग्राउण्ड नहीं बनता। तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं इतना ही चाहता हूं कि ए, बी, सी, डी अक्षर लिखना सीख ले, कुछ मीनिंग याद कर ले ताकि छठी की किताब जब उसके सामने आए तो उस किताब को अच्छी प्रकार से पकड़ सके और दसवीं की परीक्षा जब वह दे तो इतना उसका स्तर बन जाए कि वह अपने आपको कमजोर नहीं समझे। नहीं तो वह रटन्त विद्या से 17 नम्बर लेने का प्रयास करता है। बच्चा टैलेण्टेड है, फर्स्ट डिवीजन आने की उसकी काबलियत है लेकिन अंग्रेजी में पिछड़ने के कारण फर्स्ट सीट से उठकर लास्ट सीट पर जाकर बैठने का क्रम शुरू कर देता है और पिछड़ जाता है। अगर आप सब लोगों की सहमति होगी, सब लोगों की राय होगी तो ही मैं लागू कर सकूंगा। मेरे मन की इच्छा जरूर है। बच्चों को ए बी सी डी पढ़ने में न तो हिन्दी का दुश्मन होगा, न और किसी का दुश्मन होगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसको पहली क्लास से करिये।

एक माननीय सदस्य : हैडक्वार्टर खाली होने पर .. (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : एक प्रश्न पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाएं। पूरा उत्तर आने दीजिए, पूरा उत्तर। (व्यवधान) विराजिए आप।

श्री शंकरलाल अहारी : एक प्रश्न पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, मैं आपको समय नहीं दूंगा। आप विराज जाएं। पहले उत्तर सुन लीजिए आप। (व्यवधान) उत्तर सुन लीजिए, माननीय सदस्य। श्रीमती उजला अरोड़ा। कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : शिक्षा मंत्रीजी से पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, राजेन्द्र जी। मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (राज्य मंत्री संस्कृत शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरस्वती देवी को नमन करते हुए;

"या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।"

आपकी अनुमति से यह कहना चाहूंगी कि संस्कृत भारत की आत्मा है और हमारा सारा पूर्व का साहित्य इस देव भाषा में लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप सारभूत बातें ही कह दें, समय बहुत हो गया है। जो भी सारभूत बात है वही कह दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह पहला भाषण है बीस वर्षों के बाद पहली बार मौका मिला है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक-एक बात कहते हुए मेरी बात को कहना चाहूंगी कि संस्कृत आयोग की सिफारिश से सन् 1958 में राजस्थान में संस्कृत निदेशालय की स्थापना हुई थी। तब से लेकर अब तक इसकी जो विकास यात्रा है वह आप सबको अवगत है। उस विकास यात्रा में आचार्य, शास्त्री, वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका, प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के माध्यम से काफी शालाएं राज्य में खुली हुई हैं। यह अच्छा होता कि गुलाबजी जिन्होंने इस विभाग की सारी तैयारी की, वे इसका जवाब देते। लेकिन मुझे यह भार सौंपा गया तो मैं यह कहना चाहूंगी जैसा मुझे अवगत हुआ है कि एक सर्वे करके यह भी निकाला गया है कि हमें वांछित संख्या कितनी–कितनी चाहिए प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक में तथा अन्य स्तर के विद्यालयों में और उनमें कितनी–कितनी कमियां हैं। अगर कोई मुझे टोके नहीं तो मैं बता दूं और अगर कोई टोकने की बात है तो मैं नहीं बता रही हूं। मैं इतना ही कहूंगी कि जो वर्तमान में असंतुलित ढांचा है उसको सुधारने का इस वर्ष में पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी। जितने सीमित साधन इस बार इस विभाग के पास हैं, वह आप सबको अवगत है। माननीय मामड़ा साहब से आग्रह कर, माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह कर इस विभाग को और सुचारू, और सक्षम बनाने का पूरा–पूरा प्रयास मैं करूंगी।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिस प्रकार माननीय ललितजी ने अपनी समिति की रिपोर्ट दी थी उस आधार पर या उस आधार में कुछ और शामिल करते हुए सहमति से यह प्रयास किया जाएगा कि जो हमें 5 प्रतिशत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अनुपात में मिलता है उसमें कुछ और जोड़ा जाए। मैं साफ-साफ ही आपको बता दूं कि अगर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

माननीय गुलाबजी, शिक्षा मंत्री ने यहां पर घोषणा की है कि 550 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे तो 5 प्रतिशत के अनुपात में 27 प्राथमिक विद्यालय ही खुल पाएंगे। लेकिन मुझे आशा है कि मेरी सरकार मुझे और भी इस हेतु उपलब्ध करवायेगी जिससे कि जहां वांछित है वहां पर खोले जा सकें और इस कमी की पूर्ति की जा सके।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि एक व्यवस्था और तय की गयी है। कम्प्यूटर शिक्षा के लिये इस वर्ष 10 वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा को प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। नये विद्यालय खोलने के बारे में मैंने आपको बता दिया है और यही बात माध्यमिक में क्रमोन्नति के बारे में भी तय है। उसमें भी निश्चित रूप से उन्नति होगी। कुछ रिक्तियां हैं, कुछ दिक्कतें भी उनकी वजह से हैं, मेरा निवेदन यह है कि ये रिक्तियां सीधी भर्ती के द्वारा पूरित कर दी जाएंगी। मैं समझती हूं कि कुछ पद समाप्त होने की स्थिति में हैं। राज्य सरकार से बातचीत करके वे पद समाप्त न हों और विद्यालयों में उनका योगदान पूरा मिल सके, जो कमी है वह पूरी हो सके, इसका मैं प्रयास करूंगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, कि भाषा विभाग की ओर से भी कुछ निश्चय किये गये हैं। हमारी अनेक राज्य संस्थाओं में कुछ अंग्रेजी में कामकाज होता है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए और साथ ही जो कम्प्यूटर ले लिये गये हैं उनमें हिन्दी को जोड़ते हुए हिन्दी में ही कार्य किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इस विभाग को भी सुदृढ़ करने के लिये पूरा-पूरा प्रयास इस वर्ष में किया जाएगा, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले दिनों किसी तौर पर भी सही, अंग्रेजी के टाइपराइटर ले लिये गये, वे टाइपराइटर हिन्दी में बदले जाने की भी व्यवस्था की जा रही है। कुछ ही दिनों में वह कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अल्पकाल में एक विषय को भी छोड़ना नहीं चाहती। कई स्थानों पर शिक्षकों के पद रिक्त हैं उन स्थानों पर भी भर्ती हो जाएगी। साथ ही जिस बात के लिये आप सब लोग उत्सुक हैं, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जो अधिनियम बनाये जाने वाले थे वे बन चुके हैं, उन पर स्वीकृति मिल चुकी। इसी सत्र में यह प्रस्तुत कर आपकी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष : उच्च शिक्षा मंत्री महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : काहे पर पाइंट आफ आर्डर ? बैठिये न आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, कल मैंने आपसे निवेदन किया था ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, विराजें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। श्रीमान् रामस्वरूपजी मीणा साहब, ग्राप विराज जाएं। ग्रंकित नहीं हो रहा है ग्रौर कोई जवाब भी नहीं ग्राएगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने ग्रपने-ग्रपने भाषण के द्वारा सदन में मेरा मार्ग दर्शन किया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रौर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो बातें माननीय सदस्यों ने रखी हैं उनको पाथेय रूप में स्वीकार कर निश्चित रूप से उन बातों को समाहित करते हुए दोनों क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में सारे वित्तीय प्रावधान किये गये हैं उनकी चर्चा ग्रधिक नहीं करके जो फिजिकल टार्गेट रिसीव किये जाएंगे या किये गये हैं वे मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रांकड़ों की चर्चा करते समय यह कहा था कि महंगाई जिस परिणाम से बढ़ गयी उस परिमाण में केवल मात्र वित्तीय प्रावधान करने से काम नहीं चलता, भौतिक लक्ष्य क्या प्राप्त किये गये हैं, क्या प्राप्त किये जाने हैं, यह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। मैं आपके माध्यम से बहुत ग्रधिक उन भौतिक लक्ष्यों ग्रौर भौतिक जिस प्रकार की बातें हमने प्राप्त की हैं, उस पर ही सारी बातों को अपने भाषण में समाहित करने की कोशिश करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दीर्घकालीन योजना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्राने, वर्तमान सरकार ग्राने के बाद एक नियम रूप से नीति बनाकर, नीयत में दृढ़ता रखकर ग्रौर उन बातों को पूरा करने का संकल्प लेकर करने का प्रयास लगातार किया गया। श्रीमान् गुलाब चन्दजी कटारिया ने प्राथमिक शिक्षा, सैकण्डरी शिक्षा के विषय में इतने सुन्दर शब्दों में, इतने सुन्दर वाक्यों में, इतने सुन्दर भावों में अपनी बात को रखा है ग्रौर उनका काम जहां पर समाप्त होता है वहां से मेरा काम प्रारम्भ होता है। नींव तो बनायी है उनको ग्रौर नींव बनाने की दृष्टि से किया गया प्रयत्न पल्लवित, फलित ग्रौर मेढ़ के रूप में प्रकट हो, इस प्रकार का वर्तमान सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने ग्रापसे निवेदन किया सबसे पहला विषय ग्राता है विश्वविद्यालयों का। एक मांग थी कि सारे सम्भागों पर मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी का निर्माण हो। यह सच है, मैं

× × × ग्रध्यक्षपीठ के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मना नहीं करना चाहता । माननीय सदस्य चले गये, जिन्होंने चर्चा की थी । माननीय हरिदेव जोशी स्टेट्समैन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, किन्तु जिस प्रकार के विश्वविद्यालय बीच में तीन बनाने की कोशिश की थी । कोटा में खुला विश्वविद्यालय है, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है । केन्द्र से उसको सहयोग मिल रहा है, धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, मुझे कुछ कहना नहीं है, जैसे दूरस्थ शिक्षा का परिणाम आगे बढ़ता जाएगा । किन्तु क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति मैं कभी नहीं करता । बीकानेर में जो कृषि विश्वविद्यालय है वह केवल मात्र सीमित है कृषि तक और पशु-पालन तक उस क्षेत्र की निश्चित रूप से जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं और राजस्थान के सन्दर्भ में जिस बात को आगे रखना आवश्यक था, यह बहुत बड़ी कमी प्रारम्भ से ही, सन् 1994 से लगातार लगती थी–शिक्षा मंत्री के नाते । एक दीर्घकालीन योजना बनायी और मुझे कहते हुए हर्ष है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उप मुख्य मंत्री जी को, मैं साधुवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि प्रदेश की जो आशा-आकांक्षा थी कि सभी सम्भागों पर मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी को कायम किया जाए, कोटा और बीकानेर में स्थापना करके उस लक्ष्य को हमने पूरा कर दिया है, निश्चित रूप से पूरा कर दिया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कृषि विश्वविद्यालय की चर्चा की, उदयपुर में स्थापित करने की अपील की । उच्च शिक्षा का मंत्री अवश्य हूं किन्तु कृषि विश्वविद्यालय मेरी सीमाओं में नहीं आता । उसके फाइनेंसेज उच्च शिक्षा के पास नहीं हैं । मैं विषय छोड़ रहा हूं माननीय उप मुख्य मंत्री को, मैं विषय छोड़ रहा हूं मुख्य मंत्रीजी को । इसका कारण है कि मेरी सीमाएं हैं केवल उच्च शिक्षा तक, कृषि तक मेरा विस्तार नहीं है । यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन से उसको सहायता नहीं मिलती, उसको सहायता मिलती है आई.सी.ए.आर. से । इस विषय में क्षमा चाहता हूं, आपके माध्यम से मेरे भाषण को कोट किया गया है । एक बात की मैंने चिन्ता की है और जिसकी कोशिश मैं लगातार करता रहता हूं कि जो कहूं उसको पूरा करूं और जिसको कर सकूं उसे ही कहूं । भाषण हुआ, अखबार वाले ने छाप दिया कि कृषि विश्वविद्यालय की चर्चा मैंने की है । मैंने कभी नहीं कहा मैं कैसे बोल सकता हूं ? कृषि मेरा विभाग नहीं है । आई.सी.ए.आर. कौनसा है, इसका मेरा अधिकार नहीं है । यह बात सच है एक जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है । उन्होंने किसी अखबार के भाषण को कोट किया, मैं अखबार की तो चर्चा नहीं कर सकता न करना चाहता । उन्होंने क्या करके कोट किया ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : फोटो छपे हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फोटो तो छपेंगे, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : 26–27 तारीख को जो राजस्थान पत्रिका में छपा है उसको उद्धृत किया है । जो स्टेटमैंट दिया था–वह उद्धृत किया है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मेरी सिद्धान्ततः सहमति है आपके साथ, कोई मना नहीं है किन्तु सीमाएं हैं। उन सीमाओं में मैं केवल अकेला भागीदार नहीं हूं, भागीदार है निश्चित रूप से तो कृषि विभाग भी, भागीदार है माननीय उप मुख्य मंत्री जी, भागीदार है माननीय मुख्य मंत्रीजी और एक परसेन्ट मैं भी हूं जोइंट रेस्पांसिबिलिटी के नाते। इसीलिए इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता किन्तु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं ..

श्री शिवनाथ सिंह : या तो सीमा लांघ दो या बात को खतम करो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हामी हूं। आपको ध्यान होगा वह दिन वे काले दिन थे, एक प्रकार की अव्यवस्था राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई थी। उसका वर्णन सदन के पटल पर हुआ था, प्रभावी रूप से हुआ था। हमारा डैमोक्रेसी में विश्वास है। वर्तमान सरकार प्रजातन्त्र में विश्वास रखती है और विश्वास रखने के कारण हम विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के हामी थे, हैं और रहेंगे। इसलिए मैंने उस समय कहा था कि एक विकृति को समाप्त करने के लिये दूसरी विकृति को जन्म नहीं देंगे। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हैं....(व्यवधान) अभी चर्चा करेंगे, विराजो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर के गर्ल्स कालेज में भी आपने कोई प्रोमिस किया था। सैकड़ों बच्चियां आपसे मिली थीं, सैकड़ों बच्चियां ने आपका घेराव किया था तब आपने क्या कहा था ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी बैठो तो सही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन बातों को हमने ठीक रूप से रखा और आज उसका परिणाम है कि जो थोड़ी-सी गड़बड़ियां आयी थीं, धीरे–धीरे ठीक होकर विश्वविद्यालय लाइन पर आये हैं। जैसा कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी, मैं आपसेकहना चाहता

(20.00 बजे)

हूं वर्तमान वर्ष में राजस्थान विश्वविद्यालय फिर अग्रणी स्थान पर निश्चित रूप से कायम होगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है।

अजमेर विश्वविद्यालय के बारे में कहूं आज, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जाने का मौका मिला हैं, माननीय प्रधान मंत्री महोदय भी वहां आये हैं, बड़े–बड़े लोग आये हैं। जिस नाते से विकास हुआ उस विश्वविद्यालय का, माध्यम की दृष्टि से सारा माध्यम हिन्दी में कर दिया उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक का। हम हिन्दी भाषी प्रदेश के लोग हैं। आज जिस प्रकार की बातें कही गयी उस प्रकार का निर्माण किया गया है वहां। शनैः शनैः विश्वविद्यालय उसी राह पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।

चर्चा की गयी संस्कृत विश्वविद्यालय की। अभी-अभी घोषणा की आपने और निश्चित रूप से सारा मामला तैयार है। विधान सभा में आएगा, बिल पास होगा और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उस बिल के आधार पर निश्चित रूप से इसी वर्ष में हो जाएंगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अगस्त में फिर सत्र बुला रहे हो क्या ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसी सत्र में कह रहा हूं मैं। हां जी, अभी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल आता है महाविद्यालय शिक्षा का। महाविद्यालय शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से जो भौतिक लक्ष्य हमने पिछले समय में प्राप्त किए और प्राप्त करने वाले हैं, उनका आपके माध्यम से थोड़ा वर्णन करना चाहता हूं। अगर मैं सारे पीरियड को पांच भागों में बांटू तो एक प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, दूसरा काल 1947 या 52 से लेकर 77 तक, तीसरा काल 1977 से 1980 अभी मुख्य मंत्री महोदय बैठे है जिनको मुख्य मंत्री रहने का मौका आया चाहे जनता पार्टी की सरकार हो। चौथा काल आया 1980 से 1990 का और पांचवां काल यह चल रहा है 1990 से 1998 तक का। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पांच महाविद्यालयों की स्थापना हुई प्री-इंडिपेंडेंस पीरियड में, पांच महाविद्यालय। फिर मौका आ गया लगातार 1950 से 1977 तक के एक कार्यकाल का जिसमें 46 महाविद्यालयों का निर्माण हुआ। उस समय प्रारम्भ था। फिर ढाई वर्ष का काल आया हमारा, मुख्य मंत्री आप थे और सौभाग्य से शिक्षा मंत्री बनने का मौका मुझे मिला। 13 महाविद्यालयों का निर्माण हुआ उस ढाई साल के पीरियड में। फिर आ गया 1980 से 1990 का काल, 4 महाविद्यालयों का निर्माण हुआ राजकीय क्षेत्र में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 1990 से 1998 का है जिसमें 29 तो बन गए हैं और 3 की घोषणा है, 32 हो गए। 32 सरकारी महाविद्यालयों का निर्माण 8 वर्षों में हुआ है। मैं केवल भौतिक लक्ष्यों की चर्चा कर रहा हूं, भौतिक उपलब्धियों की चर्चा कर रहा हूं। मैं फाइनेंशल टारगेट क्या है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, वह तो लिखा हुआ है बजट में। गैर-सरकारी क्षेत्र में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो गैर सरकारी क्षेत्र में 1977 से 1980 के काल में 5 महाविद्यालय बने, 1980 से 1990 के काल में 39 बने और 1990 से 1998 के कार्यकाल में 47 तो बन गए। इसमें मेरी प्रगति पुस्तिका में ये नहीं लिखे हैं किन्तु आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 9 को एन.ओ.सी. दी थी हमने फरवरी से लेकर अभी जुलाई तक। 15 तारीख थी कालेज शुरू करने की, जिन 9 को एन.ओ.सी. दी उनमें से 6 महाविद्यालय 15 तारीख को प्रारम्भ हो गए, यह बताना चाहता हूं मैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हम शनैः शनैः आगे चल पड़े हैं और आज स्थिति यह बनी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : वे तो प्राइवेट जैसे ही हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां। सरकारी तो बता ही दिए मैंने कि चार के कम्पेरीजन में 32, चार 1980 से 1990 में और....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : झुन्झुनूं में एक भी नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह बताऊंगा, वह भी आ रहा हूं। आ रहा हूं, माननीय। बैठो, अभी बताता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : बिना भेदभाव से खोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : झुन्झुनूं में भी नहीं और टोडाभीम में भी नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके बावजूद भी पहली वरीयता वर्तमान सरकार की महिला शिक्षा को है। महाविद्यालय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते समय इस बात की चिन्ता की हमने। 1950 तक प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में केवल महिला महाविद्यालय था और वर्ष 1990 तक संख्या बनी थी केवल 7 सरकारी क्षेत्र में। एक तो प्री इंडिपेंडेंस और 6 कन्या महाविद्यालय बने 1952 से लेकर 1990 तक। फिर आ गया 1990 से 1998 तक का आठ वर्ष का काल, इस काल में सरकारी क्षेत्र में 29 कन्या महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। जोधपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य सदा इसकी चर्चा करते रहते है, सड़कों की बात जिस दिन आएगी उस दिन बताऊंगा। लेकिन in number of colleges, शिक्षा के क्षेत्र में तिगुने से भी अधिक वृद्धि इस समय हुई है। यह तो सरकारी क्षेत्र में है किन्तु अगर प्राइवेट क्षेत्र में भी देखे तो आठ वर्ष की अवधि में सरकारी महाविद्यालयों के साथ-साथ 32 तो खुल गए और जो छह को एन.ओ.सी दी है इनमें से पांच कन्या महाविद्यालय हैं, कुल मिलाकर 37 महाविद्यालयों की स्थापना हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है कुछ आपसे भी सम्बन्धित बात है। आप राजगढ़ के माननीय विधायक हैं, मैं जानता हूं कितनी कोशिश कर रहे हैं आप।

श्री परसादीलाल मीणा : थानागाजी का भी ध्यान रखो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं अभी बता देता हूं। प्रार्थना-पत्र पड़ा है आपका विचार हो रहा है उस पर। केवल राजगढ़ नहीं है, राजगढ़, नोहर और निवाई तीनों हैं। कारण है कि एक लक्ष्य था हमारा कि हम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज प्रत्येक जिले तक ले जाए। एक योजनाबद्ध तरीका था वह पहुंचा दिया हमने। कोई भी जिला आज पोस्ट ग्रेजुएट कालेज से पीछे नहीं है। झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन भामाशाह लोगों को, उन दानी-मानी लोगों को जिन्होंने आगे बढ़कर झुन्झुनूं के क्षेत्र में इतने महाविद्यालयों का निर्माण किया है। मैं उस बात से सहमत हूं जिसकी चर्चा की गयी थी यहां गुलाबजी के सन्दर्भ में कि आप केवल राजकीय शिक्षा के मंत्री नहीं हैं। मैं मंत्री केवल राजकीय शिक्षा का नहीं हूं, सरकार के सीमित साधन हैं, सरकार कर नहीं सकती, करना सम्भव ही नहीं, करना चाहिए भी नहीं। यह तो सरकार और निजी क्षेत्र से दानी-मानी लोग, प्रवासी राजस्थानी भाई, प्रवासी भारतीय भाई कंधे से कंधा मिलाकर आएंगे तब राजस्थान के जो पिछड़ेपन का दाग हम पर लगा है उसको दूर करने में हम कामयाब हो सकेंगे। यह जो दृष्टिकोण है, मेरी तो सोच यह है कि कभी वह दिन उदय होगा जब शिक्षा के क्षेत्र में राज्य बिलकुल अलग हो जाएगा और शिक्षा प्राप्त सब

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

लोग सारा कार्यभार अपनी मुट्ठी में ले लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस सारे क्षेत्र में अगर सामान्य कम्पेरिज़न करूं तो 1952 से लेकर 1990 तक कन्या महाविद्यालयों की जो स्थापना हुई वह थी 45 और आठ वर्षों में टोटल कन्या महाविद्यालय स्थापित हुए हैं 53 और 5 टोटल 58। 40 साल और 8 साल ..

श्री रामनारायण चौधरी : इन दस सालों में लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ गयी?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वही सब बताता हूं। एक-एक बताऊंगा, फिक्र मत करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा केवल सरकार के बूते काम नहीं चलेगा। आह्वान किया हमने, इंगित किया हमने, निवेदन किया हमने, रिक्वेस्ट की हमने। एक रीति-नीति बनायी और सारे जिलों तक तो पहुंच गए हम, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हो गए हैं। किन्तु जनता को साथ आना होगा और जनता साथ आयी। किस परिणाम में आयी? हमने कहा अब एस.डी.एम. क्षेत्र तक जाना चाहते हैं। आपके माध्यम से बताऊं, कुल 68 एस.डी.एम. क्षेत्र हैं और 22 को छोड़कर आज सारे एस.डी.एम. स्थानों पर महाविद्यालयों का निर्माण किया जा चुका है। इन 22 में से 3 ऐसे हैं जो थोड़ी-सी दूर हटकर उसी एस.डी.एम. क्षेत्र में हैं। 19 केवल बचे हैं। मन की इच्छा यही है कि रीति-नीति के तौर पर एक बार जिले तक हो गए, आगे बढ़े, उप जिला खण्ड तक चले जाएं। किन्तु मैंने कहा केवल सरकार के सहारे सम्भव नहीं होगा। आपसे भी रिक्वेस्ट की। आपसे बातचीत की, परिणाम भी आ गया। व्यक्ति हाजिर हो गये, कहा हम भवन बनाएंगे, महिला कालेज है एक वर्ष का खर्चा देंगे। नोहर में व्यक्ति मिल गए, प्रार्थना-पत्र लेकर आ गए। उन्होंने कहा भवन बनाएंगे, एक साल का खर्चा देंगे। अभी-अभी निवाई के नगरपालिका के अध्यक्ष महावीरजी के माध्यम से यहां आये थे और कह रहे थे, लड़कियों का कालेज बनाना चाहते हैं। भवन बनाने का तय कर गये और एक वर्ष का खर्चा देने का तय कर गये। नगरपालिका देगी, हम पास करा लाते हैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी के यहां से वे कराने के लिए उद्यत हैं। न्याय कालेज खोलना हो नये स्थान पर तो भवन प्लस तीन वर्ष का खर्चा और कन्या महाविद्यालय खोलना हो तो भवन प्लस एक वर्ष का खर्चा। आज राजस्थान में महिला शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम, इस नाते से आगे चले जा रहे हैं। अगर यह प्रवेश महाराणा प्रताप का प्रदेश है तो भामाशाह भी यहां रहते हैं, उन भामाशाहों ने इस बात का परिचय दिया है। आज झुन्झुनूं जिला तो इससे भरा पड़ा है और कोई भी कमी नहीं है। मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से निवेदन कर रहा हूं कि मैं झोली फैलाऊंगा....

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, बार बार भामाशाहों के नाम पर, झुन्झुनूं जिले के साथ अन्याय मत कीजिये। झुन्झुनूं का जो लड़कियों का कालेज है उसमें कोई कालेज का नाम नहीं है, उसमें

(श्री शिवनाथ सिंह)

कोई सब्जेक्ट नहीं हैं, न कोई लड़कियां वहां पढ़ सकती हैं लेकिन आप एक आड़ लेकर झुंझुनूं जिले के साथ हमेशा अन्याय करते आ रहे हो। उस कालेज में कुछ है ही नहीं। कोई सब्जेक्ट नहीं हैं, साइंस नहीं है, दूसरा नहीं है। एक सब्जेक्ट लेकर बैठ गये और उसको आपने पी. जी. कालेज मान लिया। झुंझुनूं के साथ आप अन्याय कर रहे हो।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके अनुदान से आधे–आधे रुपये देकर वे वहां कालेज चलाते हैं। जो पैसे आप देते हो उसके अलावा कौड़ी खर्च नहीं करते। काहे का कालेज है वह ? कालेज है, कालेज है।

श्री टीकमचन्द कान्त : तभी तो भामाशाह कहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक बार पूरी बात तो सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्ष की अवधि में सवा सोलह करोड़ रुपये का योगदान महाविद्यालयों के निर्माण में भामाशाहों ने किया है। इतना ही नहीं, 4.33 करोड़ रुपये महाविद्यालय चलाने के लिए अपने पास से दिये हैं। आज जो उप जिला क्षेत्र हैं या और भी क्षेत्र हैं, मांग हुई। यहां पर थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग की, टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग की, पर मेरी सीमाएं तो समझेंगे आप। यह मैं बता रहा हूं कि हम को विरासत में क्या मिला और हमने रीति–नीति से आगे क्या कर लिया। क्या यह सम्भव है कि जहां कोई मांगे वहां महाविद्यालय कर दिया जाए बिना किसी सहयोग के, सहायता के ? हां, इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसा नहीं है। दानदाता जहां आएंगे, आएंगे। यहां जनजाति क्षेत्र के बंधु बैठे हैं, उन्होंने मांग की थी खेरवाड़ा के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उनको भी भौतिक लक्ष्य बताना चाहता हूं। 40 साला राज में केवल तीन महा माध्यमिक बने थे जनजाति क्षेत्र में–एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़। हमको तो 8 साल का समय मिला, इसमें पांच महाविद्यालय की स्थापना जनजाति क्षेत्र में की है। ये हैं–सांगवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर (कन्या), बांसवाड़ा (कन्या), और कुशलगढ़ केवल इतनी ही बात नहीं है मैं तो ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा भी करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में केवल एक था। पैसे नहीं देते वो, दे भी नहीं सकते, कमजोर हैं लेकिन सरकार आगे आयी और कंधे से कंधा मिलाकर इन 8 वर्षों में 7 महाविद्यालयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी नाते से कोशिश है।

नये विषयों का सवाल आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई कोंट्राडिक्ट करे। उस आंकड़े को। जिस महाविद्यालय कि चर्चा की आपने, मैंने माननीय उपमुख्य मंत्रीजी से चर्चा की है, झुंझुनूं के कन्या महाविद्यालय में सब्जेक्ट्स भी दूंगा और 90 प्रतिशत अनुदान भी दूंगा। यह तय कर दिया मैंने। पीछे नहीं हूं किसी बात से। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : वो नहीं लेना चाहते सब्जेक्ट्स, वो आपसे अनुदान नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

लेना चाहते । वो अपनी दुकान चला रहे हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, नहीं वो दुकान है क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : और आप उस दुकान के माध्यम से झुंझुनूं जिले की लड़कियों के साथ में अन्याय कर रहे हैं । कोई सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते आपसे वो, न कोई अनुदान लेना चाहते हैं आप से ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्षमा करिये, उस कन्या महाविद्यालय में दो बार जाने का मौका मिला है मुझे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पांच वर्षों में बोले नहीं ।

श्री शिवनाथ सिंह : पांच वर्षों में बोलने का समय था बोल लिये । अब बोल रहे हैं, आप अब निहाल कर दो अगर कुछ करना चाहो तो ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कर रहे हैं न ।

श्री शिवनाथ सिंह : क्या कर रहे हो?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, नये विषयों की दृष्टि से, इन 8 वर्षों में 87 नये सब्जेक्ट्स दिये गये हैं और वर्तमान बजट में भी 15 नये विषयों का प्रावधान किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं छात्र प्रवेश की सीमा की बात करूं, माननीय सदस्य बोल रहे थे । 1990–91 में राजस्थान में एक लाख चौतीस हजार छात्रों का नामांकन हुआ था, 1997–98 में बढ़कर दो लाख तेईस हजार हो गया है, जस्ट डबल । इससे भी अधिक संतोषप्रद बात यह है, मन की एक ही इच्छा है कि कोई इच्छुक बालक

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसके साथ जोड़ दो न कि इतने बच्चे बढ़े हैं प्रवेश में । वह भी जोड़ दो इसके साथ । (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में आने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शनैः शनैः निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी को भी यह कहने का मौका नहीं मिले कि मेरे मन की इच्छा थी, मुझे प्रवेश नहीं मिला ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सैक्शंस का सवाल आया । आपको ध्यान होगा, 80–80 लड़के पढ़ते थे । यह गुणात्मक दृष्टि से ठीक नहीं था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, अध्यापक और विद्यार्थी का सम्पर्क ठीक नहीं रहता था । 60 विद्यार्थियों को एक कक्षा में करने का तय किया । जब तय किया तो निश्चित रूप से वर्ग बढ़ाने की आवश्यकता हुई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 281 नये सेक्शंस की स्थापना एग्जिस्टिंग कालेजेज में हमने इस नाते से करने की कोशिश की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ गुणात्मक दृष्टि से चर्चा करना चाहूंगा, सत्र की नियमितता, सत्र का नियमितीकरण । पिछली बार तत्कालीन प्रधान मंत्री ने सारे प्रदेशों के माननीय शिक्षा मंत्रियों को बुलाया था, चर्चा की थी । जब राजस्थान कैलेंडर की चर्चा हुई

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

तो प्रवेश का समय निश्चित, फार्म भरने का समय निश्चित, परीक्षा का समय निश्चित और यहां तक कि छात्रों के चुनावों की तिथि निश्चित। मोस्ट एप्रीसिएबल छात्र नियमितीकरण करके बता दिया। इतना ही नहीं ...

श्री रामनारायण चोधरी : अभी तो परीक्षा ही नहीं हुई। यूनिवर्सिटी की परीक्षा ही बाकी है।

श्री सांवरलाल जाट : चलती रहती हैं बहुत लम्बा-चौड़ा कारखाना है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, एडहाकिज्म। बड़ा असंतोष था शिक्षकों में, क्या करें क्या न करें। 1980 से 1990 के काल में 49 स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों को पदोन्नति मिली थी किन्तु इन आठ वर्षों में 161 तो पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के और 205 डिग्री कालेज के प्राचार्यों को प्रमोशंस के चांसेज दिये गये हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक मिनट का समय दें तो मैं निवेदन करूं, आप+++कर रहे हैं, भाखड़ा नांगल किसने बनाया था ? इंदिरा गांधी नहर किसने बनायी थी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कहां आ गया इंदिरा गांधी ? शिक्षा की बात हो रही है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंग कैनाल किसने बनायी थी ? ये आपने बनाये थे क्या सारे ? आठ साल की+++कर रहे हैं और 40 साल में जो विकास हुआ वह भूल गये ? (व्यवधान)

श्री टीकमचंद कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पूछिये यह हिन्दुस्तान किसने बनाया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप गणना को लेगें तो 1980 से लेकर 1990 के बीच में उपाचार्यों के केवल 89 प्रमोशंस हुए थे और इस समय 441 उपाचार्य प्रमोशंस करके बनाये गये हैं। 1000 नये लैक्चरर्स की नियुक्ति इस सारे समय में दी गयी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, ये+++हैं, सारा परिणाम हम कांग्रेसियों को आगे भोगना पड़ेगा। हमारी जब सरकार आएगी तो सारा बजट हम पर आएगा। हम को होगा यह सारा नुकसान तो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज कुछ ऐसे विषय है–हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, भूगोल जिनमें जितने प्राध्यापक चाहते हैं आर. पी. एस. सी. में उतने प्राध्यापक उस कैटेगरी के मिलना सम्भव नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, गुणात्मक दृष्टि से जहां मैंने चर्चा की सत्र के नियमितीकरण की, जहां मैंने चर्चा की एडहाकिज्म समाप्ति की वहीं मैं चर्चा करना चाहता हूं उपस्थिति की अनिवार्यता की। पहले कहा जाता था कि अध्यापक कक्षाओं में नहीं आते, लड़के

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पढ़ते नहीं लेकिन पिछले वर्षों में हालात बदल गये हैं। तीव्र राजनीतिक इच्छा, उसका पालन कराने के लिए शनैः शनैः लगातार प्रयत्न, उसी के कारण यह सब सम्भव हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सारे उपकरण उपस्थित करने की दृष्टि अलवर, कोटा, बीकानेर और भीलवाड़ा स्थित महाविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना बन गयी है और इस वर्ष में इसको क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्वालिटी के नाते एक चर्चा की जाती है....

श्री रामस्वरूप मीणा : इतनी बड़ाई कर रहे हो, कोटा में क्यों हार गयी बी. जे. पी. ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक चर्चा थी यहां कि....(व्यवधान) जवानों को, युवकों को इस तरुणाई के केवल मात्र प्रसन्न करने से काम नहीं चलता। कुछ लोग सारे वातावरण को विषाक्त कर देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पाजीटिव रूप से इस तरुणाई का उपयोग किया जाए, उसको ठीक दशा दी जाए। एन.एस.एस. एन.सी.सी., स्काउटिंग और खेल के मैदान इस दृष्टि से पिछले किये गये प्रयत्नों में अगर आप एन. एस. एस. को देखेंगे.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, जरा मिठास से बोलिये। इतनी बढ़िया बात आप बोल रहे हो और बोल इस तरह रहे हो कि डांट रहे हो। सीसा मत घोलिए कान में। मिश्री की तरह मिठास रखिए।

श्री परसादीलाल मीणा : ये इतना++ +क्यों कर रहे हो बेकार में? यह पब्लिक मीटिंग नहीं है। आप धीरे बोलिये तब भी सुन लेंगे हम तो।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या फायदा हो रहा है। जनता चुनकर भेजती है सब समझते हैं, ढंग से बात करो।

श्री राजेन्द्र पारीक : तीन-तीन घण्टे तक इस तरह कान में सीसा डलवाते रहेंगे तो, माननीय मंत्री महोदय, फिर बाकी क्या रह जाएगा। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : इस बुढ़ापे में आपको जवानी आ रही है।

श्री शंकरलाल अहारी : एक प्रश्न पूछना है, साहब। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बन्द करो ये भाषण। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप भाषण गम्भीर रूप से कर रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : छाती पर बैठकर कोई (व्यवधान) अभी मालूम पड़ेगा आपको (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्री महोदय, आप तो गांवों में कालेज खोलने की घोषणा करो।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : पढ़ा हुआ मान लें, साहब। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कालेज की जरूरत नहीं है, जेल की जरूरत है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आई.टी.आई. नहीं खोलते हैं, कालेज खोल देते हैं। क्या करते हैं आप ?

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय मंत्री महोदय, ...

श्री टीकमचन्द कान्त : अब तक शेर बने घूम रहे थे, अब देखो। (व्यवधान) पता चल जाएगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सब जनता जानती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारे बिन्दुओं का उत्तर दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप कायदे से बोलो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बोलने तो दो। विराजिये।

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय मंत्री महोदय, आपने पिछले बजट सत्र में यह फर्माया था कि डूंगरपुर जिले के (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पहले पूरी बात हो तो जाने दो, फिर दूंगा यह जवाब। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह रामपुरा तो नहीं है ? पब्लिक मीटिंग नहीं है, पब्लिक मीटिंग की तरह मत बोलो। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में आपने डिग्री कालेज खोलने के लिए कहा था पिछले बजट सत्र में ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा करना।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय सदस्य, आपकी बात को सुन लिया गया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : ये कुछ लोग तो मजबूरी में ताली बजा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : आप लोगों को ईर्ष्या हो रही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था आपसे राष्ट्रीय सेवा योजना की। 1996–97 में 55 हजार स्वयं सेवक थे, 1997–98 में बढ़कर 70 हजार हो गये और 1998–99 में 82,500 प्रस्तावित हैं। यह वह जवानी है, यह वह तरुणाई है जिसको विकास कार्य में, सुधार कार्य में ठीक दिशा देने की दृष्टि से एक अभिनव प्रयत्न राजस्थान की धरती पर किया गया है। उसका परिणाम हुआ कि राजस्थान देश में एन.एस.एस. की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है। राजस्थान देश का एक मात्र राज्य है जिसके द्वारा 6 माई

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

न्यूज लैटर.... (व्यवधान) नहीं, उनके ग्र. करना पड़ता है।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारी तरफ भी देख लिया करो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का नियमित प्रकाशन, आठ अंक निकाले जा चुके हैं। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और 280 सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में योजना गतिशील है। महाराणा प्रताप, सुभाष चन्द बोस परिसर विकास और स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ पर स्वयं सेवकों के लिए राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गयी है, लेखों का प्रकाशन किया गया है। प्रदेश में कार्यरत वर्तमान 700 इकाइयों द्वारा कच्ची बस्ती/गांव गोद लेकर उनके शीघ्र विकास की योजनाओं से जोड़ा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि केवल मात्र संख्यात्मक दृष्टि से नहीं गुणात्मक दृष्टि से भी राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयत्न किये गये।

थोड़ी-सी बात मैं तकनीकी विषय के बारे में आपके माध्यम से करना चाहता हूं। पोकरण के परमाणु विस्फोट के समय पूज्य प्रधान मंत्री ने नारा दिया कि जय जवान, जय किसान, और जय विज्ञान। ठीक कहा था। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसी बात को लेकर काम किया गया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : जय जवान, जय किसान के साथ-साथ+++

श्री रतनलाल ताम्बी : +++

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूं कि 1990 से पहले 53 आई.टी. आई थे और 53 और बन गये 1990-98 के पीरियड में। 40 साल और 8 साल बराबर-बराबर। इस बार के बजट में पांच का प्रावधान और....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, जय जवान, जय किसान, के साल राज्यपाल महोदय की....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 53 और 5, 58। भौतिक लक्ष्यों की दृष्टि से आपके कहने के नाते एक दीर्घकालीन योजना बनायी गयी थी कि कोई संभाग ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें इंजीनियरिंग महाविद्यालय नहीं हो। यह तो राजस्थान सरकार की प्रबल राजनीतिक इच्छा है जिसका परिणाम प्रकट हो गया। बन गया उदयपुर में, बन गया अजमेर में। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की कि नहीं पोलीटैक्निक चाहिए। चलता रहा। बीकानेर के इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करके इस लक्ष्य की भी पूर्ति कर ली गयी है। अभी वर्तमान वर्ष में हमारे बढ़ते हुए कदम अगर आप लेंगे तो 1990 में जहां इन इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश में क्षमता 1248 थी वह बढ़कर लगभग 1600 हो गयी है। इसी प्रकार कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में 20 छात्र आते थे, आज 130 छात्र इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश ले रहे हैं।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

यहां तक कि एम.आर.ई.सी. में तो डिजायन सेन्टर बन गया एक्सीलेंस के नाते और आज एम. आर ई. सी. की देश के सारे इंजीनियरिंग कालेजों में शैक्षणिकता के नाते वाहवाही हो रही है। केन्द्र सरकार विचार कर रही है और कभी टैक्नोलाजिकल इंजीनियरिंग रीडरशिप में प्रस्तावित करने का मौका दिया जाए तो एम.आर. ई. सी. का नम्बर उसमें आ सकता है। पोलीटैक्निक के नाते मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता किन्तु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को, अभी थोड़े समय में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में उनके यहां पोलीटैक्निक महाविद्यालय के भवन बनने का काम प्रारम्भ हो जाएगा। 12 नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है। उसी प्रकार महिला पोलिटैक्निक, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उनकी संख्या 180 से बढ़कर 480 हो गयी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ये भौतिक लक्ष्य बता रहा हूं मैं, कोई और दूसरी चर्चा नहीं कर रहा। आई. टी. आई. का जहां तक सवाल है, मैं आपके माध्यम से वही बात कहना चाहता हूं जिसकी चर्चा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रातःकाल की थी। इस बार बजट में कोई नया विषय नहीं है इसलिए मैं उनको बहुत अधिक प्रोत्साहित नहीं कर सकूंगा। किन्तु अगर मैं कहना चाहूं तो आई. टी. आई. में आठ वर्षों में लड़कों की क्षमता बढ़कर 4808 से 10,152 हो गयी है, 2.5 टाइम्स। 38 करोड़ रुपये की राशि लगी, 57 भवनों का निर्माण हो गया है।

श्री भीमसिंह चौधरी : बीकानेर में आई.टी.आई. की सीट बढ़ा दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बन गये वो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग आगे आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जसवन्तगढ़ में एक करोड़ रुपये की लागत देकर वहां के किसी भामाशाह ने सहभागिता योजना में आई टी.आई. भवन बनाया। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी दे दे रहे हैं। एक दिशा बनायी है राजस्थान के भामाशाहों के लिए और उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से यह प्रयत्न किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं यह कहा जाएगा राजनीतिक रूप से कि झुंझुनूं में कहां खोल रहे हैं। झुंझुनूं और राजसमन्द में आई.टी.आई नहीं हैं, ये दो जिले बचे हैं। पांच आई. टी. आई. मुझे देने हैं तो पहले दो आई. टी. आई. झुंझुनूं और राजसमन्द को दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरी जगहों की बात की जाएगी। हमारे जेल मंत्री से प्रभावित होकर कल एक आई. टी. आई. तो मैंने उनको दे दिया है, इस प्रकार तीन हो गये। दो और हैं जिन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा, और आगे बढ़ने की दृष्टि से विचार किया जाएगा। (व्यवधान) अभी तो 10,152 की जो संख्या है, आगामी योजना जो

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बनानी है उसमें इस संख्या को बढ़ाकर हम 15 हजार तक पहुंचाना चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमने क्या बुरा किया था आपका ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर ही प्रभावित हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक चर्चा आयी थी। कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : जहाजपुर का नाम याद नहीं आ रहा क्या आपको ?

श्री भीमसिंह चौधरी : मेरा निवेदन है कि आई.टी.आई. बीकानेर में सीटें तो कम से कम बढ़ा दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज प्रातःकाल जिक्र किया था और आपने भी उसमें अपनी कुछ समस्या को जोड़ दिया। मैं उसके बारे में स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रश्न यह था हमारा कि जब हम आये —सरकार में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र मिला मुझे—उस समय विरासत में क्या मिला ? सारे एस.सी.बी.टी. के कोर्सेज। स्टेट काउन्सिल कारपोरेशन चलाते थे। अन्तर तो नहीं है दोनों में, एस.सी बी. टी. और एन. सी.बी.टी. में किन्तु नौकरी आज केवल एन.सी.बी.टी. वालों को मिलती है। उससे बड़ी समस्या आयी। वर्तमान सरकार ने आने के बाद निश्चय किया कि अब कोई एस.सी.बी.टी. का कोर्स नहीं होगा और एस.सी.बी.टी. के कोर्सेज को धीरे-धीरे एन. सी.बी.टी. में परिवर्तन करेंगे। 121 कोर्सेज में से 81 कोर्सेज तो परिवर्तित कर दिये, बाकी रहे चालीस। उसकी समस्या है, उसका जिक्र आपने अभी किया। मैं उसी दृष्टि से अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। दो सम्मानित सदस्यों ने यह प्रकरण उठाया है कि राजाखेड़ा और राजगढ़ में दिनांक 21-8-98 से प्रारम्भ होने वाली एन. सी. बी. टी. की परीक्षा में छात्रों को अनुमति नहीं दिये जाने से छात्रों में असन्तोष व्याप्त है। मैं इस सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में दीर्घकाल तक यह नीति बनी रही। कहां शुरू हुई, किस समय शुरू हुई थी उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। आई. टी. आई. में एस. सी. बी. टी. के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाए, इस प्रश्न पर हमने 1994 में जब मैं मंत्री बना, बहुत गम्भीरता से विचार किया और यह सुनिश्चित किया कि जितने भी पुराने यूनिट एस. सी. बी. टी. के अन्तर्गत चल रहे हैं, प्रावधान करके उन्हें एन. सी बी. टी. के अन्तर्गत चल रहे हैं, प्रावधान करके उन्हें एन. सी. बी. टी. के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया जाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी संस्थान में कोई भी यूनिट एस. सी. बी. टी. के अन्तर्गत नहीं खोली जाएगी। इस निश्चय के फलस्वरूप प्रत्येक आई. टी. आई. को भवन एवं उपकरणों के लिये पर्याप्त प्रावधान देने का प्रयास किया जाता है और जब वह मिल जाता है तभी वह कोर्स एन. सी. बी. टी. का कहलाता है ताकि वहां की चलने वाली यूनिट को सरलता से एन. सी. बी. टी. में परिवर्तित कर दिया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : मामला क्या है? मेरे समझ नहीं आ रहा, मामला क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप समझने की कोशिश कीजिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है । आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं ? आप विराजें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, समझिये आप । पारीक साहब, विराजें ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप विराजो, उनका विषय है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं विद्यार्थी बन हाऊस में, पढ़ाई लेने में बुराई क्या है ? बताइये तो सही है क्या ? मुझे भी बताइये कि क्या है ? मैं भी माननीय सदस्य हूं मुझे भी बताइये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं, आपको ही बता रहा हूं । कुछ बुद्धि लगाइये अगर हो तो ।

श्री राजेन्द्र पारीक : बुद्धि नहीं है इसीलिये तो आपसे ले रहा हूं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 1994 में यह निर्णय लिया और 121 यूनिट जो एस.सी.बी.टी. के अन्तर्गत चल रहे हैं, तीन चार वर्षों के फलस्वरूप उनमें से 81 यूनिट एन.सी.बी टी. में परिवर्तित कर दिये गये । प्रयासरत हैं । एन.सी.बी टी. द्वारा मान्यता देने की सुनिश्चित प्रक्रिया हैं- संस्था का निरीक्षण किया जाता है और यह निश्चय किया जाता है । यह हमारे अधिकार में नहीं है, यह वहां के अधिकार में है कि संस्थान में भवन, उपकरण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार हों और शिक्षण हेतु समुचित व्यवस्था की जाए । मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा । एन.सी.बी.टी. द्वारा तब तक निरीक्षण नहीं किया जा सकता जब तक कि संस्थान में छात्र नहीं पढ़ रहे हों, छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता । निरीक्षण हेतु निवेदन किये जाने पर वे निरीक्षण के लिये तैयार नहीं होते यदि उन्हें छात्रों की प्रशिक्षण व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी दिखाई देती है तो अनुमोदन नहीं होता है । इन्होंने भरतपुर, नागौर और बाड़मेर में कार्यरत क्रमशः एक–एक, दो यूनिट के लिए आपत्तियां करते हुए अनुमति दे दी और राजगढ़, राजाखेड़ा और जसवन्तगढ़ की क्रमशः तीन–दो चार यूनिट को अगस्त, 1998 से दी है । इस बार परीक्षा उनकी एस.सी.बी.टी. होगी एक महीने के बाद । कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । इसीलिये जैसा कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि विद्यार्थी आकर रो रहे थे, तो उनको आप भी समझाइये, मैं भी सदन के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपने विचार जो अनुदान की मांगें मेरे हिस्से में आती हैं उसमें सम्मिलित करते हुए आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पास किया जाए । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने वायदा किया है दो सवाल करने का ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृत शिक्षा के बारे में एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज साधारण भारतीय विद्यार्थी को यह मालूम नहीं है कि संस्कृत संसार की भाषाओं की जननी है, आधुनिक विज्ञान और टैक्नोलोजी की जननी है, आधुनिक जो आयुर्विज्ञान है उसकी जननी है। कम्प्यूटर वगैरह जो जीरो उस पर चलते है उसकी जननी है--ज्योमैट्री, एलजेब्रा, मैथेमेटिक्स ये सभी जितने हैं इनकी। लेकिन संस्कृत को इतना ही समझते हैं हमारे विद्यार्थी क्योंकि पाठ्यक्रम में इसका कोई जिक्र नहीं है। यह तो ठीक है मरने के अवसर पर पूजा-पाठ में, शादी-ब्याह में काम आने वाली भाषा है। तो कम से कम एक पाठ तो पाठ्य पुस्तकों में हो कि इसने योग दिया, इसने शून्य दिया, इसने दिव्य दृष्टि दौड़ाई, टी.बी. दी। ये सब कल्पनाएं इसमें आयी हैं। इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है इसलिये आकर्षण ही नहीं बढ़ा। इस भाषा का क्या कुछ करेंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो विषय माननीय सदस्य ने रखा है; थोड़ी चर्चा तो माननीय गुलाब जी करेंगे किन्तु एक बड़ा प्रश्न सारी बहस में आया था वह यह आया था कि हमारे माध्यम से क्या हों। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी विषयों में माध्यम हिन्दी कर दिया है। अब तो आयुर्विज्ञान यानि मेडिकल, अभियांत्रिकी यानि इंजीनियरिंग, प्रबन्धन यानि मैनेजमेंट इन तीनों की पुस्तकें भी हिन्दी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से लिखवानी प्रारम्भ कर दी गयी हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने निवेदन किया है, कोशिश कर रहे हैं कि प्रथम वर्ष में अब विद्यार्थियों को अनुमति दें कि दोनों में से कोई भी माध्यम चुनकर प्रयोग करें। यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको पूछ लेने दीजिये। वे पूछ रहे हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय अध्यक्ष जी, आपने यह फर्माया था कि डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील में डिग्री कालेज खोलेंगे। आपने सागवाड़ा की घोषणा कर दी थी तो हमने स्वीकार कर लिया था। मैं आशा करता हूं कि डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील में डिग्री कालेज की आवश्यकता है, आप खोलेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एस.डी.एम. सागवाड़ा था। सागवाड़ा की घोषणा की गयी थी। उसी को किया गया है पिछले वर्ष, सीमलवाड़ा के बारे में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बता दें मेरी प्रोसीडिंग में तो मैं उनकी बात मान लूंगा और उस पर अवश्य विचार करूंगा।

श्री शंकरलाल अहारी : मैं प्रोसीडिंग में बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजे।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप लूणकरणसर में आई.टी.आई. तो नहीं खोल सकते लेकिन बीकानेर शहर में आई.टी.आई. की सीटें तो बढ़ा सकते हैं। आई.टी.आई. की सीटें तो बढ़ा दें बीकानेर शहर में कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया उन्होंने ।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रगति विवरण माननीय कटारिया जी ने हमको दिया है—मध्याह्न भोजन पोषाहार का कार्यक्रम । माननीय कटारिया जी, आपने लिखा है कि हम छात्रों को ठहराव के लिये भारत सरकार की ओर से मध्याह्न का भोजन उपलब्ध कराएं । मेरे ख्याल से राजस्थान में कहीं भी आप भोजन नहीं दे रहे हैं । आप उनको केवल गेहूं दे रहे हैं जो बच्चे जाकर मार्केट में बेच देते हैं, आप भोजन नहीं दे रहे हैं । या तो आपको इस योजना को लागू करना है तो ठीक ढंग से करिये कि बच्चों को भोजन ही दोपहर का स्कूलों में मिले । नहीं तो आप मेहरबानी करके इस योजना को बन्द कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारा अनुभव यह है कि यदि विद्यालय में भोजन बनाकर दिया जाएगा तो विद्यालय का अधिकांश समय भोजन बनाने और उसी में खतम हो जाएगा । पहले हमने कई प्रयोग कर लिये और इस बात को ध्यान में रखकर कि पढ़ाई में किसी प्रकार विघ्न न पड़े, हमने इस पद्धति को लागू किया । नहीं तो सामान बनाने और करने में ही विद्यालय चलता रहेगा और कुछ पढ़ाई नहीं होगी ।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय कटारिया जी, सारे बच्चे बाजार में गेहूं बेच देते हैं । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : चार घण्टे से यहां बैठे हुए हैं .. (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल हैं । मैंने आपसे अनुरोध किया, आपने वायदा किया था । दो सवाल पूछने हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें ।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक-दो रचनात्मक सवाल है जो सारे राजस्थान के हित से जुड़े हुए हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें । मांग संख्या 24.... (व्यवधान) कृपया विराजें, माननीय सदस्य । अब विराज जाएं । (व्यवधान) एक-एक का अन्त नहीं है । अन्त नहीं है ।

मांग संख्या 24 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,43,76,77,000 (अट्ठाइस अरब तियालिस करोड़ छिहत्तर लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रस्तुत राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी ।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 20 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 20.42 बजे सोमवार, 20 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 64 की सूची) प्रपत्र 'अ'

वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में पंचायत समिति महुआ जिला दौसा के विद्युतीकृत ग्रामों का विवरण

वर्ष 1996–97

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकृत दिनांक
1.	हाडोली	8/10/2	1/97
2.	पीपली पाड़ा	79	2/97
3.	मोण्ड ब्राह्मण	126	10/96
4.	खानपुर	127	1/97
5.	तेहड़ा	134	3/97

वर्ष 1997–98

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकृत दिनांक
1.	गोहण्डी गुर्जर	129	7/97
2.	मंगर खां कै.एच.ए.	62	9/97
3.	नांगलमेव	4	9/97
4.	रींगसपुरा	6	9/97
5.	पीलवा	34	9/97
6.	सिकन्दरपुर	146	11/97
7.	दौलतपुरा	5	12/97
8.	सारंगपुरा	59	2/98
9.	इसरपुरा	3	2/98
10.	सुलतानपुरा	142	2/98
11.	दबलापुरा (गैर आबाद)	31	3/98

247

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

प्रश्न संख्या–67

(स्थगित)

मासलपुर (करौली) उप-तहसील का क्रमोन्नयन

68. **श्री हंसराम गुर्जर** (करौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार जिला करौली की सबसे पुरानी उप तहसील मासलपुर को तहसील का दर्जा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र चौहटन के स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पद

69. **श्री भगवानदास** (चौहटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौहटन में उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों की सूची उप स्वास्थ्य केन्द्रवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र पदों के रिक्त रहने के कारण बंद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । विधान सभा क्षेत्र चौहटन में 5 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर निम्नानुसार प्रसाविकाओं के पद रिक्त हैं ।

क्र.सं.	उप केन्द्र का नाम	रिक्त पद का विवरण	
1.	समेलों का तला	प्रसाविका	एक
2	मलगांव	–यथा–	"
3.	काकराड़	–यथा–	"
4.	चिचड़ासर	–यथा–	"
5.	गिड़ा	–यथा–	"

(2) जी, नहीं । उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम. पी. डब्ल्यू. का पदस्थापन कर दिया गया है । प्रसाविकाओं के रिक्त पदों पर प्रशिक्षित आशार्थियों का चयन कर पदस्थापन किये जाने की प्रक्रिया जारी है ।

पीथास–घोड़ास (भीलवाड़ा) सम्पर्क सड़क का निर्माण

70. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम पीथास से घोड़ास के बीच लिंक रोड बनाकर इसे सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है ? क्या कोठारी नदी पर काजवे बनाने के प्रस्ताव नाबार्ड योजना के

(श्री कालूलाल गूजर)

तहत स्वीकृत कराने हेतु भेजे गये हैं ? यदि हाँ, तो ये प्रस्ताव कब भेजे थे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) जी, हां । उपरोक्त कार्य की स्वीकृति संसाधनों की उपलब्धता को मध्य नजर रखते हुये प्रथमिकता पर किये जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर के पूर्व अध्यक्षों के विरुद्ध जांच

71. श्री अंतराम (मालपुरा) : क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 से 87 तक नगर सुधार न्यास जोधपुर में रहे पूर्व अध्यक्षों के विरुद्ध लोकायुक्त व राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी ?

(2) सरकार ने उक्त जांच में किस-किस को दोषी माना ? क्या सरकार ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे दी है ?

(3) न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के आदेश होने के बाद भी अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं करने के क्या कारण हैं? अब कब पेश कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां । तत्कालीन न्यास अध्यक्ष श्री मानसिंह देवड़ा के विरुद्ध लोकायुक्त द्वारा जांच की गई थी । माननीय लोकायुक्त की जांच पर रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई ।

(2) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रकरण संख्या 43/90 में श्री नरपतराम बरबड़, भूतपूर्व विधायक, मानसिंह देवड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष यू.आई.टी. जोधपुर, कुलदीप शर्मा, आर.ए.एस. तत्कालीन सचिव व श्री देवीलाल भाकर अधिशाषी अभियन्ता, यू.आई.टी., जोधपुर को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया । इनमें से श्री नरपतराम बरबड की मृत्यु हो चुकी है । श्री कुलदीप शर्मा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अभियोजन स्वीकृति हेतु कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार को लिखा गया तथा कार्मिक विभाग के पत्र संख्या पं. 2 (91) कार्मिक/क-3/94 दिनांक 25.11.95 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति देने से इन्कार किया गया तथा विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया । विभागीय जांच में भी राज्य सरकार द्वारा श्री कुलदीप शर्मा को दोषमुक्त किया जा चुका है ।

श्री देवीलाल भाकर के विरुद्ध भी अभियोजन स्वीकृति उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. (73) निविप्रा/2/82 दिनांक 24.5.96 द्वारा अस्वीकृत की जा चुकी है परन्तु श्री देवीलाल भाकर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति देने हेतु पुनः विचार करने के

(मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री)

लिए राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 20.7.96 को लिखा गया। राज्य अन्वेषण ब्यूरो के दिनांक 20.7.96 के पत्र प्राप्त होने पर श्री देवीलाल भाकर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बिन्दु पर पुनर्विचार हेतु न्यास जोधपुर से जानकारी मांगी जा रही है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई। न्यास जोधपुर से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाकर अन्वेषण ब्यूरो को सूचित किया जावेगा।

(3) आरोपितों में से श्री नरपतराम बरवड़, भूतपूर्व विधायक की मृत्यु हो चुकी है तथा श्री कुलदीप शर्मा, तत्कालीन सचिव यू.आई.टी. जोधपुर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी तथा राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसमें राज्य सरकार ने दोषमुक्त किया गया है श्री देवीलाल भाकर, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, जोधपुर के विरुद्ध भी उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अभियोजन स्वीकृति योग्य मामला नहीं माना और दिनांक 24.5.96 को अभियोजन स्वीकृति की मनाही की सूचना ब्यूरो को दी गई। ब्यूरो द्वारा पुनः विचार हेतु उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, को दिनांक 20.7.96 को निवेदन किया गया है। राज्य अन्वेषण ब्यूरो के दिनांक 20.7.96 के पत्र प्राप्त होने पर श्री देवीलाल भाकर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बिन्दु पर पुनर्विचार हेतु न्यास जोधपुर से जानकारी मांगी जा रही है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। न्यास जोधपुर से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाकर अन्वेषण ब्यूरो को सूचित किया जावेगा। न्यास अध्यक्ष श्री मानसिंह देवड़ा के विरुद्ध अभी न्यायालय में चालान पेश नहीं किया जा सका है।

इंदिरा गांधी नहर से जोधपुर को जलापूर्ति प्रकरण

72. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट द्वारा जोधपुर पानी लाने में आंधी द्वारा व्यवधान पैदा होगा? यदि हां, तो उसके निराकरण के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

(2) क्या इस योजना के लिए कैप्टिव प्लान्ट की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। मुख्य नहर के मध्य पम्पिंग स्टेशन संख्या 5 के पास 132 के वी. जी. एस. एस. स्थापित किया गया है और आठों स्टेशन पर 33 के. वी. सब स्टेशन को 132 के. वी. पावर लाइन टावर के माध्यम से जोड़ा गया है जिस पर आंधी का अब तक कोई प्रभाव नहीं पाया गया है।

प्रश्न संख्या–73

(स्थगित)

250

जिला बांसवाड़ा में कांस्टेबलों की नियुक्ति

74. श्री पूंजालाल (बागीडोरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हेतु वर्ष 1997 में विज्ञप्ति जारी की गई थी ? यदि हां, तो कितने रिक्त पदों के लिये ?

(2) क्या रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापित पदों के अनुरूप मेरिट सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मेरिट सूची के अनुसार चयनित आशार्थियों को नियुक्ति दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार मेरिट में चयनित सभी आशार्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। 78 स्पष्ट रिक्त पद एवं 14 सम्भावित रिक्त पदों के लिये।

(2) जी, हां। चयन सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) मेरिट सूची के 60 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमानुसार प्रदत्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) चयन सूची के शेष चयनित अभ्यर्थियों में से उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने निर्धारित मापदण्डों में बिना किसी प्रकार की छूट प्राप्त किये स्थान प्राप्त किया है, उन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7(2) डीओपी/ए–11/96 दिनांक 17-6-96 के अनुरूप नियुक्ति दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। शेष अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाले रिक्त पदों के विरुद्ध रोस्टर बिन्दु के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है, परन्तु यह कार्यवाही अगली चयन प्रक्रिया से पूर्व ही सम्पन्न होगी।

चयन सूची कानि० (मेरिट के आधार पर) जिला बांसवाड़ा

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी/पिता का नाम
1	2	3
1.	360	श्री बापुलाल/कमजी पारगी
2.	294	,, देवीलाल/धुलजी निनामा
3.	411	,, मगनलाल/नाथुजी पारगी
4.	814	,, लेखाराम/गरीबाराम
5.	157	,, मांगीलाल/लोमजी गरासिया
6.	389	,, राजेन्द्रकुमार/नगेन्द्रकुमार निनामा
7,	207	,, मूलसिंह/तेरसिंह मुनिया

1	2	3
8.	254	श्री मानशंकर/पुंजीयाजी कटारा
9.	269	,, मांगीलाल/दलसिंह चरपोटा
10.	286	,, बालकृष्ण/पुंजाजी मईड़ा
11.	685	,, विट्ठलदत/माधवजी पाटीदार
12.	599	,, रामपाल/हरफुलसिंह यादव
13.	159	,, बापुलाल/कलजी डामोर
14.	268	,, खुमसन/हड़िया कटारा
15.	402	,, पवनकुमार/देवीलाल निनामा
16.	284	,, रमणलाल/देवाजी भील
17.	302	,, खेमचन्द्र/हीराजी राठोड़
18.	711	,, लोकेन्द्रसिंह/लक्ष्मणसिंह शक्तावत
19.	202	,, अश्विनकुमार/नरेन्द्रकुमार गरासिया
20.	235	,, प्रकाशचन्द्र/वागजी डामोर
21.	410	,, सरदारसिंह/खातरा पटेल
22.	300	,, मोतीसिंह/कल्लु मईड़ा
23.	322	,, सुरजमल/जगु अहारी
24.	158	,, गरवरसिंह/वालु आदिवासी
25.	403	,, बदामीलाल/कलजी डामोर
26.	331	,, भरतकुमार/नवलकिशोर निनामा
27.	336	,, राजमल/हीरालाल बामनिया
28.	316	,, रामलाल/जोखा मसार
29.	478	,, सज्जनसिंह/भरतलाल मीणा
30.	849	सुश्री रश्मिकुमारी/टिटाजी गरासिया
31.	22	श्री बजरंगलाल/रामचन्द्र
32.	171	,, वेलजी/लालु निनामा
33.	172	,, कांतिलाल/खलिया मगोरा
34.	370	,, बापुलाल/रावजी पारगी
35.	330	,, कांतिलाल/लालुजी चनाना
36.	850	सुश्री बसन्तीकुमारी/हड़िया डामोर
37.	747	श्री दिनेशचन्द्र/रूपेग पाटीदार
38.	103	,, गटुलाल/रतनलाल यादव
39.	121	,, मांगीलाल/खेमा यादव
40.	175	,, सोहनलाल/टिटाजी राणा
41.	221	,, मानसिंह/विमलकुमार गरासिया

1	2	3
42.	231	श्री विक्रमसिंह/रामाजी डामोर
43.	414	,, भरतसिंह/मानसिंग देवड़ा
44.	630	,, हेमेन्द्रसिंह/गजराजसिंह झाला
45.	160	,, गटुलाल/जीवनाजी डामोर
46.	205	,, सोहनलाल/लाड़जी पारगी
47.	236	,, जीतमल/हीराजी मसार
48.	376	,, जोशी/लालु डोडियार
49.	449	,, रमणलाल/हरिराम खाट
50.	344	,, गणेशलाल/कालुराम मसार
51.	293	,, शंकरलाल/गलियाजी पारगी
52.	329	,, लालसिंह/कानजी निनामा
53.	543	,, सुरेन्द्रसिंह/मदनसिंह राव
54.	125	,, राजुलाल/सज्जनलाल नट
55.	198	,, नारायणलाल/नाथुलाल भाड़ा
56.	256	,, लालुराम/सूर्यनारायण खराड़ी
57.	359	,, बहादुरसिंह/भीतरा दामा
58.	399	,, प्रेमचन्द/भूरजी निनामा
59.	303	,, धनेश्वर/लेम्बाजी परमार
60.	282	,, नरेशचन्द/लालजी डामोर
61.	526	,, अशोककुमार/मन्नालाल गुर्जर
62.	380	,, सुखराम/दल्लाजी परमार
63.	178	,, रूपमाल/मकना गरासिया
64.	197	,, लक्ष्मणलाल/ऊंकारजी डिंडोर
65.	211	,, बहादुरसिंह/कालु दामा
66.	234	,, गणेशलाल/लवजी डामोर
67.	468	,, कालुराम/कुरियाजी मीणा
68.	349	,, रमेशचन्द्र/ताजु कतीजा
69.	556	,, सूर्यसिंह/पन्नालाल लबाना
70.	597	,, रामनिवास/नन्दनलाल
71.	152	,, कांतिलाल/कचरू डामोर
72.	342	,, रमेशचन्द्र/कालुराम
73.	813	,, खेतराज/प्रतापराम
74.	469	,, किशोरकुमार/जवाहरलाल रोत
75.	135	,, राजेन्द्रकुमार/राधाकिशन नट

253

1	2	3
76.	343	श्री प्रभुलाल/धना मसार
77.	363	,, वेलाराम/देवीलाल डामोर
78.	721	,, नरेशचन्द/मोहनजी पाटीदार
79.	208	,, देवीलाल/गोतमलाल निनामा
80.	213	,, मोहनलाल/मंगलाजी निनामा
81.	382	,, कांतिलाल/रंगजी बड़खिया
82.	388	,, दिनेशचन्द्र/खेताजी डामोर
83.	170	,, नानुराम/वेलजी मझारी
84.	415	,, पन्नालाल/पुंजा गरासिया
85.	354	,, शम्भुलाल/वागजी
86.	404	,, विमलकांत/हीरालाल ताबियार
87.	407	,, श्यामलाल/वागजी डामोर
88.	446	,, बालचन्द/धुयजी निनामा
89.	260	,, हरिशंकर/नाथाजी मीणा
90.	270	,, फुलशंकर/नाथजी वासिमासी
91.	298	,, दामोदरलाल/वेस्ता मैदी
92.	866	कुमारी सुनिता/बुद्धराम रेवाड़

रिजर्व सूची

1.	134	श्री रमेशचन्द्र/पन्ना यादव
2.	498	,, लक्ष्मणलाल/हरिकिशनलाल बलाई
3.	136	,, गोपालचन्द/शिवाजी चौहान
4.	182	,, चन्द्रकांत/पुतमचन्द गरासिया
5.	338	,, छगनलाल/लोजा
6.	447	,, नारायणलाल/कालुजी मईड़ा
7.	453	,, बापुलाल/मोगजी डामोर
8.	228	,, शांतिलाल/हरदु मईड़ा
9.	418	,, प्रभुलाल/रंगजी डामोर

(रामेश्वरसिंह)	(ए. पोरस चामि)	(एच. सी. मीणा)
पुलिस अधीक्षक	जिला पुलिस अधीक्षक	उप महानिरीक्षक पुलिस
(सतर्कता) राज. जयपुर	बांसवाड़ा	दूर संचार राज. जयपुर
मनोनित सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

कांकरोली (राजसमन्द) में कब्रिस्तान हेतु भू-आवंटन

75. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर राजसमन्द के पास कांकरोली के मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान उपयोग हेतु भू-आवंटन का प्रकरण विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां । जिला कलक्टर, राजसमन्द के पास कांकरोली के मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान उपयोग हेतु भू-आवंटन का प्रकरण विचाराधीन है ।

(2) जिला कलक्टर राजसमन्द से मुस्लिम समाज कांकरोली को कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना संभव है ।

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु स्वीकृति

76. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब तथा किन शर्तों पर ?

(2) उक्त सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात् कुल कितने प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए तथा किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई और कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । राज्य में निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है परन्तु अभी तक कोई भी स्वीकृति जारी नहीं की गयी है ।

(2) अभी तक राज्य सरकार को 25 प्रस्ताव प्राप्त हुए इनमें 2 प्रस्ताव विचार योग्य है । शेष पत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं ।

जिला जोधपुर में सड़क निर्माण

77. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में जोधपुर जिले की कौन-कौन सी सड़कें किन-किन योजनाओं में स्वीकृत हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में कौन-कौन-सी सड़कों का निर्माण कार्य कब-कब पूर्ण हुआ, किन-किन का चालू हैं, कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है और उसके क्या-क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(3) क्या बोरून्दा से पटेल नगर वाया माकरों की ढाणी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या पूर्व में यहां पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जोधपुर द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण हो चुका था ? यदि हां, तो वर्तमान में नाबार्ड के द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? अब कब तक निर्माण कार्य शुरू करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 111 कार्य स्वीकृत हुये। विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) विभिन्न योजनाओं में कुल स्वीकृत 111 सड़कों में 94 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 16 कार्य प्रगति पर है एवं एक कार्य मार्ग निर्धारण न होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। सम्पर्क सड़क पटेल नगर का कार्य प्रति. सचिव, सा. नि. वि., राज. जयपुर के पत्र संख्या एफ 8(10) पी.डब्ल्यू./95/ए/डी 456/एस/ दिनांक 24–1–97 के तहत 42.25 लाख रु. की स्वीकृति नाबार्ड योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी। ग्रेवल सड़क पटेल नगर वाया माखरों की ढाणी की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जोधपुर के पत्र क्रमांक एफ. 3(95–96) सुरोयो/सा. नि. वि./2021 दिनांक 3–6-95 के तहत सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 9.82 लाख रु. की प्राप्ति हुई उसके तहत ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नाबार्ड में स्वीकृति सड़क निर्माण में मार्ग निर्धारण विवाद होने के कारण विलम्ब हो रहा है। मार्ग निर्धारण का विवाद हल होने पर ही कार्य शुरू करने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील उनियारा तथा देवली (टोंक) की पेयजल योजनाएं

78. **श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील उनियारा एवं देवली जिला टोंक में 1 जनवरी, 1993 से 30 जून, 1998 तक किन-किन स्कीमों पर कितनी-कितनी राशि पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकृत की गई ?

(2) क्या स्वीकृत राशि का उपभोग कर स्कीम पूर्ण कर ली गई है ? यदि नहीं, तो अपूर्ण स्कीमें कौन-कौन सी हैं तथा उनके पूर्ण होने में विलम्ब के क्या कारण रहे ?

(3) उक्त अवधि में किन-किन स्थानों के लिए हैण्ड पम्प स्वीकृत कर लगाये गये तथा उनमें से कितने चालू हालत में नहीं हैं ?

(4) क्या सरकार खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1993 से जून 1998 तक तहसील देवली एवं उनियारा में स्वीकृत स्कीमों एवं स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर है।

(2) विवरण परिशिष्ट-"अ" में दिया गया है।

(3) 1 जून, 1993 से 30 जून, 98 तक उक्त क्षेत्र में 501 हैण्ड पम्प लगाये, जिनमें से सभी चालू नहीं हैं। हैण्डपम्पों का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प संधारण का कार्य पंचायत समिति द्वारा किया जाता है विभाग द्वारा चलाये 24वां हैण्डपम्प मरम्मत अभियान माह जनवरी, 98 से 15 जुलाई, 98 तक चलाया जा रहा है। अभी तक तहसील उनियारा में स्थापित कुल 814 हैण्डपम्पों में से मरम्मत योग्य पाये गये खराब हैण्डपम्प 444 में से 417 को सुधारा गया है। इसी प्रकार तहसील देवली में स्थापित कुल 880 हैण्डपम्पों में से मरम्मत योग्य खराब पाये गये 555 हैण्डपम्पों में से 532 हैण्डपम्पों को सुधारा गया है। शेष बचे खराब हैण्डपम्पों को इसी मरम्मत अभियान के तहत दुरुस्त कर दिया जायेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्मिकों को पेंशन

79. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन सुविधा मिल रही है? यदि हां, तो किस रूप में नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राज्य कर्मचारियों की भांति अभिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारी स्वायत्तशाषी निकाय कर्मचारी हैं इन्हें वर्तमान में सी. पी. एफ. सुविधा उपलब्ध है।

(2) जी, हां। पेंशन फण्ड के लिए अपेक्षित वित्त पोषण की व्यवस्था का प्रश्न निर्णित होने के तत्काल बाद योजना लागू हो जायेगी।

राज्य में महिला उत्पीड़न की घटनाएं

80. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में महिलाओं के साथ वर्ष 1997 एवं 1998 में कितनी घटनाएं बलात्कार, हत्याओं की घटित हुई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में महिलाओं के साथ वर्ष

(गृह मंत्री)

1997 में बलात्कार की 1255 एवं हत्या की 280 घटनाएं हुई एवं वर्ष 1998 मई तक बलात्कार की 504 एवं हत्या की 116 घटित हुई। वर्षवार दर्ज अभियोगों का निस्तारण सहित विवरण परिशिष्ट–"क" में संलग्न है।

परिशिष्ट–'क"

राज्य में बलात्कार एवं महिला हत्या की वर्ष 1997 एवं मई 1998 तक घटित घटनाओं का निस्तारण सहित विवरण

क्र. सं.	शीर्षक	वर्ष	दर्ज अपराध	एफ. आर. अदम वकू	एफ. आर अदम पता अदम सबूत	चालान	अनुसंधानाधीन
1.	बलात्कार	1997	1255	300	4	837	114
		मई-1998	504	92	2	214	196
2.	महिला हत्या	1997	280	65	13	189	13
		मई-1998	116	16	3	49	48

ग्राम मंगलपुरा (नागौर) में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमण

81. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मंगलपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर में खसरा नं. 1899 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा अनुसूचित जाति के व्यक्ति खातेदार हैं और उस पर कब्जा सवर्ण जाति के व्यक्ति ने कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों? सरकार ने खातेदार को कब्जा दिलाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान काश्तकारी कानून में ऐसा भी प्रावधान है कि कोई भी सवर्ण जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदार की कृषि भूमि पर अपना कब्जा जमाता है तो उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर किया जायेगा ? यदि हां, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि काश्तकारी कानून में ऐसी व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि के खातेदार अधिकारों के बारे में काश्तकारी कानून की अन्य धारायें लागू नहीं होंगी ?

(4) अब उक्त खातेदार को इस भूमि का कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

(258)

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम मंगलपुरा के खसरा नम्बर 1899 रकबा 18 बीघा 18बिस्वा भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य श्री मालूराम पुत्र हरजीराम रैगर के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस भूमि पर सवर्ण जाति के श्री गोमाराम पुत्र रामूराम माली निवासी लाडनूं का कब्जा है। खातेदार को कब्जा दिलाने के लिए प्रकरण धारा 183–बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी में प्रकरण तहसील डीडवाना में विचाराधीन है इस प्रकरण का निर्णय होने के पश्चात फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने की नियमानुसार कार्यवाही धारा 183–सी के अन्तर्गत की जावेगी।

(3) यह सही नहीं है। राजस्थान काश्तकारी कानून में अनुसूचित जाति के खातेदारी की भूमि खातेदार अधिकारों के बारे में काश्तकारी अधिनियम की धारायें भी लागू होंगी।

(4) तहसीलदार डीडवाना के यहां विचाराधीन प्रकरण की आगामी पेशी तारीख 9–7–98 है इस प्रकरण के निर्णय के पश्चात् ही निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

जोधपुर में हृदय चिकित्सा हेतु सुविधाएं

82. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :–

क्या यह सही है कि जोधपुर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में हृदय के वाल्व बदलने के आपरेशन एवं एंजियोग्राफी लेब की सुविधा उपलब्ध कराने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब सरकार यह सुविधाएं उक्त अस्पताल में कब तक प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, हां। प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज जोधपुर से वर्ष 1977 में महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में हृदय के वाल्व बदलने एवं एंजियोग्राफी लेब खुलवाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार राशि रुपये 5.50 करोड़ अनुमानित व्यय होना था। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर चरणबद्ध तरीके से सुविधा उपलब्ध करवाया जाना सम्भव होगा।

सड़क मरम्मत नीति

83. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सड़कों की मरम्मत हेतु कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो नीति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1996–97 व 1997–98 में सहायता विभाग की धनराशि के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में किस–किस सड़क पर कितनी–कितनी राशि मरम्मत पर व्यय की गई है ? किस–किस

(श्री हरिसिंह)

सड़क पर मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । राज्य सरकार ने सड़कों की केटेगरी के अनुसार प्रति वर्ष सड़कों की मरम्मत पर किये जाने वाला व्यय प्रति किमी. निर्धारित किया हुआ है । आदेश की प्रति प्रपत्र "अ" में संलग्न है ।

(2) वर्ष 1996–97 व 1997–98 में सहायता विभाग की धनराशि के अतिरिक्त कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर क्रमशः 48.80 लाख रुपये व 24.23 लाख रुपये मरम्मत पर व्यय किया गया । सड़कवार मरम्मत पर किये गये व्यय का विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है ।

जिन सड़कों पर मरम्मत मद में कार्य नहीं कराया गया उनकी सूची प्रपत्र "ख" पर संलग्न है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(260)

परिशिष्ट–3 परिशिष्ट "ग"

(तारांकित प्रश्न संख्या 57 का विवरण)

S. No.	District		Districtwise (Average Depletion of Water (Pre-monsoon 84–Premonsoon 97 (Change in W. L. in metres)
1	2	3	4
1.	AJMER	—	0.87
2.	ALWAR	—	2.93
3.	BARAN	—	1.88
4.	BARMER	+	0.09
5.	BANSWARA	+	1.10
6.	BHARATPUR	—	0.20
7.	BHILWARA	+	0.40
8.	BIKANER	+	1.46
9.	BUNDI	—	1.15
10.	CHITTORGARH	—	1.24
11.	CHURU	—	0.36
12.	DAUSA	—	2.06
13.	DHOLPUR	—	1.37
14.	DUNGARPUR	—	0.11
15.	GANGANAGAR & HANUMANGARH	—	4.01
16.	JAIPUR	—	4.24
17.	JAISALMER	+	0.16
18.	JALORE	—	4.27
19.	JHALAWAR	—	0.77
20.	JHUNJHUNU	—	4.10
21.	JODHPUR	—	3.22

1	2	3	4
22.	KOTA	—	0.26
23.	NAGAUR	—	4.95
24.	PALI	—	2.75
25.	RAJSAMAND	—	0.83
26.	SAWAIMADHOPUR		2.16
	KARULI	—	
27.	SIKAR	—	3.11
28.	SIROHI	—	3.33
29.	TONK	—	0.33
30.	UDAIPUR	—	0.41

परिशिष्ट "ब"

GROUND WATER POTENTIAL EXTRACTION & USABLE SURPLUS FOP IRRIGATION IN RAJASTHAN (AS ON. 1.1.1995)

DISTRICT 1	MEAN GROSS RECHARGE (MCM) 2	GROSS DRAFT (MCM) 3	STAGE OF Gr. WATER DEVELOPMENT (%) 4
AJMER	304.5691	274.1167	66.85
ALWAR	610.4196	903.2932	118.70
BARAN	371.6329	249.4380	22.67
BARMER	288.9398	211.5475	53.01
BANSWARA	417.4971	49.7475	7.07
BHARATPUR	580.1588	701.2062	97.40
BHILWARA	528.1427	390.4074	58.94
BIKANER	204.5981	29.6924	2.84
BUNDI	684.8912	157.0021	17.24

1	2	3	4
CHITTORGARH	575.4810	504.2042	70.56
CHURU	113.5266	37.7530	14.39
DAUSA	274.4375	290.4203	82.68
DHOLPUR	273.4002	176.2019	51.72
DUNGARPUR	205.0450	82.2178	28.93
GANAGANAGAR*	645.1831	287.7145	36.00
JAIPUR	588.8634	852.8918	117.75
JAISALMER	43.6648	8.4445	5.22
JALORE	639.3366	985.2306	123.36
JHALAWAR	490.0344	363.6887	59.94
JHUNJHUNU	74.4395	129.2033	125.81
JODHPUR	285.3456	264.5923	69.98
KOTA	915.5295	314.7759**	32.96
NAGAUR	334.1686	[illegible]1.7595	109.53
PALI	489.3822	451.5728	73.82
RAJSAMAND	310.1735	160.2618	40.77
SAWAIMADHOPUR**	834.8125	549.7697	51.75
SIKAR	120.5549	180.3875	114.10
SIROHI	310.9325	195.6878	50.39
TONK	555.7801	303.7063	39.39
UDAIPUR	586.8159	312.7769	41.37
TOTAL	13157.1598	9915.7122	58.88

*Includes HANUMANGARH

**134.40 MCM DRAFT DUE TO DEWATERING

***Includes Karauli

263

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूची)

विभाग द्वारा वर्षवाइज लगाये गये हैंडपम्पों की संख्या

क.सं.	वर्ष	कुल हैंडपम्प
1.	80–81	2023
2.	81–82	439
3.	82–83	738
4.	83–84	284
5.	84–85	347
6.	85–86	269
7.	86–87	506
8.	87–88	480
9.	88–89	264
10.	89–90	215
11.	90–91	348
12.	91–92	212
13.	92–93	181
14.	93–94	244
15.	94–95	250
16.	95–96	472
17.	96–97	362
18.	97–98	264

(264)

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का ब्यौरा)

अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर जिला भीलवाड़ा में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्न प्रकार है

प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	नियुक्ति प्रदान किये गये प्रकरणों की संख्या	विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या
23	13	10
		1. श्री भैरूलाल माली पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र माली
		2. श्री अब्दुल गनी पुत्र स्व. श्री अब्दुल लतीफ
		3. श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री देवीलाल जैन
		4. स्व. श्री ओमप्रकाश सराधना पुत्र स्व. श्री "
		5. श्रीमती राम बाई पत्नी स्व. श्री मांगी लाल
		6. श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व. श्री घोसू लाल
		7. श्री नारायण जाट पुत्र श्री मांगू
		8 श्रीमती सुगनी देवी पत्नी स्व. श्री भगवती लाल कुमावत
		9. श्री अनिश कानोडिया पुत्र स्व. श्री आई. के. कानोडिया
		10. श्रीमती नन्दू देवी पत्नी स्व. श्री काना गूजर

265

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-70 की प्रतियां)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS
(Department of Personnel-A Group-II)

No. F. 3(6) Karmik/A-II/75 Jaipur, 29th September 1975,

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following special rules regulating the recruitment of the department of Government servants dying while in service, namely:-

THE RAJASTHAN RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING WHILE IN SERVICE RULES, 1975

1. Short title and commencement :— (1) These Rules may be called the Rajasthan Recruitment of Dependants of Government Servants Dying while in Service Rules, 1975.

(2) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Rajasthan an Rajpatra.

2. Definitions :- In these Rules unless the context otherwise requires :

(a) "Government" and "State" means respectively the Government of Rajasthan and the State of Rajasthan,

(b) "Appointing Authority" means the Government of Rajasthan and includes any other officer to whom powers have been delegated by the Government througr a special or general order to exercise the powers and functions of the Appointing Authority under the relevant Service Rules, if any;

(c) "Head of Department/Office" means the Head of the Department/Office in which the deceased Government Servant was serving prior to his death;

(d) "Government Servant" means person employed in connection with the affairs of the State and who –

(266)

(i) was permanent in such employment, or

(ii) though temporary had been regularly appointed in such employment; or

(iii) though not regularly appointed had put in one year continuous service in a regular vacancy in such employment; and

(iv) shall also include the person sent temporarily on deputation Explanation :- "Regularly appointed" means appointed in accordance with the procedure laid down for recruitment to the post or service as the case may be.

£ (e) "Deceased Government Servant" means a Government Servant who died, while in service on or after 2nd day of September, 1972.

(f) "Family" means the family of the deceased Government servant and shall include wife or husband, sons and unmarried or * widow daughters and son/daughter adopted according to the provisions of law by the deceased Government servant;

% Provided that if no such member of the family be eligible for getting benefit under these Rules the benefit availiable under these Rules may be extended to any other close relative of the deceased to be named by the widow or the guardian of the children of the deceased with the specific approval of the Department of personnel.

@ 3. Application of the rules :- These rules shall be applicable for recruitment of dependants of the deceased Government servants

---

£ Substituted vide notification No F. 3 (6) DOP/A-II/75 Dated 25.3 1978 for :-

(e) "deceased Government servant means a Government servant who dies while in service."

* Substituted vide notification No. F. 3 (6) DOP/A-II/75, dated 22-8-83 for - "Widow Daughters".

% Added vide notification No F. 3(6) DOP/A-II/75, dated 22-2-1976 effective from 2-10-75.

@ Substituted vide notification No F. 3 (6) DOP/A-II/75, dated 22-8-83 for "Application of the Rules :- These Rules shall apply to recruitment of the dependants of the deceased Government Servan s to public services and posts in connection with the affairs of State, except services and posts which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission."

to public services and posts in connection with the affairs of the state except posts in major State Services i. e. the Rajasthan Administrative Service, the Rajasthan Police Service, the Rajasthan Forest Service, the Rajasthan Judicial Service and the Rajasthan Accounts Service.

4. Over-riding effect of these Rules :- These rules and any orders issued thereunder shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any rules, regulations or orders in force at the commencement of these Rules.

5. Recruitment of a member of the family of the deceased :- In cases of £ deceased Government servants, one member of his family who is not aleady employed under the Central/State Government or Statutory Board/Organisations/Corporations owned or controlled by the Central/State Government shall on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government service without delay only against an existing vacancy, which is not within the purview of the State Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, provide such member fulfils the educational qualifications prescribed for the post and is also otherwise qualified for Government service. In the event of non-availability of a vacancy or any of the members of the family, being unqualified or minor is not found suitable or eligible for immediate employment, then such cases should be considered immediately on the availability of the post or any one of them becomes qualified or eligible for such employment under these Rules.

$ Provided that recruitment may be made on posts which are within the purview of the Rajasthan Public Services Commission, except the major State services mentioned in rule 3 where the Appointing Authority is satisfied in consultation with the Department of Personnel and the Rajasthan Public Service Commission that adependant of a deceased Government servant is qualified and suitable for appointment to such post.

6. Contents of application for employment :- An application for appointment under these Rules shall be addressed to the Appointing

£ Substituted vide notification No. F. 3 (6)DOP/A-II/75 dt 25-3-76 for "Goverment servants who die while in service on or after the commencement of these rules."

$ Added vide Notification No. F. 3 (6) DOP/A-II/75, Datdd 22,8.1983.

Authority in respect of the post for which appointment is sought, but it shall be sent to the concerned department or to the Head of Department/office where the deceased Goverment servent was serving prior to his death. The application shall inter alia, contain the following informent :—

(1) The name & designation of the deceased Government servant.,

(2) Department/office in which he was working prior to his death,

(3) The date & place of the death of the deceased Government servant.

(4) Last Pay drawn & the pay scale.

(5) Names, ages and other details pertaining to all members of the family of the deceased, particularly about their marriage employment and income.

(6) Details of the financial condition of the family; and

(7) Name, Date of birth, education and other qualifications, if any, of the applicant & his/her relation with the deceased Government servant.

7. Procedure when more than one member of the family seeks employment :-If more than one member of the family of the deceased Government servant seeks employment under these Rules, the Head of Department/Office shall decide a about the suitability of the person for giving employment. The decision will be taken keeping in view also the over all interest of the welfare of the entire family, particulary the widow and the minor members thereof.

8. Relaxation for age and other requirement :- (1) The candidates seeking appointment under these rule must not be less than 16 years at the time of appointment. In the cases in which the wife of the deceased Government servant being the only candidate found qualified eligible for such empolyment there shall be no maximum upper age limits.

(2) The procedural requirement for selecton, such as written test, typing test or interview by a Selection Committee or any other Authority shall be despensed with, but it shall be open to the Appointing Authority to interview the candidate in order to satisfy that the candidate will be able to maintain the minimum standards of work and efficiency expacted on the post or to prescribe any condition, if cons-

idered necessary, for acquiring any triaining or proficiency e. g. typing speed or any other qualifications etc., within a reasonable period, after such employment under these Rules.

9. Satisfaction of Appointing Authority as regards general puali-fications :- Before a candidates is appointed the Appointing Authority shall satisfy itself that :

(a) The character of the candidate is such as to render him suitable in all respects for employment in Government service;

Expianation :- Persons dismissed by the Union Government or by any State Government or by a Local Anthority or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall be deemed to be ineligible for appointment to the service.

(b) He is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties for which the candidate shall be required to apper before the Appropricate medical authority and to produce a certificate of fitness in accordance with therules applicable to the case , and

(c) In the case of a male candidate, he has not more than one wife living, and in the case of a female candidate, she has not married a person already having a wife living.

10. Power to remove difficulties :- The State Government may for the purpose of removing any difficulty (of the existencc of which it shall be the sole Judge) in the implementation of any provision of these Rules, make any general or special order as it may consider necessary or expedient in the interest of fair dealing or in the Public interest.

by Order and in the name of the
Governor,
Sd/-
(T. V. Ramanan)
Special Secretary to Government

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(कार्मिक–क–ग्रुप–II)

क्रमांक :– एफ 3(6) कार्मिक/क–2/75 दिनांक 31 जनवरी, 1991

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषय :– मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति बाबत।

"राजस्थान रिक्रूटमेन्ट ऑफ डिपेन्डेन्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स डाइंग व्हाइल इन सर्विस रूल्स, 1975" में मृतक राज्य कर्मचारी की परिभाषा में वे ही राज्य कर्मचारी आते हैं जिनकी मृत्यु दिनांक 2–9–72 या इसके पश्चात् हुई हो। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कुछ प्रकरणों में दिये गये निर्णय में मृतक कर्मचारी की परिभाषा में से दिनांक 2–9–72 की सीमा रेखा को निरस्त कर दिया है। परिणाम स्वरूप जिन मामलों में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु दिनांक 2–9–72 से पूर्व हुई थी उनके आश्रितों को भी नियमों की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर नियुक्ति देय होती है। अतः दिनांक 2–9–72 के पूर्व मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित भी यदि उक्त नियमों के अन्तर्गत राजकीय सेवा हेतु आवेदन करें तो उनके आवेदन विचारार्थ ग्रहण किये जावें और केवल इस आधार पर अस्वीकृत न किये जावें कि अभिभावक राज्य कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 2–9–72 से पूर्व हुई थी।

ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय यह अवश्य देख लिया जावे कि अभिभावक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके किसी भी आश्रित को राजकीय सेवा में किसी भी प्रकार से नियुक्ति तो नहीं मिली है। यदि किसी आश्रित को नौकरी मिल गई है तो इन नियमों का लाभ मिला मान लिया जावेगा और अन्य आश्रित को लाभ देय नहीं होगा।

नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

ह०
(श्री नारायण ताम्बी)
उप शासन सचिव

271

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(कार्मिक-क-ग्रुप-2)

क्रमांक : एफ. 3(6) कार्मिक/क-2/75-पार्ट-II दिनांक 2 जनवरी, 92

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)
3. सचिवालय से समस्त कोष्ठ/प्रकोष्ठ

परिपत्र

विषय :- मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31-1-91 का अनुच्छेद 2 निम्न प्रकार है :-

"ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय यह अवश्य देख लिया जावे कि अभिभावक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके किसी भी आश्रित को राजकीय सेवा में किसी भी प्रकार से नियुक्ति तो नहीं मिली है। यदि किसी आश्रित को नौकरी मिल गई है तो इन नियमों का लाभ मिला मान लिया जावेगा।"

उपरोक्त अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय यह अवश्य देख लिया जावे कि अभिभावक कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसके किसी भी आश्रित को राजकीय सेवा में इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति तो नहीं मिली है। यदि किसी आश्रित को राज. सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 के अन्तर्गत नियुक्ति मिल गई है तो उसके अन्य आश्रित को नियमों का लाभ देय नहीं होगा।"

ह०
(श्री नारायण ताम्बी)
उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-II)

No. F 5(51) DOP/A-11/88 Jaipur dated : 31st Dec., 1996

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the praviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules regulating the recruitment of the dependants of deceased Government servants on compassionate grounds, namely :—

THE RAJASTHAN COMPASSIONATE APPOINTMENT OF DEPENDANTS OF DECEASED GOVERNMENT SERVANTS RULES, 1996

1. Short title and commencement :- (i) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996.

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Rajasthan Rajpatra.

2. Definitions : In these Rules unless the contxt other wise requires :—

   (a) "Appointing Authority" means the Government of Rajastean and includes any other officer to whom powers have been delegated by the Government through a special or general order to exercise the powers and functions of the Appointing Authority under the relevant service Rules, if any;

   (b) "Deceased Governnment Servant" means a person who was employed in connection with the affairs of the State including a member of All India Services of Rajasthan State Cadre and whose pay was debitable to the consolidated fund of the State and who died while in service and who was :—

(i) Permanent, or

(ii) holding a post temporarily after appointment on regular basis, or

(iii) appointed against a regular vacancy on urgent/temporary appointment and had put in one year's continuous service as such;

(c) "Dependant" means a spouse, son, unmarried or widowed daughter, adopted son/daughter legally adopted by the deceased Government servant during his/her life time and who were wholly dependant on the deceased Government servant at the time of his/her death;

(d) "Government" means the Government of Rajasthan;

(e) "Head of the Department/Office" means the Head of the Department/Office in which the deceased Government servant was serving at the time of his/her death;

(f) "State" means the State of Rajasthan.

3. Interpretation :– Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act 8 of 1955) shall apply for the interpretation of these Rules as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

4. Scope :–These Rules shall govern appointment of dependants of deceased Government servants on compassionate grounds and they shall not confer any right to a particular post.

5. Appointment subject to certain conditions:–When a Government servant dies while in service one of his/her dependants may be considered for appointment in Government service subject to the condition that employment under these Rules shall not be admissible in cases where the spouse or at least one of the sons, unmarried dauththers, adopted son/daughter of the deceased Government servant is already employed on regular basis under the Central/State Government or Statutory Board, Organisation/Corporation owned or

controlled wholly or partially by the Central/State Government at the time of death of the Government servant.

Provided that this condition shall not apply where the widow seeks employment for herself.

6. Selection of posts :– (1) The dependant may be considered for appointment to a post carrying pay scale No. 1 to 9 & meant for being filled by up Direct Recruitment in the Subordinate Services/Ministerial Services/Class IV Service, as the case may be, according to his/her educational qualification and fulfilment of other service conditions irrespective of the rank and status of the deceased Government servent.

(2) Once an appointment has been made on any post under these Rules, the benefit intended under these Rules shall be deemed to have been availed and the case shall not be re-opened for appointment to any other post under any circumstances.

7. Qualification :– (1) The dependant should possess the qualifications prescribed for the post under the concerned service rules at the time of appointment.

(2) While being considered for appointment to Class–IV service, the requirement of educational qualification for the post shall be dispensed with.

(3) Before a dependant is appointed, the Appointing Authority shall satisfy itself that he/she is otherwise fit for appointment in Government service looking to his/her character and physical fitness and fulfillment of other general conditions prescribed in the concerned service rules.

8. Age :–The dependant should be within the age limit prescribed for the post under the concerned service rules at the time of appointment provied that :–

275

(i) there shall be no upper age limit for a widow.

(ii) the upper age limit shall be relaxed by five years in peroid or upto 40 years of age, whichever is less, for others.

(iii) the crucial date for calculating age shall be the date of receipt of application for appointment. The time spent in arranging a suitable post shall not disqualify the dependant in case he/she becomes overage during that period.

9. Procedural Requirement etc :– (1) The procedural requirement for selection such as training or department examination or typing test shall not be insisted upon at the initial appointment. The dependant shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test, within a period of 3 years for entitlement for confirmation failing which his/her appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments will be allowed until he/she acquires such grade qualifications. On acquiring such qualifications annual increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears will be paid.

Note :–For the purpose of this rule the Head of the Department shall conduct such test every year irrespective of the number of candidates.

10. Procedure :– (1) On the death of a Government servant the surviving spouse shall apply for appointment for self or for any other dependant.

(2) Where the deceased Government servant is not survived by a spouse the application shall be made by one of the dependents of the deceased Government servant and other dependants shall have to give their consent for his/her candidature provided that if more than of one the dependants seek employment, the Head of Department shall select one, keeping in view the overall interest and welfare of the entire family, particulary the minor members.

(3) Such application shall be made in the preforma attatched as Annexure 'A' to the Head of the Department within a period of 45 days from the date of death of the deceased Government servant. The applicant shall submit an affidavit in support of monthly income (from all sources) mentioned of the entire family members in Column Number 7 of the prescribed application.

(4) In cases of All India Service, Rajasthan Administrative service, Rajasthan Accounts Service, Rajasthan Legal State and Subordinate Service and the Rajasthan Economics & Statistical Service etc. where officers are posted in different departments of Government, the application shall be made to the Administrative Department controlling that service through the Head of Department/Head of Office where the deceased Government servant was posted at the time of his/her death.

(5) It shall be the responsibility of the Administrative Department to give appointment to the dependant in his own department and the responsibility shall in no case be shifted to other departments.

(6) In case suitable post is not vacant, the application shall be kept on waiting list for providing employment on first come first serve basis. If some post in lower scale is available, immediately such lower post can be offered to the applicant and the applicant shall have the option either to wait for the post, applied for or to accept the lower available post. In case the applicant accepts the lower available post, he shall lose his claim for higher post applied for and his name will not be kept on waiting list. Provided that in case no post is available for appointment within 2 years from the date of submission of application, the matter shall be rreferred to the Department of Personnel for appointment in other department.

(7) In cases of death of members of the services having State cardes like All India Services, Rajasthan Administrative

Service Rajasthan Secretariat Service Controlled by Department of Personnel, the application shall lit the Secretary Department of Personnel and it shall be the responsibility of Department of Personnel to arrange for a suitable post.

11. Over-riding effect :- These Rules and any order issued thereunder shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any rules regulations or orders in force at the commencement of these Rules.

12. Nodal Department - The Department of Personnel (A. II) will function as the nodal department for purpose of administering these Rules and it may make any general or special order as it may consider necessary or expedient for proper impementation of these Rules.

13. Removal of doubts :- If any doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these Rules, it shall be referred to the Government in the Department of Personnel (A. II) whose decision thereon shall be final.

14. Power to remove difficulties :- The State Government may for the purpose of removing any difficulty(of the existence of which it shall be the sole judge) in the Implementation of any provision of these Rules, make any general or special order as it may consider necessaryor expedient in the interest of fair dealing or in the public interest.

15. Repeal and savings :- The existing Rajasthan Recruitment of Dependants of Government Servants Dying while in Service Rules, 1975and any order issued thereunder are hereby repealed.

Provided that any action taken under the rules and orders so repealed/superseded shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

By Order and in the name of the Governor,

Sd/-

(Suraj Mal Kerwal)

Deputy Secretary to the Government.

आवेदन-पत्र का प्रारूप

भाग (1)

1. मृतक राज्य कर्मचारी का
   नाम व पद
2. निधन की दिनांक एवं स्थान
   (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
3. विभाग का नाम, जिसमें वह
   मृत्यु के समय कार्यरत था।
4. मृत्यु के समय धारित पद तथा
   उसका वेतनमान
5. नियुक्ति का प्रकार :
   (स्थायी/अस्थायी)
6. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति
   की दिनांक
7. मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों
   का विवरण—
   (केवल परिवार के सदस्यों के ही नाम लिखे जायें)

क्र.सं.	नाम	मृतक से सम्बन्ध	जन्म दि० एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित/अविवाहित	मासिक आय रु० *
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

* नियम 10(3) में यथा वर्णित शपथ-पत्र संलग्न करें।

भाग—2

राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आवेदक का विवरण

1. नाम :
2. आयु एवं जन्म तिथि :
3. शैक्षणिक योग्यता :
   (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
4. मृतक राज्य कर्मचारी से सम्बन्ध
   आवेदित पद का नाम व वेतनमान :

आवेदक का फोटो

हस्ताक्षर
स्थायी पता—

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग—3

यदि आवेदक विधवा स्वयं नहीं है तो विधवा/अन्य आश्रितों की सहमति

मैंने आवेदन के भाग (1) व (2) में उल्लिखित सूचना पढ़ ली है एवं भली प्रकार सुन ली है। आवेदक को नोकरी दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितों की सहमति है। जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का शपथ-पत्र संलग्न है।

साक्ष्य : ....   विधवा के हस्ताक्षर

....

भाग-4

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) आवेदन-पत्र विभाग में दिनांक .... को प्राप्त हुआ है जो कि डायरी संख्या.................. दिनांक .... पर दर्ज है।

(2) आवेदन-पत्र में अंकित सूचनाएं मृतक कर्मचारी के सेवा अभिलेख के अनुसार सही हैं। नियमों के अनुसार आवेदक आवेदित पद ....पर नियुक्ति का पात्र है।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

भाग–5

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र यदि आवेदन–पत्र अन्य विभाग को भेजा जाता है

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) आवेदक आवेदित पद पर नियुक्ति का पात्र है किन्तु यह पद ....विभाग में नहीं है। अतः आवेदन–पत्र ....को अग्रेषित किया जा रहा है।

(2) मृतक कर्मचारी के निधन के पश्चात् आज तक उसके स्थान पर किसी भी आश्रित को किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

आवेदक का प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदन–पत्र के भाग (1) व (2) में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य पाया जावे तो मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

साक्ष्य :– **आवेदक के हस्ताक्षर**

281

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की प्रति)

1	2	3	4	5
(च) उद्यान और पार्क				
	1. उद्यान पर्यवेक्षक/ निरीक्षक	इन्टर विज्ञान (वनस्पति) या इसके समकक्ष अर्हता या इस कार्य का डिप्लोमा रखने वाला	—	—
	2. चालक (पम्प)/ पम्प प्रचालक	इस कार्य का 2 वर्ष का अनुभव और कार्यपालक अधिकारी से कार्य करने की क्षमता और समर्थता के बारे में प्रमाण-पत्र या इस कार्य का डिप्लोमा रखने वाला	—	—
(छ) स्ट्रीट लाइट				
	1. प्रकाश निरीक्षक	मैट्रिकुलेट या इसके समकक्ष अर्हता, इलेक्ट्रीसिटी में आई. टी. आई. या पोलीटेक्निक या अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा	सहायक विद्युत निरीक्षक	5 वर्ष का अनुभव
	2. सहायक प्रकाश निरीक्षक	–यथोक्त–	वायरमेन	कार्य का 7 वर्ष का अनुभव
(ज) अग्निशमन				
	1. सहायक अग्नि-शमन अधिकारी	मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष अर्हता, बम्बई, दिल्ली, इलाहबाद या नागपुर से प्रशिक्षण पत्र या नागरिक सुरक्षा पाठ्यक्रम सहित	टिण्डल/ मुख्य फायरमेन	5 वर्ष का अनुभव
	2. टिण्डल/मुख्य फायरमेन	–यथोक्त–	फायरमेन	–यथोक्त–

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 74 की प्रति)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक : लेखा/प. 6/ड्/विविध/नि.प./स्थानि/97/4401 दिनांक 8-7-98

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 297 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार समस्त नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों को जन समस्याओं से त्वरित गति से निराकरण व कार्य में गति प्रदान करने के लिये सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका के स्वयं की अर्जित आय में से निम्नांकित मासिक भत्ता व अन्य सुविधायें दिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

पालिका का प्रकार	टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह रुपये	स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह रुपये	वाहन भत्ता प्रतिमाह रुपये	मीटिंग में भाग लेने का पारिश्रमिक
नगर निगम	700/-	250/-	500/-	100/- प्रति मीटिंग अधिकतम 700/- रुपये प्रतिमाह
नगर परिषद	500/-	200/-	350/-	75/- प्रति मीटिंग अधिकतम 600/- रुपये प्रतिमाह
नगरपालिका	300/-	150/-	250/-	50/- प्रति मीटिंग अधिकतम 400/- रुपये प्रतिमाह

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। निगम/परिषद/पालिका द्वारा स्वयं की अर्जित आय के अलावा अन्य किसी अनुदान/योजना की राशि में से उक्त भत्तों का भुगतान नहीं किया जावेगा।

आज्ञा से
(सी. आर. चौधरी)
उप शासन सचिव

283

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची)

परिशिष्ट–अ

पंचायत समिति सरदारशहर के क्षतिग्रस्त भूमिगत जलाशयों की सूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम	भूमिगत जलाशयों की संख्या
1.	मोजासर बड़ा	4
2.	जैतासर	1
3.	हरदेसर	1
4.	बनिवासर	1
5.	कंवलासर	1
6.	सावर	1
7.	दानूसर	1
8.	नेनासर सुमेरिया	1
9.	कल्याणपुरा बिदावतान	1
10.	रामसरा बास	1
	कुल	13

(284)

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 81 की सूची)

परिशिष्ट–"क"

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में गत पांच वर्षों में लगाये गये हैण्डपम्प की वर्षवार सूची

क्र. सं.	वर्ष	लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या
1.	1993–94	24
2.	1994–95	30
3.	1995–96	37
4.	1996–97	492
5.	1997–98	43
6.	1998–99	7
	कुल	333

परिशिष्ट–"ख"

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, बांसवाड़ा

एन श्रेणी की राजीव गाधी पेयजल मीशन 1996 के अन्तर्गत शेष बची धाणीया बांसवाड़ा सूची संख्या 1

क्र. सं. 1	गांव का नाम 2	कोड नं. 3	ढाणी का नाम 4
पंचायत समिति आनन्दपुरी			
1.	संग्रामपुरा	73	निनामा फला
2.	संग्रामपुरा	73	कटारा फला
पंचायत समिति बागीदौरा			
1.	सीगामा	116	चरपोटा गराडिया फला
2.	,,	116	रतनपुरा I
3.	,,	116	रतनपुरा II
4.	,,	116	निनामा फला

285

1	2	3	4
5.	नौगाम	116	कलाजी मन्दिर
6.	,,	116	कटारा फला
7.	चिरोला बड़ा	127	चिरोला छोटा प्राथमिक विद्यालय
8.	पीपलोद	129	कुण्डी पाड़ा
9.	,,	129	कुण्डा खोरा
10.	बांसला	131	दवेला पाड़ा
11.	,,	131	नई आबादी
12.	कातरीया	133	दलपुरा फला
13.	डोगीयो की सेर	251	कटारा फला
14.	,,	251	घोड़ा फला
15.	खुटा गलिया	252	मालीवाड़ा फला
16.	मुरा टेम्बा बड़ा	154	टोरी फला
17.	गमीरपुरा	152	माली फला

पंचायत समिति तलवाड़ा

1.	शाहपुरा	20	नई बस्ती
2.	पदमनाथ का गढा	27	नई बस्ती
3.	कटियोर	30	बाम पाड़ा

पंचायत समिति गढी

1.	लोहारिया	9	हरिजन बस्ती
2.	,,	9	मेरो डुगरी
3.	,,	9	चमार वाड़ा
4.	,,	9	डायमो का फला
5.	,,	9	नाई की हेरी
6.	,,	9	नवा फला
7.	,,	9	पुनीया खेड़ी
8.	,,	9	तारोला का फला
9.	बरोडिया	24	उपला पाड़ा टीमरवा
10.	पिछोला बड़ा	22	आंगनवाडी के पास
11.	पिछोला छोटा	28	आदिवासी बस्ती
12.	अम्बाडा	29	मठ मन्दिर

1	2	3	4
13.	ग्रासन	32	चिकुली
14.	मोयावासा	36	मोपर
15.	मालीया छोटा	50	कालीया फला
16.	रोहनिया खेड़ी	53	ग्रादिवासी बस्ती
17.	ग्रगरपुरा	57	माटेडी ग्रादिवासी बस्ती
18.	बांकावाड़ा	58	हुरेली पाड़ा
19.	,,	58	खाट वाड़ा
20.	,,	58	खाटवाड़ा न. ग्रा.
21.	मोर	59	सज्जनपुरा
22.	,,	59	मतेला ग्रादिवासी बस्ती
23.	,,	59	करकढीया ग्रादिवासी बस्ती
24.	,,	59	चिकली टाण्डा
25.	,,	59	मोर पाड़ा
26.	,,	59	नया फला
27.	,,	59	नई ग्राबादी
28.	,,	59	जालमपुरा
29.	मोहनसिंह का गढ़ा	60	उदयसिंह के घर के पास
30.	नया तालाब	68	बंजारा बस्ती
31.	लोडदा	69	उपली बस्ती
32.	खरखेडा	81	निचली बस्ती
33.	लोडदा	69	नाथू/पुरा के घर पास
34.	पाराहेडा	67	टेबा पाड़ा
35.	ग्रहीर	88	उल्लई
36.	,,	88	पटेलिया
37.	,,	88	मायारा
38.	,,	88	उपला पाड़ा
39.	,,	88	बेडा वन
40.	,,	88	ममरीया
41.	,,	88	चिण्डा तलाई
42.	,,	88	डोमोर कुण्डी
43.	,,	88	पाटा बिलवा
44.	,,	88	सखेरा
45.	गोवाडीया	92	उपला पाड़ा
46.	काकरवा	96	निचला पाड़ा

1	2	3	4
47.	मादलडा	97	वारा
48.	मादलडा	97	खेडा
49.	मादलडा	97	पाटीया डूगरा
50.	मलाना	106	डूगरापाडा
51.	,,	106	कानेता
52.	,,	106	नयी ग्राबादी
53.	,,	106	कानेता स्कूल
54.	घमडपुरा	100	वामनिया पाड़ा
55.	,,	100	बस स्टेण्ड
56.	बारीया	112	टोडी
57.	मगतपुरा	122	घीया तालाब
58.	कोटड़ा	131	कोटपाड़ा पांचावाड़ा मोर
59.	केशरपुरा	134	सामने वाला पाड़ा
60.	ग्ररथुना	143	डूंगरा
61.	नलाघरा	151	मोमी के घर के पास
62.	टामटीमा राठौड	157	मकवाना डुलियापाड़ा
63.	कुआडीमा	165	लालु रिया के घर के पास
64.	टीमरथा	164	फाटा डूगरी
65.	ग्रोडथाडा	153	अनीप पपड़ा
66.	नावरीया	130	चिरावाला पाड़ा
67.	,,	130	नया पाड़ा
68.	दवेला	132	लोछारिया पाड़ा
69.	,,	132	मोला पाड़ा
70.	सिगाडों का पाड़ा	135	पिपला पाड़ा
71.	केसरपुरा	134	तेलिया वाला पाड़ा
72.	,,	134	नाथू का पाड़ा
73.	गोबई का पाड़ा	135	छोटा पाड़ा
74.	टोडी बड़ी	136	छोटा पाड़ा
75.	ग्ररथुना	143	नई ग्राबादी
76.	,,	143	यादव मोहल्ला
77.	,,	143	लोकीया फला
78.	,,	143	नयागांव करेटा तालाब
79.	करपाला	146	पाड़ा
80.	माहली	156	ग्रालपाड़ा

(288)

1	2	3	4
81.	माहुती	156	ग्रमरपुरा
82.	,,	156	गोविन्दपुरा
83.	,,	156	गोमनापुरा
84.	,,	156	कटाणी
85.	,,	156	लालपुरा
86.	,,	156	मेना खोटा
87.	,,	156	बेलजी पाड़ा
88.	जोलाना	158	पारगी पाड़ा
89.	कुणा	166	टोटी पाड़ा
90.	उम्बाड़ा	29	रामगढ़
91.	ओड़ा	8	मलीया वाला पाड़ा
92.	,,	8	मुजमगरा
93.	कुमजी का पारड़ा	78	बस स्टेण्ड
94.	,,	78	नई ग्राबादी
95.	मादावदा	97	विलुपाती नई आबादी

पंचायत समिति पीपलखूट

1.	डेरी	193	ममरीया पाड़ा
2.	बोरी	202	घरना
3.	मुण्डी खेडा	114	तालाब पाड़ा
4.	सुरपुर	236	गणवाया पाड़ा
5.	कुण्डली	313	निचला पाड़ा

289

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूचना

परिशिष्ट—"क"

क्र.सं.	थाना	वर्ष	मु. नं. व दिनांक	चार्जशीट नं. दिनांक
1.	नरेना	1995	35/14.4.95	28/9.6.95
2.	,,	,,	36/14.4.95	29/9.6.95
3.	,,	,,	37/14.4.95	30/9.6.95
4.	दूदू	,,	135/15.4.95	327/22.9.95
5.	,,	,,	136/15.4.95	204/4.7.95
6.	,,	,,	137/16.4.95	209/10.7.95
7.	,,	,,	146/20.4.95	207/4.7.95
8.	,,	,,	147/20.4.95	198/4.7.95
9.	,,	,	148/20.4.95	197/4.7.95
10.	,,	,,	149/21.4.95	199/4.7.95
11.	,,	,,	150/21.4.95	203/4.7.95
12.	,,	,,	151/21.4.95	205/9.7.95
13.	,,	,,	187/11 5.95	200/4.7.95
14.	,,	,,	188/11.5.95	201/4.7.95
15.	,,	,,	191/12.5.95	206/4.7.95
16.	,,	,,	192/12.4.95	210/10.7.95
17.	,,	,,	204/17.5.95	202/4.7.95
18.	,,	,,	205/17.5.95	212/11.7.95
19.	,,	,,	230/5.6.95	211/10.7.95
20.	,,	,,	238/9.6.95	226/29.7.95
21.	नरेना	1997	18/5.3.97	20/5.4.97
22.	दूदू	1998	77/6.3.98	64/29.3.98
23.	,,	,,	147/23.4.98	107/30.4.98

290

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 86 की सूची)

जयपुर जिले के न्यायालयों में दि. 1.7.98 के अनुसार 5 वर्ष से अधिक कार्यरत वरिष्ठ लिपिक (रीडरों) का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम मय पद	न्यायालय का नाम	कार्यरत दिनांक
1.	श्री श्रीनारायण शर्मा, व. लि.	जिला कलेक्टर, जयपुर	29.6.85
2.	श्री प्रेमचंद जैन, व. लि.	अपर कलेक्टर (प्रथम) जयपुर	21.8.91
3.	श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, व. लि.	एस.डी.ओ., सांभर	18.2.91
4.	श्री सत्यनारायण दाधीच, व. लि.	तहसील बस्सी	9.4.91
5.	श्री मांगीलाल मीणा, व. लि.	तहसील जमवारामगढ़	22.7.92
6.	श्री घुणीलाल, व. लि.	तहसील विराटनगर	23.3.91
7.	श्री रामेश्वर सिंह, व. लि.	तहसील शाहपुरा	4.5.92
8.	श्री राधेश्याम शर्मा, व. लि.	तहसील फागी	19.5.92

291

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 90 का विवरण)

जिला करौली की तहसील टोडाभीम एवं नादौती में कराये गये प्लान्टेशनों का विवरण वर्ष 1990–91 से 1997–98

क्र.सं.	प्लान्टेशन का नाम	वृक्षारोपण पर किया गया व्यय (राशि लाख रु० में)	कराये गये कार्यों का विवरण
1	2	3	4
1.	दलपुरा (जितकीपुर)	1.56	क्र.सं. 1 से 69 तक वर्णित कार्यस्थलों पर व्यय की गई राशि से वृक्षारोपण क्षेत्र की बाडबंदी, मृदा एवं जल संरक्षण, खड्डे खोदने, पौधारोपण एवं रोपित पौधों का संधारण कार्य कराया गया है।
2.	बालासागर (ए)	1.73	
3.	बालासागर "बी"	1.39	
4.	डेरा	1.10	
5.	नांगल शेरपुर	1.70	
6.	आम का झाहरा	1.52	
7.	गुमाना	0.56	
8.	गढ़मोरा "ए"	1.05	
9.	गढ़मोरा "बी"	0.84	
10.	गुढाचन्द्रजी	0.69	
11.	तिमावा	0.92	
12.	माचडी	2.22	
13.	बाडा	1.82	
14.	जैसनी	1.36	
15.	पाल (ए)	1.49	
16.	नया कुंआ 'ए"	1.49	
17.	रेवासा	2.13	
18.	कुपाडी	2.03	
19.	हलौंदा	1.99	
20.	नया कुंआ "बी"	1.23	

(292)

1	2	3	4
21.	भांवरा खुर्द	1.41	
22.	शेरपुरा (ए)	1.30	
23.	शेरपुरा (बी)	0.77	
24.	बांस मोरडा	0.74	
25.	बिचपुरी	0.52	
26.	धीरोली	0.40	
27.	भीमपुर	0.39	
28.	दांतली	0.47	
29.	काज का कुंआ	0.51	
30.	रायसमा	0.62	
31.	डूंगरीया गढ़मोरा	1.26	
32.	सिद्धबाबा	0.35	
33.	घाट भण्डारी	1.82	
34.	बिजलवाडा	1.76	
35.	गोठडा	0.88	
36.	राजपुर	1.23	
37.	लालसर	0.84	
38.	धोलेटा	2.44	
39.	तिमावा	3.96	
40.	रायसना	2.40	
41.	खोयली	3.69	
42.	खोहरा	3.86	
43.	रायसना	1.84	
44.	ग्रोढी	4.05	
45.	ग्रोल	5.04	
46.	सन्देडा	5.97	
47.	सन्देडा	4.63	
48.	तालचिडा	1.94	

293

1	2	3	4
49.	चैनपुरा	4.90	
50.	मोरा भैरू बाबा	4.95	
51.	तालच्छिड़ा घाटी (दांयी)	4.65	
52.	घोलेटा	4.77	
53.	तालचिडा	4.94	
54	बाढ रायसना	5.18	
55.	खोहर्रा	4.47	
56.	गोडड्डा	4.56	
57.	भीमपुर	3.08	
58.	दलपुरा	4.57	
59.	किजर का स्थान	3.58	
60.	राजोर	3.23	
61.	मोरा डूंगर	4.62	
62.	चिरावडा	5.96	
63.	असरी	5.21	
64.	राज का कुंआ	2.75	
65.	रूपाडी	1.26	
66.	मोहनपुर	1.68	
67.	फैल का पुरा	2.84	
68.	खेडी कलां	4.64	
69.	नांद	3.08	
70.	सत् का खोहर्रा	3.19	पौधारोपण कार्य वर्ष 1998 की वर्षा ऋतु में कराया जावेगा।
71.	दांतली	2.43	
72.	धर्मपुरा	2.43	—,,—
73.	खिरकड़ी	2.44	—,,—

294

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 91 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक स्वीकृत वानिकी विकास कार्यों पर हुए व्यय का विवरण (राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	नाम कार्य	व्यय की गई राशि
1.	2	3
1.	सियाल खो 'ए'	1.71
2.	सियाल खो 'बी'	1.63
3.	कुशलपुरा की झोपड़ी	0.86
4.	भैरूजी	0.62
5.	अमावरा ढाणी	2.29
6.	अमावरा मेड़ा	3.61
7.	बौंली	5.11
8.	मैदार	4.08
9.	कुम्मागांव	6.17
10.	गोठड़ा	5.55
11.	थड़ोली	2.88
12.	मैदार	3.10
13.	नेटनी का दांता 'अ'	7.11
14.	नेटनी का दांता 'ब'	4.56
15.	भैडोली	4.98
16.	मेदार अर्थन डैम	0.78
17.	कुम्मागांव	0.78
18.	सुकार-I	2.47
19.	सुकार-II	2.82
20.	झोबल्या की ढाणी	3.07
21.	कुम्मा गांव की बनी	2.75
22.	भोपा की ढाणी	3.30
23.	फोड़ोदा मोरमा	3.32

1	2	3
24.	पट्टया	4.70
25.	अर्थन डैम पट्टया	0.77
26.	लाखनुपर	1.18
27.	लाखनपुर	4.21
28.	गोतोड	4.31
29.	जाखोलास	0.97
30.	अमावरा	3.23
31.	सुकार	1.61
32.	रघुनाथपुरा	0.79
33.	कुआगांव	3.05
34.	कुआगांव	1.70
35.	बोरखेडा	2.51
36.	अर्थन डैम मुकनपुरा	0.78

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या– 92 की प्रति)

श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

विषय –श्रीमती रेचल पी. वी., म. स्वा. का., राज. चिकि. समेजा कोठी के साथ चिकित्सा अधिकारी अजायब सिंह बराड़ द्वारा अभद्र व्यवहार दुराचरण एवं मारपीट बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में लेख है कि उक्त कर्मचारी के साथ चिकित्सा अधिकारी अजायब सिंह बराड़ द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार दुराचरण एवं मारपीट की कार्यवाही करने वाले अधिकारी को तुरन्त निलम्बित किया जाने की संगठन आपसे मांग करता है।

संगठन उक्त घटना की कड़े शब्दों में निन्दा करता है वही विभाग में प्रशासन की हिंसक कार्यवाही का विरोध करते हुए कानून और व्यवस्था की दयनीय हालत पर गहरा क्षोभ प्रकट करता है।

संगठन उक्त प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत त्वरित कार्यवाही की भी मांग करता है।

नोट —श्रीमती रेचल पी. वी., म. स्वा. का., राज. चिकि. समेजा कोठी का घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र संलग्न है।

अध्यक्ष
राज. नर्सेज एसोसिएशन
श्रीगंगानगर

(297)

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची)

प्रपत्र 'अ'

भीम व देवगढ़ तहसील के बांध व नहर की मरम्मत व रख–रखाव पर
वर्ष 1996–97 व 1997–98 में हुए व्यय का कार्यवार विवरण

क.सं.	कार्य का नाम	तहसील	व्यय (लाखों में) 96–97	व्यय (लाखों में) 97–98
1.	कुण्डली	देवगढ़	4.474	—
2.	नीमझर	देवगढ़	—	0.800
3.	बगड़	देवगढ़	3.967	—
4.	अजीतगढ़	भीम	0.146	—
5.	कुशालपुरा	भीम	0.879	—
6.	नदीनाला	भीम	1.152	—
7.	कड़ियादेह	भीम	0.327	—
8.	दाडीरपट	भीम	0.530	—
9.	बरजाल	भीम	1.362	—
		योग :	12.838	0.800

परिशिष्ट-17 जु

परि

(अतारांकित प्रश्न सं

कालख बांध से ग्रामवार सिंचा

क्र.सं.	गांव	1976	1977	1978	1979	
1	2	3	4	5	6	
तहसील-दूदू						
1.	बोराज	33.10	40.73	33.50	25.55	2
2.	उगरियावास	692.55	533.85	653.30	574.80	46
3.	कोट नेवर	99.10	67.65	100.30	77.55	18
4.	गोपालपुरा	411.30	271.05	441.80	406.65	37
5.	कापडिया खुर्द	818.30	810.40	809.50	783.45	79
6.	कापडिया कलां	1059.75	1044.50	1044.30	983.60	102
7.	बिचून	456.85	471.10	413.60	315.60	41
8.	सीतारामपुरा	501.95	535.75	609.75	562.30	53
9.	गाडोती	564.20	560.40	573.15	470.20	50
10.	नासनोता	741.70	470.05	694.90	383.85	44
11.	चक नासनोता	32.00	28.65	18.05	5.00	2
12.	शिवसिंहपुरा उर्फ वाली	298.35	293.40	310.40	189.25	25
13.	मोखमपुरा	564.00	344.55	597.15	597.80	12
14.	गाडोती	971.05	924.50	1004.85	909.10	41
15.	कडवों का बास	993.35	582.48	997.05	914.60	—
16.	गगाती कलां	1718.15	1279.20	1732.70	1646.60	100
17.	गगाती खुर्द	749.50	342.95	688.50	702.75	—
18.	खटवाड़	184.95	11.85	134.70	284.40	—
19.	अखेपुरा	1602.10	365.40	1801.10	843.60	—
20.	पालु कलां	13.55	—	10.20	49.30	—
21.	पालु खुर्द	141.65	20.30	327.05	237.20	—

1	2	3	4	5	6	7
22.	सावरदा	29.50	—	60.75	33.85	—
23.	गिदानी	15.35	—	32.35	36.40	—
24.	चांदरमूल	114.35	—	255.50	34.00	—
25.	महेशपुरा	69.25	—	204.20	83.90	—
26.	मानपुरा	61.30	—	295.65	19.35	—
27.	गुडा वल्लभजी	173.60	—	244.50	69.70	—
28.	मोजमाबाद	1288.15	208.75	107.00	935.95	—
29.	चक दूदू	131.95	54 05	101.70	93.30	—
30.	तनझाग	48.55	2.35	37.50	48.80	—
31.	चक झाग	—	—	1.45	5.00	—
32.	श्री निवासपुरा	456.80	71.40	405.30	390.00	—
33.	झाग	521.10	56.45	634.25	336.00	—
34.	किशनपुरा	652.15	253.10	678.85	601.45	—
35.	भुरटिया	523.30	25.55	672.50	518.35	—
36.	डेडू	343.90	25.80	321.60	513.85	—
37.	घमाना	96.95	—	82.45	110.70	—
38.	सावली	562.90	3.30	796.15	769.55	—
39.	विहारीपुरा	558.20	23.05	813.80	724.60	—
40.	माधोसिंहपुरा	—	—	43.45	55.00	—
41.	शिवसिंह उर्फ बासडा	16.40	—	49.65	—	—
तहसील-फागी						
42.	चूकनी	26.30	—	—	—	—
43.	शंकरपुरा	364.40	—	610.85	635.65	—
44.	चकवाडा	26.80	—	583.30	374.50	—
45.	भरतपुरा	—	—	120.10	2.00	—
46.	चोरू	—	—	21.50	4.95	—
47.	पंचाला	—	—	445.30	458.80	—
48.	आवडिया	—	—	8.80	33.85	—
49.	झोडिन्दा	—	—	135.95	138.65	—
50.	पनाच	—	—	44.65	120.95	—
51.	सालरसू	—	—	54.45	132.00	—

	8	9	10	11	12	13
-	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—	—
.75	17175.20	21108.20	9660.95	2545.90	3823.85	—
.20	4293.80	5277.05	2415.23	636.50	905.50	—
.52	1.66	2.57	1.20	2.81	0.25	—
80	1981	1982	1983	1984	1985	

ह०/-
अधिशासी अभियन्ता
सिचाई खण्ड, जयपुर

परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न संख्या–98 की सूची)

प्रपत्र "अ"

ग्राम खिरोटी-मनरूपपुरा में लम्बित आवेदकों की सूची

क्र. सं. 1	आवेदक का नाम 2	आवेदन तिथि 3	प्रायोरिटी सं. 4
1.	श्री नाथूसिंह/गणेशसिंह	31.8.96	168
2.	श्री गिरधारी/किशना बलाई	31.8.96	169
3.	श्री मातारास/जीवणलाल बलाई	31.8.96	170
4.	श्री उमरावसिंह/हीरासिंह शेखावत	31.8.96	171
5.	,, भागीरथ सिंह/हीरासिंह शेखावत	,,	172
6.	,, मालाराम/चौथूराम बलाई	,,	173
7.	,, गिरधारीलाल/जीवण बलाई	,,	174
8.	,, मूलाराम/मूसाराम	,,	175
9.	,, मांगूसिंह/रिछपाल सिंह	,,	176
10.	,, बोदूसिंह/हीरासिंह	,,	177
11.	,, साधूसिंह/चन्दसिंह	,,	178
12.	,, जगमालसिंह/दूलासिंह	,,	179
13.	,, घीसालाल/गिरधारीलाल बलाई	,,	180
14.	,, सुगनसिंह/रिछपाल सिंह	,,	181
15.	,, रामकुवार/नाथूसिंह	,,	182
16.	,, प्रभूसिंह/हीरासिंह	,,	183
17.	,, बंशीधर/मालाराम बलाई	,,	184
18.	,, छोटीलाल/जीवणराम बलाई	,,	185
19.	,, बोदूराम/मूलाराम बलाई	,,	186
20.	,, अर्जुनलाल/चूनाराम	,,	187
21.	,, गरीबा/गिरधारी बलाई	,,	188
22.	,, गोबाराम/सोहनलाल	,,	189
23.	,, सूरजाराम/सोहनलाल बलाई	,,	190

1	2	3	4
24.	श्री हजारीसिंह/मंगेजसिंह	31.8.96	191
25.	„ मनोहरसिंह/रिछपाल	„	192
26.	„ गोपाल जोशी/बजरंगलाल	„	193
27.	„ जगमालसिंह/गोपालसिंह	„	194
28.	„ सावतसिंह/मूलसिंह	„	195
29.	„ सुगनाराम/बिडदाराम बावरिया	„	196
30.	„ गोपालसिंह/बच्चनसिंह	„	197
31.	„ नागरमल/रामस्वरूप शर्मा	„	198
32.	„ मूलसिंह/बच्चनसिंह	„	199
33.	„ मदनसिंह/दूलसिंह	„	200
34.	„ महावीरसिंह/रूडसिंह	„	201
35.	„ बोदूराम/सोहन बलाई	„	202

(303)

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-101 का विवरण)

परिशिष्ट- 'क"

स्रोतवार राज्य का हिस्सा/आबंटन एवं ऊर्जा उपलब्धि

वर्ष 1997-98

अस्थायिक

स्रोत	हिस्सा/आबंटन प्रतिशत में	मे. वा. में	ऊर्जा उपलब्ध (मि. यू.)
1	2	3	4
1· उत्पादन स्रोतों से			
(क) स्व उत्पादन			
(अ) ताप :			
(1) कोटा	100.00	850.00	5510.87
(2) रामगढ़ गैस	100.00	38.50	234.96
योग (अ)		888.50	5745.83
(ब) पन:			
(1) माही	100.00	140.00	395.57
(2) लघु विद्युत गृह	100.00	23.315	19.59
योग (ब)		163.315	415.16
कुल योग (क)		1051.815	6160.99
(ख) साझेदारी परियोजनाएं :			
(अ) ताप			
(1) सतपुड़ा	40.00	125.00	54.81
(ब) पन:			
1. भाखड़ा	15.22	214.30	860.40
2. ब्यास			
(I) देहर	20.00	198.00	633.66
(II) पोंग	58.50	210.60	929.06
(3) चम्बल	50.00	193.00	920.76
योग (ब)		815.90	3343.88
योग (ख)		940.90	3398.69
योग (क+ख)		1992.715	9559.68

1	2	3	4
(11) क्रय स्रोतों से			
(अ) ताप :			
1. रिहन्द	9.50	95.00	835.93
2. अन्ता	19.77	82.90	1305.69
3. औरया	9.17	60.83	472.34
4. विन्ध्याचल	—	—	74.29
5. पंजाब	—	—	255.08
6. हिमाचल	—	—	—
7. दादरी ताप	—	—	410.11
8. दादरी गैस	9.18	76.17	1478.58
9. ऊंचाहार	4.76	20.00	1105.51
10. डी.वी.वी. डाईवर्जन	—	—	529.44
11. एम. पी. को (बिक्री)	—	—	—
12. सिंग्ररोली	15.00	300.00	2311.99
योग (अ)		634.90	8778.96
(ब) पन. :			
1. सलाल	8.60	29.60	80.25
2. टनकपुर	9.17	8.64	53.59
3. चमेरा	8.60	46.40	125.78
4. उरी	8.96	43.00	376.67
योग (ब)		127.64	636.29
(स) अणु :			
1. राज. अणु	100.00	300.00	417.88
2. नरोरा अणु	9.57	42.11	527.09
योग (स)		342.11	944.97
योग (अ+ब+स)		1104.65	10360.22
योग (1+11)		3097.365	19919.90

प्रश्न संख्या-748 परिशिष्ट—"ख"

वर्ष 1997–98 में विभिन्न स्रोतों से विद्युत क्रय दर एवं लागत

क्रम सं. स्रोत	दर (पैसे प्रति यूनिट)	विद्युत क्रय (मी. यू.) 1997–98	कुल लागत (लाख रु. में)
1– सिगरोली	91.84	2463	22617
2– रिहन्द	129.34	889	11494
3– पश्चिमी ग्रेड	79.45	79	625
4– अन्ता गैस	114.88	1373	15768
5– औरया गैस	137.46	504	6925
6– दादरी गैस	145.24	1480	21498
7– दादरी थर्मल	206 81	783	16187
8– ऊंचाहार	176.39	1120	19751
9– राजस्थान अणु	61.34	312	1913
10– नरोरा अणु	171.75	542	9305
11– टनकपुर	131.20	52	677
12– सलाल–II	53.00	88	468
13– चमेरा	140.99	134	1893
14– उरी	220.00	348	7663
15– ओवरले एकाउन्ट	66.71	119	796
16– पंजाब–दिल्ली से क्रय	211.98	369	7823
17– राजस्थान फर्टीलाइजर फैक्ट्री	65.88	167	1100
	योग :–	10822	146503

ह०

परिशिष्ट–"ख–1"

स्वयं व भागीदारी परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन की लागत

उत्पादन लागत पै./यूनिट

क्रम संख्या	स्रोत	उत्पादन वर्ष 1995–96	1996–97
1–	कोटा तापीय विद्युत गृह	148·61	171·07
2–	सतपुड़ा तापीय विद्युत गृह	78·11	85·12
3–	माही जल–विद्युत गृह	149·65	107·41
4–	राणा प्रताप सागर	—	—
5–	जवाहर सागर	10·10	8·87
6–	गांधी सागर	—	—
7–	भाखड़ा विद्युत गृह	7·77	6·99
8–	ब्यास विद्युत गृह	19·54	24·09
9–	अनूपगढ़ विद्युत गृह व अन्य मिनी जल विद्युत गृह	807·74	842·20
10–	मंगरोल विद्युत गृह	284·12	348·70
11–	रामगढ़ गैस	—	253·23

ह०

परिशिष्ट–"ग"

वर्ष 1998–99 में अनुमानित ऊर्जा उपलब्धि

ऊर्जा मिलियन यूनिटों में

स्रोत	अनुमानित उपलब्धि 1998–99
1	2
1. स्व–उत्पादन:	
(अ) तापीय:	
(1) बाष्पीय:	
(अ) सतपुड़ा	700.00

1	2
(ब) कोटा तापीय परियोजना प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय	6000.00
(स) सूरतगढ़ इकाई प्रथम	1100.00
योग (I)	7800.00
(II) गैस	
(अ) रामगढ़	260.00
(ब) रामगढ़ विस्तार	
योग (II)	260.00
योग–तापीय (अ) (I + II)	8060.00
(ब) जल विद्युत :	
1. चम्बल	700.00
2. भाखड़ा	950.00
3. व्यास इकाई–I (देहर)	650.00
4. व्यास इकाई–II (पोंग)	1100.00
5. माही	350.00
6. अनूपगढ़	
7. अन्य लघु पन विद्युत योजनाएं	20.00
योग जल विद्युत (ब) (1 से 7)	3770.00
योग (अ + ब)	11830.00
(स) घटाइये :– सहायिकी उपभोग	
अ– सतपुड़ा	70.00 (10.00%)
ब– कोटा तापीय विद्युत गृह	600.00 (10.00%)
स– सूरतगढ़	121.00 (11.00%)

1	2
द– गैस	2.00 (0.77%)
य– जलीय	107.20 (2.84%)
योग : सहायिकी उपभोग	900.20
द– स्व–उत्पादन से शुद्ध उपलब्धता	10929.80
2. अन्य साधनों से विद्युत क्रय	
(अ) एन. टी. पी. सी.	
1– सिगरौली	3000.00
2– रिहृद तापीय विद्युत गृह	1000.00
3– पश्चिमी ग्रिड	30.00
4– अन्ता गैस तापीय विद्युत गृह	1250.00
5– औरैया गैस तापीय विद्युत गृह	500.00
6– दादरी गैस तापीय विद्युत गृह	1250,00
7– दादरी तापीय विद्युत गृह	400.00
8– ऊंचाहार तापीय विद्युत गृह	300.00
(ब) आणविक ऊर्जा निगम	
(I) राजस्थान आणविक विद्युत गृह	850.00
(II) राजस्थान आणविक विद्युत गृह विस्तार	50.00
(III) नरोरा आणविक विद्युत गृह	500.00
(स) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	
(I) टनकपुर	35.00
(II) सलाल चरण–द्वितीय	50.00
(III) चमेरा	125.00
(IV) उड़ी	300.00
(द) पड़ोसी प्रणाली से	377.50
(ई) उर्वरक फैक्ट्री के लिये माखड़ा से	182.50
योग 2 (अ से ई)	10200.00
3. कुल उपलब्धि (सहायिकी उपभोग को कम करके)	21129.80

परिशिष्ट–20

(अतारांकित प्रश्न संख्या–104 की प्रतियां)

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक प. 2(30) प. पा/90 पार्ट–II जयपुर, दिनांक 21-9-96

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय :– विभागीय पशु चिकित्सालयों का स्थानान्तरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 25.1.96 एवं 12.6.96 के द्वारा ग्रामीण विकास केन्द्र की आधारभूत संरचना के अन्तर्गत नवीन चिकित्सालय स्थापित हो जाने की वजह से उन स्थानों पर स्थापित पुराने विभागीय पशु चिकित्सालयों को समस्त स्टाफ के साथ निम्नानुसार स्थानान्तरित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र. सं.	स्थान जहां पूर्व से ही प. चि. कार्यशील है एवं पुनः प. चि, खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।	जहां प. चि. स्थानान्तरित किया जाना है
1.	नाहरगढ़ (बारां)	रायथल (जिला बारां)
2.	तसीमों (धौलपुर)	पिलान (प. स. रोणी, जिला अलवर)
3.	अरनोदा (चित्तौड़गढ़)	अंटाली (प. स. मावली, जि. उदयपुर)

बीकमपुर व सांजु के विषय में आदेश बाद में दिये जायेंगे । कृपया आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कर इस विभाग को अवगत करान का श्रम करें ।

भवदीय
ह०/–
(पी. लाल)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

पशुपालन विभाग

निदेशक,
पशु पालन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक–एफ. 2 (30) प. पा./90-II जयपुर, दिनांक 9 जुलाई, 1998

विषय :– विभागीय पशु चिकित्सालयों की संरचना ।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 2(30) प.पा./90 पार्ट–II दिनांक 21.6.96 द्वारा अरनोदा (चित्तौड़गढ़) में स्वीकृत किये गये पशु चिकित्सालय को अन्टाली, पंचायत समिति, मावली जिला उदयपुर में स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किये गये थे । यह आदेश जारी करने के बाद राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि आदेश क्रमांक एफ. 2(30) प. पा./90 पार्ट–II दि. 12.6.96 में अरनोदा के सामने "पशु चिकित्सालय कार्यरत है" लिख दिया गया जबकि वास्तव में अरनोदा में कोई पशु चिकित्सालय कार्यरत नहीं था । निदेशालय द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि पशु चिकित्सालय, अरनोदा में नहीं होकर अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ में है और यह सूचना गलती से राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई थी । इसको ध्यान रखते हुए अरनोद (चित्तौड़गढ़) से चिकित्सालय को अन्टाली स्थानान्तरण करने सम्बन्धी आदेश पर मौखिक रूप से रोक लगा दी गई थी और चूंकि अब तक इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश जारी नहीं हुए इसलिये निर्देशानुसार अरनोद (चित्तौड़गढ़) के पशु चिकित्सालय को अन्टाली, पंचायत समिति, मावली जिला उदयपुर स्थानान्तरण करने सम्बन्धी उपरोक्त आदेश निरस्त समझे जावें ।

भवदीय

हस्ता/–

(राजकुमार)

शासन सचिव

परिशिष्ट-21

परिशिष्ट 'म' (211)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा
विधान सभा प्रश्न सं. 112 के उत्तर में चाही गई अपना गांव अपना काम योजना
में प्राप्त/विचाराधीन प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	नाम कार्य, पंचायत	पं. समिति	लागत राशि	प्राप्ति दिनांक/ कब से विचाराधीन की दि.
1	2	3	4	5
1.	श्मशान घाट का निर्माण	रायपुर	0.50	20.10 97
2.	प्रा. वि. उपरेड़ा बामनियां,	बनेड़ा	1.00	01.10.97
3.	डेयरी भवन निर्माण, पिण्डोलिया	शाहपुरा	1.00	20.10.97
4.	डेयरी भवन नि. रघुनाथपुरा	"	1.00	16.10.97
5.	रामावि. कमेछनकाल बाउन्ड्री,	"	2.00	19.12.97
6.	रामावि देवरिया में निर्माण	"	2.31	03.12.97
7.	सामुदायिक केन्द्र, बडेसरा	"	2.00	22.04.98
8.	धर्मशाला निर्माण, खारीका लाम्बा	हुरड़ा	0.80	06.09.97
9.	धर्मशाला निर्माण, टोकरवाड़	"	1.75	22.10.97
10.	" " लाम्बा	"	1.00	1.09.97
11.	प्रा. विगढ़वालों का खेड़ा	परडोदास	1.06	24.11.97
12.	प्रा. वि. खातीखेड़ा निर्माण	हुरड़ा	0.35	29.12.97
13.	प्रा. वि. केसरपुरा में निर्माण	"	1.55	15.12.97
14.	राउमावि तस्वारिया "	"	0.81	05.12.97
15.	धर्मशाला निर्माण, रूपाहेली	"	2.00	22.10.97
16.	रामावि बेमाली में निर्माण	माण्डल	1.81	16.01.98
17.	जैन मन्दिर निर्माण कार्य पास में भुवाला		0.12	20.10.97
18.	चबूतरा निर्माण चिताम्बा,	माण्डल	0.124	29.10.97
19.	रामावि चिताम्बा हाल कार्य	"	2.01	03.09 97
20.	रासीमावि करेड़ा में निर्माण	"	1.25	24.09 97
21.	प्रावि. मालीखेड़ा पोटला	सहाड़ा	1.00	13.10 97
22.	प्रावि. मट्टुनियां निर्माण कार्य	"	1.00	04.06.97

1	2	3	4	5
23.	आंगनबाड़ी केन्द्र गणेशपुरा	सहाड़ा	0.31	06.09.97
24.	प्रावि. गणेशपुरा कार्य	"	0.31	01.09.97
25.	राउमावि नयानगर में कार्य	माण्डलगढ़	5.00	06.11.97
26.	राउमावि कास्यां में निर्माण	"	3.00	02.03.97
27.	ग्रेवल रोड कार्य लाखा	"	0.59	24.03.98
28.	राउमावि. खटवाडा में निर्माण कार्य	"	0.38	01.09.97
29.	राउमावि. कारोई में निर्माण कार्य	सुवाणा	1.00	29.09.97
30.	धर्मशाला निर्माण. कारोई	"	2.00	14.04.98
31.	राबाउमावि. टीकड़ में निर्माण	जहाजपुर	1.00	06.03.98
32.	रासीउमावि जोमोली में निर्माण कार्य	"	0.36	16.12.97
33.	राउप्रावि. लुहारी खुर्द में	"	1.00	24.03.98
34.	प्रावि. रतनपुरा में	"	0.42	08.12.97
35.	रामावि. सरसिया में	"	0.66	24.11.97
36.	राउप्रावि मोतीपुरा में	"	1.00	03.11.97
37.	धर्मशाला निर्माण बरोदा	"	0.50	13.11.97
38.	विश्रान्ति गृह लुहारी खुर्द	"	0.91	18.03.98
39.	मिट्टी रोड कार्य फलासियां	"	1.00	03.11.97
40.	धनोप माता घोघोला कार्य	"	0.36	15.10.97
41.	सार्वजनिक कुई, कुराड़िया	"	0.33	10.12.97
42.	सार्वजनिक चौपाल कार्य	"	0.25	10.12.97
43.	विश्रान्ति गृह गाडोली	"	2.72	22.04.98
44.	सार्वजनिक पार्क गाडोली	"	1.26	22.04.98
45.	डेयरी भवन निर्माण, मोतीपुर	आसीन्द	1.14	06.05.98
46.	रामावि टीकड़ में निर्माण कार्य	जहाजपुर	0.95	13.11.97
47.	रामावि. लुहारी कलां में कार्य	"	2.24	04.10.97
48.	रोड आटूण	सुवाणा	1.00	27.10.98
49.	फर्शी का कार्य आटूणा	"	0.50	27.01.98
50.	सार्वजविक धर्मशाला का निर्माण	"	0.60	06.04.98
		योग	68.03 लाख	

313

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 110 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1993 से अप्रेल, 1998 तक स्वीकृत सड़कों का विवरण

क.सं.	नाम योजना	सड़क का नाम	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
1.	निर्बन्ध योजना	डाबला से डाबला रेल्वे स्टेशन के रपटे पर पुल बनवाने हेतु	पूर्ण
2.	जवाहर रोजगार योजना	डाबला से बिहार	पूर्ण
3.	—"—	दुजावाला से दीपावास	पूर्ण
4.	—"—	हरिपुरा मोड से सांवलपुरा शेखावतान गुडले वाले हनुमानजी	पूर्ण
5.	—"—	रावतो की ढाणी पांचु खरकड़ा हरियाणा बार्डर	पूर्ण
6.	बत्तीस जिला बत्तीस काम	सम्पर्क सड़क डाबला रेल्वे स्टेशन से डाबला गांव ।	पूर्ण
7.	सुनिश्चित रोजगार योजना	डाबला से बिहार	पूर्ण
8.	—"—	दुजावाला से दीपावास	पूर्ण
9.	—"—	अप्रोच सड़क सांवलपुरा शेखावतान	निरस्त
10.	—"—	सम्पर्क सड़क भूदोली से प्रीतमपुरी	अपूर्ण
11.	—"—	सम्पर्क सड़क थोई से प्रीतमपुरी	अपूर्ण
12.	—"—	चवा की ढाणी से नाडड़ा कालां	पूर्ण

1	2	3	4
13.	सुनिश्चित रोजगार योजना	सम्पर्क सड़क सिरोही से मगेगा	पूर्ण
14.	—"—	सम्पर्क सड़क केरवाली से फुरानावास नापावली माउंडा खुर्द	अपूर्ण
15.	—"—	बांसीपुरा से रामपुरा पाटन वाला राम का बास कोला की नागल	पूर्ण
16.	—"—	सम्पर्क जिलों से विहार	अपूर्ण
17.	—"—	डाबला रेल्वे स्टेशन से डाबला गांव	पूर्ण
18.	—"—	सम्पर्क सड़क गणेश्वर से नोकलवास	अपूर्ण
19.	—"—	सम्पर्क सड़क गणेश्वर	अपूर्ण
20.	—"—	टीका से लादी का बास वाया कालीदास मन्दिर	अपूर्ण
21.	—"—	भूदोली से भगवाड़ी	पूर्ण
22.	—"—	सम्पर्क सड़क खादरा	पूर्ण
23.	—"—	गोविन्दपुरा से बासड़ी खुर्द	पूर्ण
24.	—"—	डाबला से बिहारीपुर	पूर्ण
25.	—"—	पाटन सड़क से श्यामपुरा	पूर्ण
26.	—"—	भूदोली से किरोणी	पूर्ण
27.	—"—	भूदोली से बासड़ी खुर्द	अपूर्ण
28.	—"—	सम्पर्क सड़क रामसिंहपुरा	पूर्ण
29.	—"—	सम्पर्क सड़क नीमकाथाना से गोढावास ढाणी हीराजीवाली	अपूर्ण

1	2	3	4
30.	सुनिश्चित रोजगार योजना	सम्पर्क सड़क ढाणी बडवाली (हनुमानजी का मन्दिर) से डाबला रेल्वे स्टेशन	पूर्ण
31.	एम.पी. लोकल एरिया डवलपमेंट योजना	पाटन सड़क से कराला मोड़ से मराला तक सड़क निर्माण कार्य	अपूर्ण
32.	—"—	हुसामपुर से जाटवास	पूर्ण
33.	—"—	लाडी का बास से कालीखेड़ा	चालू
34.	—"—	कांवरड़ा से हुसामपुर	चालू
35.	सहभागी नगर विकास योजना	वार्ड नं. 1 से 19 सीसी मुख्य शाहपुरा मोड़ से कपील मंडी तक रोड	पूर्ण
36.	—"—	वार्ड नं. 18 मैन शाहपुरा रोड से रमेश शर्मा के मकान तक सीसी रोड	पूर्ण
37.	—"—	वार्ड नं. 21, 19, 18 में सीसी रोड रामदेव के मन्दिर से मुख्य शाहपुरा रोड	पूर्ण
38.	—"—	वार्ड नं. 19 रामकुमार की मूर्ति से कपील मंडी रोड तक सीसी रोड	पूर्ण
39.	—"—	खेतड़ी मोड़ से मांगीलालजी की मील तक डामर रोड	निर्माणाधीन
40.	—"—	वार्ड नं. 3 पथवारी स्कूल से बूगड़ा तक स्टोन फिटिंग कार्य	पूर्ण
41.	—"—	वार्ड नं. 1 बड़ के पेड़ से बाबुलाल कुमावत तक सीसी रोड	पूर्ण
42.	—"—	अमीर के मकान से बाबु मिस्त्री के मकान तक सीसी रोड	पूर्ण
43.	—"—	वार्ड नं. 11 प्रभु तांगे वाले से भगवान के मकान तक सीसी रोड	पूर्ण
44.	—"—	वार्ड नं. 1 बस स्टेण्ड से टैम्पो स्टेण्ड तक सीसी कार्य रेम्प	पूर्ण

1	2	3	4
45.	सहभागी नगर विकास योजना	वार्ड नं. 1 मित्तल आटो सेन्टर से शाहपुरा रोड तक सीसी रैम्प कार्य	पूर्ण
46.	—"—	वार्ड नं. 17 बृजमोहन/मालीराम के मकान से मैन शाहपुरा रोड तक सीसी रोड	पूर्ण
47.	—"—	वार्ड नं. 9, 10 स्टोन फिटिंग कार्य जेल के पास हैण्डपम्प के नजदीक स्थित खेलों के पास	पूर्ण
48.	—"—	वार्ड न. 14 चेतमल मण्डोली वाले छोटू मीणा तक सीसी रोड	पूर्ण
49.	—"—	वार्ड नं. 2 शंकरलाल के मकान से नाठ भवन तक सीसी रोड	पूर्ण
50.	—"—	वार्ड नं. 2 बनवारी टेलर से जुगल के मकान तक सीसी रोड	पूर्ण
51.	—"—	वार्ड नं. 13 बालकिशन चौधरी से जगदीश के मकान तक सीसी रोड	पूर्ण
52.	—"—	वार्ड नं. 13 पाटन रोड से मैन बाजार तक हैण्डपम्प तक सीसी रोड़	पूर्ण
53.	—"—	वार्ड नं. 9 बनवारी लाल के मकान से ठाकुर जी के मन्दिर तक स्टोन फिटिंग कार्य	निर्माणाधीन
54.	—"—	वार्ड नं. 17 शाहपुरा रोड से सांवरमल के मकान तक एवं गणपति मैंशन के पास सीसी रोड निर्माण	पूर्ण
55.	—"—	वार्ड नं. 9, 10, 11 भगवान सहाय के मकान से त्रिलोक खटीक के मकान तक सीसी रोड	पूर्ण
56.	—"—	बस स्टेण्ड से मित्तल आटो सेन्टर तक डामर कार्य	पूर्ण
57.	—"—	कपील अस्पताल से टैम्पो स्टेण्ड तक डामर कार्य	पूर्ण
58.	—"—	वार्ड नं. 4 व 5 मांगीलाल जी के मील से सोलंश जी के तक रोड ऊंचा उठाना एवं डामर सरफेस कार्य	चालू नहीं

(317)

परिशिष्ट-"ब"

स्वीकृत सड़कों पर ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का विवरण व नाम

क्र. सं. 1	सड़क का नाम 2	ठेकेदार का नाम 3
1.	डाबला से डाबला रेलवे स्टेशन के पट्टे पर पुल बनवाने हेतु	मैसर्स जय क. क. नीमकाथाना
2.	डाबला से बिहार	मैसर्स यादव के कम्पनी नीमकाथाना
3.	दुजावाला से दीपावास	मैसर्स भगवती क. क. सीकर
4.	हरिपुरा मोड से सावलपुरा गूडले वाले हनुमान जी	श्री सन्तोष कुमार गुजर
5.	रावतो की ढाणी पांचु खेरकडा हरियाणा बोर्डर	श्री बालकिशन चौधरी
6.	सम्पर्क सड़क डायला रेलवे स्टेशन से डायला गांव	ठेकेदार मैसर्स जय कन्संटक्शन क. नीमकाथाना
7.	डायला से बिहार	मैसर्स जय क. कम्पनी
8.	दुजावाला से दीपावास	श्री मुरारी लाल अग्रवाल
9.	सम्पर्क सड़क भूदोला से प्रीतमपुरी	श्री योगेश कुमार
10.	सम्पर्क सड़क थोई से प्रीतमपुरी	मैसर्स बगडिया क. कम्पनी
11.	बला की ढाणी से भाउंड़ा कलां	श्री बालकिशन चौधरी
12.	सम्पर्क सड़क सिरोही से भगेगा	श्री उम्मेद सिंह
13.	सम्पर्क सड़क केरवाली से पुरानाबास नामावली माउंडा खुर्द	श्री मुरारी लाल अग्रवाल
14.	घासीपुरा से रामपुरा पाटन वाया राम का रास काला की नांगल	श्री बालकिशन चौधरी
15.	सम्पर्क जिलों से बिहार	मैसर्स जय क. कम्पनी
16.	डाबला रेलवे स्टेशन से डाबला गांव	श्री बहादुर सिंह
17.	सम्पर्क सड़क गणेश्वर से नाकलवास	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा
18.	सम्पर्क सड़क भागेश्वर	श्री मालसिंह खेतसिंह

1	2	3
19.	टोडा से लादी का बास वाया कालीस मन्दिर	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा मैसर्स जय क. कम्पनी
20.	भूदोली से अगबाड़ी सम्पर्क सड़क खादरा	श्री ओमप्रकाश खिचड़ मैसर्स जय क. कम्पनी
21.	गोविन्दपुरा से बासंडी खुर्द	श्री हरलाल सिंह
22.	डाबला से बिहारीपुर	श्री बहादुर सिंह
23.	पाटन सड़क से श्यामपुरा	मैसर्स जय क. कम्पनी
24.	भूटोली से झिराणा	श्री सन्तोष कुमार
25.	भूदोली से बासड़ी खुर्द	श्री मुरारी लाल अग्रवाल
26.	सम्पर्क सड़क रामसिंहपुरा	श्री सन्तोष कुमार
27.	सम्पर्क सड़क नीमकाथाना से गोठावास ढाणी हीराजीवाली	श्री सुरेश कुमार
28.	सम्पर्क सड़क ढाणी बडवाली (हनुमान जी का मन्दिर) से डाबला रेलवे स्टेशन	मैसर्स जय क. कम्पनी
29.	पाटन सड़क से मराला मोड से मराला तक सड़क निर्माण कार्य	मैसर्स बीजानियां क. क. नीमकाथाना

(39)

परिशिष्ट–23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 112 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 1997–98 में स्वीकृत किन्तु निरस्त किए गए कार्यों के कारण, उत्तरदायी एजेन्सी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	निरस्त किये गये कार्यों का विवरण	राशि लाखों में	कार्यकारी अभिकरण	निरस्त करने का कारण	उत्तरदायी एजेन्सी के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
	सुनिश्चित रोजगार योजना				
(1)	रा. प्रा. मा. अलसीसर वार्ड नं. 13 का भवन निर्माण	3.45	पं. स. अलसीसर	भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(2)	रा. प्रा. मा. भैरूजी की ढाणी का भवन निर्माण	3.45	पं. स. अलसीसर	राज्य सरकार द्वारा उक्त विद्यालय की स्वीकृति निरस्त करने के कारण	,,—,,
(3)	पशु उप केन्द्र भवन ग्यागियासर	1.00	पं. स. अलसीसर	सम्बन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूची उपलब्ध कराई गई थी किन्तु विकास अधिकारी द्वारा उक्त स्थान पर भवन पूर्व में ही बने होने की सूचना से अवगत कराये जाने के कारण।	,,—,,
(4)	पशु चिकित्सालय भवन बागोली	2.39	पं. स. उदयपुरवाटी	,,—,,	,,—,,

(320)

1	2	3	4	5	6
(5)	पशु चिकित्सालय भवन बसई	2.39	पं. स खेतडी	,,—,,	कार्यवाही अपेक्षित नहीं है
जवाहर रोजगार योजना					
(6)	पशु उप केन्द्र भवन मोडकी	1,00	पं स. उदयपुरवाटी	,,—,,	,,—,,
(7)	पशु उप केन्द्र भवन गोठडा	1,00	पं. स. खेतडी	सम्बन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूची उपलब्ध कराई गई थी। किन्तु विकास अधिकारी द्वारा उक्त स्थान पर भवन पूर्व में ही बने होने की सूचना से अवगत कराये जाने के कारण।	,,—,,
(8)	पशु उप केन्द्र भवन दलेलपुरा	1.00	,,—,,	,,—,,	,,—,,
अपना गांव अपना काम					
(9)	समाज कल्याण भवन नरहड	1.00	पं. स. चिडावा	पूर्व प्रस्तावित कार्य में विस्तार कार्य सम्मिलित किये जाने के कारण कार्य की वास्तविक लागत बढ़ गई जिससे जन सहयोग की राशि निर्धारित मापदण्ड से कम उपलब्ध होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं होने पर दानदाताओं	,,—,,

1	2	3	4	5	6
				द्वारा सहयोग की राशि वापिस लिये जाने के कारण ।	
(10)	रा. उ. प्रा. वि. पातोता में एक कमरा निर्माण	0.89	पं. स. बुहाना	,,—,,	कार्यवाही अपेक्षित नहीं है
बत्तीस जिला बत्तीस काम					
(11)	हमीरवास ग्राम में टंकी की थली नलकूप से पाइप लाइन द्वारा जोड़ने का कार्य	0.96	जलदाय वि. खेतड़ी	कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं होने के कारण	,,—,,
(12)	रा. प्रा. शा. बाडेट में पेयजल हेतु कुण्ड निर्माण	0.80	पं. स. अलसीसर	कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं होने के कारण	,,—,,
(13)	1000 मी. पाइप लाइन डालने का कार्य ग्राम जयपहाडी	0.91	पं. स. झुन्झुनूं	,,—,,	,,—,,
(14)	सार्व. कूप का विद्युतीकरण कार्य ग्राम दोचाना की ढाणी	0.31	पं. स. बुहाना	,,—,,	,,—,,
(15)	सार्व. पेयजल कूप को चालू करने का कार्य ग्राम ढाणी काजला	1 50	पं. स. झुन्झुनूं	,,—,,	,,—,,
(16)	जी. एल. आर. को जल स्रोत से जोड़ने का कार्य ग्राम बुडाना ।	0.50	जलदाय विभाग जिला खण्ड झुन्झुनूं ।	फिजिबल नहीं होने के कारण	,,—,,

———

321